खण्ड-452, अंक-4
बुधवार, 27 माघ, शक संवत् 1926
(16 फरवरी, 2005 ई0)

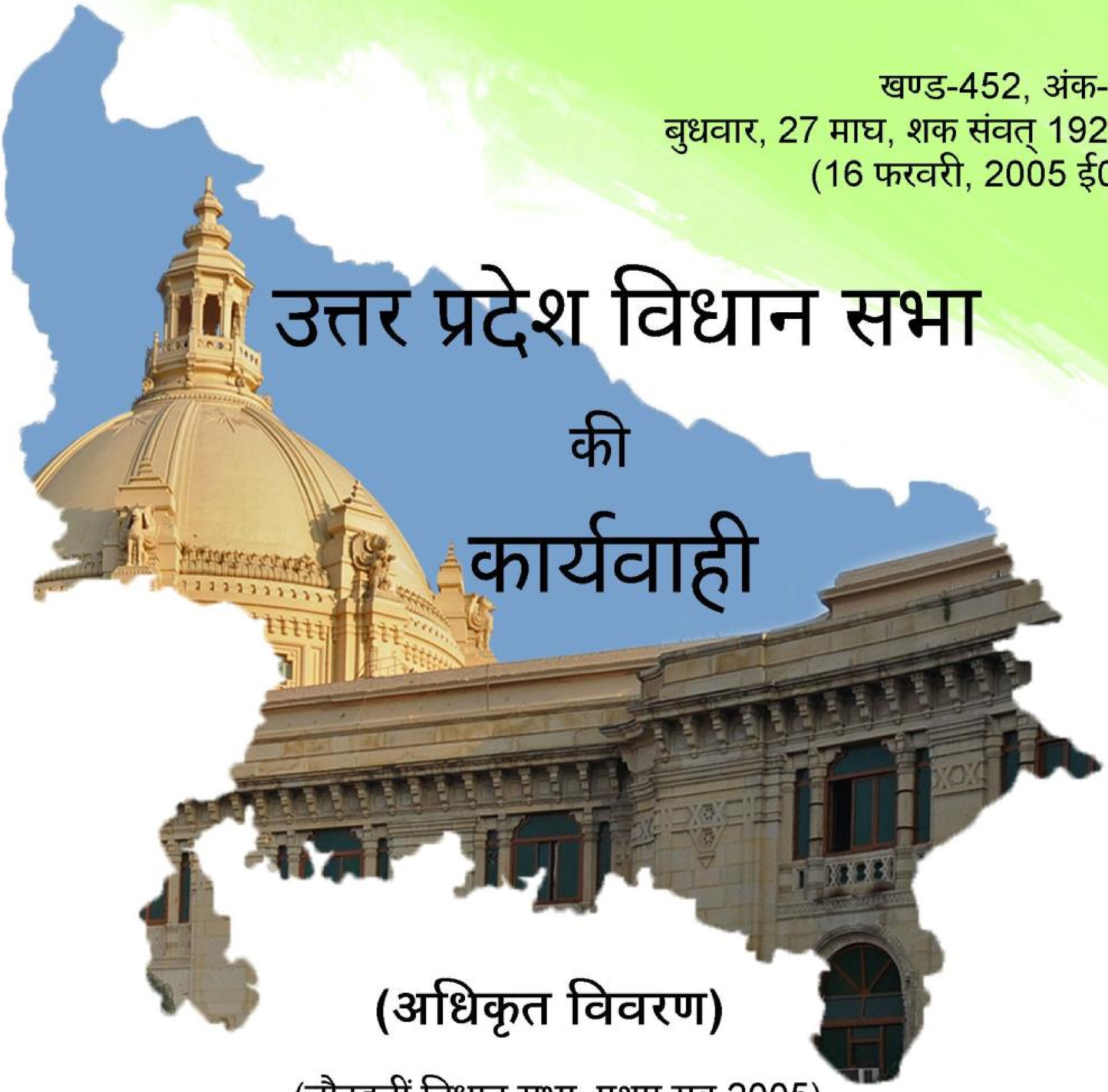

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2005)

खण्ड 452 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2005

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	ग--ज
खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित मामले को नियम-311 में लिये जाने की माँग ...	1
प्रश्नोत्तर (जारी)	1--2
मूल प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में अभिरुचि पर प्रश्न को लिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति (जारी)	2
प्रश्नोत्तर (जारी)	3
मूल प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में अभिरुचि पर प्रश्न को लिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति	4--6
प्रश्नोत्तर	6--57
आज की कार्य-सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 16 का विभाग परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	57--58
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	59--60
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	60
जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत माननीय मुख्य मंत्री की घोषणा संख्या-70/01 के परिपालन हेतु वांछित धनराशि अवमुक्त कर समयबद्ध कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60--61
जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर से महमूदपुर होते हुये नाले को काली नदी तक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
जनपद बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत गौरिया डालचन्द में ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुरुप ही विद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61--62
जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत जहूराबाद से बाराचेवर मार्ग का पुनर्निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा प्राधिकरण द्वारा बिना भूमि अधिग्रहीत किये ग्रामवासियों के घरों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत अखिया तिराहा से सेमरांवा तक क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	62--63

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
रामनगर (चंदौली) के सामने गंगा घाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा बेलऊ में सड़क की पटरी के दोनों ओर पक्की नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	63
विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	63
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	64
आज की नियम 56 व 300 की सूचनाओं को कल लिये जाने का अनुरोध ...	64
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	64--120
वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण (प्रस्तुत किया गया) ...	120
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की "लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति" "अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियाँ सम्बन्धी संयुक्त समिति" "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति " और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थाई समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के निर्धारण की सूचना	120--121
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें	121--122
जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर से फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज्यमंत्री का वक्तव्य	122--123
नत्थियाँ	124--150

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

बुधवार, दिनांक 16 फरवरी, 2005

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे उपाध्यक्ष, श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य--341

अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री — बहराइच
अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अजय कुमार, डा0 — बागपत
अजय राय, श्री — वाराणसी
अजीम भाई, श्री — फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री — बरेली
अनवर महमूद, श्री — बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री — एटा
अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री — सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री — हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल सिंह, श्री — सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री — देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री — बस्ती
अन्सार अहमद, श्री — इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री — सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री — बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री — फतेहपुर
अमरमणि, श्री — महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री — हाथरस
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बेश कुमारी, श्रीमती — महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0 — जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती — कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री — बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री — कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0 — हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री — सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री — फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

आर0 एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिंह, डा0	बिजनौर
इल्म सिंह, श्री	सहारनपुर
उज्ज्वल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयभान सिंह, श्री	वाराणसी
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओडमबेश, स्वामी	बिजनौर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थ नगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरण पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अनसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
डी0 प्रसाद अहिरवार, श्री	चित्रकूट
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भास्कर, श्री	सन्त रविदास नगर भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी0 एम0 सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर

नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा0	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेमलता देवी, श्रीमती	अलीगढ़
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम एम0 काम, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	जालौन
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बाँदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतंश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राजकिशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह बलियान, श्री	मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राजपाल सिंह सैनी	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफुले नगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
लुईस खुर्शीद, श्रीमती	फर्रुखाबाद
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विवेक बंसल, श्री	अलीगढ़
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेश्वर, श्री	अलीगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदास नगर (भदोही)
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहाजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संजीव दरियावादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कठेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :—1--श्री मुन्ना सिंह चौहान (सिंचाई) मन्त्री सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित मामले को नियम-311 में लिये जाने की मांग

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, मेरी नियम-311 में एक सूचना है। खाद्यान्न घोटाले से सम्बन्धित मामला है।

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें। वह सूचना समय पर आयेगी। पहले प्रश्नकाल पूरा कर लें।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर, खाद्यान्न घोटाला प्रदेश में हो रहा है। अन्नपूर्णा योजना और एस0 आर0 वाई0 का अनाज .....

श्री उपाध्यक्ष–

समय पर सारी सूचनायें ली जायेंगी।

श्री राम इकबाल सिंह–

हजारों करोड़ का घोटाला है।

श्री उपाध्यक्ष–

जो भी है लेकिन प्रश्नकाल भी बहुत महत्वपूर्ण है। उस की भी अपनी अपेक्षायें हैं। आपकी सूचना समय पर आयेगी, आप आसन ग्रहण करें।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में मच्छरों के बढ़ते हुए प्रकोप को रोकने के उपाय

प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर (अनुपस्थित)–

**1–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मच्छरों का प्रकोप होने के कारण मलेरिया, डेंगू जैसी भयंकर संक्रामक बीमारियों का खतरा पैदा हो गया है ? यदि हां, तो सरकार इसे रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री (श्री जयवीर सिंह) –

जी नहीं।

मच्छर जनित रोग मलेरिया, डेंगू आदि के उपचार की सुविधायें समस्त चिकित्सालयों, सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क उपलब्ध है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार मलेरिया, डेंगू, संवेदनशील क्षेत्रों में बचाव हेतु अवशेषी छिड़काव, डी0 डी0 टी0, मैलाथियान एवं सिन्थेटिक पाइरीथ्राइड कीटनाशकों से कराया जाता है और अन्य लार्वा नाशक रसायनों का छिड़काव नगरीय क्षेत्रों में तथा फागिंग व पायरीथ्रम स्पेस स्प्रे आवश्यकता अनुसार कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राम इकबाल सिंह–

मान्यवर इसमें मेरी रुचि है।

कृषकों को समुचित मात्रा में खाद-बीज की उपलब्धता बनाये रखने हेतु कार्य योजना

**2–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या सरकार के संज्ञान में है कि वर्ष 2004-05 में डी0 ए0 पी0 खाद की अनुपलब्धता एवं नकली डी0 ए0 पी0 के कारण रबी की फसल प्रभावित हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा कृषकों को समुचित मात्रा में खाद-बीज की उपलब्धता बनाये रखने हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक वाजपेयी)–

जी नहीं।

रबी 2004-05 के लिए आवश्यकता के अनुरूप भारत सरकार की सहमति से 9.50 लाख मी0 टन डी0 ए0 पी0 का लक्ष्य रखा गया तथा अब तक इस लक्ष्य के सापेक्ष 11.23 लाख मी0 टन उपलब्धता रही। रबी 2004-05 में कुल 18.39 लाख कुंतल उन्नतशील बीजों का लक्ष्य रखा गया जिसके सापेक्ष 19.34 लाख कुंतल उपलब्धता रही।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत जनहित का प्रश्न है। इसमें रुचि है। हम लोग चाहते हैं कि इसका जवाब आ जाय।

माननीय मंत्री जी द्वारा प्रश्न का उत्तर पढ़ा गया।

मूल प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में अभिरुचि पर प्रश्न को लिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

मान्यवर, मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा कि यह परिपाटी पहली बार शुरू हुयी है। अभी तक यह परिपाटी नहीं थी।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर किसी सदस्य की रुचि रहती है तो ले लेते हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी देख लें यह जनहित से जुड़ा हुआ प्रश्न है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपने अनुमति दे दी उसके बाद भी संसदीय कार्यमंत्री जी सहमत नहीं हो रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

आप हमें न सिखाइए आपने तो हमें खड़े नहीं होने दिया। आप हमें बताएंगे कि क्या होता है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यों की रुचि है अगर कोई विशेष आपत्ति न हो तो इसको ले लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ–

अब तो पीठ का निदेश हो गया है लेकिन ऐसा होता नहीं चला आया है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री जगदीश नारायण राय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपने अपने उत्तर में बताया कि 11.23 लाख मी0 टन की उपलब्धता रही तो क्या यह उपलब्धता प्रत्येक जनपद को बराबर वितरित की गयी और इसकों वितरित करने का मानक क्या रहा है ?

कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)–

प्रत्येक जनपद का लक्ष्य निर्धारित किया गया और उसकी आवश्यकता को असेस करके यह 11.23 लाख मी0 टन डी0 ए0 पी0 का वितरण किया गया। कही पर भी डी0 ए0 पी0 की कमी नहीं पायी गई।

श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मेरे जनपद जौनपुर के बारे में मंत्री जी को सूचना है कि वहां पर कितनी डी0 ए0 पी0 उपलब्ध कराई गई और कितनी वितरित की गई ?

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, जौनपुर में 9, 440 मी0 टन डी0 ए0 पी0 की उपलब्धता रही है।

श्री जगदीश नारायण राय–

आपने उपलब्धता बता दी लेकिन क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि इसका वितरण साधन सहकारी समितियों के माध्यम से कराया गया या प्राइवेट डीलरों के माध्यम से कराया गया ?

डा0 अशोक बाजपेयी--

हमारी प्राथमिकता यह रही है कि हमारी जो सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से वितरण हो जहां कहीं सहकारी समितियाँ भंग थी वहां पर दूसरी एजेंसियों के माध्यम से वितरित की गई या अन्य साधन सहकारी समितियां जो क्रियाशील थीं उनके साथ सम्बद्ध करके वितरण करने का काम किया गया।

श्री राम इकबाल सिंह–

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं आपने जो आंकड़े दिए हैं वह निश्चित रूप से सही हैं लेकिन किसानों ने निश्चित रूप से डी0ए0 पी0 खाद नहीं पायी यह हकीकत है। आप बलिया जनपद के बारे में बता सकते हैं ? जहां पर किसानों को नकली खाद मिली और समितियों के माध्यम से कहीं खाद उपलब्ध नहीं हुई।

डा0 अशोक बाजपेयी–

बलिया जनपद में 7,600 मी0 टन डी0 ए0 पी0 का लक्ष्य था उसके सापेक्ष 9,906 मी0 टन डी0 ए0 पी0 उपलब्ध कराई गई। सदस्यों की जिज्ञासा के लिए मैं बताना चाहता हूं कि डी0 ए0 पी0 के लिए फास्फोरिक एसिड बाहर से मंगाना पड़ता है और इसके लिये हमको भारत सरकार से फासफोरिक एसिड आता है। 100 प्रतिशत यह इम्पोर्ट किया जाता है।

मूल प्रश्नकर्ता की अनुपस्थिति में अभिरुचि पर प्रश्न को लिए जाने के सम्बन्ध में आपत्ति (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, यह बात अच्छी नहीं है। जिस तरह से पीठ को [x x x] जा रहा है, यह उचित नहीं है। यह नियमावली में है। मैं संसदीय कार्य मंत्री से निवेदन करुंगा कि हम किस नियम के तहत प्रश्न पूछ रहे हैं अभी यह आपके सामने रख देंगे। हमने अनुरोध किया है, विशेष रूचि जाहिर की है तो कौन सा पहाड़ टूट रहा है। कृषि मंत्री जी जवाब दे रहे हैं उसके बावजूद जिस तरीके से पीठ को [x x x] बात कह रहे हैं, यह उचित नही है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)--

मान्यवर, पीठ के लिये तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जाहिर है कि आपको जो फीड बैक मिलता है उसके लिये जरूर कष्ट है। पूरा सदन इस बात के लिये गवाह है कि अगर कभी ऐसा मौका आया है तो सिर्फ प्रश्न का जवाब दिया गया है। लेकिन यदि प्रश्नकर्ता सदस्य मौजूद नहीं है तो उस पर बहस नहीं होती। यह पहला मौका है जो इस तरह की परम्परा की शुरूआत की जा रही है। ठीक है, यह जो परम्परा शुरू की जा रही है यह इस प्रश्न के लिये नहीं हर प्रश्न के लिये उसूल माना जाय। अब प्रश्नकर्ता सदस्य का होना न होना कोई जरूरी नहीं है। अब अगर सदस्य सदन में मौजूद हो न हों, लेकिन अगर प्रश्न सूची में आ गया है और कोई भी सदस्य उस पर बहस चाहते हैं तो बहस होनी चाहिए, यह मेरा आपसे निवेदन है। मैं तो माननीय मौर्या जी की बात को और बढ़ा रहा हूं कि अगर यह ठीक है तो फिर सदन में प्रश्नकर्ता सदस्य के होने न होने का कोई मतलब नहीं है। प्रश्नकर्ता सदस्य सदन में न हों तब भी उसी तरह से उस पर चर्चा हो जिस तरह से प्रश्नकर्ता सदस्य के सदन में रहने पर होती। मैं तो कह रहा हूं कि जरूर यह परिपाटी आज से लागू होनी चाहिए। ऐसा न हो कि एक प्रश्न पर यह उसूल माना जाय और अन्य प्रश्नों पर दूसरा उसूल माना जाय। मैं तो खुद इस पर बल देकर कह रहा हूं माननीय सदस्य के सदन में न रहते हुए भी आप यह अधिकार दे रहे हैं। यह अधिकार केवल इस प्रश्न के लिये नहीं हर प्रश्न के लिये माना जाय। सदस्य का प्रश्न करने के बाद सदन में आना कोई जरूरी नहीं है। सूची में प्रश्न आ जाय, उस पर बहस होनी चाहिए। आज से यह सुनिश्चित हो जाना चाहिए, मात्र इस प्रश्न के लिये नहीं। सारे प्रश्नों के लिये, आगे के लिये भी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, जो बात यह यहां पर आई है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि सदन की बराबर यह परम्परा नही है कि अगर कोई प्रश्न आता है और प्रश्नकर्ता सदस्य अनुपस्थित है तो रुचि के आधार पर उस प्रश्न को लिया जाता है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मैं मान रहा हूं। मैं आपकी बात को मान रहा हूं। काहे प्रश्नों का समय खराब कर रहे हैं।

नोट :--[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सदन की परम्परा रही है कि अगर कोई प्रश्नकर्ता सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं और किसी अन्य माननीय सदस्य ने उसमें अपनी रुचि दिखाई है तो इस सम्बन्ध में सदन की यह परम्परा रही है, पीठ बराबर निर्देश जारी होते रहे हैं और माननीय मंत्री से बराबर जवाब देते रहे हैं। आप पिछली कार्यवाही उठाकर देख लें।

समाज कल्याण मंत्री--(श्री अवधेश प्रसाद)--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न आपसे गुजारिश करता हूं। मान्यवर, जिस समय आपने यह प्रश्न पुकारा और पूछा कि किसी अन्य सदस्य को इसमें कुछ कहना है तो किसी तरफ से किसी सदस्य के तरफ से यह नहीं आया कि हमारी इसमें रुचि है। जब आप आगे बढ़ गये और अगला प्रश्न ले लिया तब उसके बाद माननीय सदस्य खड़े होते हैं तो यह तो नई परम्परा है। हम लोग भी इस विधान सभा में 25 साल से आ रहे हैं। इस तरह से तो कभी नहीं हुआ है। आप अगले सवाल पर आ गये और उसके बाद। आप कार्यवाही उठाकर देख लें। साफ-साफ लिखा है किसी माननीय सदस्य की तरफ से एक आवाज नहीं आई कि अभिरुचि है। आप आगे बढ़ गए आगे बढ़कर पीछे मुड़ना नई परम्परा है। आप विद्वान हैं इस परम्परा के लिए माननीय सदस्यों से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो चिन्ता व्यक्त की है वह चिन्ता आने वाले दिनों के लिए की गई है हम ऐसी परिपाटी न बनायें जिससे आने वाले दिनों में कहा जाए कि आगे चलकर पीछे जाने का काम किया। आप आगे बढ़ गए उसके बाद ब0स0पा0 के माननीय सदस्य जाने क्या सोच रहे थे ? आगे बढ़ने के बाद पीछे चलते हैं इसलिए कहा गया माननीय सदस्यों को बताया जाए कि दिमाग साफ रखें ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 के नियम 39 में स्पष्ट लिखा है--'जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर अभिप्रेत है, पुकारे जा चुके हैं, तब अध्यक्ष, यदि समय हो, तो किसी प्रश्न को पुन: पुकार सकेंगे जो उस सदस्य की अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम में वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वे उनके द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किये गये हों या यदि अन्य कोई सदस्य उस प्रश्न में अभिरुचि रखते हैं।'

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसमें लिखा है--यदि समय हो।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, जब आपकी तरफ से निर्देश आ गए तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिए, यह सदन निश्चित रूप से परम्पराओं पर चलता है, नियमों से चलता है जब जनहित की बात आई तो नियमावली के नियमों में स्पष्ट है, यह जिस तरीके का प्रश्न है यह जनहित से जुड़ा है। कभी-कभी सदस्य नहीं होते हैं तो परम्परा रही है उन प्रश्नों को लेने की। उत्तर माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया है। यह हो सकता है मैंने जब पूछा तो तुरन्त उस समय किसी ने नहीं पूछा लेकिन माननीय सदस्य रुचि जाहिर कर रहे हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर देने को तत्पर हैं तो उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

ऐसा नहीं है, सदन पहले नियमों से, बाद में परम्पराओं से चलता है। जहां हमारे पास नियम साइलेंट हैं उस समय नियमों की जरूरत नहीं है। परम्परा आपके विवेक पर छोड़ दी जाती है नियमों से ऊपर कोई नहीं है। नियम है कि प्रश्न हो गया समय बच गया, 10-15 मिनट का समय बच गया है प्रश्न कम पड़ गए हैं तब कोई सदस्य बीच का कोई प्रश्न नहीं हो सका है उसके लिए कह चुके हैं तो उसमें सोच सकते हैं। प्रश्नों के चलते, प्रश्नों का समय रहते, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कितने प्रश्न बहुत जरूरी हैं माननीय सदस्य विपक्ष के बैठे हैं इतना समय खराब हो गया वह आ सकते थे वह अब नहीं आ पायेंगे।

एक सदस्य--

शुरुआत तो आपने की।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मैंने तो संरक्षण किया। अगर नियम पहले हैं परम्परा दूसरे नम्बर पर हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है और अगर परम्परा पहले नम्बर पर है और नियम दूसरे नम्बर पर है तो मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष--

नियम पहले हैं परम्परा बाद में है।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

यह परम्परा रही है नियमों में है पहले मूल प्रश्नकर्ता का प्रश्न लिया जाता है जब समय बचा है इसमें अपना कोई इन्ट्रेस्ट रखता है, तो लिया जाता है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय उपाध्यक्ष जी, चूंकि यह प्रश्न चल रहा था, उसी से सम्बन्धित जिसकी आपने हमें अनुमति दी थी। कृषि मंत्री जी का जवाब आया है, आपके माध्यम से एक अनुपूरक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

यह गलत परिपाटी होगी, नियमों से ऊपर कुछ नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, सही बात तो यह है कि किसी भी साधन सहकारी समिति पर उत्तर प्रदेश में डी0ए0पी0 उपलब्ध ही नहीं है और साथ ही साथ बीज भी उपलब्ध नहीं है। सरकार अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए यह कह रही है। इसके विरोध में हम और हमारी पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गए)

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या-1 को ले रहे हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल के बच्चों को हेपेटाइटिस-बी का टीका लगवाने की नीति

*1--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूल के बच्चों को "हेपेटाइटिस-बी" का टीका अनिवार्य रूप से लगवाने की कोई नीति विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह कब से लागू की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (डा0 वकार अहमद शाह)--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

टीकाकरण कार्यक्रम केन्द्र पुरोनिधानित कार्यक्रम है तथा भारत सरकार से हिपेटाइटिस-'बी' टीकाकरण के सम्बन्ध में कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

श्री राम इकबाल सिंह--

उपाध्यक्ष जी, यह इतना गम्भीर प्रश्न है और इतने गम्भीर प्रश्न पर सरकार का उत्तर इतने हल्के-फुल्के ढंग से आएगा, हम इसकी अपेक्षा नहीं करते थे। हिपेटाइटिस--'बी' एक जानलेवा बीमारी है, कम से कम उनके लिए तो सरकार को संवेदनशील होना चाहिए। जो गांवों में प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी आर्थिक दशा भी खराब होती है और वह इतने महंगे टीके लगवाने में अक्षम हैं। इसमें यह कहा गया कि इसके लिए भारत सरकार से कोई दिशा-निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं। हमारे प्रदेश के बच्चों की जिन्दगी को बचाना है तो सरकार को निश्चित रूप से इस दिशा में कदम उठाना चाहिए और मानवीय आधार पर उन टीकों को वहां तक पहुंचाना चाहिए। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्राथमिक स्कूल और जूनियर हाईस्कूल में कितने बच्चे हैं और इन बच्चों को हिपेटाइटिस-बी का टीका लगवाने पर कितना खर्च आएगा ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता से, हिपेटाइटिस-बी मर्ज की गम्भीरता से और इसके निराकरण की गम्भीरता से सरकार को इन्कार नहीं है। आपकी परेशानी, आपकी जिज्ञासा भी शत-प्रतिशत सही है लेकिन आप भी प्रदेश की आर्थिक स्थिति से वाकिफ हैं लेकिन यह सही है कि आर्थिक स्थिति का सहारा लेकर हम किसी की जान से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यह चूंकि केन्द्र सरकार की योजना है और केन्द्र सरकार से जितनी योजना लागू की जाती है, उत्तर प्रदेश के लिए, उसके अलावा उत्तर प्रदेश में कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है। इसके पाइलेट प्रोजेक्ट दो जिलों में चल रहे हैं, एक कानपुर में और दूसरा लखनऊ में। यह बहुत महंगा टीका है, अस्पतालों में जो बुनियादी जरूरतें हैं, वहां पर बुनियादी दवाओं का इन्तजाम हो, जांच का इन्तजाम सही हो, अभी तक तो हम इसका भी पूरा इन्तजाम नहीं कर पाए हैं। चूंकि संसाधनों की कमी है, हम भारत सरकार से कोशिश कर रहे हैं कि वह इसका दायरा बढ़ाये जिससे और लोगों को इसका लाभ मिल सके। फिलहाल कानपुर और लखनऊ में इस पाइलेट प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है।

(व0स0पा0 के सदस्य सदन में वापस आ गये)

श्री राम इकबाल सिंह--

मान्यवर, कानपुर और लखनऊ में योजना शुरू हुई है यह अच्छी बात है लेकिन जो पूर्वान्चल के गरीब जिले हैं वहां पर भी प्राथमिकता के आधार पर यह कार्यक्रम शुरू होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वित्तीय संसाधनों का हवाला देकर गरीब बच्चों की जिन्दगी से खिलवाड़ न करें, हर टैक्स बढ़ाकर संसाधन पूरा कर रहे हैं लेकिन जिन्दगी बचाने के नाम पर इस तरह का उत्तर देकर गरीब नागरिक जो अपने बच्चों को मरते देख रहे हैं उन्हें इस तरह से असहाय छोड़ देना उचित नहीं है। अगर इस तरह से सवाल का उत्तर दिया जाएगा तो जनता का विश्वास सरकार से उठ जाएगा। हम अनुदान पर कब तक चलते रहेंगे। हम मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए कानपुर और लखनऊ के साथ-साथ पूर्वान्चल के गरीब जिले जैसे बलिया, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ आदि को भी इसमें शामिल कर लें। संसाधन के लिए थोड़ा धनी लोगों पर टैक्स बढ़ा दें। उन पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। जैसे जो आई0 ए0 एस0 अधिकारी हैं, जो पेट्रोल गाड़ी से चलते हैं उसमें कटौती करें। अब तो सी0डी0ओ0 को भी ए0सी0 गाड़ी मिलती है। उसमें कटौती कर दें। आप अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रह चुके हैं इसलिए आपको गरीब बच्चों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। इस उत्तर से प्रदेश की जनता में गलत संदेश जाएगा।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर मैं बहुत सम्वेदनशील व्यक्ति हूं। मुझे आपकी बात से शतप्रतिशत इत्फाक है। लेकिन मैं इस बात का कायल नहीं हूं कि हमारी जनता के साथ फरेब हो। जो हम न कर सकते हों उसके लिए हम प्रदेश की जनता को धोखा दें। आपका सुझाव सही है। जिन जिलों की तरफ आपने इंगित किया है तो हम भारत सरकार से निवेदन करेंगे कि इन जिलों को भी अपने कार्यक्रम में शामिल कर लें और प्रदेश सरकार से भी कि वह इस पर विचार कर लें।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री इस प्रश्न को बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं। यह लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा प्रश्न है मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जितने भी टीकाकरण के कार्यक्रम हैं, यह केन्द्र पुरोधित कार्यक्रम है यह भारत सरकार से संचालित है लेकिन इसको लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मैं कहना चाहता हूं कि हर मण्डल में एक सीनियर पी0सी0एस0 अधिकारी एडिशनल कमिश्नर (इम्यूनाइजेशन) होता है। उन्हें गाड़ी मिली है। एडिशनल कमिश्नर (इम्यूनाइजेशन) के जो पद सृजित हुए हैं, उन्हें क्या जिम्मेदारी दी गयी है ? क्योंकि टीकाकरण संचालित कराने का काम सी0एम0ओ0 के स्तर से होता है। इसलिए यह कहना कि केन्द्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है यह पूरी तरह से सही नहीं है। आज इस लाइलाज बीमारी से टीकाकरण से बचा जा सकता है। तो इसके सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या योजना है ? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, वैसे श्री जगदम्बिका पाल जी बहुत अच्छे विद्वान हैं, वरिष्ठ हैं, डाक्टर हैं। और उनकी जानकारी इसमें ज्यादा होगी। मैं पेशे से डाक्टर नहीं हूं। आप स्वयं जानते हैं कि शरीर में ऐसे बहुत से मर्ज होते हैं जिनके बारे में मालूम नहीं होता। और वह ऐसे समय में मालूम होता है जब

उसका इलाज नहीं रह जाता। हेपेटाइटिस-बी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मान्यवर, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन हर किसी को लगा दिया जाय यह संभव नहीं है। साढ़े सत्रह करोड़ व्यक्ति को हेपेटाइटिस-बी का इंजेक्शन लगाना असंभव है। जिस व्यक्ति को हो जाय उसके परिवार के सदस्यों को हेपेटाइटिस बी लगाया जाता है या फिर डाक्टर या नर्सेस को लगाया जाता है। अभी तक यही मेडिकल में व्यवस्था है। अगर हर व्यक्ति को लगाया जाय। इसके पीछे यह सोच हो जाय तो उस पर केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार विचार कर सकती है।

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, एक चिकित्सक होने के नाते, चूंकि इतनी गम्भीर बीमारी पर चर्चा हो रही है और इसमें पक्ष और विपक्ष में न पड़कर मैं यह कहना चाहूंगा कि जितनी लोग इसकी भयावहता की चर्चा करते हैं अभी तक यह आंकड़ों से सिद्ध नहीं हो पाया है। आज तक एक भी ऐसी जांच नहीं हुई होगी जो यह पता कर सके कि कितने लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। किसी भी बीमारी के लिए पहला कदम यह होता है कि यह पता लगाया जाय कि कितनी भयावहता उसमें है। अभी तक यह जांच नहीं हो पायी है तो सरकार यह घोषणा करे कि इसकी भयावहता का अंदाज लगाने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों में इसकी आक्रमकता के बारे में जांच करायेगी। दूसरी चीज यह है कि चूंकि पहले डाक्टर, नर्सेस, पैरा मेडिकल वर्कर्स और सेक्स वर्कर्स को इसे लगाया जाता है। आज सच्चाई यह है कि इन लोगों को यह टीका नहीं लगाया जा रहा है। अगर इन लोगों को नहीं लगाते हैं और सामान्य लोगों को लगाते हैं तो बीमारी रुकने वाली नहीं है। यह गलत ब्लड बैंक के माध्यम से या गलत सूईयों से व्यक्ति को पहुंचती है। मान्यवर, हमारे यहां डी0आर0डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर में ब्लड बैंक नहीं है। अगर यह प्राइवेट बैंकों से लिया जाता है तो बीमारी फैलेगी। तो पहले तो यह तय किया जाय यह पता लगाया जाय कि कितने लोग प्रदेश में इस बीमारी से पीड़ित हैं। मान्यवर, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने हेपेटाइटिस-बी होने के नाते कैंसर का दबाव की जानकारी भी भेजी है। मैं स्वयं भी डाक्टर हूं और मैंने स्वयं इसका टीका नहीं लगाया है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसको सावधानी से रोका जा सकता है, तो मेरा आग्रह है कि इसमें प्रदेश स्तर पर सर्वेक्षण कराया जाय।

डा0 वकार अहमद शाह--

मान्यवर, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने कैंसर का फोबिया पैदा किया है। पैथोलोजी टेस्ट से यह डिसाइड होता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अभी मात्र वायरल हेपेटाइटिस है। यह वन इन टेन थाउसेंड होता है। अब इसके बाद तो सी और डी भी आ गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह दो पढ़े-लिखे डाक्टरों की बहस है।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन आप इनके बीच में हैं।

डा0 वकार अहमद शाह--

इसमें सब लोगों को लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह बीमारी केवल कान्टेक्ट से होती है। पैरा मेडिकल लोग, नर्से, डाक्टर आदि जो इसके कान्टेक्ट में आते हैं उनके लिए यह आवश्यक है, बाकी सबको इसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। मान्यवर, दस हजार लोगों में एक-आध को यह होता है तो उसकी रिपोर्ट पैथोलाजी से मंगा ली जाएगी और जिनको इसकी आवश्यकता होगी उनको यह टीका लगा दिया जाएगा।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में आकर के हम लोगों का इलाज कर देंगे यह कैसे सम्भव हो सकता है, इसकी जांच होनी चाहिए ? मान्यवर, यह जन स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, इसलिए कोई शासन यह नहीं कह सकता है कि हम इसकी जांच नहीं करवा पायेंगे। इसकी जांच तो होनी ही चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के कहने से कोई काम करना होता तो प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार भी उसी तरह की सतही कार्यवाही करती और इस सम्बन्ध में फर्जी जांचें भी आने लगती, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भारत सरकार द्वारा गम्भीरता से बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्कीम चलायी जा रही है और इस दिशा में हमारी सरकार भी उतनी ही प्रयत्नशील है।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह बीमारी प्रदेश में है या नहीं है इसके लिए प्रदेश सरकार सर्वेक्षण करवा ले और फिर प्रदेश सरकार द्वारा उसकी रोक-थाम के उपाय किए जाने चाहिए।

डा0 यशवन्त सिंह--

मान्यवर, मैं एक चिकित्सक होने के नाते और एक पैथोलॉजिस्ट होने के नाते आप सब लोगों के दिमाग में उपजने वाली भ्रान्ति के सम्बन्ध में इसके बारे में बता देता हूं। हेपेटाइटिस कई प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, आदि इसमें हेपेटाइटिस-ए के प्रोटेक्शन के लिए कोई साधन नहीं है उसका प्रोटेक्शन बाडी होती है। हेपेटाइटिस-बी वायरल इन्फेक्शन है जिसकी रोकथाम तो की जा सकती है, कोई इलाज नहीं है। रोकथाम हेतु हेपेटाइटिस-बी की वैक्सीन दी जाती है और यह सरकार की जिम्मेदारी भी है। सभी विकसित देशों में सरकारों द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जाता है। इस वैक्सीन द्वारा जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। अगर हेपेटाइटिस-बी किसी व्यक्ति को होता है तो बाद में उसको लीवर कैन्सर होने की सम्भावना भी बढ़ जाती है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, काफी ज्ञानवर्द्धन हो गया है और सरकार इसके लिए पूरी गम्भीर है और प्रयत्नशील है।

प्रदेश में कृत्रिम (सिन्थेटिक) व मिलावटी दूध बेचने पर रोक लगाये जाने की कार्य योजना

*2--श्री श्यामदेव राय चौधरी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृत्रिम (सिन्थेटिक) व मिलावटी दूध बेचने पर प्रभावी रोक लगाये जाने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयवीर सिंह--

सिन्थेटिक/मिलावटी दूध के उत्पादन व विक्रय की रोकथाम हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। सिन्थेटिक/मिलावटी दुध के निर्माण व बिक्री पर रोक लगाये जाने तथा अपमिश्रणकर्ताओं को दण्डित किये जाने हेतु जनपदों में समय-समय पर विशेष छापामार अभियान चलाये जाते हैं। खाद्य

निरीक्षकों द्वारा दूध उत्पादनकर्ताओं/विक्रेताओं से दूध के नमूने एकत्रित कर राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला से जांच कराकर अपमिश्रणकर्ताओं को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम व तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय में अभियोजन दाखिल कर दण्डित कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

चित्रकूट/झांसी मण्डल में राजकीय अस्पतालों में स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध कार्यरत चिकित्सकों के स्थानान्तरण की मांग

*3--श्री बाबू लाल कुशवाहा (अनुपस्थित)--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि चित्रकूट धाम मण्डल एवं झांसी मण्डल के जनपदों के राजकीय अस्पतालों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों तथा शासन की स्थानान्तरण नीति के विरुद्ध 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत चिकित्सकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त स्थानान्तरण कब तक कर दिये जायेंगे ?

श्री जयवीर सिंह--

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्देशों के क्रम में स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत चित्रकूट धाम मण्डल के जनपद बांदा से 28, जनपद चित्रकूट से 06, हमीरपुर से 34 एवं महोबा से 17 चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। झांसी मण्डल के जनपद झांसी से 67, जालौन से 41 एवं ललितपुर से 32 चिकित्सकों के स्थानान्तरण किये गये हैं। चित्रकूट धाम मण्डल से 06 तथा झांसी मण्डल से 22 और चिकित्सकों की सूची प्राप्त हुयी है जिन पर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रदेश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के उपाय

*4--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए तथा स्त्री व पुरुषों की जनसंख्या में बढ़ती असमानता को रोकने के लिए सरकार ने विगत एक वर्ष में क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

प्रदेश की बढ़ी जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से वर्ष 2003-2004 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत परिवार परिसीमन की स्थाई व अस्थाई विधियों की सुविधायें जन सामान्य निःशुल्क उपलब्ध कराई गई जिसमें 4.83 लाख नसबन्दी आपरेशन हुए, 20.8 लाख महिलाओं को कापर-टी लगाई गई, 8.53 लाख महिलाओं को ओरल-पिल्स की सुविधा प्रदान की गई तथा 17.60 लाख पुरुषों द्वारा निरोध का प्रयोग किया।

स्त्री एवं पुरुषों की जनसंख्या में बढ़ती असमानता का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है। इसकी रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून गर्भ धारण से पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम प्रदेश में वर्ष 1996 से लागू है। इस अधिनियम के

अन्तर्गत वर्ष 2003-2004 में 267 जेनेटिक क्लीनिक/अल्ट्रा साउण्ड सेण्टर 59 समुच्चय (2 जेनेटिक केन्द्रों को मिलाकर) 2 मोबाइल अल्ट्रा साउण्ड क्लीनिक तथा 7 अन्य केन्द्रों का पंजीकरण किया गया तथा 596 जेनेटिक केन्द्रों का समुचित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया गया। दिनांक 30 सितम्बर, 2004 तक प्रदेश में 17 जेनेटिक केन्द्रों एवं 01 विज्ञापनकर्ता के विरुद्ध विभिन्न जनपदों में सी0 जे0 एम0 न्यायालय में वाद दायर किये जा चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, हम कितने भी संसाधन बढ़ायें अपने और जो ग्रोथ रेट है उसका मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। मान्यवर, सरकार यह तय करती है कि इस वर्ष हमारा ग्रोथ रेट इतना है और हम इसे कम करके इतना करना चाहते हैं। उसके बाद एचीवमेंट के बारे में चर्चा होती है कि हमने कितना एचीव किया है। इस उत्तर से तो न सरकार की ओर से ऐसी कोई मंशा जाहिर होती है, न कोई प्रयास हुआ है। मान्यवर, पिछले 30 वर्षों में किसी ने यह हिम्मत नहीं की कि जिसमें आबादी को कम किये जाने की बात किसी सरकार के द्वारा की जाती। यह बहुत चिन्ता की बात है। मान्यवर, इसको गंभीरता से नहीं लिया गया तो जो हाल चायना का हो रहा है वह स्थिति हमारे भारत की होगी और हमारे प्रदेश की होगी।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्ष हमारा ग्रोथ रेट क्या था और हमने एक साल में जो मीन्स एडाप्ट करने की बात कही, उसके परिणामस्वरूप ग्रोथ रेट में कितनी कमी आयी है ? दूसरे, इस दिशा में लोगों को हतोत्साहित करने की दिशा में क्या प्रयास किये गये हैं ? मिसाल के तौर पर जो मान्यवर, हमारा राशन कार्ड है कुटुम्ब रजिस्टर है, उसमें वह सारे संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं, सरकार किसी को हतोत्साहित नहीं करना चाहती है। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी जो बढ़ती हुई आबादी है उसके संदर्भ में जो कल आने वाला बच्चा है तो उस आने वाले बच्चे के लिए कोई हतोत्साहन की बात करेंगे जिससे यह प्रक्रिया रोकी जा सके और जिससे कुटुम्ब रजिस्टर और राशन कार्ड में उसका नाम न आ सके ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जनसंख्या को रोकने के लिए जो तरीके अख्तियार किये जा रहे हैं उससे सरकार पूरी तरह से सहमत है। दूसरे, यह कि जनसंख्या को रोकने के लिए कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता जिससे बलपूर्वक जनता को इस बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि वह जनसंख्या को न बढ़ाये।

मान्यवर, स्थिति यह भी होती है कि लोगों के दिमाग में यह बात रहती है कि हमारा एक बच्चा है या दो बच्चे हैं और वह यदि किसी हादसे के शिकार हो गये तो क्या होगा। इसके लिए मान्यवर, हमें लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधायें देनी होंगी, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं यह प्रयास करना होगा कि वह जीवित रहें, मां जो बच्चे को जन्म दे रही हैं, वह जीवित रहें, यह सब हमें सुनिश्चित करना होगा ताकि मां और बच्चे दोनों को सुरक्षित रखा जा सके, इस पर भी सबसे पहले काम हो रहा है। और जहां तक मान्यवर जनसंख्या को रोकने के तरीके की बात है, लोगों को

शिक्षित और जागरूक करने का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है जिसमें उनको यह बताया जाता है कि ज्यादा बच्चे होने से क्या नुकसान है और कम बच्चे होने से उनके जीवन को और उनके जीवन को कितना फायदा है। दूसरा जरिया यह है यह कोई हंसी की बात नहीं है, कि जो लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं उनको काम देकर उनका ध्यान दूसरी तरफ बटाया जा सके। उन्हें दूसरे कामों में भी लगाने की जरूरत है। इसमें किस्म-किस्म की योजनायें हैं, उनको इंसेनटिव दिया जा सके, उनको लाभ दिया जा सके। सरकार का प्रयास होता है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा एडवरटाईजमेंट हो सके हर आदमी में इसकी बावत जागरूकता पैदा की जा सके, मान्यवर, सभ्य समाज में यही कुछ तरीके हो सकते हैं। आज दुनिया में लोगों को इन्हीं तरीकों से बताया जाता है उनको शिक्षित किया जाता है। मान्यवर, अगर हम आंकड़ों से शिक्षित और अशिक्षित लोगों को देखेंगे तो एक जमीन आसमान का फर्क नजर आयेगा। जहां पॉशाकालोनी है वहां जो बड़े और शिक्षित लोग रहते हैं उनके एक या दो बच्चे होते हैं और जहां लोग मलिन बस्तियों में रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं उनके परिवारों में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो उस पर भी काम करने की जरूरत है। मलिन लोगों में, मलिन बस्तियों में हमें काम करना है, लोगों को काम देना है ताकि उन्हें काम करने का मौका मिले और उनके बच्चों में अशिक्षा को शिक्षा में बदलने का काम भी करना है। हमारा मान्यवर, प्रयास है कि मलिन बस्तियों में गरीबों के साथ प्यार भरा व्यवहार हो और उनको इस दिशा में शिक्षित किया जाये। जब वह शिक्षित होंगे तो बर्थ रेट पर कंट्रोल होगा ऐसा मेरा मानना है और मान्यवर, यही हमारी कार्य योजना है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, खाली चर्चाओं से कोई बात फलित होती तो यह प्रदेश कब का सोने की चिड़िया बन गया होता। मंत्री जी का उत्तर अच्छा हो सकता है लेकिन मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है इस दिशा में कोई सक्रिय प्रयास नहीं किया गया है। मैंने दो सवाल पूछे थे कि पिछले वर्ष ग्रोथ रेट क्या रखी गयी थी और उसको किस हद तक एचीव किया गया है मंत्री जी मान्यवर, कहते हैं कि बलपूर्वक यह बात नहीं की जा सकती है और दूसरा सवाल यह कि इस दिशा में लोगों को जागरूक करने के लिए कितनी विचार गोष्ठियां आयोजित की गयी ? और क्या कोई विशेष अभियान चलाया गया है ? मान्यवर, 1975 के बाद से आज तक किसी सरकार ने हिम्मत नहीं की कि बढ़ती आबादी को कम करने के लिए कोई सक्रिय प्रयास किया जाता। मान्यवर, आप आंकड़े देखें 1991 में लगभग 41.67 प्रतिशत लोग शिक्षित थे। वर्ष 2001 में यह आंकड़ा 58 प्रतिशत का है, जो उत्तर प्रदेश में लोग शिक्षित हैं यानि हर 100 लोगों में 42 लोग ऐसे हैं जो अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं । शिक्षा की बात में मैं सहमत हूं कि जिस परिवार में शिक्षा ज्यादा हो जाती है उस घर में आबादी नहीं बढ़ सकती है। सरकार द्वारा शिक्षा के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं यह मैं मान्यवर जानना चाहता हूं। मान्यवर, एक भी जवाब मंत्री जी की तरफ से ऐसा नहीं आया जो पूरे हाउस को संतुष्ट कर सके। मान्यवर, इस संबंध में एक टाईम बाउंड प्रोग्राम बनना चाहिए हमारा कोई लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि यह हमारा ग्रोथ रेट है इसको कम करके हम यह रेट करना चाहते हैं। मान्यवर, इसमें फेजेज में काम होना चाहिए। तो इतनी ज्वलंत समस्या पर मंत्री जी क्या फेजेज के माध्यम से कोई कारगर कार्यवाही करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपका जो मन है आपकी जो जिज्ञासा है उसका उत्तर तो दिया गया है। मैं जानना चाहूंगा कि आपका प्रश्न क्या है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, आपका इस वर्ष ग्रोथ रेट कितने परसेन्ट कम करने का लक्ष्य है ? पिछले वर्ष आपका कितना लक्ष्य था और उसको कितना एचीव किया गया है ? और आपकी आगे की इस बारे में क्या प्लानिंग है, आगे आप उसको कितने फेजेज में एचीव करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, आपका इतना सा प्रश्न है। इतना डाट कर पूछेंगे तो हम कैसे बता पायेंगे ? बाकी आपने कितने पते की बात कही कभी-कभी निकल जाती है बहुत दिल की बात, आपने फरमाया कि डर के मारे 1975 के बाद से, तो एक निडर ने 1975 में यह काम किया था, आप अब पता नहीं उससे सहमत हैं या असहमत हैं, डर के मारे 1975 से इस पर काम नहीं किया गया, डर के मारे आपने भी नहीं कर सके, साढ़े आठ साल डर के मारे तो 18 महीने में हम कैसे करेंगे ? मान्यवर, यहां कोई डर नहीं है कोई ऐसी बात नहीं है, सरकार को डर है इंसानी खतरों का, मान्यताओं का, लोकतंत्र का। बढ़ी हुई आबादी से चीन को भी खतरा हो सकता था लेकिन उस बढ़ी हुई आबादी से वह दुनिया में बड़ी ताकत बन गया है। उस आबादी से वह काम ले रहे हैं लेकिन उसको शिक्षित कर रहे हैं उसकी गरीबी को दूर कर रहे हैं। उसको आबादी को किसी खेती की तरह कम नहीं कर रहे हैं कि काटकर कम करना है या मारकर कम करना है तो दोनों में अन्तर है। हम डर के मारे काम नहीं कर रहे हैं ऐसा नहीं है हम मान्यता, सभ्यता और सभ्य समाज के सम्मान की रखवाली कर रहे हैं। 2001 के जो आंकड़े हैं वह 16 करोड़ 6 लाख रहे हैं और यह मानकर चला जाता है कि प्रतिवर्ष 35 से 38 लाख जनसंख्या बढ़ती है। लेकिन 2016 तक 3.99 से घटाकर 2.1 तक लाने का हमारा लक्ष्य है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मेरी बात सुन लें, आपकी बहुत बात आ गयी, मैं दूसरा प्रश्न कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, 2001 में वृद्धि 2.5 थी, 2003-04 में 2.3 थी, इसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना--

मान्यवर, मैंने इस वर्ष का लक्ष्य पूछा कि उसको कम करने का कोई उपाय है, फेजेज में जो कार्यक्रम बनाये हों, अगर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कार्यक्रम बनायेंगे और उसका अनुसरण करेंगे। फेजेज में करें लेकिन कोई न कोई ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जैसे इस वर्ष हमने जो लक्ष्य रखा है उसको एचीव करने के लिए कोई न कोई कार्य योजना बननी चाहिए और वह बनी तो लक्ष्य आया कि नहीं कार्य योजना से। मान्यवर, इतना बोलने के बाद सदन का इतना समय जाया करने के बाद कोई फ्रुटफुल उत्तर नहीं मिला कि उम्मीद बनती कि आगे के एक साल में यह कुछ करने जा रहे हैं। एक साल में कोई कार्य योजना इस सरकार के पास नहीं है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, हमारे किसी भी साथी के और किसी भी सदस्य के मन में यह पीड़ा नहीं रहनी चाहिए कि इतनी मेहनत के बाद कोई नतीजा नहीं निकला। अब आपने इतनी मेहनत की है, मैंने भी आपका साथ बराबर का दिया है। अब मेहनत का नतीजा आपका निकल आये और मेरा नतीजा न निकले तो आपसे ज्यादा मेरा नुकसान होगा क्योंकि मैं सरकार में बैठा हूं। जो आपके मन में ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं आये दिन इस पर गोष्ठियां होती रहती हैं फिल्में दिखाई जाती हैं पोस्टरों, होर्डिंगों के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है, प्रमोटर जाते हैं लोगों से बात करते हैं। इस सिलसिले में पार्क बनाये जा रहे हैं और भी विचार हो रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ज्यादा से ज्यादा एजूकेट किया जाय। आपकी मेहनत भी कारआमद आयेगी और मेरी मेहनत भी कारआमद आयेगी।

श्री देव नरायन उर्फ जी0 एम0 सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी चीन का हवाला दिया चीन में यह भी व्यवस्था की गयी है कि नौकरियों में प्रमोशन नहीं दिया जायेगा जो दो से अधिक बच्चे पैदा करेंगे अब तो एक पर प्रतिबन्धित कर दिया गया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता कि हम विधायकगण यहां बैठे हैं और विधायकगणों के बच्चों का पहले वायोडाटा सदन के पटल पर आना चाहिये, क्या यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे ? जिन विधायकों के या जिन लोगों के दो से अधिक बच्चे हैं, उनको हतोत्साहित करने के लिये पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने से रोका जायेगा, विधान सभा चुनाव से रोका जायेगा। मैं निश्चित तौर पर कह रहा हूं कि यदि ऐसा किया जायेगा तो यह एक नजीर हम समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस तरह का प्रस्ताव पारित करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अगर यह सुझाव इतनी कम उम्र के विधायक की तरफ से न आया होता तो इस पर विचार सदन में ही हो जाता। लेकिन क्योंकि इतने यंग, इतने नौजवान विधायक की तरफ से यह सुझाव आया है, ऐसे दल के विधायक की तरफ से सुझाव आया है, जहां बच्चे का कोई तसव्वुर ही नहीं है। या तो बच्चे वाला जाने या बच्चे वाली जाने, जब जाने ही नहीं तो वह पूछे क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर--

आपने कह दिया कि बच्चे वाला जाने, बच्चे वाली जाने तो बाकी क्या सब [x x x] हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल--

संसदीय कार्य मंत्री ने तो केवल यह कहा था कि बच्चे वाला जाने या बच्चे वाली जाने लेकिन राजभर जी ने तो [x x x] के बारे में भी बता दिया, यह तो किसी ने उनसे पूछा नहीं था।

नोट :-- [x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

जनपद लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 के कर्मचारियों/अधिकारियों को नई दिल्ली (ऐम्स) के समतुल्य वेतनमान दिए जाने की मांग

*5--श्री विश्राम सिंह यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के कर्मचारियों अधिकारियों को चिकित्सा अनुभाग -14 के शासनादेश सं0-3856 मेक -14/5 पी 1/90, दि0 01-08-1990 के द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (ऐम्स) के समतुल्य वेतनमान व अन्य भत्ते दिये जाने के आदेश शासन से दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त शासनादेश के अनुपालन में संस्थान के कार्यालय के ज्ञाप आदेश सं0--अधि0/पु0वे0/1772/91, दिनांक 20-09-1991 के द्वारा संस्थान के लेब अटेण्डेन्टों को ऐम्स के समतुल्य वेतनमान रु0 800-1150 प्रदान किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि ऐम्स के आदेश पत्र सं0-एफ-2-8/92 अधि0-1, दिनांक 14-07-1992 के द्वारा ऐम्स के जिन लेब अटेन्डेन्टों का वेतनमान रु0 800-1150 था उन्हें पुनर्पदनामित करते हुए लेब अटेन्डेन्ट ग्रेड-2 वेतनमान रु0 950-1400, दिनांक 01-03-1992 से दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार संस्थान के लेब अटेन्डेन्टों को पुनर्पदनामित लेब अटेन्डेन्ट ग्रेड-2 वेतनमान रु0 950-1400, दि0 01-03-1992 से प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (श्री विनोद कुमार सिंह) --

जी हां।

जी हां।

इस सम्बन्ध में ऐम्स, नई दिल्ली से सूचना प्राप्त की जा रही है।

जी नहीं।

यह वेतनमान शासी निकाय दिनांक 03-1-1997 द्वारा अनुमोदित कैडर रिव्यू के अनुसार संस्था के सभी संवर्गों के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ इन्हें भी दिनांक 03-1-1997 से पदोन्नति /सेलेक्शन के माध्यम से प्रदान किया गया है।

प्रदेश में बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 आदि योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों के वितरण में धांधली सम्बन्धी शिकायतों पर कृत कार्यवाही

*6--श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अन्नपूर्णा, अन्त्योदय, बी0पी0एल0, ए0पी0एल0 आदि योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्नों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के ठीक से वितरण न होने की शिकायतें शासन में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को खाद्य एवं रसद मंत्री द्वारा कोई पत्र लिखा गया है ? यदि हां, तो वह शिकायतें क्या थीं और उनको दूर करने के लिए क्या निर्देश दिये गये हैं ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया (खाद्य एवं रसद मंत्री)--

जी हां।

जी नहीं।

मुख्य रूप से शिकायतें सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना तथा अन्य खाद्यान्नपरक योजनाओं के अन्तर्गत खाद्यान्न के उठान एवं वितरण में अनियमितताओं से संबंधित थीं। खाद्यान्न के समुचित उठान एवं वितरण के लिए त्रिस्तरीय चेकिंग व्यवस्था या रोस्टर प्रणाली लागू है। इसके कड़ाई से अनुपालन हेतु निर्देश दिये गये हैं। समस्त जिलाधिकारियों को रेलवे से खाद्यान्न के संचरण पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिये गये हैं। खाद्यान्न के डाइवर्जन में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही के भी निर्देश जिलाधिकारियों को दिये गये हैं।

प्रदेश में पोलियो को पूर्ण रूप से समाप्त करने की कार्य योजना

*7--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने जनपदों में पोलियो ड्राप पिलाने के उपरान्त कितने बच्चों के पोलियो से ग्रस्त होने के मामले प्रकाश में आये हैं ? क्या सरकार द्वारा इसके कारणों का कोई अध्ययन कराया गया है ? यदि हां, तो निष्कर्ष क्या है ? पोलियो को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए क्या शासन कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

वर्ष 2004 में प्रदेश के 14 जनपदों में कुल 80 पोलियोग्रस्त रोगी प्रकाश में आये हैं। जिसमें से 71 रोगियों ने पोलियो की 4 या उससे अधिक खुराकें पी हैं।

राज्य सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। परन्तु विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अवगत कराया है कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार पोलियो वैक्सीन से शत-प्रतिशत बच्चों में प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न नहीं होती है, जिसका एक प्रमुख कारण बच्चों को उपयुक्त आयु व निर्धारित अन्तराल पर वैक्सीन का न मिल पाना है।

जी हां।

बच्चों को उपयुक्त आयु एवं निर्धारित अन्तराल पर पोलियो वैक्सीन देने के लिए अभियान चलाया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपने उत्तर दिया है कि वर्ष 2004 में प्रदेश के 14 जनपदों में कुल 80 पोलियोग्रस्त रोगी प्रकाश में आये हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 14 जनपद कौन-कौन से हैं और इनमें किस जनपद में कितनी संख्या मरीजों की पाई गयी ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने पूछा था कि क्या सरकार द्वारा इसके कारणों का कोई अध्ययन कराया गया है यदि हां तो निष्कर्ष क्या है उत्तर आया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य पर, सरकार पर कोई प्रतिबंध है कि वह इस विषय के ऊपर कोई अध्ययन न कराये ? मेरा तीसरा प्रश्न यह है मैंने पूछा था कि यदि हां तो क्या, तो उत्तर आया है कि बच्चों को उपयुक्त आयु एवं निर्धारित अन्तराल पर पोलियो वैक्सीन देने के लिये अभियान चलाया जा रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इसकी अधिकतम आयु क्या है, जिसको वैक्सीन देने की आवश्यकता होती है और उनके बीच का अन्तराल क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह माननीय सदस्य ने खुद ही माना है कि 80 केसेज हैं। जो 14 जिले हैं वह इस प्रकार हैं--मुरादाबाद, बदायूँ, मुजफ्फरनगर, बरेली, गाजियाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मथुरा, बागपत, बुलन्दशहर, जे0पी0 नगर, रामपुर और मऊ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, उत्तर में दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा कोई अध्ययन नहीं कराया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राज्य सरकार पर इसके लिए कोई प्रतिबंध है, जिससे कि वह अध्ययन नहीं करा सकते हैं, या कोई जिम्मेदारी नहीं है ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, कोई प्रतिबंध नहीं है, इसके लिए काम तो चलता ही रहता है, प्रतिबंध कोई नहीं है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, कोई जिम्मेदारी है या नहीं है, इस प्रश्न का भी उत्तर आ जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैंने जिम्मेदारी से कहां इन्कार किया है, हम जिम्मेदारी पूरी करके ही उत्तर दे रहे हैं, इसमें मान्यवर, हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इसमें अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं होती लेकिन अगर किसी तरह का अध्ययन होता हो तो उसका तरीका माननीय सदस्य बता दें। कितने पोलियो केसेज हैं, इसके लिए तो अध्ययन चलता ही रहता है, इसका एक प्रोसेज है। जिला निर्धारित है कि कहां-कहां पर पोलियो के केसेज पाये गये और मैंने 14 जिले पढ़कर भी बताये हैं। तो मान्यवर, अध्ययन तो बराबर चलता ही रहता है।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

मान्यवर, फिर क्यों यह उत्तर दिया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

क्योंकि मान्यवर, इसमें अलग से किसी अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि 14 जनपद प्रकाश में आये हैं, उन जिलों को सदन के पटल पर भी रखा है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या माननीय मंत्री जी पुन: इसकी जांच करायेंगे ? क्योंकि मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरब के जिलों में पोलियो ड्राप्स पिलाने के बाद भी पोलियो केसेज हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सहमत नहीं हूँ। क्या माननीय मंत्री जी फिर से इसकी जांच करायेंगे और उसके आधार पर उत्तर देंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यूनिसेफ के जरिये सारा काम होता है। वहां पर कोई केस प्रकाश में नहीं आया है, क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर, खास तौर से उत्तर प्रदेश के पोलियो केस को लेकर बड़ी बदनामी हुई और अध्ययन कराया गया था, उसी के बाद पश्चिम के जिलों में पोलियो का पता चला है। 14 जिलों के बारे में पोलियो केसेज इंगित हुए हैं। यह पूरब का सौभाग्य है कि वहां इस तरह के केसेज नहीं पाये गये हैं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, पूरे प्रदेश में 80 केसेज पाये गये हैं, जिसमें 71 केसेज ऐसे थे जिनको 4 टीके दिये जा चुके हैं। अभी पोलियो के असफल होने का कारण छिपा हुआ है क्योंकि 4-4 टीके लग जाने के बाद भी यदि इस तरह के केसेज हुए हैं तो इसमें व्यवस्था की खामी है। मान्यवर, अगर कोल्ड चेन को मेनटेन नहीं करेंगे और पोलियो वैक्सीन निकाल करके धूप में रख दिया जायेगा तो वह वैक्सीन बेकार हो जायेगी। जो लोग कोल्ड चेन मेनटेन करने में लापरवाही कर रहे हैं क्या आप उन पर प्रभावी कार्रवाई करेंगे ? जब तक आप यह नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल ये बातें आने वाली हैं कि 4 बार टीके लगवाने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा है तो ये टीके क्यों लगवायें ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, इस पूरे प्रश्न का मूल यही है अगर कोई दवा एक्सपायर्ड हो गयी या किसी दवा के लिए खास गर्मी या ठण्डक का टेम्परेचर मेनटेन किया जाना और अगर वह उतनी देर तक मेनटेन नहीं रहेगा तो वह क्या चीज बन जायेगी, यह अलग बात है लेकिन इस प्रश्न की रुह कहें तो यही प्रश्न है। मान्यवर, यह बात पहले तो थी लेकिन इस वक्त यह बात बिल्कुल सही नहीं है। ब्लाक स्तर पर जनरेटर की व्यवस्था है और उनके तेल की व्यवस्था है जिससे ऐसी दवाओं को सुरक्षित रखा जा रहा है। शत-प्रतिशत दावा तो नहीं कर सकता लेकिन इस बात की जिम्मेदारी से जानकारी देना चाहता हूँ कि ब्लाक स्तर पर जनरेटर की उपलब्धता है और तेल भी उपलब्ध है और इस बात के सख्त निर्देश हैं कि जितनी ठण्डक की आवश्यकता है, वह मिले, अगर ऐसा नहीं होता है तो सख्त कार्रवाई होगी।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

मान्यवर, गोरखपुर में इस तरह के केस पाये गये हैं और कोल्ड चेन मेनटेन न होने के कारण वैक्सीन को फेंकना पड़ा है तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

अगर ऐसा मामला होगा तो अवश्य जांच करायेंगे।

प्रदेश में तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को विनियमित किए जाने के संबंध में जानकारी

*8--डा0 विनोद तिवारी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1992 में तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-21984-21985/1995 में पारित निर्णय के अनुसार उन्हें चार माह के अन्दर विनियमित किये जाने का आदेश दिया गया था ? क्या यह सही है कि अवमानना याचिका संख्या--271-272/2000 में विभाग द्वारा अपने शपथ-पत्र में विनियमित किये जाने का आश्वासन मा0 सर्वोच्च न्यायालय में दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका कार्यान्वयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन कब तक करा दिया जायेगा ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला)--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

वर्ष 1992 में तदर्थ रूप से नियुक्त चिकित्साधिकारी उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) (तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के प्राविधानों के अतर्गत ही पात्र हुए हैं। उनके विनियमितीकरण हेतु 10 वर्षों की चरित्र पंजिकाएं, प्रचलित जांच की स्थिति, संवर्ग में उपलब्ध आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण निदेशक, आयुर्वेद से मांगा गया है, जो प्रतीक्षित है। उक्त अभिलेख एवं सूचनायें प्राप्त न होने के कारण विनियमितीकरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है।

यह भी उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 तथा उत्तरांचल राज्य के मध्य पदों एवं कार्मिकों के बंटवारे के अंतिमीकरण की कार्यवाही लम्बित होने के कारण विनियमितीकरण की कार्यवाही स्थगित रही, जिसके पूर्ण होने की स्थिति में पुन: कर्यवाही आरम्भ की गई है। उपरोक्त वांछित अभिलेख एवं सूचनाएं प्राप्त हेने पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन कर दिया जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में वर्ष 1992 में तदर्थ रूप से नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों को विनियमित किये जाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या--21984-21985/1995 में पारित निर्णय के अनुसार उन्हें चार माह के अन्दर विनियमित किये जाने का आदेश दिया गया था ? माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि शासनादेश संख्या 5121/71-2-2003 डब्लू 64/88, दिनांक 27-12-03 के द्वारा वर्ष 1988 में नियुक्त 1051 चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य का विनियमितीकरण कर दिया गया है। जबकि मेरा आरोप है कि निदेशक, आयुर्वेद द्वारा विनियमितीकरण का प्रस्ताव पत्रांक 13240/अधि0/दिनांक 31-11-02 में भेजा गया और जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट को 29 अप्रैल, 2002 को हलफनामा दायर किया गया।

(इस समय 12 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुए।)

मान्यवर, सरकार ने वर्ष 2002 में जवाब सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि 1 हजार चिकित्साधिकारियों का विनियमितीकरण कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--

क्या आपके पास इसकी कोई सर्टीफाइड कापी है ?

श्री विनोद तिवारी--

मैं कापी आपको भेज रहा हूं।

नेता, विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, हर विभाग का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री जी दे रहे हैं। जिन मंत्रियों के विभाग हैं वह बेहतर उत्तर दे सकते हैं। अगर कोई मंत्री नहीं है तो यह उत्तर दे सकते हैं। इन्होंने सारे मंत्रियों को डिफेन्ड कर दिया है। जो हैं वह बैठे हैं और खाली मुंह देख रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

यह सर्टीफाइड कापी नहीं है।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूँ, गुमराह नहीं कर रहा हूँ।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

माननीय सदस्य द्वारा जो रखा गया है वह विश्वास और ज्ञान के आधार पर रखा गया है। मान्यवर, आपके द्वारा अगर यह कहा जायेगा कि यह सर्टीफाइड कापी नहीं है तो मान्यवर, यह सदन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

सर्टीफाइड कापी और फोटो स्टेट कापी में अन्तर होता है। जब फोटो स्टेट कापी सर्टीफाइड हो जाती है तो उसकी वैधता हो जाती है।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मेरा स्पष्ट आरोप है कि सदन को गुमराह किया गया है। याचिका संख्या 271-272/2000 में विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया गया है कि 29 अप्रैल, 2000 को विनियमितीकरण कर दिया गया है। दूसरी तरफ आयुर्वेद निदेशक से 31-11-2000 को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। तो मेरा कहना है कि विनियमितीकरण के संबंध में प्रस्ताव मांगने के पहले विनियमितीकरण कैसे कर दिया गया ? यह जवाब गलत है। मान्यवर, आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें नहीं तो इसको प्रश्न एव संदर्भ समिति को भेज दें। दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि ...

श्री अध्यक्ष--

जब आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को भेजने की मांग कर रहे हैं तो फिर दूसरे प्रश्न की बात कहां आती है ?

डा0 विनोद तिवारी--

आप सुपुर्द कर देंगे तो अच्छी बात होगी। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि आरक्षणवार रिक्तियों का विवरण आयुर्वेदिक निदेशक से कब मांगा गया है और यह कब तक प्राप्त हो जायगा ? मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्य के मध्य पदों पर कार्मिकों के बंटवारे के अंतिमीकरण की कार्यवाही लम्बित होने के कारण विनियमितीकरण की कार्यवाही स्थगित रही। मंत्री जी खुद मान रहे हैं कि विनियमितीकरण की कार्यवाही लम्बित है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि आरक्षणवार रिक्तियों की संख्या कब मांगी गयी है और कब तक प्राप्त हो जायेगी ? जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 1995 में कहा है कि विनियमितीकरण की कार्यवाही कर दी जाय तो यह विनियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश 1995 में हो गये थे तो इतने लम्बे अरसे तक क्यों सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना की गयी ? आप विभाग के मंत्री रहे हैं।

डा0 विनोद तिवारी--

मैं मंत्री नहीं रहा हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

अब जैसे इस समय मैं मंत्री हूँ और जवाब दे रहा हूँ या तो आप कह दीजिए कि आप जवाब न दें। माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर के संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि अधिकांश जिलों में गोपनीय प्रविष्टियां पूरी नहीं हैं जैसे ही वह पूरी हो जाएंगी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। दूसरे क्योंकि सुप्रीमकोर्ट में हमारा जवाब दाखिल है इसे हम सब जूडिस कह सकते हैं। अत: इस पर लम्बी बहस के पक्ष में मैं नहीं हूँ। लेकिन इस पर कार्यवाही की जा रही है और मैं यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि इसे जल्द ही पूर्ण कर दिया जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी आपने कई प्रश्न एक साथ पूछ लिए।

डा0 विनोद तिवारी--

मैंने पूछा है कि रिक्तियों की सूचना कब मांगी गई है।

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी सूचना मांगने की तारीख है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

यह 11-10-2004 को संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

डा0 विनोद तिवारी--

विनियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां--

इसे बहुत जल्द पूर्ण कर देंगे। यथाशीघ्र।

डा0 विनोद तिवारी--

यह जवाब स्पष्ट नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आपका जवाब आ गया। अब अगला प्रश्न लेने दीजिए।

ड0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ मंत्री जी ने सही जवाब नहीं दिया है इसलिए इसको स्थगित कर दें।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी--

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा है कि यह विषय सब-जूडिश है जबकि माननीय सदस्य ने जो तथ्य दिये हैं उसके बाद यह आभास हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने पूर्व में एफेडेविट दिया कि विनियमितीकरण कर दिया गया है जबकि विनियमितीकरण की प्रक्रिया एक वर्ष बाद शुरू हुई इससे यह बात निकलकर आई है कि सर्वोच्च न्यायालय में एफेडेविट की तिथि और शासनादेश की तिथि में अन्तर है। इस संबंध में मंत्री जी स्पष्ट रूप से सदन में बता दें।

श्री अध्यक्ष--

जो आपने शासनादेश जारी किया है और जो सुप्रीम कोर्ट में एफेडेविट दिया है उनकी तिथियां बता दें।

डा0 विनोद तिवारी--

शपथ-पत्र और शासनादेश की तिथियां बता दें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अड़ा। एक तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लम्बित है और इस पर बहुत ज्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन विनोद तिवारी ने जो जानकारी चाही है उसकी सूचना उनके पास भिजवा देंगे।

श्री अध्यक्ष--

अब हम अगला प्रश्न ले रहे हैं।

प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति उपलब्ध किये जाने के संबंध में जानकारी

*9--डा0 सुशील चौधरी--

क्या समाज कल्याण मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है ? उक्त छात्रवृत्ति की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु कोई उपाय किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदेश के विद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु रु0 66675.45 लाख का तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु रु0 300.05 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

जी हां।

शासनादेश संख्या 37 भा0स0/26-3-04-4(77)/2002 दिनांक 18-6-2004 द्वारा शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों से प्रवेश के समय छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र भी भराकर जमा कराये जाने और प्रवेश के समय पात्र छात्रों से समस्त वापस न की जाने वाले शुल्क (जो राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित हों) न लिये जाने तथा शासनादेश संख्या-32/26-3-2005-4(172)/2003 दिनांक 5-2-2005 द्वारा अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति और सामान्य वर्ग के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जनपदीय कार्यालय, मंडलीय कार्यालय व निदेशालय स्तर पर पंजी (रजिस्टर) रखे जाने एवं शिकायतों के निस्तारण को दैनिक रूप से किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

नोट :--ता0प्र0सं0---9 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

प्रदेश में नकली दवाओं के प्रकरण को रोकने के उपाय

*10--डा0 अजय कुमार--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक नकली दवायें पकड़े जाने के कितने प्रकरण प्रकाश में आये हैं ? क्या नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक राजकीय जनविश्लेषक, उत्तर प्रदेश से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कुल 06 नकली औषधियों के प्रकरण प्रकाश में आये हैं।

जी हां।

नकली दवाओं के उत्पादन एवं विक्रय पर नियंत्रण हेतु औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1945 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा उपलब्ध करा दिये जाने की मांग

*11--श्री राम करन कार्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में अल्ट्रासाउन्ड की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो उक्त सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। वर्तमान 52 जिला चिकित्सालयों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की सुविधा उपलब्ध है। वर्ष 2004-05 में 6 जिला चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, शेष 12 नवसृजित जनपदों में अल्ट्रासाउण्ड मशीन की सुविधा जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदन तथा जिला योजना से परिव्यय प्राप्त होने पर की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्म हरिहर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वास्थ्य विभाग से टेण्डर प्राप्त करने का कथित प्रकरण

*12--श्री रामपाल वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्म हरिहर केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने गलत शपथ-पत्र देकर स्वास्थ्य विभाग से मच्छर उन्मूलन के लिए पाइरेथ्रम दवा की आपूर्ति का लगभग सवा करोड़ रुपये का टेण्डर प्राप्त कर लिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त फर्म सूरत म्युनिसिपल कारपोरेशन द्वारा काली सूचीबद्ध है ? यदि हां, तो काली सूचीबद्ध उक्त कम्पनी को टेण्डर देने के लिए कौन व्यक्ति दोषी है ? क्या दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की बढ़ोत्तरी की जानकारी

*13--श्री राम विशुन आजाद--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को दी जा रही सुविधाओं की बढ़ोत्तरी पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां। राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों के छात्रों को मदवार/वर्तमान प्रचलित दर से निम्न प्रकार दी जा रही है :--

क्रम सं0	मद का नाम	प्रचलित दर
1	भरण-पोषण	550 प्रतिमाह
2	सूती वस्त्र	300 प्रतिवर्ष
3	गर्मवस्त्र/बिस्तर	100 प्रतिवर्ष
4	पुस्तकें/स्टेशनरी	
	कक्षा-1 से 8 तक	100 प्रतिवर्ष
	कक्षा-9 से 12 तक	150 प्रतिवर्ष

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की कथित योजना

*14--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सरकार द्वारा प्रत्येक ग्राम सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करने के लिए कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा--

[मा0 सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद रामपुर में मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय

*16--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम पर रामपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को खोलने के क्या कारण हैं तथा इसमें कितने संकाय विभाग होंगे ? किन भाषाओं को इस विश्वविद्यालय की स्थापना में कितनी धनराशि व्यय होगी ? क्या इस विश्वविद्यालय के अधिनियम अन्य विश्वविद्यालय के अधिनियमों से भिन्न हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

अल्पसंख्यक हज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (हाजी याकूब)--

जी हां।

मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त विवरण राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2004 को पारित मौलाना मुहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2004 में विनिर्दिष्ट है।

अतारांकित प्रश्न

स्वास्थ्य केन्द्र जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर के परिसर में स्थानान्तरित चिकित्सकों से आवास खाली कराये जाने की मांग

1--श्री राम नाथ--

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2004 के पहले बुधवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-113 के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार को जानकारी है कि स्थानान्तरित चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र के परिसर में स्थित आवासों को रिक्त न करने के कारण नवागन्तुक चिकित्सकों को आवासीय कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन आवासों को स्थानान्तरित चिकित्सकों से रिक्त कराकर नवागन्तुक चिकित्सकों को आवंटित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उक्त अतारांकित प्रश्न संख्या 113 से सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जगदीशपुर, सुल्तानपुर से स्थानान्तरित सभी चिकित्सकों द्वारा आवास रिक्त कर दिया गया है, जिसे नवागन्तुक चिकित्सकों को आवंटित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एशोसिएशन द्वारा बोनस, महंगाई भत्ता एरियर की मांग

2--श्री कौशल किशोर--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बोनस, मंहगाई भत्ता अन्य एरियर के भुगतान से सम्बन्धित राजकीय आप्टोमेट्रिस्ट एशोसिएशन जनपद शाखा-उन्नाव का पत्रांक 7/आप्टो0/2003, दिनांक 25 जून, 2003 तथा पत्रांक 13/आप्टो0/2004, दिनांक 16 फरवरी, 2004 मुख्य चिकित्साधिकारी, उन्नाव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र पत्रों में अंकित सभी अवशेष देयों का भुगतान सम्बन्धित आप्टोमेट्रिस्टों को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी नहीं।

धनराशि की उपलब्धता न होने तथा बीजकों का प्री आडिट होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका था।

प्री आडिट का बिल पुन: वैधीकरण होने के उपरान्त भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड औरास के ग्राम-मुसलाबा में झोला छाप डाक्टरों का क्लीनिक बन्द कराने सम्बन्धी शिकायती-पत्र

3--श्री कौशल किशोर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद उन्नाव, विकास खण्ड औरास के अन्तर्गत ग्राम मुसलाबा में झोला छाप डाक्टरों का क्लीनिक तत्काल बन्द कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-7-04 पर प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 31-7-2004 को प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य विभाग को जांच कराकर यथोचित कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो प्रश्नगत प्रकरण पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

उप मुख्य चिकित्साधिकारी (द्वितीय), उन्नाव एवं प्रभारी चिकित्साधिकारी, प्रा0 स्वा0 केन्द्र, औरास से जांच करायी गयी जिसमें पाया गया कि वहां के ग्राम मुसलाबा में कोई भी झोला छाप चिकित्सक विगत 06 माह से प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, जिसकी पुष्टि वहां के प्रधान एवं अन्य ग्रामीण जनता के द्वारा भी की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कैंसर रोगियों के इलाज के सम्बन्ध में जानकारी

4--श्री राम इकबाल सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में कितने कैंसर रोगी हैं तथा इनकी इलाज की कहां-कहां व्यवस्था है ? क्या सरकार जनपद स्तर पर उनके इलाज की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

कैंसर रोगियों की गणना हेतु कोई सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अत: इनकी संख्या दिया जाना संभव नहीं है। इलाहाबाद में कमला नेहरू रीजनल कैंसर सेंटर, जनपद कानपुर में जे0के0 कैंसर इंस्टीट्यूट एवं एस0जी0पी0जी0 आई0, लखनऊ तथा प्रदेश के समस्त मेडिकल कालेजों में कैंसर के उपचार की व्यवस्था है।

प्रदेश के जिला चिकित्सालयों में कैंसर के प्रारम्भिक उपचार की व्यवस्था विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर में अनुसूचित जाति महिला छात्रावास के संचालित किये जाने की मांग

5--श्री रामहेत--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में निर्मित अनुसूचित जाति महिला छात्रावास को अनुसूचित जाति की छात्राओं के रहने हेतु संचालित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बुलन्दशहर के बाबू बनारसी दास चिकित्सालय के (आई0सी0यू0) कक्ष का जीर्णोद्धार किये जाने की मांग

6--श्री सुन्दर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के बाबू बनारसी दास चिकित्सालय बुलन्दशहर का (आई0सी0यू0) कक्ष जर्जर अवस्था में है जिससे मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल के आई0सी0यू0 कक्ष का जीर्णोद्धार कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

जीर्णोद्धार की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के एस0जी0पी0जी0आई0 में कतिपय संवर्गों में आरक्षण कोटा के स्थान पर सामान्य वर्ग की नियुक्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

7--श्री विश्राम सिंह यादव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण समिति का पत्र दिनांक 26-6-2002 जिसका आर0एस0डी0 नं0 3526/एम0 है जिसमें अटेन्डेन्ट ग्रेड-1 सीनियर अटेन्डेन्ट, आपरेटर ग्रेड-1 हास्पिटल अटेन्डेन्ट ग्रेड-2 एवं सहायक नर्सिंग अधीक्षिका के संवर्गों में अनुसूचित जाति के वरिष्ठता क्रम में वरिष्ठ कर्मचारियों के स्थान पर सामान्य वर्ग के कनिष्ठ कर्मचारियों की मार्च, 2002 में पदोन्नति किये जाने के संबंध में है, निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, आजमगढ़ में ऐरा खुर्द में आठ बेड के हास्पिटल का कथित प्रकरण

8--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ में ऐरा खुर्द में 8 बेड के हस्पिटल में डाक्टर और फार्मासिस्ट न होने के कारण मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अस्पताल में डाक्टर और फार्मासिस्ट की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, आजमगढ़ में 8 बेड का कोई अस्पताल नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में स्थापित ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, मोठ के भवन निर्माण के संबंध में जानकारी

9--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जनपद में स्थापित ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, मोठ के भवन की मरम्मत एवं सुसज्जित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा उसे किन-किन मदों में खर्च किया गया है ? क्रय की गयी सामग्री कन्टेक्ट अनुमोदित फर्म से खरीदी गयी अथवा कोटेशन के आधार पर ?

परिवार कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन)--

झांसी जनपद के ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, मोठ के भवन की मरम्मत एवं सुसज्जित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2003-04 में रुपया 16,59,591/- की धनराशि आवंटित की गई थी जिसको निम्न मदों में खर्च किया गया :--

1--भवन मरम्मत

2--फर्नीचर उपकरण आदि

3--साज-सज्जा मशीन

4--रसोई का सामान

5--सामग्री एवं सम्पूर्ति

क्रय की गई सामग्री में कुछ कन्टेक्ट अनुमोदत फर्म से खरीदी गई तथा शेष कोटेशन के आधार पर।

जनपद झांसी के चिकित्सालयों के लिए औषधि क्रय के सम्बन्ध में जानकारी

10--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में जनपद झांसी के चिकित्सालयों के लिए औषधि क्रय हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गयी तथा आवंटित धनराशि से मेसर्स विशाल फार्मा से कुल कितनी धनराशि की दवाइयां क्रय की गयी ? क्या विशाल फार्मा की फर्म अनुबंधित है ? यदि नहीं, तो बिना अनुबंधित फर्म से दवाइयां क्रय करने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, झांसी को रु0 54,51, 800.00 एवं जिला चिकित्सालय झांसी को रु0 13,33,000.00 की धनराशि आवंटित की गयी।

वित्तीय वर्ष 2003-04 में जनपद झांसी के लिए मेसर्स विशाल फर्म को क्रय संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए गए।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद बुलंदशहर के बाबू बनारसी दास चिकित्सालय के आइ0सी0यू0 में भर्ती मरीजों के औषधि का कथित प्रकरण

11--श्री सुन्दर सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबू बनारसी दास चिकित्सालय बुलंदशहर के आई0सी0यू0 में भर्ती मरीजों के लिए वर्ष भर के लिये अस्पताल में औषधि उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त अस्पताल में मरीजों को वर्ष भर के लिये औषधि उपलब्ध कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है। यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में चयनित लैब असिस्टेन्ट की भर्ती के संबंध में जानकारी

12--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में 600 लैब असिस्टेंट की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा हो चुकी है ? यदि हां, तो चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेकर इन्हें नियुक्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण स्पेशल अपील संख्या 1608/04 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन है।

प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डेंटल हाइजिनिस्ट के सृजित पद

13--श्री अनिल कुमार सिंह यादव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग डेंटल हाइजिनिस्ट के कितने पद वर्तमान समय में सृजित हैं ? क्या यह सही है कि डेंटल हाइजिनिस्ट के प्रोन्नति हेतु कोई अन्य पद नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य संवर्गों की भांति उक्त संवर्ग की प्रोन्नति हेतु पदों के सृजन पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वर्तमान में डेंटल हाइजिनिस्ट के 357 पद सृजित हैं।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अन्य प्रशासकीय कर्मचारियों की भांति 14 वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त डेंटल हाइजिनिस्ट को प्रोन्नति वेतनमान अनुमन्य है।

जनपद अम्बेडकर नगर, तहसील-आलापुर, ग्राम-तेन्दूवाई कलां में आंश्रम पद्धति विद्यालय निर्माण की कार्य योजना

14--श्री जयराम विमल--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-तेन्दूवाई कलां, तहसील-आलापुर, जनपद-अम्बेडकरनगर में आश्रम पद्धति विद्यालय हेतु क्या शासन द्वारा भूमि अधिग्रहीत की जा चुकी है ? क्या यह सही है कि वित्तीय स्वीकृति के अभाव में उक्त विद्यालय का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृतियां कब तक दे दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के आदेश संख्या 216/भू0व्य0/पुनर्ग्रहण-आ0प0वि0/2003 दिनांक 10-3-2003 द्वारा जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर तहसील के ग्राम तेन्दूआई कलां में भूमि पुनर्ग्रहीत की जा चुकी है।

वर्ष 2005-06 में मंडल मुख्यालयों पर राजकीय आश्रम पद्धति (बालक) का निर्माण किये जाने का निर्णय लिया गया है। जनपद स्तर पर निर्णय लिये जाने पर राजकीय आश्रम पद्धति (बालक) विद्यालयों का निर्माण का निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के आलापुर अस्पताल में डाक्टरों एवं कर्मचारियों की तैनाती की मांग

15--श्री जयराम विमल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आलापुर जनपद अम्बेडकरनगर में स्थित 25 शय्या वाले अस्पताल पर डाक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों की तैनाती न होने के कारण उक्त अस्पताल सुचारु रूप से नहीं चल पा रहा है ? यदि हां, तो अस्पताल को सुचारु रूप से चलाने हेतु उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र आलापुर चिकित्सालय में चिकित्सकों एवं कर्मचारियों एवं कर्मचारियों के पदों के सृजन की प्रक्रिया संचालित है तदुपरान्त ही नियुक्ति की जा सकेगी। आलापुर विकास खण्ड रामनगर के अन्तर्गत आता है, ब्लाक मुख्यालय रामनगर में एक ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील है, जिसमें चिकित्सक एवं कर्मचारी तैनात हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों से कम्प्यूटर का कार्य लिये ज़ाने का औचित्य

16--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कितने कम्प्यूटर डिप्लोमा धारक कर्मचारी कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर नियुक्त हैं ? क्या उन कर्मचारियों से कम्प्यूटर का कार्य लिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो अनुबंध पर बाहरी व्यक्ति से कम्प्यूटर का कार्य लिये जाने का औचित्य क्या है ?

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कम्प्यूटर डिप्लोमा धारक कर्मचारी कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर नियुक्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

कार्य की तकनीकी आवश्यकता को देखते हुए वर्ष 1990 से कम्प्यूटर से संबंधित कार्य करने हेतु एक कार्मिक को अनुबंध पर रखा गया है जिसकी शैक्षिक योग्यता पी0जी0 डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन है। डिपो/जलपान गृह में कार्यरत कुल 04 कर्मचारियों, जिन्होंने कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, से भी कम्प्यूटर का कार्य लिया जा रहा है।

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कम्प्यूटर का कार्य अनुबन्ध पर कराये जाने से हुए खर्च का विवरण

17--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कम्प्यूटर का कार्य अनुबन्ध पर कराने से विगत तीन वर्षों में कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सही है कि विभाग में कम्प्यूटर प्रशिक्षित कर्मचारियों के रहते हुए अनियमित तरीके से अनुबन्ध पर कम्प्यूटर का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार विभागीय धन का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

उ0 प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम में कम्प्यूटर का कार्य अनुबन्ध पर कराने में विगत तीन वर्षों में धनराशि रुपया 2,64,029/- का व्यय किया गया है।

निगम में जी0 एम0 स्टोर का कार्य विशेषज्ञ फर्म से समय-समय पर अनुबन्ध के आधार पर कराया गया। निगम के जी0 एम0 स्टोर एवं मुख्यालय पर 04 कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त ही अब उक्त कार्य किया जा रहा है।

किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के खड्डा में अग्निपीड़ितों के जले हुए राशन कार्डों को पुनः जारी कराये जाने के विषय में जानकारी

18--श्री बादशाह सिंह--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के अग्निपीड़ितों के जले राशन कार्डों को पुनः जारी कराने हेतु उपभोक्ताओं की सूची दिलाने हेतु दिनांक 8-11-2004 को पूर्व सदस्य, विधान सभा, दीपलाल भारती ने उप जिलाधिकारी/तहसीलदार पडरौना को कोई पत्र दिया है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

जी हां।

अग्निपीड़ित परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर खड्डा के प्राथमिक विद्यालय में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति वितरण का कथित प्रकरण

19--श्री बादशाह सिंह--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के जिला समाज कल्याण अधिकारी को दिनांक 23-12-04 को पूर्व सदस्य, विधान सभा, दीपलाल भारती द्वारा प्राथमिक विद्यालय खड्डा (कुशीनगर) में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति वितरण में की गयी धांधली की जांच कराये जाने विषयक कोई पत्र दिया गया है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

शिकायत की जांच की गयी। छात्रवृत्ति वितरण में किसी प्रकार की धांधली की पुष्टि नहीं हो सकी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया शाहपुर के डा0 राम मनोहर लोहिया उ0 मा0 वि0 में विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की माँग

20--डा0 पूर्णमासी देहाती--

क्या विकलांग कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया उ0 मा0 वि0 शाहपुर, जनपद बलिया में अध्ययनरत विकलांग छात्रों को विगत दो वर्षों से छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों और छात्रवृत्ति कब तक स्वीकृत कर दी जायेगी ?

विकलांग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री श्याम नारायण--

जी नहीं।

डा0 राम मनोहर लोहिया उ0 मा0 वि0 शाहपुर, बलिया के विकलांग छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन-पत्र नियमानुसार प्राप्त न होने के कारण छात्रवृत्ति स्वीकृत नहीं की गयी। नियमानुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति स्वीकृत कर दी जायेगी।

डा0 राम मनोहर लोहिया बालिका उ0 मा0 विद्यालय शाहपुर, जनपद बलिया में अध्ययनरत छात्राओं की छात्रवृत्ति की जांच

21--डा0 पूर्णमासी देहाती--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया बालिका उ0 मा0 विद्यालय शाहपुर एवं क्षेत्र पंचायत बेरुआरबारी, जनपद बलिया में अध्ययनरत छात्राओं को छात्रवृत्ति विगत दो वर्षों से नहीं दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी जा रही है। जांच आख्या प्राप्त होते ही उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर जिला चिकित्सालय में फार्मासिस्टों की सम्बद्धता समाप्त किये जाने एवं सम्बद्धता आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग

22--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानिदेशक के आदेश सं0 महा0 नि0सी0/2999, दिनांक 25-6-2004 की अवहेलना करके जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में कितने फार्मासिस्टों को सम्बद्ध किया गया है ? क्या सरकार इन फार्मासिस्टों की सम्बद्धता समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सम्बद्धता आदेश करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, जिला चिकित्सालय सिद्धार्थनगर में 5 फार्मासिस्टों को मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा सम्बद्ध किया गया था, जिसे महानिदेशालय के आदेश दिनांक 9-2-2005 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

सम्बद्धता समाप्त कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य चिकित्साधिकारी, सिद्धार्थनगर का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर से स्थानान्तरित आर्थो सर्जन डा0 विमल द्विवेदी की अपने गृह जनपद में फर्जी अभिलेखों के आधार पर तैनाती की जांच

23--श्री जगदीश नारायण राय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर से स्थानान्तरित आर्थो सर्जन डा0 विमल द्विवेदी अपने गृह जनपद में फर्जी अभिलेखों के आधार पर वर्ष 1999 से कार्यरत हैं ? क्या इसकी जांच महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य ने अपने पत्र सं0 2फ/280/99/3193, दिनांक 01-08-2001 द्वारा अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल से करायी गयी थी एवं जांच रिपोर्ट दिनांक 22-10-2001 को पत्र संख्या अ0नि0/जांच/2001/11644 द्वारा शासन को प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त रिपोर्ट के आधार पर दोषी चिकित्सक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, डा0 द्विवेदी अपने गृह जनपद गोरखपुर में वर्ष 1999 से कार्यरत नहीं हैं।

जी हां। महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश पर जांचकर अपर निदेशक, गोरखपुर मण्डल द्वारा जांच आख्या दिनांक 22-10-2001 प्रस्तुत की गयी। शासन द्वारा दिनांक 17-10-2003 को जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर से जांच आदेशित की गयी, जिन्होंने स्थानीय अभिसूचना इकाई तथा उप जिलाधिकारी, नौगढ़ की जांच आख्याओं के आधार पर डा0 विमल कुमार द्विवेदी का गृह जनपद गोरखपुर बताया है। उनकी सेवा पुस्तिका में भी स्थायी निवास जनपद गोरखपुर अंकित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं की सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान में पायी गयी अनियमितताओं पर कार्यवाही की मांग

24--श्रीमती माया प्रसाद तथा श्री मुन्शी लाल गौतम--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड खड्डा अन्तर्गत ग्राम सभा करदह बसडीला/जखिनियां, नौतार, गेनहीं-जंगल तथा सहकारी संघ खड्डा की सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान श्री मनोज जायसवाल द्वारा अवैधानिक रूप से चलायी जाती है जिसकी जांच नवम्बर/दिसम्बर, 2004 में जिला पूर्ति विभाग द्वारा की गयी थी ? जिसमें अनेक अनियमिततायें पायी गयी ? यदि हां, तो उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

जी हाँ। सहकारी संघ व किसान सेवा सहकारी समिति, करदह के वितरण में अनियमितताएं पायी गयी।

सहकारी संघ, खड्डा का अनुबन्ध निलम्बित कर दिया गया है तथा किसान सेवा सहकारी समिति, करदह का अनुबन्ध निरस्त किया जा चुका है।

रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, उ0 प्र0 के पदधारक की न्यूनतम अर्हतायें

25--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड, उ0 प्र0 के पदधारक की न्यूनतम अर्हताएं क्या हैं ? उक्त अर्हताओं के परिपेक्ष्य में क्या डा0 आर0 के0 सिंह की प्रतिनियुक्ति पर तैनाती वैध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उनकी प्रतिनियुक्ति को निरस्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हां।

भारतीय चिकित्सा परिषद्, उ0 प्र0 के रजिस्ट्रार की सेवा नियमावली, 1966 के नियम 5 में उक्त पद पर नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अनिवार्य एवं अधिमानी अर्हताएं रखी गयी है :--

1--अनिवार्य अर्हता :--

(अ) वह भारत का नागरिक अथवा सिक्किम की प्रजा हो।

(ब) चयन वर्ष की पहली जनवरी को उसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष तथा अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक न हो।

(स) वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो।

(द) वह हिन्दी की देवनागरी लिपि को पढ़ना, लिखना जानता हो।

(य) वह किसी सरकारी अथवा निजी कार्यालय में पांच वर्ष तक कार्य करने का प्रशासनिक अनुभव रखता हो।

2--अधिमानी अर्हता :--

(अ) यू0 पी0 इण्डियन मेडिसिन ऐक्ट, 1939 में पंजीकरण हेतु विधिमान्य आयुर्वेद अथवा तिब्ब में डिग्री या डिप्लोमा उपाधि धारक हो।

(ब) उर्दू भाषा का कार्यसाधक ज्ञान रखता हो।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय महिला कल्याण में शोध सहायक के पद पर कार्यरत कर्मी की निर्धारित अर्हता के विषय में जानकारी

26--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निदेशालय महिला कल्याण में शोध सहायक के पद पर कार्यरत कर्मी उक्त पद की निर्धारित अर्हता नहीं रखते हैं ? यदि हां, तो इनकी नियुक्ति का आधार क्या है ? क्या सरकार इनकी अर्हताओं की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

महिला कल्याण विभाग में तैनात शोध सहायक की नियुक्ति निदेशक, समाज कल्याण द्वारा दिनांक 21-11-92 के आदेश द्वारा की गयी थी। पदधारक समाज कल्याण विभाग से दिनांक 19-11-96 को स्थानान्तरित होकर आये थे। समाज कल्याण विभाग की तत्समय प्रचलित नियमावली में शोध सहायक, पद /अर्हता का उल्लेख नहीं था।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोरी में बेंत कला टीचर की फर्जी नियुक्ति की जांच

27--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह किशोरी में बेंत कला टीचर के पद पर प्रशान्त पाठक कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इनकी नियुक्ति ब्लाइंड कोटे में की गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन्होंने ब्लाइंड का फर्जी प्रमाण-पत्र लगाकर नौकरी प्राप्त की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करते हुए उक्त अध्यापक की सेवा समाप्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

एस0 एन0 मेडिकल कालेज, जनपद आगरा के इमरजेन्सी विद्युत व्यवस्था के विषय में जानकारी

28--डा0 राम बाबू हरित--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा की इमरजेन्सी एस0 एन0 मेडिकल कालेज की विद्युत व्यवस्था भंग होने पर क्या वहां पर जनरेटर की व्यवस्था तथा फर्शों की सफाई के लिए आधुनिक मशीन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मेडिकल कालेज में उपरोक्त सुविधा/यंत्र उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

एस0 ए0 मेडिकल कालेज, आगरा के इमरजेन्सी की विद्युत् व्यवस्था के भंग होने पर 62.5 के0वी0ए0 के साउन्ड प्रूफ जनरेटर सेट की स्थापना करायी जा चुकी है तथा फर्शों की सफाई के लिए वेक्यूम क्लीनर उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मेडिकल के छात्रों की एम0बी0बी0एस0 करने वाले विद्यालय से ही इन्टर्नशिप करने की अनिवार्यता की जानकारी

29--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल के छात्रों को एम0बी0बी0एस0 करने वाले विद्यालय से ही "इन्टरेन्सशिप" करने की अनिवार्यता/बाध्यता है ? यदि नहीं, तो क्या गाजियाबाद के सन्तोष मेडिकल कालेज से एम0बी0बी0एस0 कर चुके डाक्टरों को अपने ही विद्यालयों में "इन्टरेन्स शिप" करने के लिये बाध्य किया जाता है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिसम्बर, 2004 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया रेगुलेशन्स आन ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन, 1997 के चैप्टर 5 के बिन्दु 5 के उपखण्ड 2 के अनुसार इन्टर्नशिप एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का आवश्यक अंग है तथा इन्टर्नशिप की व्यवस्था करना कालेज का उत्तरदायित्व है परन्तु राजकीय मेडिकल कालेजों के सम्बन्ध में शासनादेश सं0 2321/71-03-01-108/2000, दिनांक 30 अगस्त, 2001 द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि छात्र ने जिस कालेज से स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, वही इन्टर्नशिप पूरी करेंगे। निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों को यह अधिकार है कि वह अपने से सम्बद्ध चिकित्सालयों में इन्टर्नशिप कराये अन्यथा एम0सी0आई0 से मान्यताप्राप्त किसी अन्य चिकित्सालय से।

प्रश्न नहीं उठता।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग 3 के अभिलेखों के अनुसार प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

30--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में संविदा के आधार पर चिकित्सकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में चिकित्सकों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु शासनादेश दिनांक 03-2-2005 को निर्गत किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकारी चिकित्सालयों में स्थापित ब्लड बैंक तथा पैथोलाजिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग

31--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कितने सरकारी चिकित्सालयों में मरीजों की सुविधा के लिए स्टेट ब्लड बैंक खुले हुए हैं और इन सभी स्टेट ब्लड बैंकों में पैथोलाजिस्ट चिकित्सक नियुक्त हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रदेश के 51 सरकारी चिकित्सालयों में ब्लड बैंक स्थापित हैं। प्रदेश के समस्त चिकित्सालयों में पैथोलाजिस्ट नियुक्त नहीं हैं। कैडर रिव्यू की प्रक्रिया चल रही है जिसके पूर्ण होने के उपरान्त पैथोलाजिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी।

जनपद आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के बकाये वेतन का भुगतान

32--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का 6 करोड़ 96 लाख 77 हजार रुपयों का वेतन भुगतान बकाया है ? यदि हां, तो उक्त अध्यापकों का बकाया वेतन भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जी नहीं।

जनपद आजमगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा नहीं, बल्कि निजी प्रबन्धाधिकरण द्वारा संचालित विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का वेतन भुगतान बकाया है, जिसके भुगतान का दायित्व निजी प्रबन्धाधिकरण का है।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज एवं वाराणसी में पंजीकृत पैथालोजी

33--श्री राम करन आर्य--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राइवेट पैथालोजी के संचालित किये जाने के क्या मानक हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज एवं वाराणसी में कुल कितने पैथलोजी पंजीकृत हैं ? क्या वह मानक के अनुरूप हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मानक निर्धारण प्रक्रिया में है।

जनपद सोनभद्र के राबर्ट्सगंज में 09 तथा जनपद वाराणसी में 97 निजी पैथालोजी पंजीकृत हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फैजाबाद मण्डल में तैनात नर्स संवर्ग के कर्मचारियों को सेलेक्शन ग्रेड प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा दिये जाने की मांग

34--डा0 सुशील चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मण्डल में तैनात नर्स संवर्ग के कर्मचारियों का सेलेक्शन ग्रेड प्रोन्नत वेतनमान की सुविधा दे दी गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

मात्र चार कार्मिकों को सेलेक्शन ग्रेड क्रमशः वर्ष 86, 90, 92 तथा 99 में व दो कार्मिकों को प्रोन्नत वेतनमान वर्ष 93 तथा 95 में स्वीकृत किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

निदेशालय, महिला कल्याण के आशुलिपिक श्री राकेश पाण्डेय के विरुद्ध जांच

35--श्री बादशाह सिंह--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2004 के पहले मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नगत जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जांच आख्या के आधार पर संक्षिप्त निष्कर्ष निम्नवत् है :--

(1) श्री राकेश पाण्डेय, आशुलिपिक द्वारा निदेशक, महिला कल्याण के साथ तैनाती के फलस्वरूप अपने अभिलेखों/सेवापुस्तिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित न किये जाने हेतु दोषी हैं।

(2) शासन के गोपनीय पत्रों, जो श्री राकेश पाण्डेय की शिकायत से संबंधित होते हैं, पर अनधिकृत/अनियमित रूप से आदेश/मार्किंग अंकित करने हेतु उत्तरदायी हैं।

(3) श्री राकेश पाण्डेय विषयक निदेशक को प्राप्त महत्वपूर्ण पत्रों की स्थापना कार्यालय से योजनाबद्ध तरीके से गायब कराने में श्री पाण्डेय की संलिप्तता दृष्टिगत है।

जांच आख्या के निष्कर्षों के आधार पर परिलक्षित अनियमितताओं के लिए संबंधित कार्मिक को कारण बताओ नोटिस देकर व उत्तर प्राप्त कर आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश निदेशक, महिला कल्याण को दिये गये हैं। उक्त आख्या अपेक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों/ अधिकारियों के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की जांच

36--श्री बादशाह सिंह--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि महिला कल्याण विभाग में महिलाओं को दिये जाने वाला अनुदान वितरण वर्ष 1995-96 व 1996-97 में जिला प्रोबेशन कार्यालय, लखनऊ के कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा लगभग छः करोड़ का गबन किया गया ? यदि हां, तो इसमें कौन-कौन से अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये ? दोषी अधिकारी/कर्मचारी को गबन के बावजूद उसी कार्यालय में कई वर्षों तक तैनात किये जाने का क्या औचित्य है ? क्या दोषी कर्मचारी को निदेशक द्वारा वृहद दण्ड दिये जाने हेतु आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या दोषियों को अपराध के समतुल्य दण्ड दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

महिला कल्याण विभाग के जिला प्रोबेशन कार्यालय, लखनऊ में पति की मृत्यु के उपरांत निराश्रित महिलाओं को अनुदान/पेंशन योजनान्तर्गत दिये जाने वाले अनुदान वितरण वर्ष 1995-96 एवं 96-97 के विशेष संपरीक्षा विभागीय लेखा निदेशालय, उत्तर प्रदेश से करायी गयी थी। आडिट रिपोर्ट में वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आई, लेकिन गबन नहीं हुआ।

वित्तीय अनियमितता हेतु निम्न अधिकारी दोषी पाये गये--

1--श्रीमती लीला जैसवार, (दि0 1-4-95 से 11-7-96 तक)
जिला प्रोबेशन अधिकारी, लखनऊ

2--श्री लाल चन्द्र पाल, कनिष्ठ लिपिक।

3--श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक।

उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। जांच के आधार पर अधिकारियों/कर्मचारियों को निम्न दण्ड दिए गये --

1--श्रीमती लीला जैसवार, जिला प्रोबेशन अधिकारी की वर्ष 1995-96 व 96-97 की सत्यनिष्ठा रोकी गयी एवं चरित्र-पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित की गयी।

2--श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक की दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकते हुए परिनिन्दा प्रविष्टि अंकित की गयी।

3--श्री लाल चन्द्र पाल, कनिष्ठ लिपिक को कठोर चेतावनी दी गयी।

श्रीमती लीला जैसवार, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं श्री रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक वर्तमान में जिला प्रोबेशन कार्यालय, लखनऊ से स्थानान्तरित किए जा चुके हैं।

श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, कनिष्ठ लिपिक एवं श्री लाल चन्द्र पाल, कनिष्ठ लिपिक को वृहद् दण्ड दिए जाने हेतु नोटिस दिया गया था। प्राप्त उत्तर के आधार पर दण्डादेश पारित किये जा चुके हैं।

अनुशासनिक कार्यवाही के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा उक्त निर्णय लिये गए हैं।

जनपद शाहजहाँपुर में घायलों के उपचार हेतु ट्रामा सेन्टर का निर्माण कराने की माँग

37--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में गम्भीर चोटों/दुर्घटनाओं में घायलों के लिये उपचार हेतु ट्रामा मैनेजमेंट सेन्टर की व्यवस्था हेतु भारत सरकार से डेढ़ करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त ट्रामा सेन्टर का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। भारत सरकार से वांछित धनराशि प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।

भारत सरकार से धनराशि उपलब्ध होने पर।

उ0 प्र0 में एड्स की रोक थाम करने की माँग

38--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में एड्स के कितने रोगी 31 दिसम्बर, 2004 तक चिन्हित किए गए हैं ? क्या सरकार एड्स की रोकथाम के लिए पोलियो उन्मूलन की भांति अभियान चलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

31 दिसम्बर, 2004 तक एड्स के कुल 1614 रोगी चिन्हित किये गये हैं।

प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुरूप किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

रानी लक्ष्मी बाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में बाल रोग चिकित्सकों की नियुक्ति की माँग

39--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में बाल रोग चिकित्सक, एनेस्थीसिया चिकित्सक, क्षयरोग चिकित्सक तथा हृदयरोग चिकित्सक नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्सकों के पदों को सृजित कर इन पदों पर चिकित्सकों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ में बाल रोग विशेषज्ञ के सृजित पद पर डा0 राकेश कुमार कार्यरत हैं। एनेस्थीसिया चिकित्सक, क्षयरोग चिकित्सक, हृदयरोग चिकित्सक का पद सृजित नहीं है, परन्तु एनेस्थीसिया चिकित्सक डा0 राधा रमन, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, वख्शी का तालाब, लखनऊ सप्ताह में दो दिन उक्त चिकित्सालय में कार्य करते हैं तथा क्षय रोग चिकित्सक के रूप में डा0 वी0 के0 मिश्रा की तैनाती एम0ओ0आर0डी0 के पद पर उक्त चिकित्सालय में कर दी गयी है।

जी हां।

उक्त चिकित्सालय का सम्पूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता।

रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ के अपूर्ण भवन को पूर्ण कराने की माँग

40--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, राजाजीपुरम्, लखनऊ जो 30 बेड का चिकित्सालय है, उसे 100 बेड का चिकित्सालय बनाने के लिए पूर्व मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था ? क्या उक्त कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो उक्त अपूर्ण भवन के कार्य को कब तक पूर्ण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

अपूर्ण भवन के लिए अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था कराकर निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में विधान सभा क्षेत्र मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती की माँग

41--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र मेहनगर, जनपद आजमगढ़ में मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खुला है लेकिन अभी तक चिकित्सकों की तैनाती नहीं की गयी है ? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनगर में पद सृजन नहीं हुआ है। पदों के सृजन के बाद तद्नुरूप तैनाती किया जाना सम्भव हो सकेगा। वर्तमान में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहनगर के चिकित्सकों के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में चिकित्सालय का संचालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

42--श्री कोविद कुमार सिंह--

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

यू0पी0 मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, उ0प्र0 के द्विवार्षिक चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने विषयक पत्र

43--श्री कोविद कुमार सिंह तथा श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन का पत्र दिनांक 28-10-2004 जो यू0पी0 मेडिकल एण्ड पब्लिक हेल्थ मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन, उ0प्र0 के द्विवार्षिक चुनाव निष्पक्ष रूप से कराये जाने विषय पर आपका पत्र संख्या-2605/वी0आई0पी0/29-10-04, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

एसोसिएशन के चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने तथा समुचित व्यवस्था किये जाने के लिए निदेशक (प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 09 दिसम्बर, 2004 द्वारा जिलाधिकारी सुल्तानपुर को आवश्यक निर्देश दे दिये गये थे।

प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सचिव के पद पर श्रेणी-1 के अधिकारी की नियुक्ति की मांग

44--श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''--

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि उनके द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा को भेजे गये पत्र संख्या-1232-वी0आई0पी0, दिनांक 30-6-04 में तीन बिन्दुओं पर दिये गये निर्देशों में बिन्दु एक द्वारा स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सचिव पद पर श्रेणी-2 का अधिकारी कार्यरत है ? क्या सम्वेदनशीलता एवं महत्ता को देखते हुए श्रेणी-1 के अधिकारी को प्रमुख सचिव ने शासनादेश संख्या-1417/पांच-6-04-उब्न्यू-7/04-टी0सी0-1, दिनांक 11-08-04 द्वारा डा0 राजेश जैन श्रेणी-2 अधिकारी को सचिव, उ0 प्र0 मेडिकल फैकल्टी के पद पर नियुक्त/संविलियन कर दिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के दोषी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त शासनादेश को निरस्त कर डा0 राजेश जैन को उनके मूल पद चर्म रोग विशेषज्ञ, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ भेज कर सचिव पद पर प्रथम श्रेणी अधिकारी की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या-1232-वी0आई0पी0, दिनांक 30-6-04, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को नहीं, बल्कि महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को भेजा गया है।

संदर्भित पत्र श्री खुर्शीद इकबाल आप्टमिट्रिस्ट, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हसनगंज, उन्नाव के स्थानान्तरण आदेश निरस्त करने के सम्बन्ध में है। जहां तक डा0 जैन की स्टेट मेडिकल फैकल्टी में सचिव के पद पर नियुक्ति/संविलियन का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि प्रकरण रिट याचिका संख्या-56051/2004 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

के0जी0एम0सी0 एवं जी0एम0ए0एच0, लखनऊ में कार्यरत टेक्नीशियन को पुनरीक्षित वेतनमान देने की मांग

45--डा0 इन्द्रदेव सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि के0जी0एम0सी0 एवं जी0एम0ए0एच0, लखनऊ में कार्यरत लैब टेक्नीशियन तथा टेक्नीशियन को शासनादेश 4114/71-3/2004-173/89, दिनांक 28 जून, 2004 द्वारा दिनांक 1-1-86 तथा दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये जाने की स्वीकृति दी गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि लैब टेक्नीशियन को सेवा नियमावली में परिवर्तन/प्रख्यापन कराये बिना पुनरीक्षित वेतनमान दे दिया गया है और टेक्नीशियन को पुनरीक्षित वेतनमान अभी तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त टेक्नीशियन को पुनरीक्षित वेतनमान कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खन्डौरा में दवाइयां व अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध कराने की माँग

46--श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खन्डौरा, जनपद आजमगढ़ में मानक के अनुरूप दवाइयां व अन्य जीवन रक्षक उपकरण न होने के कारण मरीजों को असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त व्यवस्था कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं, मानक के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खन्डौरा, जनपद आजमगढ़ में दवाइयाँ व अन्य जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ के बाजार में प्रतिबन्धित दवाइयों के विक्रय पर रोक की मांग

47--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ के बाजार में प्रतिबंधित दवाइयां रोफिक्स, रोफक्ट, राफ, मक्रोफी, राफडे, रोफीवैक्स आदि खुले आम बिक रही हैं ? क्या इन दवाओं को भारत सरकार की नेशनल फार्मा को बिजिलेन्स एडवाइजरी कमेटी (एन0पी0सी0) ने प्रतिबन्धित कर रखा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 810 (ई), दिनांक 15-12-2004 द्वारा 'रोफिकोक्सिव' तथा उसकी विनिर्मितियों को मानव उपयोग के लिए प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। लखनऊ के बाजार में उक्त प्रतिबंधित दवाओं का विक्रय नहीं हो रहा है।

औषधि नियंत्रक, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 10-1-2005 द्वारा उपरोक्त प्रतिबंधित औषधियों के उत्पादन एवं बिक्री पर रोक के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु औषधि नियंत्रण विभाग के अधीन प्रदेश के समस्त जनपदीय अधिकारियों/निरीक्षकों को निर्देशित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में "स्वच्छता" कार्यक्रम चलाने की माँग

48--श्री हरि प्रताप सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "स्वच्छता" कार्यक्रम के तहत जनपद प्रतापगढ़ के लिए गत तीन वर्षों में कितना धन स्वीकृत हुआ है ? स्वीकृत धनराशि में से कितनी धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है ? सदर विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के अन्तर्गत स्वच्छता कार्यक्रम के तहत क्या-क्या कार्य चलाये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

"स्वचछता" कार्यक्रम योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित नहीं की जा रही है। उक्त योजना में न तो कोई धन स्वीकृत हुआ और न ही इस पर कोई व्यय किया जा रहा है।

प्रदेश में खाद्य निरीक्षकों को वेतनमान रु0 5000/- से 8000/- उपलब्ध कराने की माँग

49--डा0 इन्द्रदेव सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाद्य निरीक्षकों को वेतनमान रु0 4500/- से 7000/- दिया जा रहा है, जबकि सरकारी गजट में खाद्य निरीक्षकों को वेतनमान रु0 5000/- से रु0 8000/- दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य निरीक्षकों को वेतनमान रु0 5000/- से 8000/- उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

रिट याचिका संख्या-6080(एस/एस)/1990 श्री ओ0 पी0 वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24-9-1996 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-4461/पांच-8-98, दिनांक 17-11-1998 द्वारा खाद्य निरीक्षकों को दिनांक 24-9-1996 से

वेतनमान रु0 4500/- से 7000/- स्वीकृत किया गया है। वेतन समिति (1997-99)/ मुख्य सचिव समिति द्वारा खाद्य निरीक्षकों/ मुख्य खाद्य निरीक्षकों के पदों की समबद्धता केन्द्र सरकार के पदों से स्थापित न होने के कारण केन्द्र सरकार के समकक्ष पदों के समान वेतनमान अनुमन्य कराये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

सेनेटरी सुपरवाइजर एवं गैंग मजदूर की व्यवस्था की माँग

50--डा0 इन्द्रदेव सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में खाद्य निरीक्षकों को नमूना एकत्र करने व न्यायालय संबंधी कार्य के निष्पादन में सहायक के रूप में सेनेटरी सुपरवाइजर व गैंग मजदूर की व्यवस्था लागू है ? यदि हां, तो प्रदेश में कितने सेनेटरी सुपरवाइजर एवं गैंग मजदूर कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में सेनेटरी सुपरवाइजर/गैंग मजदूर की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य निरीक्षक के कुल 779 पद तथा सेनेटरी सुपरवाइजर के कुल 213 पद स्वीकृत हैं। अत: सभी खाद्य निरीक्षकों को खाद्य नमूना संग्रह हेतु सहायक के रूप में सेनेटरी सुपरवाइजर/गैंग मैन की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान स्थिति में सेनेटरी सुपरवाइजर/गैंग मैन की व्यवस्था किया जाना सम्भव नहीं है।

क्या झांसी में स्थापित ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र मोठ की भवन मरम्मत में व्यय की गयी धनराशि की जानकारी

51--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या झांसी जनपद में स्थापित ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, मोठ की भवन मरम्मत एवं सुसज्जित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 में धन आवंटित किया गया था ? यदि हां, तो आवंटित धनराशि को किन-किन मदों में व्यय किया गया ? क्या मंत्री जी क्रय की गयी सामग्री का पूरा विवरण सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

जी हां।

आवंटित धनराशि निम्न मदों में व्यय की गयी--

1--भवन मरम्मत

2--फर्नीचर, उपकरण आदि

3--साज सज्जा मशीन

4--रसोई का सामान

5--सामग्री एवं सम्पूर्ति

क्रय की गयी सामग्री का विवरण/सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के मेसर्स विशाल फर्म से क्रय की गयी दवाओं की दरों की जानकारी

52--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में जनपद झांसी के लिए कितनी धनराशि की दवायें मेसर्स विशाल फर्म से क्रय की गयी है ? क्या विशाल फर्म की दरें अनुबंधित हैं ? यदि नहीं, तो उक्त फर्म से दवायें खरीदने का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 2003-04 में जनपद झांसी के लिए मेसर्स विशाल फर्म को क्रय संबंधी कोई आदेश जारी नहीं किए गए।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद देवरिया, ग्राम सठियांव, पोस्ट बैकुण्ठपुर के न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री भागवत भगत (खजड़ीवाल) के नाम पर नामकरण किये जाने की मांग

53--श्री आर0 एस0 कुशवाहा--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 भागवत भगत (खजड़ीवाल) के ग्राम सठियांव, पोस्ट बैकुण्ठपुर, जनपद देवरिया में बने न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम उक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाम पर नामकरण किये जाने संबंधी मुख्य मंत्री का पत्रांक 178/438/सी0एम0-2/2004, दिनांक 8-1-2004 प्रमुख सचिव चिकित्सा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अभी तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

भवन निर्माण के उपरान्त नामकरण की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के वि0 खं0 कुड़वार, दवेपुर को गतवर्ष बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत कोटेदारों को अनाज का आवंटन

54--श्री ओम प्रकाश पाण्डेय--

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर स्थित वि0खं0 कुड़वार, वि0 खं0 दवेपुर को वर्ष 2003-04 एवं दिसम्बर 04 तक बी0पी0एल0 योजनान्तर्गत कितना अनाज किन-किन कोटेदारों को दिया गया है ? क्या इनका सही वितरण न किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो इस संबंध में क्या जांच कराकर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 124--128 पर।]

कुंवर रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया--

विकास खण्ड कुड़वार को वर्ष 2003-04 (1-4-03 से 31-3-04 तक) ग्राम पंचायतों में कार्यरत उचित दर विक्रेताओं को बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत गेहूँ 15427.74 कुन्टल तथा 2957.92 कुन्टल चावल निर्गत किया तथा अप्रैल, 04 से दिसम्बर, 04 तक 14179.13 कुन्टल गेहूँ तथा 13946.85 कुन्टल चावल निर्गत किया गया। इसी प्रकार विकास खण्ड दूबेपुर को उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 (1-4-03 से 31-3-04 तक) बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 22056.08 कुन्टल गेहूँ तथा 13237.05 कुन्टल चावल निर्गत किया गया तथा अप्रैल, 04 से दिसम्बर, 04 तक 16121.43 कुन्टल गेहूँ तथा 16965.39 कुन्टल चावल निर्गत किया गया। उक्त दोनों विकास खण्डों के उचित दर विक्रेताओं को माहवार आवंटित खाद्यान्न के विवरण की सूचना विस्तृत होने के कारण संलग्न नहीं की जा रही है। उक्त सूचना मा0 अध्यक्ष, विधान सभा एवं मेरे कक्ष में उपलब्ध है, यथावश्यक मा0 विधायक द्वारा देखी जा सकती है।

इनका सही वितरण न किये जाने की कतिपय शिकायतें प्राप्त हुयी थी। इसकी जांच सक्षम अधिकारी से करायी गयी, जांचोपरान्त पायी गयी अनियमितता पर 07 दुकानें निलम्बित की गयी, तथा 04 दुकानें निरस्त की गयी व 4750/- रु0 की प्रतिभूति शासन के पक्ष में जमा की गयी है।

प्रदेश में फिजियोथिरेपिस्ट के रिक्त पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूर्ण कर नियुक्ति की मांग

55--श्रीमती विद्या चौधरी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में फिजियोथिरेपिस्ट के कितने पद स्वीकृत हैं ? उनमें कितने पद रिक्त हैं तथा अनुसूचित जाति का कितना कोटा है ? क्या वह कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो उक्त कोटे को एवं रिक्त पदों पर कब तक नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां, प्रदेश में फिजियोथिरेपिस्ट के 19 पद स्वीकृत हैं।

04 पद रिक्त हैं, रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति का 04 पद होता है।

जी नहीं।

रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर दिये गये हैं, आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15-2-2005 है। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् रिक्त पदों पर नियुक्ति कर दी जायेगी।

जनपद आजमगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में कार्यकत्री तथा सहायिका के पदों पर नियुक्ति की जांच

56--श्री सुखदेव राजभर--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड मार्टिनगंज, मोहम्मदपुर, अहिरौला, कोपलसा, अतरौलिया में कार्यकत्री तथा सहायिका के पदों पर विगत वर्ष 2004-05 में की गयी नियुक्ति की जांच में अनियमितता पायी गयी है ? यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)--

संदर्भगत प्रकरण की जांच मुख्य राजस्व अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) के स्तर से करायी गयी है। जांच आख्या जिलाधिकारी, आजमगढ़ से प्रतीक्षित है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मेरठ के वरिष्ठ सहायक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी श्री बृजपाल सिंह की पुनः बहाली

57--प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बृजपाल सिंह, वरिष्ठ सहायक, क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी मेरठ द्वारा अपनी अन्तिम बहाली के लिये मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका संख्या-43233/2001 दाखिल की थी ? क्या यह सही है कि उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 6 माह में अन्तिम बहाली एवं देयकों का भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त याचिका में पारित आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी हां।

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में याची को अनन्तिम रूप से निदेशक, आयुर्वेद के आदेश सं0-6706/अधि0, दिनांक 13-6-2002 द्वारा सेवा में पुनः बहाल कर दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

खादी बोर्ड में श्रीमती नीरू श्रीवास्तव मुख्य रसायनज्ञ को मूल पद के अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र का चार्ज भी सौंपे जाने के सम्बन्ध में जानकारी

58--श्री रमेश चन्द्र विन्द--

क्या खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खादी बोर्ड में प्राचार्य की उपलब्धता होते हुए भी श्रीमती नीरू श्रीवास्तव (मुख्य रसायनज्ञ) को प्राचार्य का चार्ज दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि खादी बोर्ड में कितने प्राचार्यों को मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र में प्राचार्य का पद दिया गया है तथा कितने मुख्य रसायनज्ञों को गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला में मुख्य रसायनज्ञ के पद पर नियुक्त किया गया है ? क्या सरकार उनको उनके मूल पद पर नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री (श्री राजाराम पाण्डेय)--

जी हां।

उ0 प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर 10 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हैं किन्तु बोर्ड में प्राचार्य के 3 पद ही स्वीकृत हैं। आवश्यकता से कम संख्या में प्राचार्य के पद उपलब्ध होने की दशा में श्रीमती नीरू श्रीवास्तव, मुख्य रसायनज्ञ को उनके मूल पद के साथ-साथ प्रशिक्षण केन्द्र, डालीगंज, लखनऊ का भी दायित्व सौंपा गया है।

एक प्राचार्य मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, कालपी, जालौन में तैनात है। एक मुख्य सरायनज्ञ गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला, डालीगंज, लखनऊ में तैनात है तथा एक मुख्य रसायनज्ञ विभागीय कार्यवाही में निलंबित है।

अधिकारियों की कमी के कारण जनहित में कतिपय अधिकारियों को उनके मूल पद के अतिरिक्त भी कार्य एवं दायित्व सौंपे गये हैं।

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारी एवं खाद्य निरीक्षकों को संक्रामक रोगों की रोकथाम हेतु फूड सैम्पलिंग प्रशिक्षण के कार्याधिकार की अभिसूचना जारी करने की मांग

59--श्री प्रदीप जैन आदित्य--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शहरी क्षेत्रों में संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए स्थानीय निकायों में कार्यरत 76 सफाई कर्मचारी एवं खाद्य निरीक्षकों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा अक्टूबर, 2000 में फूड सैम्पलिंग प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के बाद अभी तक सैम्पलिंग के कार्य अधिकार की अधिसूचना जारी कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त अधिसूचना कब तक जारी कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

स्थानीय निकायों में कार्यरत 76 सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों में से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली, 1955 के प्राविधानों के अन्तर्गत निर्धारित अर्हता प्राप्त कर्मियों को खाद्य निरीक्षक अधिसूचित किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

प्रदेश के परिवार कल्याण विभाग द्वारा दाई डिलीवरी किट की खरीद में घपला

60--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या परिवार कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2003-04 में परिवार कल्याण विभाग द्वारा सुरक्षित प्रसव कराने के लिए आपूर्ति की गयी 30 लाख दाई डिलीवरी किट की खरीद में लगभग 3 करोड़ रुपये अधिक भुगतान करने का आरोप लेखा परीक्षा विभाग की रिपोर्ट में लगाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त घपले की जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन--

प्रधान महालेखाकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-04 में परिवार कल्याण विभाग द्वारा 30.72 लाख डी0 डी0 किट की खरीद में 2.70 करोड़ रुपये का अधिक व्यय किये जाने की आपत्ति की गई है।

प्रधान लेखाकार को आपत्ति का उत्तर प्रेषित किया जा चुका है। आडिट आपत्ति के निस्तारण तक पृथक् से जांच कराने की सम्प्रति आवश्यकता नहीं है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना अन्तर्गत प्राप्त धनराशि एवं स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय विवरण

61--श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी0एम0जी0वाई0) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु पिछले तीन वर्षों में किन-किन योजनाओं हेतु कितनी धनराशि प्राप्त हुई तथा प्राप्त धनराशि को कहां-कहां और किन-किन स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय किया गया ?

श्री अहमद हसन--

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2001-02 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 24-12-01 द्वारा रु0 2825.50 लाख की धनराशि प्राप्त हुई । वित्तीय वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में अलग से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, अपितु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदेश के संसाधनों में एकजाई प्राप्त हुई है। प्राप्त धनराशि को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की अवस्थापना के सुदृढ़ीकरण पर व्यय किया गया है।

जनपद शाहजहांपुर के जिला अस्पताल के वेन्टीलेटर की व्यवस्था की मांग

62--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के जिला अस्पताल में वेन्टीलेटर की व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी नहीं। जनपद शाहजहांपुर में भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित ट्रामा सेन्टर में वेन्टीलेटर की व्यवस्था किये जाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार से धनराशि अवमुक्त होते ही ट्रामा सेन्टर स्थापित होने पर जिला चिकित्सालय शाहजहांपुर में वेन्टीलेटर की व्यवस्था की जायेगी।

प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत धनराशि

63--श्री राम करन आर्य--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को वर्ष 2004-2005 में दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु कितनी धनराशि स्वीकृति की गयी थी ? इसमें कितनी धनराशि वितरित की जा चुकी है तथा कितनी अभी शेष है ? शेष धनराशि कब तक वितरित कर दी जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद--

कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों की छात्रवृत्ति हेतु समेकित रूप से धनराशि का प्राविधान कराया जाता है और जिलों को भी समेकित रूप से धनराशि का आवंटन किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2004-05 में कुल रु0 43166.98 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसमें 35669.582 लाख धनराशि वितरित हो चुकी है।

इसमें से प्राथमिक विद्यालयों के लिए कितनी धनराशि वितरित की जा चुकी है, शेष धनराशि कब तक वितरित कर दी जायेगी, इसकी सूचना जिलों से प्राप्त की जा रही है।

जनपद गोरखपुर के वी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

64--राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के विभिन्न विभागों में एम0सी0आई0 के मानक के अनुरूप कितने शिक्षक होने चाहिए तथा इसके सापेक्ष कितने शिक्षक कार्यरत हैं ? क्या मंत्री जी मानक के अनुसार उक्त मेडिकल कालेज में शिक्षकों की तैनाती करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

एम0सी0आई0 मानक के अनुरूप मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 95 शिक्षक होने चाहिए। इसके सापेक्ष वर्तमान में लगभग कुल 48 शिक्षक कार्यरत हैं।

जी हां, चिकित्सा शिक्षकों को तैनात करने हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषत किये जा चुके हैं।

लोक सेवा आयोग द्वारा प्राप्त संस्तुतियों के कम में नियुक्तियां/तैनाती की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर महानगर क्षेत्र के गाजीरौजा तथा खोखरटोला में पीलिया के आक्रमण को रोकने के उपाय

65--राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर के क्षेत्र गाजीरौजा तथा खोखरटोला में बार-बार हो रहे पीलिया के आक्रमण को रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां। वर्ष 2004 में जनपद गोरखपुर के नगरीय क्षेत्रों में पीलिया एवं अन्य जल जनित रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु नगर निगम एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की गयी। पेयजल में क्लोरीन की उपलब्धता की जांच के लिये नियमित रूप से पेयजल के नमूनों के ओ0टी0 टेस्ट कराये गये हैं तथा पेयजल के नमूनों का जैविक परीक्षण जनपद गोरखपुर में स्थित प्रयोगशाला में किया गया। रोगियों के उपचार के लिये उपचार केन्द्रों में औषधियों एवं शैय्याओं की पर्याप्त व्यवस्था की गयी। माह जून, 2004 में पुरदिलपुर एवं रूद्रपुर तथा माह दिसम्बर, 2004 में खोखरटोला मोहल्ले में सचल चिकित्सा दलों ने भ्रमण कर/कैम्प कर रोगियों का उपचार किया एवं निरोधात्मक कार्यवाहियां सुनिश्चित की। रोग से बचाव के लिये क्या करें, क्या न करें की स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रीय जनता को दी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर देहात के जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा निराश्रित विधवा पेंशन वितरण में फर्जी चेक निर्गत करने के विरुद्ध जांच करायी गयी रिपोर्ट पर कार्यवाही की मांग

66--श्री संजीव दरियाबादी--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला प्रोवेशन अधिकारी, कानपुर देहात ने वर्ष 1998 में थाना कोतवाली कानपुर नगर में वाद सं0 357 सन् 1998 धारा संख्या 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत तत्कालीन वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक के विरुद्ध निराश्रित विधवा

पेंशन वितरण में फर्जी चेकें निर्गत कर अनियमितता एवं भ्रष्टाचार किये जाने के सम्बन्ध में प्राथमिकी (रिपोर्ट) दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसकी विभागीय जांच करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या जांच आख्या के आधार पर दोषी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

श्री उदय नारायण सचान, वरिष्ठ लिपिक के कारागार में निरुद्ध रहने के कारण तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया गया था तथा श्री सचान के विरुद्ध आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गयी है। जांच आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

67--श्री रामहेत--

[मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

प्रदेश के समस्त विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पांच वर्ष पूर्ण करने वाले सेवकों को उनके पैतृक विभाग वापस किये जाने के आदेश का क्रियान्वयन

68--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि कार्मिक विभाग के शासनादेश दिनांक 26 मई, 2003 द्वारा प्रदेश के समस्त विभागों में प्रतिनियुक्ति पर तैनात पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले सरकारी सेवकों को उनके पैतृक विभागों को वापस किये जाने के निर्देश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, उ0 प्र0, लखनऊ में कम्प्यूटर प्रोग्रामर/आई0डी0 पी0 ओ0 पद पर दस वर्षों से प्रतिनियुक्ति पर तैनात कनिष्ठ लिपिकों को उनके पैतृक विभाग व मूल पद पर वापसी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

निदेशक प्रशासन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आदेश दिनांक 2-3-1995 द्वारा श्रीमती ऊषा त्रिपाठी, कनिष्ठ लिपिक महिला चिकित्सालय, लखनऊ को कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर तैनात किया गया।

इसके उपरान्त तत्कालीन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांक 30-6-01 द्वारा श्रीमती ऊषा त्रिपाठी को दिनांक 05 मार्च, 1997 से कम्प्यूटर प्रोग्रामर के पद पर स्थायी किया गया। इस स्थिति में श्रीमती ऊषा त्रिपाठी को मूल विभाग में वापस किया जा सकता है अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में कार्मिक विभाग व न्याय विभाग का परामर्श प्राप्त किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगरीय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट मिट्टी के तेल के वितरण की जानकारी

69--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट कितना मिट्टी का तेल दिये जाने का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि नगरीय क्षेत्रों में

इन यूनिटों की संख्या वर्ष 2001 की जनगणना से अधिक हो गयी है ? क्या मंत्री जी इसकी जांच कराकर जनसंख्या के अनुरूप यूनिट बढ़ाये जाने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जिन कार्डधारकों के पास एल0पी0जी0 कनेक्शन है, उन्हें प्रतिकार्ड प्रतिमाह 03 लीटर तथा जिन कार्डधारकों के पास एल0पी0जी0 कनेक्शन नहीं है, प्रतिकार्ड प्रतिमाह 05 लीटर मिट्टी का तेल दिये जाने हेतु मानक निर्धारित है।

जी हां। वर्तमान में प्रदेश में ए0पी0एल0 (नगरीय एवं ग्रामीण) यूनिटों की संख्या 26921382 तथा बी0पी0एल0 व अन्त्योदय यूनिटों की संख्या 1,06,79,000 हो गयी है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बी0पी0एल0 तथा अन्त्योदय यूनिटों की संख्या भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

प्रदेश के जनपदों के विद्यालयों में पिछड़ी जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति के वितरण की जांच

70--श्री श्याम देव राय चौधरी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के कितने जनपदों के विद्यालयों में दिसम्बर, 04 तक पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं बांटी गयी ? क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सर्वे कराया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री महबूब अली)--

वर्तमान नीति के अनुसार प्रदेश के सभी जनपदों के शासकीय विद्यालयों, मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र/छात्राओं को उन्हें अनुमन्य दरों पर छात्रवृत्ति दी जा रही है। छात्रवृत्ति वितरण हेतु सरकार द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों को कुल रु0 5,70,27,66,000.00 की धनराशि अवमुक्त की गयी है। दिसम्बर, 04 तक रु0 3,45,97,61,000.00 (तीन अरब पैंतालिस करोड़ सत्तानबे लाख इकसठ हजार) की धनराशि वितरित कर 81,39,224 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया जा चुका है।

नियमित रूप से छात्रवृत्ति वितरण की समीक्षा की जा रही है तथा विभिन्न जनपदों में छात्रवृत्ति वितरण का वृहद् स्तर पर सत्यापन एवं जांच कराकर प्रदेश के सभी पात्र शिक्षण संस्थाओं में छात्रवृत्ति का वितरण सुनिश्चित कराया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की घोषणा

71--श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव--

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य सरकार की ओर से 200 रु0 मासिक अतिरिक्त मानदेय दिये जाने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो क्या इसका शासनादेश जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी--

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर, विकास खण्ड जहांगीरगंज के ग्राम पंचायत बलरामपुर में अपात्र व्यक्तियों के राशन कार्डों का निस्तारण

72--श्री जयराम विमल--

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत बलरामपुर, विकास खण्ड जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकर नगर में अपात्र व्यक्तियों को अन्त्योदय अन्न योजना का राशन कार्ड उपलब्ध कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उनकी पात्रता की जांच कराकर पुन: पात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड उपलब्ध करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया--

जी हां।

सम्बन्धित कर्मियों की लापरवाही से अपात्र व्यक्तियों को प्रश्नगत राशन कार्ड निर्गत किये गये। अपात्र व्यक्तियों को निर्गत समस्त राशन कार्डों को निरस्त कर दिया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर से आये मरीजों की संख्या

73--डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 में गोरखपुर मेडिकल कालेज में मस्तिष्क ज्वर के कितने मरीज आये उसमें मरने तथा विकलांग होने के कितने मामले प्रकाश में आये ? क्या सरकार गोरखपुर में वाईरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना करेगी तथा गोरखपुर, महराजगंज, कुशीनगर, देवरिया में मस्तिष्क ज्वर के लिए सर्व टीकाकरण अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 में मस्तिष्क ज्वर से आये हुए मरीजों तथा उनमें से मरने तथा विकलांग होने वाले मरीजों की स्थिति निम्नवत् है :--

वर्ष	मस्तिष्क ज्वर के कुल रोगी	मृतकों की कुल संख्या	विकलांग हुए मरीजों की कुल संख्या
2002-03	540	127	14
2003-04	952	191	20
2004-05	876	215	17

गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। टीकाकरण अभियान का संचालन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है और वर्तमान में इस अभियान के अन्तर्गत दो अति संवेदनशील जनपद यथा--गोरखपुर एवं कुशीनगर को आच्छादित किया गया है।

जनपद बुलन्दशहर के विद्यालयों में छात्रों को छात्रवृत्ति के वितरण की जानकारी

74--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जूनियर माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति मद में जनपद बुलन्दशहर में 2003-04 में कितनी धनराशि दी गयी है ? क्या उक्त छात्रवृत्ति का वितरण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2003-04 में जूनियर माध्यमिक, प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के अनुसूचित जाति के छात्रों की छात्रवृत्ति मद में 693.55 लाख रुपये की धनराशि दी गयी है।

जी हां।

माह जून, 2004 तक।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड शिकारपुर में वृद्धावस्था पेंशन के प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण

75--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर में वर्ष 2002-2003 व 1 अप्रैल, 2003 से 31 दिसम्बर, 2004 तक कुल कितने लोगों के प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन हेतु प्राप्त हुए तथा उनमें से कितने प्रकरणों को निस्तारित करके लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है ? शेष का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अवधेश प्रसाद--

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड शिकारपुर के वर्ष 2002-03 व 1 अप्रैल, 2003 से 31 दिसम्बर, 2004 तक कुल 525 प्रार्थना-पत्र वृद्धावस्था पेंशन के प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 391 प्रकरणों को निस्तारित करके लोगों को वृद्धावस्था पेंशन स्वीकार की गयी है।

शेष का निस्तारण निर्धारित लक्ष्य में रिक्त की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बुलन्दशहर में कुत्ता काटने तथा सर्प काटने के इलाज के इन्जेक्शन व दवायें उपलब्ध कराने की मांग

76--श्री मुंशीलाल गौतम--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर में कुत्ता काटने तथा सर्प काटने के इलाज के इन्जेक्शन व दवायें सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? उक्त दवायें मरीजों को किस आधार पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

केन्द्रीय औषधि भण्डार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा वर्ष 2004-05 में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को कुत्ता काटने का इन्जेक्शन क्रमश: 3252 वायल एवं 1404 वायल उपलब्ध कराया गया है। जिला चिकित्सालय, बुलन्दशहर में सर्प काटने का इन्जेक्शन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

कुत्ता काटने व सर्पदंश की दशा में इन्जेक्शन लगाया जाता है।

प्रदेश में वर्ष 2004 एवं 2005 में ग्रामीण इलाकों में राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने की मांग

77--श्री जियाउद्दीन रिजवी--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2004 एवं 2005 में ग्रामीण इलाकों में शासन द्वारा नये राजकीय आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोलने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश में कितने नये आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

चालू वित्तीय वर्ष में 75 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं 134 राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय खोले जाने का प्रस्ताव था, किन्तु बजट व्यवस्था न हो पाने के कारण नये राजकीय आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जाना सम्भव नहीं है।

मलेरिया विभाग में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धन की जानकारी

78--श्री भारतेन्द्र सिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण महानिदेशालय, लखनऊ द्वारा स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है ? यदि हां, तो विगत वर्षों में मलेरिया विभाग की समीक्षा की गयी। यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मलेरिया विभाग में राज्य व केन्द्र सरकारों द्वारा अप्रैल, 2002 से अब तक कितना धन उपलब्ध कराया गया और उसमें से कितना धन उपयोग में लाया गया तथा कितना धन सरकार को वापस किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां।

जी हां।

सीमित संसाधनों में कार्यक्रम का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया गया है। मलेरिया विभाग के लिये राज्य एवं केन्द्र सरकारों द्वारा अप्रैल, 2002 से अब तक उपलब्ध कराये गये धन का विवरण निम्नवत् है :--

वर्ष	राज्यांश में अवमुक्त राशि	राज्यांश में व्यय राशि	राज्यांश में सरकार को वापस राशि	केन्द्रांश के सापेक्ष आपूर्तिक सामग्री की राशि
2001-02	7.00	7.00	00	7.00
2002-03	10.50	10.1537	0.3463	10.54
2003-04	10.50	10.15	0.35	5.57
2004-05	10.50	1.95132	--	8.50

मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किये जाने की जानकारी

79--श्री भारतेन्द्र सिंह--

क्या अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुरादाबाद मण्डल में अल्पसंख्यक कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000 से अब तक प्रतिवर्ष कितना-कितना धन लाभार्थियों को उपलब्ध कराया गया ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि ब्याज रहित शैक्षिक ऋण योजना के अन्तर्गत कितने पात्र अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

हाजी याकूब--

सूचना एकत्र की जा रही है।

अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के पद पर वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी को तैनात करने की मांग

80--श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अधीक्षक, राजकीय आयु0 एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ के पद पर कनिष्ठ चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चिकित्साधिकारी के स्थान पर वरिष्ठतम् चिकित्साधिकारी को तैनात करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र सिंह बुन्देला--

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा नियमावली, 1990 में अधीक्षक का पद लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सीधी भर्ती का पद है। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, लखनऊ में अधीक्षक का पद रिक्त है, जिसे लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है। स्थानीय व्यवस्था में उक्त रिक्त पद के विरुद्ध डा0 भोला नाथ मिश्र को कार्यवाहक रूप में तैनात कर उनसे काम लिया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उपरोक्तानुसार।

आज की कार्य सूची के नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न संख्या 16 का विभाग परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आज की कार्य सूची के नत्थी (ख) में ता0 प्रश्न सं0 16 लगा है। विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में मैंने प्रश्न किया था कि क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम पर रामपुर में एक विश्वविद्यालय खोलने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इस विश्वविद्यालय को खोलने के क्या कारण हैं तथा इसमें कितने संकाय विभाग होंगे ? आदि-आदि। मान्यवर, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा में आता है। यह विषय उच्च शिक्षा का है फिर इस प्रश्न को अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ-2 में क्यों परिवर्तित कर दिया गया। मैं अपनी जानकारी के लिए आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--

हम दिखवा लेंगे। आप लिखकर दे दें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मन्त्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि यह तो आप अवश्य दिखवा लें कि यह उच्च शिक्षा में आता है या अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ में। जिसमें आता हो उसमें जायेगा। लेकिन जो सबसे दुखद विषय है कि एक विश्वविद्यालय की स्थापना मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम से हो रही थी। उस पर कुछ दलों को बड़ा कष्ट है, इस नाम से भी बड़ी शिकायत है और इतने बड़े फ्रीडम फाइटर के नाम से शिकायत है जिनकी मां को जब यह पता चला कि मेरे दोनों बेटे जौहर अली और शौकत अली अंग्रेजों से माफी मांगकर जेल से बाहर आने वाले हैं तो उन्होंने बड़ी खुसूसियत से नमाज़ अदा की और अम्मा और बी अम्मा ने दुआ मांगी कि मैंने यह सुना है कि मेरे दोनों बेटे अंग्रेजों से माफी मांग कर जेल से बाहर आने वाले हैं। मेरे हाथों को यह ताकत दें कि मैं उनका गला दबाकर उनको हलाक कर दूं। ऐसी शख्सियत के नाम से बनने वाले विश्वविद्यालय का यह राजनैतिक दल मुखालफत कर रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

मैंने तो एक जानकारी चाही थी। अगर डिस्कशन करना है तो कर लें।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

जो भी राजनैतिक दल इस नाम से मुखालफ़त कर रहे हैं, उस पर बड़ा कष्ट है। कोई भी प्राथमिक विद्यालय बने, इण्टरमीडिएट कालेज बने, डिग्री कालेज बने, विश्वविद्यालय बने लेकिन यह मानसिकता कब खत्म होगी कि यह पूछा जाय कि इसके बनने के पीछे मंशा क्या है ? यह दो एक दल ही पूछ रहे हैं कि मंशा क्या है ? आपकी जानकारी के लिये बता दूं कि भारत सरकार से लिखकर आया है। मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिर्सोसेज से लिखकर आया है, मैं अध्यक्ष जी को वह पत्र दे दूंगा जिसमें यह पूछा है कि इस विश्वविद्यालय के बनने की मंशा क्या है ?

डा0 सुशील चौधरी--

मान्यवर, मैं प्रश्न करूँ।

श्री अध्यक्ष--

नहीं प्रश्नों का समय तो समाप्त हो गया है।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बोल रहा हूं और मैं यह चाहता हूं कि कोई विश्वविद्यालय जब बनता है चाहे वह किसी के नाम से हो या बेनामी हो, जो मंशा केन्द्र सरकार के पूछने की है, वाकई पता लगवाया जाय कि वास्तव में कहीं इसमें आई0 एस0 आई0 की ट्रेनिंग देने का सेन्टर, देशद्रोहियों को ट्रेनिंग देने का सेन्टर या कोई अलग देश बनाने के लिये ट्रेनिंग देने का सेन्टर तो नहीं बन रहा है, कहीं ऐसी मंशा तो नहीं है भारत सरकार के पूछने की, यह भी पता लगवाया जाय।

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम के निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 15 फरवरी, 2005 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 फरवरी, 2005 से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप से जाने की सिफारिशें की है :--

1--दिनांक 21 फरवरी, 2005 को सदन का उपवेशन न रखा जाय।

2--दिनांक 16 फरवरी से 27 फरवरी, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :--

फरवरी, 2005

16 बुधवार	1--श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा। **2--5.00 बजे अपराह्न** वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतिकरण।
17 गुरुवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
18 शुक्रवार	वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।
19 शनिवार 20 रविवार 21 सोमवार 22 मंगलवार	बैठक नहीं होगी।
23 बुधवार	**1-11.00 बजे पूर्वान्ह** 1--वित्तीय वर्ष 2005-2006 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण। 2--असरकारी दिवस (आधा दिन)।
24 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
25 शुक्रवार	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा (अन्तिम दिन)।
26 शनिवार 27 रविवार	बैठक नहीं होगी।

3--दिनांक 28 फरवरी से 29 मार्च, 2005 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम पूर्ववत् रहेगा।

श्री अध्यक्ष--

कार्य मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 16 फरवरी, 2005 को हुई अपनी बैठक में यह सिफारिश की है कि आज के उपवेशन में शून्य प्रहर में नियम 301 की सूचनाओं के अतिरिक्त और कोई सूचना न ली जाय।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा दी गई है, सहमत है।"

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 फरवरी, 2005 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह 'मोती सिंह' की है। दूसरी सूचना श्री मुंशी लाल गौतम की है। तीसरी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की है। चौथी सूचना श्री काली चरन राजभर की है। पांचवी सूचना श्री मदन चौहान की है। छठी सूचना श्री राम हेत की है। सातवीं सूचना श्री राम किशुन की है। आठवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की है। उपरोक्त सभी स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गई।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की कई उनके नाम निम्नवत् हैं--श्री प्रभुदयाल एवं श्री कौशल किशोर।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी क्षेत्रान्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री की घोषणा सं0 70/01 के परिपालन हेतु वांछित धनराशि अवमुक्त कर समयबद्ध कार्य पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अनतर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ "मोती सिंह"--

[मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ के लिए घोषणा सं0 70/01 तथा एक घोषणा और की गयी थी, जिसको अभी तक घोषणा सं0 70/01 से जोड़ा नहीं गया है जो विभिन्न निर्माण कार्य, नामकरण, पेयजल सहित शिक्षा सम्बन्धी कार्यों से जुड़ा है। खेद है कि घोषणा सं0 70/01 के बहुत से कार्य को शासनादेश का स्वरूप नहीं दिया जा सका है और जिनकी स्वीकृतियां जारी की गयी हैं उनका अवशेष धन भी अवमुक्त नहीं किया गया है जिससे वर्ष 2001 से आज तक प्रारम्भ किया गया कार्य अपूर्ण है और कुछ कार्य स्वीकृत होने के बाद भी धनाभाव के कारण प्रारम्भ नहीं किये गये हैं, जिससे मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध अवधि में सुनिश्चित किये जाने की चिन्ता सम्बन्धित विभाग द्वारा नहीं की गयी। इसी प्रकार मेरे द्वारा प्रस्तुत अनुरोध का तीसरा पत्र जिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा अंकित है को आज तक घोषणा सं0 70/01 से जोड़कर विभागों को उसे पूर्ण किये जाने हेतु सूचित नहीं किया गया है। मेरे विचार से यह भी मा0 मुख्य मंत्री जी की मेरे पत्र पर अंकित घोषणा का अपमान है, जब मुख्य मंत्री जी द्वारा घोषणा करते हुए मेरे पत्र पर आदेश दे दिये गये तो उसे पूर्ण किये जाने की सूचना सम्बन्धित विभागों को न भेजे जाने में कहीं न कहीं उनके

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सचिवालय के उत्तरदायी अधिकारी द्वारा गहरी चूक की गयी है, जिसे तत्काल पूर्ण किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देश की आवश्यकता है तथा प्रारम्भ कार्य पर अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने तथा जो प्रारम्भ नहीं है और स्वीकृत है उस पर वांछित धनराशि देते हुए समयबद्ध कार्य पूर्ण किये जाने और जो स्वीकृत नहीं है उसे तत्काल स्वीकृत किये जाने हेतु आदेश दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः लोक महत्व से जुड़े जनहित के विषय जो अविलम्बनीय और तात्कालिक भी हैं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए समस्त कार्यों को पूर्ण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के शिकारपुर क्षेत्रान्तर्गत शिकारपुर से महमूदपुर होते हुए नाले की काली नदी तक सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुंशी लाल गौतम--

[मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, जनपद बुलन्दशहर की नगरपालिका शिकारपुर के पास की काफी जमीन जलमग्न रहती है। शिकारपुर-पहासू रोड मोहल्ला चैनपुरा से लेकर सिनेमाहाल तक काफी पानी भरा रहता है जिससे एक पोखर का रूप धारण कर चुका है। बरसाती नाला शिकारपुर से करेना होता हुआ काली नदी में पड़ता है उसकी सफाई न होने के कारण पूरे नगर का पानी नगरपालिका में ही रुका रहता है जिससे काफी गन्दगी का वातावरण बना रहता है। भरे हुए पानी में कीड़े-मकोड़े तथा जहरीले सांप निवास करते हैं। कोई भी महामारी किसी भी समय फैल सकती है। इसलिए शिकारपुर से महमूदपुर होता हुआ नाला शिकारपुर विकास खण्ड के सामने से होकर इस नाले को काली नदी तक सफाई करवाने की व्यवस्था की जाये।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर आदरणीय सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकर्षण करते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के आंवला क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत गौठिया, डालचन्द में ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुरूप ही विद्यालय बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह--

[महोदय, शासन के निर्देश द्वारा जिला पंचायतों में समितियों का गठन किया गया है जिसमें एक जिला शिक्षा समिति है। जिला शिक्षा समिति की बैठक में विद्यालयों की स्थापना एवं आवंटन विधान सभा अनुसार हुआ और यह भी निर्णय हुआ कि जिस जनप्रतिनिधि की जो विधान सभा है उसमें वे ही उन विद्यालयों का शिलान्यास अथवा उद्घाटन करेंगे, अधिकारियों को निर्देश भी दिये गये। उसी निर्णयानुसार मैंने अपनी विधान सभा 32, आंवला, जनपद बरेली में ग्रा0 पं0 गौंटिया, डालचद्र में ग्रा0 पं0 के प्रस्तावनानुसार शिलान्यास कर दिया। ग्राम प्रधान ने रुपया निकाल कर उसी ग्राम के प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक श्री गुप्ता को भट्टे पर जमा करने हेतु दे दिये। उक्त जू0 हा0 स्कूल निर्माण हेतु बेसिक शिक्षा अधिकारी, बरेली ने भी उक्त गांव में ही बनाने के आदेश दिये। परन्तु सहायक अध्यापक श्री गुप्ता ने उसे उसी ग्रा0 पं0 के मजरे ग्राम गिरधरपुर में बनवाना शुरू कर दिया। मैंने उसे जिलाधिकारी, बरेली से कहकर रुकवा दिया है। शासन की भी मंशा रहती है कि विकास कार्यों में स्थानीय विधायकों की सहभागिता रहे। सरकारी कर्मचारी द्वारा ग्रा0 पं0 के प्रस्ताव व जनप्रतिनिधि की इच्छा के विपरीत विद्यालय भवन का नवीन निर्माण नियमों के भी प्रतिकूल है। परन्तु खेद का विषय है कि जनहित के कार्यों में सरकार उदासीन है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि ग्रा0 पं0 के प्रस्तावानुसार बन रहे विद्यालय के बनवाने का निर्देश जारी करेंगे ताकि जनप्रतिनिधि की सहभागिता विकास कार्यों में बनी रहे।]

जनपद गाजीपुर के जहूराबाद क्षेत्रान्तर्गत जहूराबाद से बाराचेवर मार्ग का पुनर्निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के सम्बन्ध में सूचना

श्री काली चरन राजभर--

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जो मार्ग जहूराबाद बाजार से बाराचेवर ब्लाक मुख्यालय तक जाती है काफी जर्जर हालत में है। यह मार्ग आर0 इ0 एस0 विभाग के अन्तर्गत आता है, अधिकारियों से मरम्मत की बात होती है तो अधिकारी यह कहकर पल्ला झाड़ने का काम करते हैं कि यह रोड आर0 इ0 एस0 विभाग में है, इसमें पैसा नहीं आता है। मार्ग खराब होने के कारण लोगों में आक्रोश तथा दु:ख व्याप्त है।

अत: इस लोक महत्व की अविलम्बनीय मांग को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को आर0 इ0 एस0 से परिवर्तन कर पी0 डब्लू0 विभाग में करके मरम्मत कराने का कष्ट करें।]

जनपद गौतमबुद्ध नगर में नोयडा प्राधिकरण द्वारा बिना भूमि अधिग्रहीत किये ग्रामवासियों के घरों को तोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान--

[मान्यवर, नोएडा प्राधिकरण के द्वारा जो भूमि अभी तक अधिग्रहीत नहीं की गई है, न ही धारा 4, 9 की प्रक्रिया हुई है, न कोई भुगतान किया गया है। तब किस प्रकार से ग्राम के पुश्तैनी किसानों व आम जन नागरिकों के रिहायशी मकानों को तोड़ा जाना बिल्कुल संविधान व लोकतंत्र की मर्यादा के विरुद्ध है, तथा इस प्रकार की जितनी कार्यवाही प्रक्रिया में है, उसे पहले सीमांकन निश्चित करके तय किया जाना जनहित व पुश्तैनी गांव वालों के हित में है।

अत: इस कार्यवाही पर जो प्राधिकरण नोएडा द्वारा की जा रही है। पूर्णतया रोक लगनी चाहिये। अत: मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करके चर्चा हेतु बोलने व विषय को ठीक प्रकार से रखने के लिये समय देने की कृपा करें। यह प्रश्न लाखों नागरिकों व घरों के आवासों से जुड़ा अविलम्बनीय व लोक महत्व का है। अत: स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जनपद सीतापुर के हरगांव क्षेत्रान्तर्गत अखियां तिराहा से सेमरांवा तक क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामहेत--

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सीतापुर के हरगांव महोली से बड़ागांव मिचोली मार्ग जो गैर जिला मार्ग है, ग्राम ढखिया तिराहा से सेमरांवा तक अत्यन्त क्षतिग्रस्त एवं जीर्ण-शीर्ण दशा में है, रोड पर बड़े-बड़े गड्ढे होने के कारण वाहन पलट जाते हैं तथा दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं लोगों की जाने चली जाती हैं। आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं। आवागमन में काफी असुविधा व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता को काफी दिक्कतों का समाना करना पड़ रहा है। यदि अखियां तिराहा से सेमरांवा तक क्षतिग्रस्त रोड की मरम्मत करा दी जाये तो आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, और जन सामान्य को दुर्घटनाओं से होने वाली जान-माल की क्षति को बचाया जा सकता है।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतएव इस अविलम्बनीय लोक हित महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए हरगांव महोली रोड से मिर्चोली (लखीमपुर खीरी) जाने वाली क्षतिग्रस्त रोड की विशेष मरम्मत व गड्ढा मुक्त सड़क बनाये जाने की मांग करता हूं।]

रामनगर (चन्दौली) के सामने गंगाघाट पर पुल बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम किशुन--

[महोदय, वाराणसी महानगर की बढ़ती जनसंख्या के फलस्वरूप यातायात की भीषण समस्या उत्पन्न हो गयी है। वाराणसी महानगर से रामनगर चन्दौली आने के लिये कोई सुगम मार्ग न होने से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मालवीय ब्रिज ही एक मात्र सहारा है। यह पुल भी अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। रामनगर का बहुत ऐतिहासिक महत्व रहा है। रामनगर के दूसरी तरफ काशी हिन्दू विश्वविद्यालय स्थित जिसमें से हजारों छात्र रोज इस पार आते हैं। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में एशिया स्तर का हास्पिटल है जिसमें से काफी मरीज व उनके रिश्तेदारों का आना-जाना लगा रहता है। एक मात्र मालवीय ब्रिज से जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है, शहर की बढ़ती आबादी का घनत्व सहने की स्थिति में नहीं है। अतः विकल्प के लिये एक दूसरे पुल की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाते हुए अति लोक महत्व विषय जो गंगा नदी पर रामनगर से सामने घाट पर पुल बनाने से सम्बन्धित है, चर्चा कराने का अनुरोध करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के मेंहनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा वेलऊ में सड़क की पटरी के दोनों ओर पक्की नाली बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विद्या चौधरी--

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत आजमगढ़-जौनपुर मार्ग गम्भीरपुर बाजार से होते हुए वेलऊ तक पिच कार्य पूर्ण हो चुका है लेकिन ग्राम सभा वेलऊ के दोनों तरफ सड़क इतनी ऊंची हो गयी है कि बरसात का पानी घर में चला जाता है। वैसे भी पानी बहाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। जनता की मांग है कि सड़क के पटरी के दोनों तरफ पक्की नाली बनवाया जाये। इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय एवं लोकहित के महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नाली निर्माण किये जाने की तत्काल मांग करती हूं।]

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 में नियम 301के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 (दिनांक 08 नवम्बर, 2004 से 30 नवम्बर, 2004 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (बारहवां संस्करण) के निदेश संख्या 14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट : † छापा नहीं गया।

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ‡

श्री अध्यक्ष--

संसदीय कार्य मंत्री जी कल प्रस्ताव रखा आपने पक्ष प्रस्तुत नहीं किया। उस समय समर्थक भी नहीं बोले क्या वह बोलेंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

हम रख दें।

श्री अध्यक्ष--

उनकी जगह पर नेता विरोधी दल बोलेंगे।

आज की कार्य सूची नियम 56 व 300 की सूचना कल लिए जाने का अनुरोध।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

श्रीमन्, नियम 300 और नियम 56 के बारे में क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष--

निरस्त हो गया। नियम 51के समय आप अपनी बात कहिएगा।

डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी--

कृपापूर्वक आप व्यवस्था दे दें आज जो नियम 56 में स्वीकार हुआ है वह कल ले लेंगे तो निर्णय की प्रक्रिया से बचा जा सकेगा।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष--

जो प्रस्तावक होते हैं उसके बाद नेता विरोधी दल बोलते हैं। प्रस्तावक ने प्रस्ताव रख दिया वह बोले नहीं।

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)--

मैं समर्थन कर देता हूं।

मान्यवर, मैं प्रस्ताव के समर्थन में बोल लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव के बाद संशोधन रखा जाता है जो नेता विरोधी दल की तरफ से रखा जाता है। नेता विरोधी दल के बाद आप बोल लीजिएगा।

(श्री छोटे लाल यादव के खड़े होने और न बोलने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री छोटे लाल जी आ गये हैं लेकिन वह नहीं बोलना चाहते हैं इसलिए नेता विरोधी दल संशोधन प्रस्तुत करें।

*नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से संशोधन पेश करता हूं, 'किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है', यह जो विषय दिये गये हैं, उनको कार्यवाही का भाग मान लिया जाये।

(शेष संशोधनों के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृ0 129--150 पर।)

नोट : ‡ दिनांक 15 फरवरी, 2005 की कार्यवाही से।

*नोट :--वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[1--प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें तथा जनता में व्याप्त भय और आतंक के सम्बन्ध में,

2--प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त विद्युत् व्यवस्था को ठीक किये जाने के सम्बन्ध में,

3--हर व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिये किसी कार्य योजना के सम्बन्ध में,

4--प्रदेश में गन्ना कृषकों को मिलों द्वारा नकद भुगतान करने एवं गन्ना मूल्य बढ़ाकर देने के सम्बन्ध में,

5--छात्रों द्वारा आत्मदाह करने के सम्बन्ध में

6--पूर्व में लगे टर्नओवर कर का नाम बदलकर विकास कर लगाकर आवश्यक उपयोग की वस्तुओं के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि के सम्बन्ध में,

7--किसानों को नलकूपों के कनेक्शन देने के सम्बन्ध में,

8--देहाती क्षेत्रों में यातायात का साधन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में,

9--सहकारी समितियों के निर्वाचन में सरकार द्वारा करायी गयी धांधली के सम्बन्ध में,

10--प्रत्येक आदमी को रोजगार देने तथा बेरोजगारों को रोजगार भत्ता देने के सम्बन्ध में,

11--आम आदमी को रोजगार और तरक्की देने हेतु नये-नये उद्योग धन्धे लगाने के सम्बन्ध में,

12--जनता को सुरक्षा तथा आत्म सम्मान की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

13--जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण एवं वायु प्रदूषण से जन सामान्य को हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए इसे रोकने की योजना के सम्बन्ध में,

14--सरकार द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची रोकने के सम्बन्ध में,

15--सरकारी कर्मियों को पहले मिल रही सहूलियतों में कमी के बाद उनमें व्याप्त असंतोष से पैदा हो रहे गतिरोध के सम्बन्ध में,

16--केन्द्र के समान राज्य कर्मचारियों के मूल वेतन में महंगाई भत्ता के 50 प्रतिशत को सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में,

17--किसी मानक या नीति के बगैर लगातार किये जा रहे तबादलों से प्रभावित हो रहे काम-काज के सम्बन्ध में,

18--बाल मजदूरी व बंधुआ मजदूरी को समाज का नासूर मानते हुए इस पर पाबन्दी लगाने के सम्बन्ध में,

19--बेघर और बेसहारा लोगों को बसाने और उन्हें अच्छी जिन्दगी गुजारने की गारन्टी के सम्बन्ध में,

20--सरकार द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिये आवंटित धन को पूरी तरह उसी काम में लगाने के सम्बन्ध में,

21--महिलाओं का उत्पीड़न व अत्याचार रोकने की ठोस कार्य योजना के सम्बन्ध में,

22--हर किसानों को समय पर बीज, फसल, पानी एवं खाद का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के सम्बन्ध में,

---

नोट :--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

23--समाज के हर वृद्ध और विकलांग को अनिवार्य रूप से पेंशन देने के सम्बन्ध में,

24--नकली और घटिया शराब के कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगाने तथा जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में,

25--प्रदेश में नहर की सफाई तथा सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करने के सम्बन्ध में,

26--अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को अनिवार्य छात्रवृत्ति दिये जाने के सम्बन्ध में,

27--पुलिस द्वारा जुल्म और उत्पीड़न की जांच की प्रक्रिया को बदलकर पुलिस उत्पीड़न की जांच पुलिस द्वारा ही न कराकर किसी अन्य विभाग से कराये जाने के सम्बन्ध में,

28--हर परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी की गारन्टी देने के सम्बन्ध में,

29--प्रदेश में नकली, मिलावटी, घटिया स्तर तथा स्मगलिंग के जरिये होने वाली खरीद-फरोख्त को पूरी तरह से बन्द करने के सम्बन्ध में,

30--प्रदेश में हो रही नकली दवाइयों की खरीद-फरोख्त रोकने के सम्बन्ध में,

31--हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलने की गारन्टी के सम्बन्ध में,

32--बेरोजगारी को देखते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पुन: सेवा में किसी भी स्थिति में नहीं लिये जाने के सम्बन्ध में,

33--पुलिस द्वारा व्यापारियों का उत्पीड़न करके लोकतन्त्र की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में,

34--शासन द्वारा की जा रही नियुक्तियों में खुले आम घूस लेने के सम्बन्ध में,

35--भ्रष्टाचार में व्याप्त एवं घूस लेने वाले अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

36--मिलावटी खाद्य पदार्थ की बिक्री को न रोक पाने के सम्बन्ध में,

37--मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच में हो रही शिथिलता बरतने के आरोपी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में,

38--खाद्य पदार्थ जिनमें दुग्ध उत्पाद, तेल उत्पाद एवं अन्य जिन्सों की नियमित जांच न कराये जाने के सम्बन्ध में,

39--पशुपालन, परिवहन एवं अन्य विभागों में समूह "ग" के महत्वपूर्ण पदों पर केवल साक्षात्कार पर भर्ती कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में,

40--विशिष्ट बी0टी0सी0 चयन प्रक्रिया/नियुक्ति में धांधली के सम्बन्ध में,]

श्री जगदम्बिका पाल--

मान्यवर, संशोधन तो सभी एक साथ रखे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष--

नेता विरोधी दल संशोधन रख देते हैं तो शेष संशोधन रखे मान लिए जाते हैं यह तो एक परम्परा रही है। जब नेता विरोधी दल ने संशोधन रख दिया हो तो सब की तरफ से रखा माना जाता है।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण एक ऐसा डोकूमेंट होता है जो पिछले साल की उपलब्धियों, वर्तमान और आगामी साल में सरकार के लक्ष्य, इनके ऊपर विशेष रूप से फोकस होता है जिससे जाना जाता है कि आगामी सत्र में हम किधर जायेंगे, बजट के बाद प्रदेश में विकास और अन्य कार्य कैसे होंगे। इसमें तो अधिकांश वह हैं, जिनकी कई बार घोषणाएं हो चुकी हैं। अभिभाषण में वही घोषणायें शामिल हैं जिनका क्रियान्वयन नहीं हुआ है और अगले वर्ष के लिए भी वही घोषणायें शामिल हैं। अगर इसका असर पूरे कार्यकाल के लिए होता तब भी यही घोषणायें जारी रहतीं। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उल्लेख है कि '18 माह के अल्प समय में' इतने कम समय में कुछ किया नहीं जा सकता है। मान्यवर, 18 माह में जो फैमिली प्लानिंग पर विश्वास न करते हों, दो बच्चे पैदा कर सकते हैं।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आज़म खां)--

यह खुशी की बात है कि नेता विरोधी दल का दिल अभी तक जवान है।

श्री लालजी टण्डन--

आपको देखकर तो आ ही जाता है।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

यह तो रामपुर वालों का है, आपको कैसे आ गया ?

श्री लालजी टण्डन--

रामपुर वाले जब लखनऊ आते हैं तो वह उलट जाता है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है लेकिन टण्डन जी के बारे में एक नई जानकारी मिल गई है, उनकी क्षमता के बारे में।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

आप बुला लीजिए, क्षमता पता चल जायेगी।

श्री लालजी टण्डन--

हमारे मित्र हैं, हमसे सामना नहीं पड़ा है।

(कई सदस्यों की एक साथ हंसी गूंजी)

मान्यवर, यह चर्चा, अभिभाषण, सदन यह सब संविधान में दिया है।

मान्यवर, लेकिन इसमें हुआ क्या है ? दो-दो बार पार्लियामेंट के इलेक्शन काउन्टरमान्ड हुए। पंचायतों के चुनाव में जो धांधली चल रही है, मैं बताना चाहता हूं कि यह निष्पक्ष नहीं होगा। अभी कोआपरेटिव के चुनाव हुए हैं। डी0 एम0 बुला-बुलाकर लोगों को धमकाकर नाम वापस लेने को मजबूर कर रहे हैं, अयोग्य घोषित कर रहे हैं। यह बात सदन में आये कि यह क्या हो रहा है। सारी ब्यूरोक्रेसी को गुलाम बनाकर रख दिया है। सरकारें आती-जाती हैं लेकिन उन्हें पूरी सर्विस करनी पड़ती है। अगर यह गलत काम करने की पराकाष्ठा करेंगे। जो नहीं करेंगे तो वह इलाहाबाद भेज दिये जायेंगे जहां बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, गाड़ी नहीं होगी।

एक सदस्य--

आगरा भेज दिये जायेंगे।

श्री लालजी टण्डन--

आगरा भेजें, बरेली भेजें, रामपुर भेजें। अगर रामपुर भेजेंगे तो मारे जायेंगे। अभी वहां पर घटना हुई है कि वहां पर लोगों ने इंजीनियर को मारा है। मैंने कई बार कहा है कि आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। मैंने लिखकर भेजा है कि मुझे आंकड़े दें। यह पहली सरकार है कि नेता प्रतिपक्ष को सरकारी अधिकृत आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। अगर आंकड़े नही मिलेंगे तो हम समाचार-पत्रों या अन्य सूचनाओं को पेश करेंगे। अगर सरकार आंकड़े पेश करेगी तो हम कहेंगे कि झूठ है। क्योंकि जो आंकड़े हमको नहीं मिल सकते हैं वह आपको कैसे मिल सकते हैं। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी को विकास में इतना समय देना पड़ रहा है कि उन्हें जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं है। यह पहली बार हो रहा है कि आप ही के दल के विधायक ने दम तोड़ दिया। वह आपसे मिलने के लिए आया लेकिन आप नहीं मिले। क्रोध में आकर वह मर गया। कानपुर में एक छोटा सा उद्योग था, उसकी जमीन पर कब्जा हो रहा था। वह सब जगह गया लेकिन कोई रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं। यहां मुख्यमंत्री जी से मिलने को दिन भर पड़ा रहा। यह सही है कि बाद में उसकी जमीन वापस मिल गयी लेकिन उसके ऊपर तो....

मा0 मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष को बोलने से बीच में नहीं रोकता अगर यह ऐसी असत्य बात नहीं करते। मैंने उन्हें बुलाया था, उन्हें अपने कालीदास मार्ग स्थित घर में बुलाकर बात की है। जो उन्होंने मांग की वह किया। उन्हें सुरक्षा दी, उनकी बात सुनी। इसलिए नेता विरोधी दल इन सारी छोटी-मोटी चीजें जो कान से भरी जाती हैं आप अनुभवी हैं इनसे दूर रहें। जानकारी सही रखें।

श्री लालजी टण्डन--

मैंने कहा कि मुख्य मंत्री जी ने उनकी जमीन वापस कर दी।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मैंने ही बुलाया था।

श्री लालजी टण्डन--

तो फिर वह यहां आपसे मिलने को तरसता रहा, बाद में वह लौट गया। तब मुख्य मंत्री जी ने बुलाकर बात की। लेकिन उसके बाद टेन्शन में दम तोड़ दिया।

श्री मुलायम सिंह यादव--

वह यहां से प्रसन्न होकर गये हैं। मुझे पकड़कर उन्होंने कहा कि ऐसा कहीं न्याय नहीं होता जैसा न्याय यहां मिला है। आप बिना पूरी जानकारी के बोल रहे हैं। अन्दाजे में न बोलिये।

आप अंदाज मत लगायें। उन्होंने यह कहा था कि ऐसा न्याय मुझे कहीं नहीं मिला।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, मैंने यह कहा है कि मुख्य मंत्री जी ने उसकी जमीन दिला दी। लेकिन दिन भर वह टेंशन में रहा जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी। अगर वह नहीं मरा है तो आप बतायें। आप मेरे ऊपर विशेषाधिकार हनन का प्रश्न ला सकते हैं। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव--

हम उसकी जांच करा लेंगे कि वह किस बीमारी से मरा। उनको दिल की बीमारी थी कि नहीं।

श्री लालजी टण्डन--

माननीय नेता सदन से आग्रह है कि वह विशाल हृदय से सुनें। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं। वह मरा है।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, क्षमा चाहूंगा, अभी माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि कोई विधायक मारा गया। तो क्या कोई हमारा साथी चला गया।

श्री लालजी टण्डन--

नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बीच में आना खतरनाक होता है।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपने प्यार को स्वीकार किया। लगता है वेलेंटाइन डे का असर इन पर आ गया है।

श्री लालजी टण्डन--

इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है वह हमारे मित्र हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग बाहर बैठकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करते हैं वह यहां आकर चमचागिरी कर रहे हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, मैं अपने पार्टी के स्टैन्ड को साफ करना चाहता हूं। हमारी पार्टी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का विरोध कर रही थी और धरना दे रही थी।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

माननीय नेता विरोधी दल को इस बात पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए था कि कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी धरना दे रही थी उसकी संख्या सिर्फ डेढ़ सौ के लगभग रही थी।

श्री प्रमोद कुमार--

अगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी की ऐसी ही गिनती रही तो यह तो ले डूबेंगे। अगर इन्हें बीस-पच्चीस हजार लोगों की भीड़ डेढ़ सौ लग रही है तो इनको अपनी आंखों का चश्मा टेस्ट कराना चाहिए, नहीं तो ये लोग डूब जायेंगे।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल आप बोलें।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, इन बिचौलियों को तो रोकें। मान्यवर, प्रदेश में एक संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ है जब श्री राज्यपाल और उसके मंत्रिमंडल में मतभेद हो। संसदीय कार्य मंत्री जी का यह कहना है कि वह अपनी धर्मनिरपेक्षता सिद्ध करें, तो इस घटना को क्या माना जायेगा ? यह तो सिर्फ कागज का टुकड़ा है।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

मान्यवर, मुझे नेता विरोधी दल को बार-बार रोकते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कई वजह से उनका एहतराम करता हूं। एक तो वह हमारे रामपुर चले आये, फिर उनके हमारे शौक एक से हैं और तीसरा इस वजह से कि जो विभाग इनके पास था वह मेरे पास भी है। मैंने इसी सदन में कहा था और खबर का खंडन किया था। प्रमोद कुमार जी ने भी इसका खंडन किया है। जो मामला यहां बहस में आ सकता था उसके लिए मैं ही सबसे ज्यादा दीवार बना था।

श्री लालजी टण्डन--

मैं तो यह कह रहा हूं कि इस मंत्रिमंडल को राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलायी जाती है और यह राज्यपाल का ही मंत्रिमंडल कहलाता है और उस मंत्रिमंडल के कैबिनेट के निर्णय को यहां इस रूप में राज्यपाल के अभिभाषण के रूप में स्पष्ट किया जाता है तो जिस राज्यपाल के ऊपर उसकी सरकार का विश्वास नहीं है और उससे यह मांग कर रहे हैं कि पहले आप यह बतायें कि आप धर्मनिर्पेक्ष हैं, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय नेता विरोधी दल, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उस बात का खण्डन कर दिया, जिसका आधार मान कर आप यह बात कह रहे हैं।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, आप आनन्द लीजिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, आज टण्डन जी मूड में हैं।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, इस सदन में बहुत कम ही ऐसे मौके आये हैं जब सदन में हंसी के साथ कार्यवाही हो। मैं आज जरा लाईट मूड में इसकी आलोचना कर रहा हूं, उसमें कोई गम्भीरता है ही नहीं। जिस राज्यपाल के ऊपर विश्वास ही नहीं है उस राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर हम क्या चर्चा करें ?

मान्यवर, दूसरे जब इसमें उल्लेख किया गया है कि निजी क्षेत्र के विद्यालयों को बी0 एड0 की मान्यता पर यानी शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा और इस घोषणा से महिलाओं को ज्यादा लाभ मिलता, मान्यवर, बी0 एड0 की मान्यता को समाप्त कर दिया गया है। बी0 एड0 की लाभार्थी महिलाएं ही होती हैं तो महिलाओं को शिक्षा देकर अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, अगर वह आगे नहीं जायेंगी तो इस शिक्षा का लाभ क्या होगा ? तो महिलाओं की शिक्षा के बारे में जो कुछ इसमें कहा गया वह कोई मायने नहीं रखता है। मान्यवर, सबसे पहले सदन में माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा था कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, यह भी कहा गया था कि दो वर्ष के अन्दर हम बिजली देना शुरू कर देंगे, यह भी बयान आया था कि इस प्रदेश का बड़ा विकास होगा, 18 घण्टे बिजली की आपूर्ति की जायेगी। मान्यवर, इन सारी बातों में एक बात भी इसमें सही नहीं उतरी। आपने कहा किसानों के लिए लाभकारी योजनायें बनाई जा रही हैं, आपके ही क्षेत्र में दो आलू किसानों ने आत्महत्या कर ली। मान्यवर, किसानों के हित की बात हो रही है, डीजल के दाम बढ़ गए, खाद मिल नहीं रही है, जो मिल रही है वह ब्लैक में मिल रही है, दूसरे जो उनकी खरीद का लक्ष्य है वह कम कर दिया गया है, धान का कम कर दिया गया है, गेहूं का कम कर दिया गया है तो मान्यवर,

अगर किसानों को सपोर्टिंग प्राईज नहीं मिलेगा, उसका उत्पाद सरकार खरीदेगी नहीं, उसके ऊपर मूल्य वृद्धि का भार डालते चले जायेंगे। बाजार के कारण यहां मूल्य वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि सरकारों के कारण हो रही है ज्यादा केन्द्र सरकार के कारण कुछ राज्य के कारण। पहले टर्न ओवर टैक्स था अब उसे बहका कर उद्योग पर ले आये।

मान्यवर, प्रदेश के अन्दर लगभग आधी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज बन्द हो गयी है। एक परसेन्ट यह टैक्स लगाने के बाद क्या होगा यह हम सब समझ सकते हैं ? क्या इतनी दूरदृष्टि किसी में है कि यह जो टैक्स बढ़ेगा इससे क्या उद्योग बन्द नहीं होंगे ? मान्यवर, इससे जितनी आमदनी होने वाली है उससे कहीं ज्यादा पैसा जो है, जो वित्तीय एजेंसियों का है जो कर्ज देती हैं इन इंडस्ट्रीज को, उसमें उनको हानि होगी। आप आंकड़े निकालकर देख लें, आपने प्रदेश की आर्थिक दृष्टि से यह किया है लेकिन यह न हो कि अंडे के बजाय मुर्गी ही खा जायें। अगर यह सारी इन्डस्ट्री बन्द हो गयी तो फिर पिकप और यू0पी0एफ0सी0 ने जो लोन दे रखा है वह कहां से वसूल होगा तो फिर इससे जितनी आमदनी नहीं होगी उससे ज्यादा पैसा जो इसमें सरकार का लगा हुआ है उसकी हानि हो जायेगी।

अब मैं मान्यवर, कानून व्यवस्था पर अपनी बात कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैंने जैसा कहा था कि मैं कानून व्यवस्था पर सरकार से आंकड़े मांग रहा था वह मुझे नहीं मिले। यह जो आपके मित्र का अखबार है, सहारा समय, इसमें जो आंकड़े छपे हैं उसका मैं उल्लेख कर रहा हूं। डकैती की घटनायें 169 प्रतिशत बढ़ी हैं। लूटपाट 33.12 प्रतिशत, हत्यायें 16.17 प्रतिशत बढ़ी हैं। चोरी की घटनायें 49.75 प्रतिशत बढ़ गयी हैं। अपहरण की घटनायें 75.25 प्रतिशत बढ़ गयी हैं, दहेज हत्या की घटनायें 28.15 प्रतिशत बढ़ गयी हैं, बलात्कार की घटनायें 54.8 प्रतिशत बढ़ गयी हैं। यह आंकड़े मान्यवर, एक अखबार में छपे हैं इसका खण्डन नहीं किया गया है तो फिर यह आथेंटिकेटेड आंकड़े हैं, जो आंकड़े मुझे सरकार की तरफ से नहीं प्राप्त हुए हैं वह इस अखबार के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। अगर यह गलत है तो उनको नोटिस देना चाहिए था और उन पर कार्यवाही होनी चाहिए थी।

मान्यवर, आज डाकुओं का राज प्रदेश में हो गया है। मान्यवर, एक वरिष्ठ मंत्री का बयान था कि एक डाकू को जो स्वर्ण मुकुट पहनाया गया था वह उन्होंने बनवाकर दिया था। वह जो समाचार छपा है अगर गलत है तो उसका खण्डन होना चाहिए था। दूसरी घटना है एक डाकू विशाल भीड़ के सामने एक मंदिर में मूर्ति स्थापित करके चला गया। तीसरी घटना जो है मान्यवर, इतना बड़ा क्रूर हत्याकांड आजादी के बाद नहीं हुआ था मैंने इसे कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं इस घटना को तो जनता के सामने आना चाहिए था वह नहीं आया। मान्यवर, 34 लोगों को लिटाकर जो खेत में काम कर रहे थे, एक ट्रैक्टर जो आदमी चला रहा था उससे कहा गया कि इन पर तुम ट्रैक्टर चलाओ उसने कहा कि मैं इन पर ट्रैक्टर नहीं चलाऊंगा। गोली मार दिया मर गया दूसरे से कहा कि चलाओ नहीं चलाया तो मार दिया वह मर गया बाकी सब भय के मारे लेट गये और उनके ऊपर ट्रैक्टर चलवा दिया और जैसे खेत में खाद मिलाई जाती है वैसे उन मानव की लाशें, जीवित लोगों को खाद की तरह मिट्टी में जिस तरह से मिलाया गया है, यह कोई मामूली घटना नहीं है। लेकिन क्या संवेदनशीलता दिखाई दी ? केवल यह काफी नहीं होता है कि कोई मर गया और आपने संवेदना प्रकट करने के लिए परिवार की आर्थिक सहायता कर दी। आखिर उनका

पूरा भविष्य क्या होगा ? अगर घटनाओं का क्रम बढ़ता चला गया तो यह प्रदेश कहां जा रहा है ? मुझे याद है आता है चुनाव के पहले एक बहुत बड़ा विज्ञापन छपा था कि उत्तर प्रदेश जल रहा है लेकिन आज मुझे वाकई में लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को जला डाला, सचमुच जला डाला, बलात्कार की सीमा है 15 साल की लड़की स्कूल से आ रही है घनी बस्ती के अन्दर जिस गली का हर दरवाजा उस गली में खुलता है, यह लखनऊ का किस्सा है वहां उसको घसीटकर ले गये, सामूहिक बलात्कार किया और हत्या कर दी और सामने इतनी जगह भी नहीं है जितनी टेबिल पर हम दोनों लोग बैठे हैं इतनी जगह पर लाश डालकर जला दिया और अभी उनका पता नहीं लगा। एक महिला उसकी भाभी का मामला है। अजमेर से आई, ट्रेन से उतरी, बाहर एक मार्शल गाड़ी थी, पूछा बहन जी कहां जायेंगी, उसके साथ एक लड़का था, उसने कहा इंदिरा नगर जायेंगे तो उसने कहा कि दो ही सीटें बची हैं बैठ जाइये और वह कानपुर की तरफ चल पड़ा। वह यहीं की रहने वाली थी उसको पता था कि इन्दिरा नगर किधर है, उसने कहा भी तो उन लोगों ने कानपुर रोड पर गाड़ी रोक दी, पिस्तौल लगा दिया और एक-एक जेवर उतरवा लिये उसका पूरा पैसा ले लिया गया उसके बाद उससे कहा कि पूरी अटैची खोलकर दिखाओ कि क्या है वह भी लूट लिया और चले गये। एफ0आई0आर0 हुई लेकिन कोई पता नहीं चला, यह तो हालत है। स्कूल जाने में बच्चे डरते हैं, महिलायें घर से निकलने में डरती हैं, व्यापारी दुकान से जाने में डर रहे हैं। बैंक की जिस तरह से लूट जारी है वह एक रिकार्ड है, इतनी बैंक डकैती कभी नहीं हुई।

दूसरा यह है कि हम लोग भी नहीं बच पाये, विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। 3 दलों के 3 विधायकों को एक साल के अन्दर मारा गया, कारण जो भी हो लेकिन जो सरकार होगी उसको इसका जवाब देना होगा कि हम विधायकों की रक्षा नहीं कर सकते। चारों तरफ जो अराजकता का राज हो गया है इसको कैसे सम्भाला जायेगा यह सबकी चिन्ता का विषय होना चाहिए। मैं कह सकता हूं कि प्रदेश की इतनी बिगड़ती हुई हालत में शायद कुछ बातों के ऊपर टेलीफोन पर तो बात कभी-कभी हो जाती है मुख्य मंत्री जी से लेकिन आज तक बैठकर कोई बात नहीं हुई। प्रतिपक्ष को भी अधिकार है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखे और यह कर्तव्य भी है लेकिन आपने कभी भी इसके लिए नहीं बुलाया। यह औपचारिकता होती है सदन के एक दिन पहले नहीं जाते हैं तो कहते हैं कि बहिष्कार कर दिया। हम इन छोटी बातों में नहीं जाते हैं लेकिन यह बड़ी बात है कि नेता प्रतिपक्ष या और भी जो दल हैं उनके नेता, मुख्य मंत्री जी के डायलाग सुनें बीच में वार्तालाप न हो। किसी ज्वलन्त समस्या पर कभी बात न हो यह संवादहीनता लग रही है। यहां पर बहुत सी बातें आती हैं। मुख्य मंत्री जी को आश्चर्य लगता होगा, विश्वास नहीं होता होगा कि यह सही कहा जा रहा है या गलत कहा जा रहा है।

श्रीमती गीता सिंह (बैठे हुये)--

साड़ी कांड के बारे में तो बता दीजिये।

श्री लालजी टण्डन--

अभी फिर होगा अप्रैल में, मिलेगी आपको। अब राज्य के विकास की बात है। विकास और नियोजन का कोई सम्बन्ध है कि नहीं, आप तो समाजवादी रहे हैं। आपकी विचारधारा हो सकती है ? तो मान्यवर, यहां एक गैर समाजवादी संस्था विकास परिषद् बन गई, उसकी प्राथमिकता क्या

है। साकी भी है और पैमाना भी और वहशत में दीवाना भी है यानि वह विकास परिषद् विदेशों में जा रही है यह जानने कि शराब कैसे अच्छी बनाई जाय और सस्ती ? इतिहास अपने को दोहराता है। रोम की एक घटना है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो वंशी बजा रहा था। इसी तरह रूस में एक घटना हुयी कि वहां लोग/भीड़ भूख से चिल्ला रही थी तो वहां के राजा ने पूछा कि यह शोर क्यों मचा रहे हैं ?

(कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बोलने पर कि रूस नहीं फ्रांस में घटना हुयी थी)

अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप सही कर लीजियेगा। तो मान्यवर, उन्होंने यह पूछा कि यह भीड़ क्यों चिल्ला रही है तो बताया गया कि इन्हें रोटी नहीं मिल रही है तो राजा ने कहा कि रोटी नहीं मिल रही है तो केक तो खा ही सकते हैं। आज वही हाल यहां हो रहा है।

(श्रीमती गीता सिंह द्वारा बीच में कुछ टिप्पणी करने पर)

मान्यवर, आप बहनजी को रोक दीजिये।

श्री मोहम्मद आज़म खां--

जिसको आप बहन जी मान लेते हैं, वह खतरे में आ जाती है।

श्री लालजी टण्डन--

अगर मुझे कोई परेशान करे और खतरे में आये तो मैं क्या करूं ? तो मान्यवर, मैं बता रहा था कि विकास परिषद् क्या कर रही है ? योजना आयोग, जहां पर स्वतंत्र प्रभार का मंत्री था, जो योजना आयोग का काम देखता था, अब उनसे सब काम ले लिया गया है, बैठे हैं और मंत्री का पद रिक्त भी नहीं है। कोई काम भी नहीं हो रहा है और योजना बन रही है प्रदेश की। क्या नियोजन होगा ? और जब नियोजन नहीं होगा तो विकास क्या होगा ? आप देखते हैं कि यहां पर मंत्रियों की हालत क्या हो रही है। बैठे हैं और इनके विभागों के प्रश्नों का जवाब संसदीय कार्य मंत्री दे रहे हैं। इनको बोलने नहीं दिया जाता है और जब विपक्ष के साथी बोलते हैं तो वह इनको डिस्टर्ब करने के लिये यह मंत्री रक्षा कवच बनकर खड़े हो जाते हैं। मान्यवर, आप लोकतांत्रिक परम्पराओं की हिफाजत करें। मैं तो प्रदेश का एक चित्र आपके सामने रख रहा हूं कि हो क्या रहा है ? आप जौहर विश्वविद्यालय की बात बार-बार कहते हैं, मैं और मेरी पार्टी का हमेशा यह रुख रहा है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पर हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर जरूर एतराज है कि सौ करोड़ रुपये खर्च करके एक व्यक्ति उसका मालिक बन जाय। जब पिछली बार इसकी बहस हो रही थी तो मैंने कहा था कि आप इसको स्थापित करें, लेकिन एक भाषा जो दम तोड़ रही है, इस देश की कल्चर, संस्कृति जो है। उसके लिए भी तो कुछ करें। यहीं पर आश्वासन दिया गया था कि पंचम वेतन दिया जाएगा। आश्वासन के बाद जितने रिटायर हो रहे हैं, उनके भविष्य का कुछ पता नहीं है, यह सदन के आश्वासनों की हालत है। फिर मैं यही कहूँगा कि आपका नजरिया दोहरा है। जितनी भाषाएं हैं, उनमें भेदभाव क्यों है ? यह मदरसों के लिए होगा लेकिन संस्कृत के लिए नहीं, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं ? शिक्षाएं किसी का मजहब हों या कुछ हों, उनकी पहचान हिन्दुस्तान से है और हिन्दुस्तान की पहचान उसकी कल्चर से है और उसकी जान संस्कृत है। आज जो संस्कृत के टीचर हैं, उनका अनिश्चित भविष्य है, यह लोग अपने बच्चों को वसीयत देकर जा रहे हैं कि संस्कृत लेकर मास्टर न बनना, कुछ भी बन जाना। क्या आपके आश्वासन का कोई अर्थ है ? जो बड़े-बड़े वायदे हुए थे, विकास परिषद् के नाम से, उनमें से एक भी साकार नहीं

हुआ। जिन बिजली घरों को 2 साल के अन्दर बिजली दो रुपये प्रति यूनिट देना था, उनको अभी कहीं ईंट भी नहीं रखी गई है और जो स्थिति पैदा हो गई है, वह बहुत दु:खद है। मैंने उस समय भी चेतावनी दी थी कि अगर निजी हाथों में अधिकार दिये गये, तो उनका परिणाम बुरा होगा। आज उनका परिणाम सामने आ रहा है। रिलायंस के दोनों भाई झगड़ा कर रहे हैं। एक के हाथ में गैस है, गैस आधारित पॉवर हाउस बिना गैस के कैसे चलेगा और अगर यह झगड़ा नहीं निपटा तो उत्तर प्रदेश की जनता पिसती रहेगी। जल निगम पानी नहीं दे पायेगा, उसे भी बरबाद कर दिया गया। यह भी पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में हुआ होगा कि जल निगम के अध्यक्ष की अप्वइन्टिंग अथॉरिटी सचिव होता है नगर विकास का। और मान्यवर, सचिव मंत्री के आदेश पर काम करता है लेकिन मंत्री स्वयं अध्यक्ष बन गये हैं। आज जो दुर्दशा हो रही है, कितने विभाग हैं जहाँ 6-6 महीने से लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली हैं। किसी सरकार की सफलता के दो-तीन पैमाने होते हैं। कानून-व्यवस्था की हालत सब देख रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था की हालत क्या है, उसका परिणाम यह है कि कर्मचारियों को अगर वेतन नहीं दे पा रहे हैं, इससे बुरी हालत और क्या हो सकती है ? हम यहाँ उत्सव मना रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम करा रहे हैं, रोटी के नाम पर केक खिला रहे हैं। ऐसी कौन सी उपलब्धि हम कह सकते हैं, जो इधर हुई हो ?

श्रीमती गीता सिंह--

मानसिकता।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप नेता विरोधी दल को बोलने दें।

श्री लाल जी टण्डन--

मानसिकता तो पदों से बदल जाती है, हम न कोई पद लेने वाले हैं और न ही कोई उपहार लेने वाले हैं। अगर आप कहें तो उनका भी चिट्ठा खोलना शुरू कर दूं। मैं बार-बार कह रहा हूँ। मैंने आपको बहन कहा है। मैं प्रदेश की आवाज यहाँ पर रख रहा हूँ, मेरा अपना कोई स्वार्थ नहीं है। रोज पदों की विज्ञप्ति निकलती है। ऐसे-ऐसे उदाहरण मिलेंगे कि 400 नियुक्तियाँ होनी हैं तो उतने ही आवेदन पत्र आये, इस पर कौन विश्वास करेगा ? जहाँ एक चपरासी की जगह के लिए बीस-बीस हजार दरख्वास्त आ रहे हों, वहाँ 400 पदों के लिए केवल 400 आवेदन-पत्र ही आयेंगे, इसे कोई मानने वाला नहीं होगा। पूरी सूचियाँ बनकर जा रही हैं, वही नियुक्त होंगे। इससे ज्यादा मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता, यह क्या हो रहा है ?

मान्यवर, अगर शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो प्राथमिक शिक्षा पर सरकार का पैसा सबसे कम खर्च होता है। जो पैसा खर्च होता है वह केन्द्र सरकार और विश्व-बैंक का होता है। उसके बाद भी मान्यवर, जब यह सामाचार पढ़ने को मिलता है कि दोपहर का भोजन बनाये गये वे बर्तन बैठे हुये बच्चे मॉज रहे हैं, गुरू जी शराब पीकर बोतलें छोड़ देते हैं, बच्चे उन बोतलों को उठाकर बाहर डाल रहे हैं, ऐसे में वहाँ क्या शिक्षा मिल रही है ? क्या कभी ऐसे शिक्षकों और विद्यालयों की तरफ ध्यान गया ? जब गंगोत्री ही अपवित्र हो जायेगी तो गंगा पवित्र नहीं हो सकती। बाल्यकाल से जो संस्कार मिलेंगे जीवन भर बच्चे उसी पर चलेंगे। आज विश्वविद्यालयों में गोलियाँ चल रही हैं, वहाँ कभी गोलियां नहीं चलती थीं। वाक् युद्ध होता था, विचारों के आधार पर लड़ाई होती थी। विचारों के आधार पर चुनाव प्रचार होते थे, लेकिन आज विश्वविद्यालय राजनीति

का अखाड़ा बन गये हैं। चुनाव के बाद उनको शपथ दिलायी जाती है। यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं वह एक जगह गये तो उनके स्वागत में, जैसे पहले राजा-महाराजाओं के स्वागत में तोपों की सलामी दी जाती थी उसी तरह से धाँय-धाँय गोलियां दागकर बन्दूकों की सलामी दी जा रही है। यह और जगह हो रहा है उसको छोड़ दीजिए। लेकिन सरकार की नाक के नीचे यूनिवर्सिटी की जो हालत है उसको देखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कितना ही प्रयास करें लेकिन अगर इन चीजों के ऊपर नियंत्रण नहीं होगा तो उसका परिणाम नहीं मिलेगा, इसे स्वीकार करने में कभी संकोच नहीं होना चाहिए कि जो हो रहा है उसको रोकने के लिए जो जानकारी आपको नहीं मिल सकी वह यहाँ से प्राप्त हो रही है और इस तरफ आप ध्यान दें, इसको रोकना आपका कर्तव्य है। मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ लेकिन आप मुखिया हैं कोई बात हो वह घूम-फिर कर आप पर ही आयेगी। जिस सरकार का मंत्रिमण्डल डिफेक्ट हो गया है, एक विभाग के चार-चार विभाग हो गये और जो मलाईदार विभाग है, वह एक जगह चले गये, दूसरे मंत्री बैठे हुये हैं। जो आज प्रदेश की स्थिति बन गयी है। पहले आप अपना प्रशासनिक ढाँचा सुधारिये, बिना इसके न अपराध नियंत्रित होंगे न प्रदेश का विकास होगा। वैसे तो यह विषय अलग से उठाना चाहिये लेकिन जो खबरें अखबारों में निकली हैं खाद्यान्न घोटाले की उसके ऊपर सख्त कदम उठाने चाहिये। जो बी0पी0एल0 का गेहूँ है, खाद्यान्न है वह सब कहां जा रहा है। यह भी आरोप है कि यह खाद्यान्न बंगलादेश को जा रहा है। दलीय नेताओं के साथ आप दुकानों पर देखें कि जिनको 10 किलो अनाज मुफ्त मिलता है और 2 रुपये किलो गेहूँ मिलता है वह मिल रहा है या नहीं। अब तो हर जिले के बारे में अखबारों में निकल रहा है कि वहां पर खाद्यान्न घोटाला है। यह जो हजारों करोड़ रुपयों का अनाज गया है यह भूखे लोगों का गया है। यह उन लोगों का अनाज गया है जिनके पेट भरने के लिये भारत सरकार ने योजना चलायी थी। आज खाद्यान्न की यह हालत है, बिजली की यह हालत है, पेयजल की यह हालत है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिये। पेयजल के लिये मैं फिर कहना चाहता हूँ कि गरमी आने वाली है पेयजल की समस्या कानून व्यवस्था का प्रश्न बनेगी। इसकी तरफ अभी से ध्यान देना चाहिये। चूँकि जल निगम के लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। ट्यूबवेल खराब हैं उनके बनाने की व्यवस्था नहीं है। वाटरवर्क्स की डिस्टिलिंग नहीं हुयी है जिसके कारण बीमारियां फैल रही हैं। गोमती नदी की सफाई के लिये 280 करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पड़े हैं। पिछले वर्ष दिसम्बर तक सारे नालों को गोमती से बाहर हो जाना चाहिये था लेकिन कुछ नालों को ही बाहर किया जा सका है बाकी काम नहीं हो पाया है। इसका कारण आज केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो तनाव है उसके कारण केन्द्रीय सहायतित योजनाओं का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। सड़कें और पुल रुक गये हैं। जो पैसा केन्द्र सरकार से आना था वह नहीं आ रहा है। इसमें केन्द्र सरकार की गलती तो है ही लेकिन जो हमारे संबंधित मंत्री हैं वह जाकर प्रयास नहीं करते हैं। अधिकारियों के पास इतना काम है, आप लिस्ट भेज देते हैं वह काम वह करते हैं, क्यों न करें, वह अपना हश्र जानते हैं। आप आंख उठाकर देख लें साल भर में कितने लघु उद्योग नोयडा से गुड़गांव चले गये हैं। उनका पलायन इसलिये हो रहा है क्योंकि हमारी नीति ठीक नहीं है। हमको अपना स्ट्रक्चर बदलना पड़ेगा। दिल्ली में टैक्स 4 परसेंट है और अगर हमारे यहां वही 12 परसेंट होगा तो व्यापारी दिल्ली से माल खरीदकर लायेगा। डीजल और पेट्रोल पर टैक्स आपने बढ़ाया है उससे कहीं ज्यादा लास हो रहा है

और टैक्स की चोरी हो रही है। अगर टैक्स 01 परसेंट बढ़ जायेगा तो जो हमारे छोटे उद्योग हैं उनकी उत्पादन लागत बढ़ जायेगी और वह दूसरी जगहों के उद्योगों का मुकाबला नही कर पायेंगे और खत्म हो जायेंगें। प्रशासनिक फिजूलखर्ची कम करके इन टैक्सों को कम किया जा सकता है। आपकी जो कर वसूली है वह कम हो रही है। व्यापार कर 40 परसेंट कम वसूल हो रहा है। आप उद्योगों पर एक प्रतिशत बढ़ा रहे हैं इसका क्या अर्थ है। जिनके कारण वसूली कम हुई है उनको जिम्मेदारी क्यों नहीं डाल रहे हैं। इस 40 प्रतिशत वसूलयाबी की आधी भी वसूली हो जाय तो एक प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। और उद्योगों की जान बच जाएगी। आपने बड़ा प्रयास किया उद्योगों का आकर्षित करने का इसके लिए हम सराहना करते हैं लेकिन चाहे कोई कितना परिश्रम करे अगर उसका कोई परिणाम न आए तो इससे ज्यादा अविश्वसनीय बात क्या हो सकती है। चीनी मिलों के बारे में कहना है कि इतना ज्यादा चीनी मिलों ने इस वर्ष मुनाफ कमाया जितना जब से चीनी उद्योग शुरू हुआ है तब से आज तक नहीं हुआ होगा लेकिन क्या वह उस हिसाब से गन्ना किसानों को दे रहे हैं। भय के कारण जो रेट तय किए गए हैं उससे ज्यादा नहीं दे रहे है बहुत से मिल वाले तो अण्डर हैण्ड दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने वायदा किया है सरकार से उससे ज्यादा नही दे पाएंगे अगर देंगे तो मिल संकट में पड़ जायेगी। बहुत सी खबरें आज ऐसी छप रही हैं उससे मंत्रिपरिषद् की छवि पर बुरा असर पड़ रहा है। जैसे एक खबर छपी कि एक मंत्री पुत्र ने एक वकील की गाड़ी को टक्कर मार दी और पुलिस तलाश कर रही है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि ऐसा नही हुआ है और अगर हुआ था तो आपस में माफी मांगकर खत्म हो गया। लेकिन सरकार ने इसका खण्डन जारी नही किया। अगर मंत्री पुत्र का दोष नहीं था तो इसको बताना चाहिए अगर था तो बताना चाहिए जिससे जनता सच्चाई जान सके। इन तरह की बातों को किए बिना प्रशासन चुस्त-दुरुस्त नही हो सकता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप बैठे हैं जिससे अधिकारियों की दीर्घा भी भरी हुई है अन्यथा संसदीय कार्यमंत्री जी उत्तर देते हैं लेकिन उसका प्राइमरी नोट तक नहीं आता है यह तो मंत्री जी किसी तरह से काम चलाते हैं क्योंकि इनकी मजबूरी है।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

आप मजबूरों का सहारा बहुत दिनों तक बने रहे।

श्री लाल जी टण्डन--

मैं आपका भी सहारा हूँ। आप का ही नहीं मैं प्रमोद कुमार और जगदम्बिका पाल का भी सहारा हूँ। उसी तरह आजम खाँ का भी सहारा हूँ। छोटी-छोटी बातें हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ताम्र पत्र देने की बात कही है उनका ताम्र पत्र चोरी होकर बाजार में घूम रहा या नालियों के किनारे फेंका हुआ दिखाई देगा। उनको जो पेंशन मिलती है वह तो जीवन भर मिलती रहेगी लेकिन ताम्र पत्र तो एक बार मिलेगा जिससे यह पता चलेगा कि उन्होंने देश की आजादी के लिये क्या किया ? माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपको केवल अली बन्धुओं का ही नहीं सोचना चाहिए। उन लोगों के लिये भी सोचिये जिन्होंने स्वतंत्रता के लिये बहुत कुछ किया है। जो अली बन्धुओं ने किया है, हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन इसका मतलब यह नही कि जिन्होंने अपना घर फूँक दिया, मिट गये बर्बाद हो गये देश की आजादी की लड़ाई में, जिनकी वजह से आप और हम यहाँ बैठे हैं। उनकी वह निशानी भी फेंक दी जाय। इसलिये एक व्यापक दृष्टिकोण से देखिये। भेद-भाव न कीजिये कि किस का वजन ज्यादा है, किस का वजन कम है। उसका वजन ज्यादा होगा जिसने बिना

कुछ कहे देश के लिये बहुत कुछ करा और देश जिसको इज्जत देता है। मौलाना अली जौहर को आपके इज्जत देने से नहीं मिलेगी उनकी इज्जत उनके कामों से है। आप एक काम करें आप यहाँ पर घोषणा करें कि जो अली जौहर विश्वविद्यालय बनेगा आप उसके आजीवन प्रो चान्सलर नहीं बनेंगे। कहीं न कहीं अपने से ऊपर उठना होगा अगर देश और समाज के लिये कुछ करना है। बाकी मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है उनके नाम से कोई मतलब नहीं है हाँ नाम से मतलब है कि वे देश की आजादी के बहुत बड़े योद्धा थे। अगर उनकी यादगारी में उनके नाम पर कोई चीज बनती है तो हमको उससे कोई ऐतराज नहीं है, हमको भी खुशी होगी। उर्दू, अरबी, फारसी के लिये कई विश्वविद्यालय है जहाँ पर इनके पढ़ाने की व्यवस्था है। कहीं पर तो यह स्थिति है कि इतने टीचर हैं जितने कि स्टूडेन्ट नहीं हैं। लेकिन फिर भी यह सरकार, यह सरकार क्या कई सरकारों ने अपने मन मुताबिक काम किया है चाहे उसका प्रदेश में जो असर पड़ा हो। आप भी करना चाहते हैं, करें। हम सैयद अहमद खाँ और आजम खाँ को बराबरी का दर्जा नही दे सकते। मालवीय जी और आपको कभी बराबरी नहीं दे सकते।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ--

अभी तो हम दोनों जिन्दा हैं।

श्री लाल जी टण्डन--

कुछ लोग जिन्दे में ही अपना स्मारक बनवा देते हैं, जानते हैं कि बाद में कोई बनवायेगा नही इसलिये पहले ही बनवा लें। मान्यवर, और भी नेताओं को अपने संशोधन पर बात कहनी होगी। मैं चाहता हूँ कि काफी चर्चा हो और सभी के विचार आयें इसलिये मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। माननीय मुख्य मंत्री जी, मैं बोलता हूँ तो आपके लिये कुछ न कुछ ऐसे सुझाव होते हैं कि अगर आप उसको मान लें तो उसके परिणाम सुखद होंगें लेकिन यह आपकी मर्जी है। जैसा करेगें वैसा ही फल मिलेगा। यह तो बड़ी आशा लगाये बैठे हैं कि यह सेशन खत्म होने के बाद आप इस कुर्सी पर नही होगें। खैर मुझे इससे कोई मतलब नही है कि आप इस कुर्सी पर रहें न रहें। मेरा इस बात से मतलब है कि प्रदेश जल रहा है और आप इसको बचा लें। आपने ही कहा था कि प्रदेश जल रहा है। अब तो यह जलकर खाक हो चुका है। जो भी बचा है उसको बचा लीजिये। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

जो माननीय मंत्रीगण बोलेंगे उनको 15 मिनट का समय दिया जायेगा, दलीय नेताओं को 15 मिनट का समय दिया जायेगा और माननीय विधायकों को 10 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि नेता प्रतिपक्ष ने लाइट मूड में कुछ गम्भीर बातें भी कही। टण्डन जी ने आज इस बात को कहा कि मौलाना जौहर अली विश्वविद्यालय का आप और काँग्रेस दोनों विरोध कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में धारा 356 लगाई जाए दोनों एक बात बोल रहे हैं। दोनो की भाषा एक है। कानून व्यवस्था दोनों को खराब दिखाई दे रही है। मैं स्पष्ट कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश में और देश के इतिहास में जो चुनी हुई सरकार है जिसको जनता का समर्थन प्राप्त है उसको अस्थिर करने की साजिश होती रही है इस साजिश में दोनों दल साथ हैं एक साम्प्रदायिक दल है और दूसरे

को धर्मनिरपेक्ष कहते है। टण्डन जी ने बहुत सी बातें कही लेकिन टण्डन जी कम से कम 55 साल जो किया गया उसकी जबावदेही आप 18 महीने में क्यों हमसे मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया शान्त रहें, बोलने दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

श्रीमन् निष्पक्ष चुनाव कराते। दो चुनाव काउन्टरमांड हो गये हम विरोध कर रहे थे। हम कह रहे थे कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिये। हमने चुनाव में दबाव की बात नही की, आखिर में काउन्टरमांड क्यों किया गया। काउन्टरमांड के बाद जनादेश पक्ष में आए तो आवाज क्यों उठाई गई आवाज नहीं उठानी चाहिए थी अब 356 के पक्ष में बोल रहे हैं। गोआ में सरकार को बर्खास्त कर दिया। दो बातें नहीं करनी चाहिए बात स्पष्ट करनी चाहिए हम लोग इस बात को आज भी कहते हैं इस बात के पक्षधर हैं समर्थन करते हैं। सरकारिया आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए। संविधान का पुनरीक्षण किया जाए। चुनी सरकारों को धमकाने का षड्यंत्र चल रहा है उसको समाप्त होना चाहिए। हमें जिम्मेदार तब कहो जब हमें इस बात के लिए अधिकार देने की बात करो हमारी आलोचना करना हमारे काम करने में अड़ंगे लगाना और फिर जबाव देही तीनों चीजें एक साथ नही चलेंगी। चुनी हुई सरकार को पाँच साल का पूरा समय देना चाहिए, पूरा समय मिलना चाहिए। आप भी इसके पक्षधर होंगे। वैसे आपने कहा इससे मतलब नहीं सरकार रहे या न रहे, मैं बीच में बोलने वाला नहीं हूँ। टण्डन जी का बयान आया, हमने कहा जनता उत्तर प्रदेश को खुद देगी क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश के क्या सामने है हम जानते हैं षड्यंत्र क्यों किया गया। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव होने वाले है, जिला परिषद् के चुनाव होने वाले हैं कोआपरेटिव के चुनाव होंगे। चुनाव कराने वाले अब भयभीत हैं समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में छा जाएगी। भविष्य को खतरे में देखकर षडयंत्र किया जाएगा। पंचायत का चुनाव होना है सामने आए नतीजों को, प्रजातंत्र में जनता के निर्णय को स्वीकार किया जाता है तो स्वीकार करने में क्या दिक्कत है। इस समय इस बात को उठाया जाना, कि उत्तर प्रदेश का राजनीतिक भविष्य सब इस वर्ष के चुनाव में आ जाएगा। उत्तर प्रदेश को अस्थिर करने के लिए एक संदेश दिया जा रहा है। सरकार नहीं रहेगी, अधिकारियों के अन्दर गलतफहमी फैल रही है। विपक्ष को अधिकार है मैं भी बड़े दिन विपक्ष में बैठा था। उस समय रोम जल रहा था उस समय रोटी की जगह क्या दिया गया। मैं गम्भीरता से कहना चाहता हूँ विपक्ष के सुझाव , आपने कहा, क्या मानते है।

मान्यवर, विपक्ष को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। उसका यह भी अधिकार है कि वह सरकार की कमियों को निकाले और सरकार को महत्वपूर्ण सुझाव दे। हम सब इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं जो आप विचार देंगे, उनको सरकार स्वीकार करेगी। डेवलपमेंट की जो बात है, यहाँ पर बहुत से मुख्यमंत्रियों ने घोषणा की कि 50 प्रतिशत बढ़ गया, 25 प्रतिशत बढ़ गया। मैंने उस समय औचित्य में भी उठाया था और मैंने कहा था कि फर्जी आँकड़ों से विकास सम्भव नहीं होगा। लेकिन पहली बार जो आश्वासन दिया था कि उत्तर प्रदेश में हम इतना राजस्व देंगे, टण्डन जी ने कहा है कि सेल्स टैक्स का राजस्व घटा है मान्यवर, 8900 करोड़ का हमारा इस साल का लक्ष्य है, उससे ऊपर हम प्राप्त करने जा रहे हैं। 13500 करोड़ का उत्तर प्रदेश का प्लान स्वीकृत हुआ है, इतना इतिहास में कभी नहीं स्वीकृत हुआ। किस विभाग में काम नहीं हो रहे है ?

आप देख लें पी0डब्ल्यूडी0, ऊर्जा, सिंचाई सभी विभागों में काम हो रहा है। यदि हम दादरी प्लान्ट और अनपरा प्लान्ट लगाना चाहते हैं तो क्यों विरोध हो रहा है। अनपरा प्रोजेक्ट क्यों रद्द हुआ था, मैं उस समय ऊर्जा मंत्री था, गोपनीयता की शपथ ले रखी है, अगर कह दूँगा तो बहुत विरोध बढ़ जाएगा। पारीछा की जो दो इकाइयाँ लग रही थी उन्हें क्यों रोका गया था ? आज अगर दादरी में कोई प्रोजेक्ट लग रहा है तो उसका विरोध क्यों, हम दो रुपये में बिजली घोषित कर रहे हैं तो उसका विरोध क्यों किया जा रहा है ? इस पर भी यदि आप कुछ प्रकाश डालते तो अच्छा होता। सारी चीजों को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। अगर सत्यता के आधार पर आँकड़े रखे जायेंगे तो ठीक है। विरोध होता है, भाइयों में भी विरोध होता है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि सारा विकास ही रुक जाता है। जब रिलायन्स एनर्जी ने घोषणा कर दी है कि हमने इस प्रोजेक्ट को क्लियरेन्स दे दी है और वहाँ पर प्रोजेक्ट लगेगा तो उस पर शक क्यों ? मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के लिए केन्द्र से कटौती की जायेगी लेकिन बिहार को दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश को स्पेशल प्लान का पैसा नहीं दिया जाएगा, उत्तर प्रदेश में सूखा और बाढ़ को नहीं देखा जाएगा और उस पर भी यदि विपक्ष नही बोलेगा तो क्या विपक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है ? उसको यह भी देखना चाहिए कि आखिर हम किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं। आज जो मँहगाई बढ़ी हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उत्तर प्रदेश सरकार पर ? डब्लू0टी0ओ0 की शर्तें किसने लागू की थीं, विश्व बैंक की शर्तें किसने मानी थी ? 21वीं शताब्दी के नाम पर जो बात कही जा रही है क्या हमारे देश की भौगोलिक परिस्थिति उनको स्वीकार करने के योग्य है ? मान्यवर, विश्व बैंक की शर्तें जब से लागू कर दी गई, हमारे लघु उद्योग टूट गये। खाद और बीज के दाम क्यों बढ़े, एक सर्वसम्मत प्रस्ताव होना चाहिए। मान्यवर, सर्वसम्मति से प्रस्ताव होना चाहिए कि जो कृषि का उत्पादन हो उसका मूल्य तय करने का अधिकार राज्य सरकार को होना चाहिए, केन्द्र सरकार को नही। हम कहते हैं कि गेहूँ का समर्थन मूल्य बढ़े, केन्द्र सरकार कहती है कि नही। हम कहते हैं कि धान का, गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़े लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा हमें रोक दिया जाता है। कहा जाता है कि आपको अधिकार नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितना इस वर्ष गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है उतना कभी नहीं बढ़ाया गया। मैं कहता हूँ कि आप गन्ना किसानों के बीच विरोध करने चले जाइये कि गन्ने के दाम की सही घोषणा नहीं की गयी है तो वह आपको जवाब दे देंगे। इस पर भी विचार होना चाहिए कि हमारे प्रदेश में जो उपज हो उस उपज का दाम तय करने का अधिकार किसको हो। मैं कहना चाहूंगा कि केन्द्र में जिस दिन श्री मुलायम सिंह यादव जी बैठेगें उस दिन किसानों को यह अधिकार मिलेगा। क्योंकि मुलायम सिंह [x x x] लगते हैं इसलिए मुलायम सिंह केंद्र में नही बैठ सकते लेकिन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। जो सत्य को अस्वीकार करता है वह आँख का अंधा है और दिन में मुंगेरी लाल के सपने देखता है। इस सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है। यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों की एजूकेशन का प्रतिशत 50 प्रतिशत भी नहीं है जबकि दक्षिण भारत में 100 प्रतिशत आंकड़े को प्राप्त कर लिया गया है। अगर लड़कियों को इंटर के बाद 20 हजार रुपये देने की घोषणा हो तो यह उत्तर प्रदेश के

नोट :--[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

विकास की बात ही तो हुई। इंटर तक के छात्र चाहे वह सवर्ण हों, पिछड़ी जाति के हों, दलित वर्ग के हों अगर उनके लिए 600 करोड़ रुपये वजीफे के लिए रखे तो इसकी आपने तारीफ क्यों नहीं की। आज प्रदेश की सड़कें चौड़ी हो रही है, पिछले एक साल में जितने पुल बनाने का काम हुआ है उतने पिछले 6 सालों में नहीं हुआ, तो इसकी आपने तारीफ क्यों नहीं की। हम नौकरी देने जा रहे है। हमने कहा था कि बेरोजगारों को वजीफा मिलना चाहिए। लिखित प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा, इसकी कापी सदन में हम प्रस्तुत करने को तैयार हैं। लेकिन योजना आयोग ने स्वीकृति नहीं दी, कहा कि हमारे पास कोई योजना नहीं है। अगर योजना नहीं है तो क्यों नही योजना शामिल कर लेते ? आज विश्व के अनेक विकसित देशों चाहे वह इंग्लैण्ड हो, न्यूजीलैण्ड हो, आस्ट्रेलिया हो सब बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे रहे है। हम विकासशील देश हैं। हम विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले प्रस्ताव भेजा तो इसको क्यों नही स्वीकार किया गया ? इसलिए स्वीकार नहीं किया गया कि इस देश में बेरोजगारी समाप्त करने की बात कोई बात नहीं है। मुझे याद है कि जनसंख्या कन्ट्रोल के लिए जो कमेटी बनी थी तो उसके सदस्यों की संख्या ही एक हजार थी। उसकी एक भी बैठक नही हो पाई। आप निन्दा करें लेकिन अच्छाइयों की भी तो बात करें बुराइयों की निन्दा करें। हमें स्वीकार है 'निन्दक नियरे राखिए, आंगन कुटि छवाये।' प्रजातंत्र में अधिकारों का चयन करने का अधिकार है तो उनको लागू करने के अधिकार की भी बात होनी चाहिए।

मान्यवर, कानून-व्यवस्था पर बहुत कुछ बातें आ चुकी है, मैं इन सब चीजों में नही जाना चाहता। मैं इतना चाहूंगा कि विपक्ष भी हमारा साथी है। हम विपक्ष को भी उतनी मान्यता देते है जितनी कि सत्ता पक्ष को। हम यह नहीं कहते कि विपक्ष का काम नहीं होना चाहिए। मुझे याद है कि जब आपकी सरकार थी तो यह इन्स्ट्रक्शन दे दिए गये थे कि विपक्ष के नेता या विपक्ष के किसी विधायक का काम न किया जाए। लेकिन हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। हम रोजगार देना चाहते हैं तो आपके सुझाव चाहते हैं या अन्य कोई ऐसा कार्य करते हैं तो विपक्ष के सुझाव को महत्व देते हैं। आइये उत्तर प्रदेश के विकास में साथ दें। और मैं चाहूँगा कि जो संशोधन आपने प्रस्तुत किये हैं वह वापस ले लें और जो माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण है उसको आप स्वीकार कर लें। धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपको मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, इस पूरे अभिभाषण पर माननीय नेता विरोधी दल जी ने जो बातें रखी हैं मैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हुआ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण को पूरा पढ़ा और मैंने देखा कि इस अभिभाषण से जो प्रदेश की व्यावहारिक तस्वीर है उसका इससे कोई तालमेल नहीं खाता है। मान्यवर, सुख, समृद्धि, मंगल और विकास की कामना तो अच्छी है और इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ, लेकिन सुख, समृद्धि मंगल और विकास की कामना केवल कह देने से, लिख देने से या पढ़ देने से इसका भला होने वाला नहीं है जब तक कि उत्तर प्रदेश में कानून राज्य की व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत नहीं होगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि आज कानून के रखवाले जब खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो प्रदेश की जनता की रक्षा क्या करेंगे। इसी लखनऊ शहर में पुलिस विभाग के बहुत बड़े अधिकारी आई0जी0 स्थापना की पत्नी जब मार्निंग

वाक कर रही थी तो वहाँ के बदमाशों के हौसले इतने बुलन्द है कि उन्होंने जबरदस्ती उनको अपनी गाड़ी में बिठाया और उनके हाथ के कान के, गले के जितने भी जेवरात थे, अंगूठी, टाप्स, हार वगैरह वह सब निकाल लिया। मान्यवर, यह घटना 27 जनवरी की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर हम पूरा ब्यौरा रखें और यदि मात्र एक हफ्ते का ब्यौरा रखते हैं तो हमें आपने 15 मिनट का समय दे रखा है और इस हिसाब से हम एक दिन का भी ब्यौरा नहीं रख पायेंगे जिस हिसाब से हमारी तैयारी है। फिर भी मान्यवर, हमें आपके आदेशों का पालन करना है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मौर्य जी, बहुत से ऐसे माननीय सदस्य हैं जो बोल नहीं पाये हैं और जिन्हें श्री राज्यपाल के अभिभाषण और जनरल बजट पर बोलने का अवसर दिया जाता है इसलिए आपको 15 मिन का समय दे रखा है ताकि सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिल पाये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, उस 15 मिनट में एक मिनट का समय तो यह चला गया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि बिजली पानी सड़क और सिंचाई आदि की व्यवस्था पर विवेकपूर्ण नियोजित किया जा रहा है। सरकार के करीब 18 महीने होने जा रहे हैं, सभी माननीय विधायकों से दस-दस गांव समग्र विकास योजना के तहत लिए गए थे, निश्चित जानकारी के मुताबिक मैं अपनी विधान सभा क्षेत्र के दस गाँवों को, जो समग्र विकास योजना के तहत लिए गए थे, मैं कह देना चाहता हूँ कि उनमें से एक भी गाँव को किसी भी विकास कार्य से संतृप्त नहीं किया गया। केवल कपोल-कल्पना कर लेने और हवा में बाते उछाल देने से प्रदेश नहीं चलेगा इसके लिए बहुत ही दृढ़ विश्वास होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए, काम करने की भावना होनी चाहिए, नीयत होनी चाहिए। माननीय नेता सदन तो आन्दोलन से निकले हुए हैं, धरती से निकले हुए हैं, मैं उनकी कद्र करता हूँ। मान्यवर, आज नेता सदन की नही चल पा रही है, आज उनकी चलती होती तो उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाने की अलग से कोई जरूरत नहीं होती। समानान्तर सरकार चल रही है, विकास की ठेकेदारी कोई और करेगा, प्रदेश की सरकार का मुखिया कोई और होगा, इससे प्रदेश चलेगा ? समानान्तर सरकार से कभी प्रदेश का विकास नहीं किया जा सकता है।

मान्यवर, यह नक्सलवाद हमारे सदन की चिन्ता है हम सब इस चिन्ता से अपने को जोड़ते हैं, लेकिन अनुरोध करना चाहूँगा कि यह नक्सलवाद है क्या ? अगर बेरोजगारों की फौज बढ़ेगी तो गलत काम करने वालों की भी फौज तैयार होगी। नक्सलवादी भी ऐसे ही बेराजगारों की फौज है, जो दो वक्त की रोटी के लिए तरसते हैं और रोटी के लिए अपनी जान गंवाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो रोजगार सृजन की भी बड़े पैमाने पर तैयारी सुनिश्चित की जानी चाहिए और मान्यवर, इसी के तहत समान शिक्षा उपलब्ध कराना, कह देना तो आसान है लेकिन समान शिक्षा नीति होगी तभी तो हम उसका क्रियान्वयन करेंगे। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से केवल इतना कह देना चाहता हूँ कि उसका व्यावहारिक स्वरूप दिखाई पड़ना चाहिए जो अभिभाषण में अभिव्यक्त किया गया है वह रूप वह कार्य होता दिखाई पड़ना चाहिए, सिद्धान्त नहीं बल्कि परिपक्व रूप में होना चाहिए, यह मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है। मान्यवर, आज प्रजातन्त्र के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है, प्रजा तन्त्र के रक्षक ही सुरक्षित नहीं हैं, मैं इस पर ज्यादा समय इसलिए नहीं लेना चाहता हूँ

क्योंकि उस पर काफी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, हमारी पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या हो गई है, लेकिन उसके अन्तर्गत मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहां पर हमारे माननीय विधायक श्री रमेश चन्द्र बिन्द जी को परसों जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए एक विधायक जी ने यह धमकी दी है कि केवट, बिन्द तुम्हारी यह हस्ती, तुम औकात भूल गए हो, पैर छूकर प्रणाम नहीं करते हो, तुम्हारा भी हाल वही होगा जो राजू पाल का हुआ है। मान्यवर, जब इस तरह से एक विधायक के साथ होगा तो आम लोगों का हाल क्या होगा ? मान्यवर, इसी 13 फरवरी की बात है, विनय शाक्य जी विधुना से विधायक हैं, चार तारीख को उनकी बहन की बारात आ रही थी, कुछ अराजक तत्वों ने किसी को चाकू मार दिया, मौके पर बारात का जायजा लेने जब वह गए तो वहीं पर उनके ऊपर फायर की गई, किसी तरह से उनका ड्राइवर उनको वहां से लेकर भागा। मान्यवर, आज न्याय के बिन्दु को, न्याय की फरियाद को गम्भीरता से नहीं लिया जाता है, यह है न्याय व्यवस्था। इसलिए मैं कह देना चाहता हूँ कि सही बात सुनने की क्षमता पैदा करिये।

मान्यवर, इसी सदन के विधायक श्री ओ0 पी0 सिंह पर सुल्तानपुर में हमला हुआ था और यह बात आपके सामने भी आयी थी। मान्यवर, मो0 ताहिर जो सांसद हैं उन पर हमला हो चुका है, ब्रजेश पाठक पर हमला हो चुका है। मान्यवर, जब सांसद और विधायकों पर माफिया और गुण्डे धावा बोल देते हैं और उसी कृत्य के फलस्वरूप राजू पाल की हत्या हो गयी तो फिर मान्यवर, आम लोगों की जानमाल कितनी सुरक्षित होगी इसका आंकलन किया जा सकता है। मान्यवर, श्री राजेश यादव रायबरेली के हैं जो सांसद का चुनाव लड़े हैं उन पर जानलेवा हमला किया गया है और यह मामला माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में है। इसी तरह से इन्द्र देव यादव जो हमारे बसपा के कार्यकर्ता आजमगढ़ के थे, उनकी हत्या इसी 4 फरवरी को कर दी गयी।

श्री वसीम अहमद--

मान्यवर, उसे मारने वाला बसपा का ही व्यक्ति है आपके सांसद बैठकर लोगों को मरवाते हैं आपके सांसद ने उनकी हत्या कराई है, वह पालतू अपराधी पाले हुए है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

यह पुलिस की तफ्तीश में आ जायेगा। जिसने हत्या की है उसको सजा मिलेगी।

मान्यवर, इसी तरह से करतार सिंह और मनोज कुमार जो अतरौली बांदा के निवासी थे उन भाइयों की जो हमारे कार्यकर्ता थे उनकी हत्या कर दी गयी। इसी तरह से जनवरी में ही श्री राज बहादुर पाल जो सलीकतपुर अम्बेदकर नगर के निवासी थे उनकी हत्या कर दी गयी। इसी तरह से मान्यवर, श्री शहाबुद्दीन खान जो शुक्लागंज अमेठी के रहने वाले थे और बार ऐसोशियेशन के महासचिव रह चुके हैं उनकी हत्या हो गयी 30 जनवरी को। मान्यवर, अगर इस प्रदेश में वाकई कानून का राज चाहते हैं तो अपराधियों की फौज से आपको बचना पड़ेगा। अपराधियों की छत्रछाया में रह कर प्रदेश में आप कानून का राज कायम कर लेंगे वह कभी संभव नहीं है। मान्यवर, कृपया लाल बत्ती बंद कर दें अभी हमें बोलते हुए मात्र सात मिनट का समय हुआ है।

श्री अध्यक्ष--

आपको तेरह मिनट हो गये हैं दो मिनट में कृपया अपनी बात समाप्त करने का कष्ट करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्या--

मान्यवर, अपहरण की घटनाएं प्रदेश में पहले कभी नहीं होती थी लेकिन इधर अपहरण की घटनाओं की भरमार हो गयी है। मान्यवर, 13 फरवरी को नेतराम पुत्र मिरखू प्रजापति, निवासी ग्राम झिन्ना थाना, मझगवाँ राठ हमीरपुर का अपहरण हो गया और उसकी दोनों आँखे फोड़ दी गयी और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। दिनांक 10 फरवरी को डाक्टर अजय अग्रवाल, गाजीपुर का अपहरण हो गया जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। मान्यवर, इसी 9 फरवरी को लखनऊ में हीवेट पालिटेक्निक के छात्र राजेश को बदमाश उठाकर ले गये बाद में छोड़ दिया। मान्यवर, 3 फरवरी को चित्रकूट के कृषक इण्टर कालेज के तीन बच्चों को उठा लिया गया यह है आशीष, अनुज और मनीष जिनकी आयु क्रमश : 12 साल, 11 साल और 12 साल थी और जो क्रमश : कक्षा सात, कक्षा छ : और कक्षा सात में पढ़ते थे।

मान्यवर, इसी फरवरी में रूपेश कटियार पुत्र सुदामा कटियार, ग्राम टिकरिया, थाना कोतवाली बिल्हौर का आहरण कर लिया गया और इसी फरवरी महीने में पांच वर्षीय बच्ची छवि अवस्थी, निवासी कुपरा, थाना जलालपुर-राठ हमीरपुर का अपहरण कर निर्मम हत्या करके लाश फेक दी गयी। इसी लखनऊ में फरवरी के महीने में बाबू लाल निर्वाण जो कांग्रेस के महामंत्री थे और जूता व्यवसायी थे उनका अपहरण कर लिया गया और आज तक उनका अतापता नहीं है। इसी 20 जनवरी को यीशू निगम पुत्र शिवशंकर निगम, निवासी स्वराज कालोनी का अपहरण कर लिया गया और हत्या कर दी गयी उसकी लाश नवें दिन बरामद हुई। इसी जनवरी में बलराम उर्फ छोटू जो 8 वर्ष का था अश्विनी पुरवा फतेहगंज, फैजाबाद का निवासी था उसका अपहरण हो गया और इसमें अपहरणकर्ता छेदी सिंह गिरफ्तार हुआ जो स0पा0 का विशेष आमंत्रित सदस्य है। इसी एक जनवरी को 11 वर्षीय राजू पुत्र सोमनाथ, निवासी ग्राम देहरापुर, थाना हरगांव, सीतापुर का अपहरण करके हत्या कर दी गयी उसकी लाश बरामद हुई।

श्री अध्यक्ष--

अभी और लोग बोलेंगे उनको ये आकड़े दे दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य--

मान्यवर, मैं आपकी इतनी कद्र करता हूँ कि आपको कहना नहीं पड़ेगा उससे पहले मैं बैठ जाऊँगा।

मान्यवर, 9 नवम्बर को अशरफ उर्फ अन्ना पुत्र असलम खान उर्फ मुन्ना, सिकन्दर नगर जो 11 वर्ष का बच्चा था नवभारत जूनियर हाईस्कूल में पढ़ने गया था वहाँ से उनका अपहरण हुआ। इसके बारे में नेता सदन से अनुग्रह करूँगा कि उसके पिता ने अब तक प्रमुख सचिव गृह, आई0जी0, डीआइजी, एसएसपी को प्रार्थना-पत्र दिया लेकिन उसके बच्चे का पता करना तो दूर एफआईआर तक नहीं दर्ज की गयी, यह सरकार की संवेदनशीलता है। बच्चा चाहे किसी का हो, आपका हो, हमारा हो, बच्चा-बच्चा होता है। यह बच्चा लापता हुआ 9-11-04 को और उसकी तहरीर तक नहीं लिखी गयी, यह कानून का राज है। मैं अपनी बात खत्म करते हुए आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 40 प्रतिशत अपराध की वृद्धि हुई है। 11

महीने में जनवरी से नवम्बर तक 5506 हत्या हुई है ढाई सौ लोगों का अपहरण हुआ है, 1161 महिलाओं के साथ दुराचार, बलात्कार हुआ है, 1487 दहेज हत्या हुई है, 242 डकैतियां हुई हैं जो पिछले वर्ष की तुलना में 40 प्रतिशत वृद्धि शो करती है। इसी प्रकार से बलवा में 88 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 7। प्रतिशत अपहरण/फिरौती में वृद्धि हुई है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी खड़े होंगे। कलुवा नरेश ने कहर बरपा किया वह आ चुका है उसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मान्यवर, कहते हैं कि महिला को सम्मान दिया जायेगा। एक इसी 12 फरवरी का मामला है श्रीमती मंजू सिंह थाना विधुना फरियाद लेकर गयी थी और वहाँ के कोतवाल ने उन्हें अश्लील सीडी टीवी पर दिखाई और दुराचार का प्रयास किया तो जब थाने में महिला के साथ ऐसा होगा तो और जगह आम आदमी का क्या हाल होगा इसलिए मान्यवर,मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो भी बात अभिभाषण के माध्यम से कही है, वह समझ से परे है और व्यवहारिक रूप से वह बिल्कुल गलत साबित हो रही है इसलिए मैं उस अभिभाषण पर क्षोभ व्यक्त करता हूँ कि इस तरह का अभिभाषण सदन के पटल पर रखना ही नहीं चाहिए था। अन्त में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

डा0 अशोक बाजपेयी (कृषि एवं धर्मार्थ कार्य मंत्री)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय छोटेलाल जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद ज्ञापन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से अगर एक-एक दिन भी जोड़ा जाय तो कोई ऐसा दिन नहीं होगा, जिस दिन प्रदेश की जनता के कल्याण के लिये कोई नया निर्णय न किया गया हो और केवल निर्णय ही नहीं, बल्कि उसे क्रियान्वित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं सोचता था कि पहली बार लोकतंत्र में ऐसी सरकार बनी, जिसने इतनी कम अवधि में समाज के विभिन्न वर्गों के हित में योजनायें ही नहीं बनाई, बल्कि उन्हें क्रियान्वित करने का काम भी किया। मान्यवर, यह इनकी मजबूरी है, यह विपक्ष में बैठे हैं और विरोध करने के लिये विरोध करना इनका कर्तव्य है। मैं अपने विपक्ष में बैठे मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि लगातार सत्ता में 3-3 बार रहने के बाद भी कोई ऐसा कार्य है जो उत्तर प्रदेश के विकास के लिये आप द्वारा गिनाया जा सके सिवाय अम्बेदकर पार्क बनाने के, इसके अलावा आपने कोई विकास का कार्य किया हो। मैं आपकी मजबूरी जानता हूँ आप थानों से लाकर मुकदमों की सूची तो यहाँ पढ़ सकते हैं क्योंकि जब से हमारी सरकार बनी है, उसने अपराधों को छुपाया नहीं है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि अपराधों को कम करना है और भयमुक्त समाज बनाना है। जैसा पिछली सरकारें किया करती थी कि थानों को यह निर्देश था कि मुकदमों को कम से कम दर्ज किया जाय, मुकदमें ही दर्ज नहीं होते थे। हत्यायें होती थी, लूट होती थी, डकैतियाँ होती थी, लेकिन यह निर्देश था कि थानों में मुकदमें लिखे नहीं जायेंगे और जब मुकदमें लिखे ही नहीं जायेंगे तो इनका ग्राफ अवश्य कम होगा। लेकिन हमारी सरकार ने बनते ही थानों को यह निर्देश दिया कि कहीं भी अपराध यदि होता है तो उसको छिपाया नहीं जायेगा और उसका मुकदमा अवश्य लिखा जायेगा। लेकिन इसके साथ ही यह कोशिश भी की जायेगी कि अपराध कम हों और जनजीवन सुरक्षित हो। मान्यवर, इस प्रदेश की 18 करोड़ आबादी है और 70 जिले हैं, इतने बड़े प्रदेश में छिटपुट घटनायें होना स्वाभाविक है। लेकिन मैं ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष में बैठे साथी बतायें कि कानून व्यवस्था की

स्थिति में वाकई सुधार हुआ है कि नहीं ? मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूँ कि कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है और आज प्रदेश की 18 करोड़ जनता शान्ति और सुरक्षा के वातावरण में जी रही है। जहां तक विकास की बात है, आजादी के बाद इस प्रदेश का कोई यदि स्वर्णिम युग कहा जायगा तो इस 18 महीने की सरकार का कार्यकाल स्वर्णिम युग के रूप में देखा जायेगा। मान्यवर, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार के काम की सराहना न कर रहा हो और इसके निर्णयों से लाभन्वित न हुआ हो। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की अधिवर्षता आयु बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष की गई, इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया गया। बेसिक शिक्षा में अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिये 60 हजार शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गयी। इसके अलावा 40 हजार विशिष्ट बी0 टी0 सी0 लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। उच्च शिक्षा में भी अध्यापकों की नियुक्ति की गयी। मैं समझता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में इतना अभूतपूर्व काम किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। मान्यवर, हमारी सरकार का यह मानना है कि यदि प्रदेश का विकास करना है तो लोगों को अधिक से अधिक शिक्षित करना होगा और बिना जनसामान्य को शिक्षित किये किसी भी प्रदेश का आर्थिक विकास हो सकता । यहां हमारे मित्र बैठे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने समाज के सभी वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया । पिछली सरकारों में यह होता था कि केवल दलितों को छात्रवृत्ति मिलेगी या पिछड़ों को मिलेगी लेकिन हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया कि छात्रवृत्ति सामान्य रूप से सभी छात्रों को मिलेगी, चाहे वह किसी भी वर्ग के हों और जाति, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा और समाज के हर वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा सभी वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क पुस्तकें मिलेगी, इसमें जाति धर्म का कोई भेद नहीं होगा।

मान्यवर, पिछले वर्षों में कई सरकारें आई लेकिन कोई भी सरकार मध्याह्न भोजन छात्रों को नहीं दे सकी। लेकिन हमारी सरकार ने यह व्यवस्था की। आज प्रदेश के जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं, उनमें पका-पकाया भोजन दिया जा रहा है। पहले केवल यह होता था कि खाद्यान्न की चोरबाजारी होती थी, मिल-बाँट लिया जाता था, इस सरकार द्वारा उस चोर-बाजारी को रोका गया और आज सभी प्राथमिक विद्यालयों में पका हुआ भोजन दिया जाने लगा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस सरकार ने बनते ही गरीबों के लिये 8 रुपये का पर्चा 1 रुपये करने का काम किया। इसके अलावा शैय्या शुल्क जो पहले 25 रुपये लगता था, उसको समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक जनपद में अस्पतालों में दवायें उपलब्ध कराई गई और आज पूरे प्रदेश में गरीब लोग नि:शुल्क इन चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग कर रहे हैं। मान्यवर, पहले पिछड़े क्षेत्रों में अस्पताल नहीं थे, हमारी सरकार ने ऐसे क्षेत्रों में अस्पतालों के भवन बनवाकर उनको जरूरी चीजों से सुसज्जित करने का काम किया। स्वास्थ्य के प्रति सरकार की संवेदनशीलता आज किसी से छिपी नहीं है। इसी तरह से प्रदेश में औद्योगिक वातावरण सृजित करने के लिए पहले दिन से ही हमारी सरकार ने जो काम किया, उसकी जितनी भी सराहना की जाए, कम है। पिछले 15 वर्षों के अन्दर प्रदेश में तमाम सारी सरकारें आयीं और किसी भी सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी मेगावाट बिजली के अतिरिक्त उत्पादन के लिए कोई कारखाना नहीं लगाया। जिस दिन से हमारी सरकार बनी , उसी दिन से हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता विद्युत उत्पादन की रही। नई विद्युत नीति लागू हुई, चार

हजार मेगावाट का कारखाना लगा, 13 हजार करोड़ रुपए का काम शुरू हो गया। आने वाले समय में हमारी सरकार दो रुपए प्रति यूनिट बिजली देगी। इतना ही नहीं जो औद्योगिक समूह एक-एक हजार मेगावाट के उत्पादन के संयंत्र यहां पर लगाने जा रहे हैं, जिससे 24 घंटे बिजली प्रत्येक गांव को उपलब्ध होगी। आज भी 35 हजार गांव ऐसे हैं, जहां पर विद्युतीकरण नहीं हुआ है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि आने वाले तीन वर्षों में प्रत्येक गांव में विद्युतीकरण हो जाएगा और केवल विद्युतीकरण ही नहीं हमारी सरकार उन्हें 24 घंटे बिजली देने का भी काम करेगी। विश्व बैंक की तीन हजार करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत कराकर गांवों को सड़कों से जोड़ने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, यह केवल औपचारिक निर्णय नहीं है। आज सड़कों का निर्माण करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, केवल सड़कों का निर्माण ही नहीं बल्कि उसकी गुणवत्ता भी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। सड़कों का निर्माण उत्कृष्ट कोटि का हो यह हमारी सरकार चाहती है। पिछली सरकार में गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया, केवल गड्ढामुक्त का नारा टंडन जी का रहा है लेकिन कभी गड्ढामुक्त हो नहीं सका। आज की सड़कों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जा रहा है कि आने वाले 10 सालों तक कम से कम इन सड़कों का उपयोग हो सके। उसी तरह से पुलों के निर्माण में हमारी सरकार ने काफी काम किया है। पुलों के निर्माण में, जितने पुल पांच साल की सरकार में बनाये गये होंगे, उससे कहीं ज्यादा पुल हमारी एक साल की सरकार ने बना दिये हैं। अब तक 119 पुलों का निर्माण सेतु निगम द्वारा पूरा कर लिया गया है। इसी तरीके से विकास के लिए कृषि हमारी आधारभूत व्यवस्था है। 80 प्रतिशत लोग आज भी खेती से जुड़े हुए हैं। उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हमारी सरकार चिन्तित रही है। हमारी सरकार ने पहले भी निर्णय लिया था कि धान और गेहूँ का उचित मूल्य किसान को मिल सके और समर्थन से ज्यादा मूल्य हमारी सरकार ने किसानों को दिलाने का काम किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, जिन्होंने एक साल में गन्ना किसानों को 12 रुपए प्रति क्विंटल का रेट बढ़ाकर दिया। हमारी सरकार ने किसानों के लिए जो काम किये है, उन्हें उत्तर प्रदेश का किसान कभी भुला नहीं सकता। कोई सरकार गन्ना किसानों के गन्ने का मूल्य दो रुपए बढ़ा नहीं सकी, आज उन्हें केवल आलोचना ही सूझ रही है। इनके पास कोई ऐसा बिन्दु ही नही हैं, जिस पर यह सही तरीके से बोल सकें। सही मायने में यदि विपक्ष का मतलब होता, तो आज मेजें थपथपायी जाती। मुझे वह दिन भी याद है जब दिल्ली के कारखाने हटाये जा रहे थे, तब वह कारखाने उत्तर प्रदेश में लग सकते थे लेकिन पिछली सरकारों की नीतियों के चलते एक भी कारखाना उत्तर प्रदेश में नहीं लग सका। इनके जमाने में लूट थी, उद्यमियों को परेशान किया जाता था। हमारी सरकार में आज तमाम उद्यमी उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं, उनके मन में उत्सुकता है, तमाम औद्योगिक इकाइयाँ यहां पर निवेश करना चाहती हैं यह हमारा सौभाग्य है।

मान्यवर, अगर यह लोग आलोचना बन्द कर दें तो मैं समझता हूँ कि जितनी तेजी से विकास हो रहा है, वह किसी से छिपा नहीं है। हमारी प्राथमिकता है कि जब तक प्रतिव्यक्ति आय नहीं बढ़ती, विकास दर नहीं बढ़ती, तब तक उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी प्रदेश नहीं बन सकता। हमारी सरकार का सपना है उत्तम प्रदेश का, इन्होंने उल्टा प्रदेश बनाया था, हमारी सरकार इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनायेगी। इसके लिए हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य

हो, चाहे परिवहन हो, चाहे ऊर्जा हो, सड़क हो, सभी क्षेत्रों में हमने विकास किया है और औद्योगिक विकास हमारी प्राथमिकताएं हैं लेकिन एक उदाहरण देना चाहूँगा। यहां पर सारे दल के लोग बैठे हुये हैं और आज कोई दल ऐसा नहीं है जिसकी किसी राज्य में सरकार न हो। मैं इस सदन में चुनौतीपूर्वक कह सकता हूँ कि किसी भी राज्य की कानून-व्यवस्था से उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की तुलना कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी है। इतना बड़ा प्रदेश होने के बद भी जिस तरह से समस्याओं से मुक्ति पाकर प्रदेश को आगे ले जाने की इस सरकार का संकल्प है वह किसी से छिपी नहीं है। जिस तरह से हमारी सरकार ने प्रदेश के विकास का पक्ष रख कर केन्द्रीय योजना आयोग से इतनी बड़ी धनराशि स्वीकृत करायी है उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्पूर्ण विपक्ष बधाई देता तो मुझे अच्छा लगता कि सही मायने में रचनात्मक विरोध है। आज पूरे विपक्ष को माननीय मुख्य मंत्री जी की सराहना करनी चाहिए थी कि इतनी बड़ी धनराशि योजना आयोग से स्वीकृत हुई है। आज आप चाहे जिस क्षेत्र में देख लें जिस तेजी के साथ विकास की गति बढ़ी है, किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा योजना दे करके किसानों के हित में हमारी सरकार द्वारा कार्य किये गये हैं। समय पर यूरिया और डी0 ए0 पी0 की आपूर्ति की गयी, और इसकी कमी नहीं होने दी। सारे देश में यूरिया और डी0 ए0 पी0 की कमी थी लेकिन किसानों के हित को ध्यान में रखते हुये, किसानों को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने इन उर्वरकों की कमी नहीं होने दी। किसानों की फसल अच्छी हो, उपज अच्छी हो तथा नहरों की सफाई करके पूरी सीमा तक नहरों को चलाने का काम किया जा रहा है तथा नहरों की सिंचन क्षमता को बढ़ाने में हमारी सरकार लगी हुई है। आज सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि कृषि पर आधारित उद्योग लगें, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है। कृषि क्षेत्र में उद्योगों को बड़े पैमाने पर लगाकर तमाम नौजवानों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया जायेगा। मान्यवर, आई0 टी0 के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि दुनिया में जितनी भी आई0 टी0 कम्पनियां है, वे उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में आई0 टी0 की अपार सम्भावनायें है। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना समर्थन व्यक्त करता हूँ।

*श्री प्रमोद कुमार--

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे अपने दल की तरफ से बोलने का अवसर प्रदान किया है। महामहिम राज्यपाल द्वारा प्रस्तुत 35 पृष्ठीय कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा से संबंधित अभिभाषण के संदर्भ में मेरा यही कहना है कि कोई भी राज्यपाल का अभिभाषण किसी सरकार के आने वाले एक साल के कार्यों के आईने की तरह होता है, एक दर्पण होता है जिससे यह मंशा जाहिर होती है कि वह भविष्य में क्या करना चाहती है। उसके लिए बजट का प्राविधान होगा। हम बजट के प्राविधान की समीक्षा करेंगे और जितनी कल्याणकारी योजनायें और कार्य हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा। मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी तो कहीं-कहीं लग रहा था कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नहीं महामहिम राष्ट्रपति जी के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अभिभाषण पर चर्चा चल रही है क्योंकि कुछ केन्द्र के विषय भी छुए गये, केन्द्र के विषय में भी बोला गया। मैं बहुत स्पष्ट रूप से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार पर केन्द्रीय पक्ष के रूप में बेहतर होता कि पार्लियामेण्ट में बोला जाता, तो वहीं पर माकूल जबाव मिलता। चूँकि केन्द्र में हमारे दल की सरकार है इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तर प्रदेश के विकास में रुचि कांग्रेस नेतृत्व की नहीं होती तो आपने 11000 करोड़ रुपया प्लानिंग कमीशन से मांगा, फिर बढ़ाकर देने की बात कही गयी। उसके बाद 13 करोड़ बढ़ाया गया लेकिन प्लानिंग कमीशन ने 13.500 करोड़ रुपया दिया। यह सर्वाधिक धनराशि है। इससे बड़ा प्रमाण हम केन्द्र के सहयोग का क्या दे सकते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस देश का विकास, बिना उत्तर प्रदेश के विकास के सम्भव नहीं है और देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश जहां का प्रतिनिधित्व हमारी नेता करती हैं उसके विकास में जो भी कदम उठायेंगे उसमें हमारा सहयोग रहेगा, केन्द्र का सहयोग रहेगा। यह मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। मान्यवर, जब इनकी सरकार थी तो हम सांप्रदायिकता को समाप्त करने की बात करते थे। हम आपका समर्थन करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आप सांप्रदायिकता को समाप्त करने की बात करते हैं। हम टंडन जी को समाप्त करने की बात नहीं करते हैं, हम केवल सांप्रदायिकता को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं महसूस करता हूँ कि सांप्रदायिकता इस देश के लिये सबसे बड़ा जहर है जिसको समाप्त होना चाहिये।

मान्यवर, वैसे कोई भी अवसर हो जौहर विश्वविद्यालय का जिक्र करना हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भूलते नहीं हैं क्योंकि उनकी रुचि जौहर विश्वविद्यालय में अब नहीं रह गयी है उनकी रुचि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने में रह गयी है। आपने हमें इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहा है। मैं अपनी और अपनी पार्टी की स्थिति स्पष्ट करने के लिये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी हृदय से चाहती है कि जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। हम जौहर विश्वविद्यालय की स्थापना का सिर्फ स्वागत ही नहीं करते हैं, हर तरह का सहयोग करने का वचन देते हैं। जितना आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति आदर है उससे कहीं ज्यादा हमें उनके प्रति आदर है लेकिन उनके नाम को विवाद में कांग्रेस पार्टी नहीं घसीट रही है बल्कि उनके नाम को विवाद में आप और आपकी महत्वकांक्षा घसीट रही है वरना आजीवन प्रो-चांसलर बनने की मंशा क्यों है। जौहर साहब की कुरबानी और उनके परिवार की कुरबानी को देखते हुये विश्वविद्यालय बनना चाहिये इसमें हमारी नीयत साफ है।

संस्कृत विश्वविद्यालय की बात कही गयी। संस्कृत विश्वविद्यालय काशी में खुला है, अगर नहीं है तो खुलना चाहिये। हम कोई विश्वविद्यालय खुलेगा तो उसका समर्थन करेंगे लेकिन इसका विरोध करेंगे कि कोई एक व्यक्ति उसका आजीवन प्रो-चांसलर बना रहे। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि अस्थिरता की बात कही गयी है। अस्थिरता कौन पैदा कर रहा है। हमने हमेशा कहा है कि हमारा सहयोग विकास में होगा । अस्थिरता के संबंध में फर्रुखाबाद की बात आ रही है। फर्रुखाबाद में जो बात कही गयी है वह दिल्ली जाकर भूल गये होंगे। मैं कांग्रेस का होने के नाते यह कहना चाहता हूँ कि असंवैधानिक ढंग से किसी सरकार का जीवन समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। मैं असंवैधानिक ढंग से किसी सरकार का जीवन समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मुझे इतना जरूर कहना है, यह स्थिति स्पष्ट कर दिया है कि जिनके नेता के आये दिन बयान आते हैं वह कम से कम राष्ट्रीय नेता नहीं हैं सिर्फ फर्रुखाबाद तक के हैं।

श्री प्रमोद कुमार--

मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि वह जो फर्रुखाबाद के नेता हैं वह पूर्व गवर्नर रहे हैं। आपको सोते जागते, उठते बैठते सिर्फ एक फर्रुखाबाद दिखाई दे रहा है। हम अपने सलमान खुर्शीद साहब का आदर करते हैं वह हमारे नेता हैं। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हम हर कल्याणकारी योजना को समर्थन देंगे। हम किसी सरकार को असंवैधानिक ढंग से गिराने के पक्ष में नहीं है। मान्यवर, मैं विशेष रूप से बिजली के बारे में कहना चाहता हूँ। बिजली की जो दशा है उसके बारे में जवाब आप दें, भा0 ज0 पा0 दे या ब0 स0 पा0 दे। वर्ष 1988 से लेकर वर्ष 2005 तक एक भी मेगावाट का उत्पादन क्यों नहीं बढ़ा इसके बारे में आज आपको जवाब देना पड़ेगा। टांडा थर्मल पावर जो उत्तर प्रदेश सरकार का था वह कैसे एन0टी0पी0सी0 को चला गया है। ऊँचाहार विद्युत गृह जो हमारा था वह राष्ट्रीय विद्युत उत्पादन निगम को कैसे चला गया। जब प्रदेश में एक मेगावाट विद्युत उत्पादन 15-16 वर्षों में नहीं बढ़ाया गया है तो विद्युत संकट कैसे खत्म हो सकता है। इसके लिए आपको ठोस कदम उठाने होंगे आप इस संबंध में जो भी कदम उठायेंगे उसमें हमारा और केन्द्रीय सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। तो हमारा दल विद्युत उत्पादन के मामले में आपके साथ खड़ा नजर आएगा। एक बात माननीय मंत्री जी ने कही इसलिए जवाब देना पड़ रहा है कि यह अधिकार मिलना चाहिए कि हम समर्थन मूल्य तय करें सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि प्रदेश सरकार किसानों को जो मूल्य दिलाना चाहे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट जो 2004 में आया है उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो गयी है। मैं समझता हूँ कि केन्द्र सरकार का अपना अधिकार है और हर प्रदेश का अपना अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आपको अधिकार दे दिया है आप जितना पैसा बढ़ा देंगे हम स्वागत करेंगे। अगर आप इसी समय घोषणा कर दें कि आप 50 रुपए कुंतल दाम बढ़ा रहे हैं तो हम बैठ जाएंगे। आप घोषणा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

चूँकि प्रमोद कुमार तिवारी जी ने चुनौती दी यहां इसलिए मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यहां पर किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली घोषणा की बात नहीं है बल्कि नीति की बात हो रही है। क्या प्रमोद तिवारी जी इस बात का भरोसा दिला सकेंगे कि राज्य सरकार जो भी नीति तय कर देगी उससे केन्द्र सरकार को कोई ऐतराज नहीं होगा और केन्द्र सरकार राज्य सरकार को आजाद कर देगी इसके लिए आप सहमत हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल--

केन्द्र सरकार में जो केन कमीशन बना है जो मूल्य तय करता है उसको खत्म करवा दें। केन्द्र सरकार जो समर्थन मूल्य कहेगी उत्तर प्रदेश सरकार उसको करने के लिए तैयार है।

श्री प्रमोद कुमार--

यह विवाद तय हो चुका है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किया जा चुका है अगर उसके बाद भी आप नहीं करते हैं तो मत करें।

श्री मोहम्मद आजम खां--

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पार्लियामेंट से कानून बनता है।

श्री प्रमोद कुमार--

जो कानून बनता है उसका इण्टरप्रेटेशन सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ही इसकी सर्वोच्च संस्था है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मुझे कष्ट है कि इतने बड़े वकील होने के बाद आप ऐसी बातें कर रहे हैं भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट से कुछ ऐसे फैसले हुए जो विवादित हुए जिनके बाद पार्लियामेंट ने कानून बनाया और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को नल एण्ड वाइड कर दिया।

श्री प्रमोद कुमार--

यह विषय सर्वोच्च न्यायालय को रेफर हुआ था सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसी भी प्रदेश सरकार को अपना समर्थन मूल्य बढ़ाने का अधिकार है उसके बाद कौन सा कानून बनवाना चाहते हैं। ठीक है आपकी मजबूरी है सरकार चलाने के लिए सब करना पड़ता है। मैं दो तीन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। नेता सदन बैठे हैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। सड़कें, पुल अच्छे बने यह स्वागत योग्य कदम है उनके रखरखाव की व्यवस्था की गई है यह स्वागत योग्य कदम है, कल्याणकारी योजनाएं बनायी जायंगी यह स्वागत योग्य कदम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस प्रदेश में चुस्त दुरुस्त है अगर सार्वजनिक वितरण प्रणाली चुस्त दुरुस्त है तो पांडेय कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है। केन्द्र सरकार से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए अनाज आया था जिनको बिलो पावर्टी लाइन कहा जाता है लेकिन उस अनाज का क्या हुआ, लखीमपुर, गोण्डा, शाहजहाँपुर, देवरिया सहित लगभग पूरे प्रदेश में यह घोटाला कितने का है। एक-एक जिले में यह 200-200 करोड़ रुपए का घोटाला है। एक वर्ष पूर्व जो गेहूँ आया था वह कहाँ चला गया क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को वह मिला। मान्यवर, जब आप अवसर देंगे तो विस्तार से चर्चा होगी। यहां पर यह कहना चाहता हूँ कि वितरण व्यवस्था में एक मानक लागू करना चाहिए। सरकार, सरकार को बेच रही है। तेल कम्पनियां उत्तर प्रदेश सरकार को बेच रही है। मिट्टी के तेल का दाम 9 रुपये कुछ पैसा लीटर निर्धारित है फिर सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में अगर गड़बड़ी नहीं है तो वह बाजार में 20-25 रुपये लीटर क्यों बिक रहा है ? भारत सरकार की नियंत्रक तेल कम्पनियां उत्तर प्रदेश सरकार को अधिकृत रूप से 9 रुपये लीटर के हिसाब से दे रही हैं। यह गड़बड़ी नहीं है तो फिर क्या है जो इस तरह से 20-25 रुपये लीटर बाजार में मिल रहा है। आपके मंत्री ने स्वीकार किया है कि बंगला देश नहीं जाता है, नेपाल नहीं जाता है। उन्होंने यह स्वीकार किया है, प्रेस कान्फ्रेन्स में, कि कई प्रान्तों में जाता है। जब यह स्वीकार कर लिया है कि जाता है तो आप इसको दिखवाते क्यों नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी है कि अनाज के कहीं भी लाने ले जाने पर कहीं कोई पाबन्दी नहीं है। लाइसेंस के साथ भी ले जाया जा सकता है। विदेशों को एक्सपोर्ट हो सकता है। लेकिन वह अनाज जो गरीबों के लिये है वह क्यों बाहर जा रहा है। जैसा कि आरोप लग रहे हैं कि नेपाल और बंगाल देश को अनाज जा रहा है। इसकी जांच आपकी उत्तर प्रदेश की कोई इकाई नहीं कर सकती है। आप यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि यह हमारी सरकार के समय का नहीं है, उससे पहले की सरकार के समय का है, आपके मंत्री यह कहकर नहीं बच सकते हैं कि यह हमारे मंत्रिकाल का नहीं है, हमसे पहले वाले

मंत्री के समय का है। मान्यवर, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है कि किस मंत्री के कार्यकाल का है किसके कार्यकाल का नहीं। हम तो बस यह चाहते हैं कि जिसके भी कार्य-काल का हो उसकी जांच कराई जानी चाहिए और जांच उत्तर प्रदेश की एजेन्सी नहीं कर सकती है। जांच अगर कोई कर सकता है तो केन्द्रीय सी0 बी0 आई0 करे जो बंगला देश और नेपाल के लिये भी अधिकृत हो और जांच के लिये यही व्यवस्था सही है। जिस दिन प्रदेश सरकार सी0बी0आई0 से जांच के लिये कहेगी, हम उसका स्वागत करेंगे।

मैं आगे इतना और कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के विकास के लिये अगर उचित कदम उठाये जायेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपराधिक इतिहास के लोग मंत्री न बनें तो अच्छा है। जिसके ऊपर 30-35 मुकदमें चल रहे हों, ऐसे लोग मंत्री न बनें। मैं प्रतापगढ़ और इलाहाबाद का जिक्र करना चाहता हूँ कि वहां पर नमाज के लिये अजान लाउडस्पीकर पर दी जाती है तो कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं कि वह लाउडस्पीकर हटा दिये जायं। मेरा कहना है कि इस तरह से कार्य से साम्प्रदायिकता नहीं फैलेगी ? अगर एक जगह कहीं साम्प्रदायिकता फैलेगी तो आपके सारे अच्छे काम रखे रह जायेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का प्रयास होता है तो जो लोग इस तरह का प्रयास कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। फर्रुखाबाद की घटना है वहां पर कलुआ डकैत ने ट्रैक्टर चलाकर कुछ लोगों को रौंद दिया। इसी तरह से ददुआ के बारे में कहा जा रहा है। टण्डन जी नाम लेने में संकोच कर रहे थे लेकिन मैं बताता हूँ कि जैसा कि समाचार पत्रों में आया कि फतेहपुर में ददुआ ने मंदिर बनवाया और वहां पर मूर्ति प्रतिष्ठा में भी आया और चला गया। यह जांच का विषय होना चाहिए कि किन लोगों का संरक्षण उसको प्राप्त है। मैं तो उन लोगों में हूँ कि चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े अपराधियों को महिमामंडित किये जाने के मैं खिलाफ हूँ। अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार ने जो दृढ़ इच्छाशक्ति बिजली के बारे में दिखाई है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूँ लेकिन मुझको जो कमी नजर आ रही है उसको मैं बताना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आप इसको दिखवा लें। दादरी में जो आपकी विद्युत परियोजना लगाने की बात है, निश्चित रूप से वह लगना चाहिए और उसका लगना निश्चित रूप से प्रदेश के लिये वरदान होगा। लेकिन मेरी जानकारी में है कि उस कम्पनी ने अभी तक प्रदेश में कहीं बॉयलर का आर्डर नहीं दिया है। आप इसको भी दिखवा लें। जो कल्याणकारी कदम इस प्रदेश के विकास के लिये उठाये जायेंगे कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करेगी। जो संशोधन कांग्रेस पार्टी ने प्रस्तुत किये हैं वे इस प्रदेश के हित में हैं, इसके विकास के लिये हैं, मैं इस पर बल देते हुए आग्रह करूँगा कि इन संशोधनों को भी स्वीकार किया जाय।

श्री कौकब हमीद (ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, पर्यटन मंत्री)--

मान्यवर, धन्यवाद प्रस्ताव के पक्ष में कहने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़ा विवाद चला कि राष्ट्रपति शासन लगेगा। राज्यपाल का शासन लगेगा। 356 लगेगा एक बात स्पष्ट कर दूँ हम लोगों की पूरे समय सरकार चलेगी। वह दिन हवा हुए जब खामख्वांह राष्ट्रपति शासन लगते थे। अब किसी की हिम्मत नहीं है। यह बात आई इलेक्शन काउन्टरमान्ड हो गये। इलेक्शन काउन्टरमांड क्यों हुए यह लॉ एण्ड आर्डर पर नेता विरोधी दल ने कहा यह बताने की बात है कि काउन्टरमांड हुए

तो आप लोगों ने उधम मचाया, गुण्डागर्दी कराई और काउन्टरमांड कराया। पूरी व्यवस्था साथ रही तो जीतकर आ गए तो क्यों खामख्वाह काउन्टरमांड कराया। लां एण्ड आर्डर की व्यवस्था खराब थी तो उन्होंने वोट क्यों दिया ? हमें जितना दिया तो साबित है हमसे खुश है। हमें चाहते हैं, हमें मानते हैं। मान्यवर, मौलाना मुहम्मद अली जौहर बिरादरन वह शख्सियत थी जिनके बारे में, इससे पहले यूनिवर्सिटी का नाम आने के पहले चाहे आप चाहते हों चाहे आप कहते हों कि हमें उनसे मोहब्बत है लेकिन न इन्होंने उनका कभी नाम लिया कि हमें उनसे बहुत मोहब्बत है न इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई। कोई फोटो नहीं बनाया तो यह कहना कि हमें विरोध नहीं है तो विरोध तो है उनके नाम से यूनिवर्सिटी बन रही है, बन रही है तो परेशानी क्या है ? परेशानी सामने आ जाए, परेशानी यह है कि अरबी फारसी की यूनिवर्सिटी बनेगी यह आपके हलक से उतर नहीं रहा है। यहां परेशानी यह है कि यह काम नहीं किया लेकिन यह काम हम कर नहीं सकते थे और परेशानी कोई नहीं है। यह यूनिवर्सिटी मौलाना मुहम्मद अली जौहर के नाम से हो जाएगी तो लोग यह कहेंगे कि आप तो तीसमारखाँ बनते थे लेकिन तुम्हें तो यह भी पता नहीं कि मुहम्मद अली जौहर बड़े हैं या शौकत अली जौहर बड़े हैं और मसला खड़ा हो जाएगा। आपका मामला साफ है फारसी पढ़कर तेल बेचा जाएगा तो आपको परेशानी है। फारसी अरबी क्यों पढ़ाई जाए यूनिवर्सिटी क्यों साफ-साफ करें मुद्दे ठीक हैं विकास हो रहा है। विकास चल रहा है। विकास में यूनिवर्सिटी बन रही है उसका साफ-साफ समर्थन करें। यह प्रस्ताव माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के ऊपर चर्चा मुझे समझ में नहीं आई। मौर्या जी ने थाने के रजिस्टर पढ़े ? इतनी हत्याओं को रोका गया। यह किया गया वह किया गया, तो मान्यवर कानून व्यवस्था की चिन्ता होती है तो उसका मापदंड एक है वह यह है क्या उस सरकार के जमाने में कोई साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ या नहीं।

मान्यवर, क्या कोई ऐसी बात इस जमाने में हुई जिससे पूरे प्रदेश में आतंक फैल गया हो या कोई कास्ट सिचुएशन इतनी बिगड़ी हो कि लोगों ने कब्जे करने शुरू कर दिए हों, मान्यवर, इस 18 महीनों में तो ऐसा नहीं हुआ। हां, जब आप थे, जब आप थे, तब हुआ है। ऐसी स्थिति में यह कहना कि लॉ एण्ड आर्डर, कानून-व्यवस्था खराब है, यह बेकार की बात है। मान्यवर, 18 करोड़ का प्रदेश है, यह पांचवां मुल्क होता यदि मुल्क कहलाता। मान्यवर, सदन के अन्दर ही किसी थाने का रजिस्टर पढ़ना शुरू कर दिया गया, यह कोई कहने की बात नहीं थी। कहने की बात यह थी कि सिंचाई के लिए वर्ष 2004-2005 में 28772 कि0 मी0 नहर को साफ करने का काम 90 फीसदी पूरा हो गया है और अभी टाइम बाकी है, यह कहने की बात थी। मान्यवर, गन्ना मूल्य के ऊपर बड़ी चर्चा हुई, क्या आज की डेट तक इससे बेहतर पेमेन्ट कभी हुआ है। आप भी गन्ना मंत्री रहे हैं।

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

हन्डरेड परसेन्ट हुआ है।

श्री कौकब हमीद--

मान्यवर, 3-4 महीने अभी बाकी है और अभी सीजन चल रहा है, हमने 70 फीसदी से ज्यादा भुगतान कर दिया है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। मान्यवर, हिन्दुस्तान का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश का है। यह हमारी आबादी का औसत है और यदि भारत सरकार यह बात करती है कि हम हिन्दुस्तान का विकास कर रहे हैं तो वह हमें तरीका बता दे कि उत्तर प्रदेश को

फण्ड नहीं देंगे तो वह हिन्दुस्तान का विकास कैसे करेगी ? मान्यवर, हिन्दुस्तान का विकास तभी होगा जब उत्तर प्रदेश का विकास होगा। हिन्दुस्तान का हर छठा आदमी उत्तर प्रदेश में रहता है। मान्यवर, मुझे भी 20-22 साल हो गए हैं, हमने कभी ऐसा नहीं देखा लेकिन हमारे मुख्यमंत्री पूरा डेलीगेशन लेकर गए और 550 करोड़ रुपये लाए। इसके बारे में आपने जिक्र किया होता कि यह काम अच्छा किया।

मान्यवर, मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लानिंग कमीशन ने भी इस बारे में गौर किया और उसने सोचा कि अगर प्लानिंग कमीशन का मकसद पूरे हिन्दुस्तान को प्लान करना है तो प्लानिंग बेहतर देनी होगी। जब उत्तर प्रदेश में प्लानिंग ठीक होगी और उसे बेहतर से बेहतर फण्ड दिया जाएगा। बेहतर फण्ड लाने के लिए जिम्मेदार माननीय मुख्य मंत्री जी हैं। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी का निर्वाह किया और इतनां पैसा लाये, यह बड़ी बात है। मान्यवर, जहां तक सड़क का सवाल है। गड्ढामुक्त सड़क का नारा तो यहीं से लगा था और वह दौर भी देखा गया जब सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हुई बल्कि गड्ढायुक्त हो गयीं। आज मुझे कोई ऐसी जगह बता दें जहां सड़क का काम न हो रहा हो। हर जगह आज काम हो रहा है। चाहे जो भी संस्थाएं हों वह काम कर रही हैं। सड़क तो बन रही है। सड़कों का जाल बिछ रहा है। यह कहना कि नहीं हो रहा है, यह गलत होगा। आगरा ही ले लीजिए। आप लोग अमेरिका गये थे, इंग्लैण्ड गये थे। पूरा का पूरा अमला भी गया था और लेने गया था कि वहां से निवेश आ जाये, उद्योगपति आ जायें। आप एक आदमी का नाम बता दें जो इंग्लैण्ड से यहां आया हो। मैं और कोई बात नही पूछ रहा हूँ मैं सिर्फ यह पूछ रहा हूँ कि मुझे सिर्फ एक आदमी का नाम बता दीजिए। अब अगर हम दादरी के अन्दर एक प्लान्ट लगवा रहे हैं। वह शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है तो जिनका जुगाड़ चल रहा है वह लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि वह न बने। मैं कहना चाहता हूँ कि यह होना तो उत्तर प्रदेश में ही है। अगर मेरे घर में बिजली नहीं आएगी तो आपके घर में भी नहीं आएगी। आप विरोधी दल हैं लेकिन आपने तो रोकने का काम शुरू कर दिया कि कोई तरीका ऐसा हो जाए कि यह न लगे। यह कौन सा तरीका है ?

श्री लालजी टण्डन--

आप उनकी बात सब पर क्यों कर रहे हैं। इशारा करिये कि कौन रोक लगा रहा है। हम तो जो खामियां हैं वह बता रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं उसे देख लीजिए नहीं तो यह समय से नहीं बन पाएगा।

श्री प्रमोद कुमार--

पता नहीं दोष किसका हो, लेकिन माननीय टण्डन जी उंगली मेरी तरफ है। मैं तो आपका दोस्त हूँ और रहूँगा लेकिन दुश्मन को पहचान लीजिए। कौकब साहब हम लोग एक ही मंत्रिमण्डल में मंत्री थे, आप ऊर्जा मंत्री थे। एक बात बता दीजिए कि ऊँचाहार बिजली घर किसने बेचा। लालजी टण्डन जी ने।

श्री लालजी टण्डन--

उस समय भी केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी उसने जबरदस्ती ले लिया था। आज भी केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है।

श्री कौकब हमीद--

एक बात से पूरा सदन सहमत होगा कि बिजली सबको मिले रोशनी सबके घर में आये। यदि आप लोग सहमत हैं तो फिर मुलायम सिंह जी जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप बाधा क्यों पैदा कर रहे हैं। आप लोग पूरी कोशिश कर लो लेकिन यहां पर विकास होगा, बिजली लगेगी और यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा। जो आपने इसको रोकने का बीड़ा उठाया है उसमें आप लोग कामयाब नहीं हो पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आपको धन्यवाद देता हूं।

(श्री राम स्वरूप सिंह जी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम स्वरूप सिंह--

मान्यवर, आज मेरी तबियत ठीक नहीं है, मैं आज नहीं बोल पाऊँगा, कल बोल लूँगा।

*डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण के संशोधन के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया उससे मैं अपने आप को जोड़ता हुआ और माननीय नेता विरोधी दल जी द्वारा जो बातें रखी गयी हैं उन सभी बातों का समर्थन करते हुए कुछ मुद्दों को मैं सदन के समक्ष रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात तो विद्युत व्यवस्था के बारे में हैं। गोरखपुर महानगर में विद्युत असंतुलन है। वहाँ पर सोलह, अट्ठारह घंटे बिजली नहीं आती है। हम लोगों ने लगातार इसका संतुलित विरोध किया। मान्यवर, यह सही है कि विद्युत उत्पादन के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है लेकिन वितरण की जिम्मेदारी तो इनकी है। मान्यवर, कुछ जिलों में अधिक बिजली दी गयी और कुछ जिलों को जानबूझकर कम बिजली दी गयी। इस जाड़े में विद्युत की समस्या हुई है और गर्मी आने वाली है और यह समस्या और गम्भीर हो जायेगी। मैंने उस समय भी इस बात का प्रस्ताव रखा था कि सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि प्रदेश में जितनी भी विद्युत उपलब्ध हो वह सभी जिलों के सामान्य रूप से बांटी जाय। प्रदेश सरकार ऐसा करने में असफल रही है। कुछ जिलों को विद्युत अधिक दी गयी। मान्यवर, इस वर्ष यह घोषणा होनी चाहिए कि जितनी भी विद्युत होगी इन राजनेताओं के हाथ से वितरण का अधिकार छीनकर जो बिजली मूल्य नियामक है.....

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह तो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, मैं आपका सम्मान भी करता हूँ आप तो डाक्टर भी है आप तो भले की बात करें। अगर पड़ोस का बच्चा स्वस्थ है तो आपको, खुशी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, मैं सही कह रहा हूँ। सरकार को यह घोषणा करनी चाहिए कि जितनी विद्युत उत्पन्न हो वह सबमें समान रूप से वितरित की जाय। यह कहना कि कुछ जिलों में अधिक देंगे और कुछ जिलों में कम देंगे तो यह अनुचित है और इस आधार पर सरकार का विरोध किया जा रहा है।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, अगर मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में, जिले में या निर्वाचन क्षेत्र में बिजली नहीं जायेगी तो क्या यह अच्छा होगा ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डा0 राधामोहनदास अग्रवाल--

मान्यवर, यह बिल्कुल उचित होगा। यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधार है, बिजली सबको समान रूप से देनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, यह ऐतिहासिक परिपाटी है कोई भी मुख्यमंत्री रहे हों, उनके क्षेत्र में बिजली रही है और किसी ने इस पर ऐतराज नहीं किया है, मान्यवर मैंने भी कभी नहीं किया। मैंने बहुत सी बातों पर ऐतराज किया मायावती जी की सरकार में उनके क्षेत्र में ज्यादा बिजली दी जाती थी, उस पर मैंने कभी ऐतराज नहीं किया। माननीय सदस्य डा0 राधा मोहन जी बहुत पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं इसलिए मैंने कह दिया, अगर नहीं होते तो शायद नहीं कहता।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल--

लोकतंत्र में हर विधायक और हर विधान सभा क्षेत्र को यह अधिकार है कि जितनी भी प्रदेश में बिजली है वह सबको बराबर मिलनी चाहिए। मान्यवर, इन्हें तो यह आदर्श देना चाहिए कि हम ज्यादा बिजली नहीं लेंगे बल्कि दूसरों को ज्यादा बिजली देंगे। मान्यवर, हमारे पूर्वान्चल में विकास की स्थिति यह है कि गोरखपुर में विकास के नाम पर कुछ योजनाएं स्वीकृत हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आकर इन योजनाओं पर रोक लगा दिया और पूरे साल ये योजनाएं ठप्प पड़ी रहीं। जब नियोजन विभाग से इस बारे में कहा गया तो उन्होंने इसके लिए असमर्थता व्यक्त की। आज नियोजन मंत्री यह कहते हैं कि मैं नियोजन मंत्री नहीं निष्प्रयोज्य मंत्री हूँ।

मान्यवर, गोरखपुर की इन योजनाओं के लिए अगस्त, 2004 की द्वितीय किस्त ही अभी तक नहीं जारी हुई है। मान्यवर, गोरखपुर में आज कोई विकास का कार्य नहीं हो रहा है चाहे वह धर्मशाला पुल हो या कोई अन्य योजना। धर्मशाला के पुल की आज यह स्थिति है कि यहां इतनी धीमी गति से निर्माण कार्य हो रहा है कि यहां के अवर अभियन्ता कहते हैं धर्मशाला पुल के निर्माण के लिए आवश्यक संसाधन दिए ही नहीं जा रहे हैं। मान्यवर, हमारे यहां मेडिकल कालेज के छात्र बराबर आन्दोलन कर रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि टिक्कू कमेटी की रिपोर्ट स्वीकार की जाएगी, मान्यवर एक बार भी विभाग ने नहीं कहा कि टिक्कू कमेटी स्वीकार कर ली गई है और आज मेरे प्रश्न के जवाब में जवाब यह दिया जा रहा है कि इसके लिए लोक सेवा आयोग को लिख दिया गया है, यह तो पिछली सरकार में ही लिख दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी जब रक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने इसका शिलान्यास किया था, वहां के प्रधानाचार्य कहते हैं कि सिर्फ 12 लाख रुपये हमें दे दें तो हम इसे प्रारम्भ कर देंगे। रुपये न देने के कारण आज तक वह प्रारम्भ नहीं हो पाया है। मान्यवर, जब यह प्रश्न सदन में उठाया गया था तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि यहां जितनी भी बातें उठाई गई हैं, मेरे संज्ञान में लाई गई हैं उन सब पर कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया। आज मुझे इसका जवाब दिया गया है, इसमें कहा गया है कि गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेण्टर बनाये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मान्यवर, इस तरह के जवाब से तो इस सरकार के बारे में इसकी कार्य प्रणाली के बारे में, इसकी मन्शा के बारे में प्रश्न तो खड़े होंगे ही। मान्यवर, पुलिस व्यवस्था की स्थिति यह है कि एक साल के अन्दर गोरखपुर मण्डल के अन्दर नो ट्रैफिक जोन में ट्रकों के प्रवेश

करने के कारण तमाम मौतें हो गई हैं, मान्यवर, जब कोई डाक्टर लापरवाही करता है तो उसके ऊपर धारा 304 का मुकदमा दर्ज होता है। मान्यवर, अगर एक पुलिस कर्मी लापरवाही कर रहा है और जिसके नाते लोगों की मौतें हो रही हैं तो फिर किसी न किसी को तो इस व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मान्यवर, हमारे यहाँ गोरखपुर में गीडा स्थापित है आज आप देखें हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की तो स्थापना हो गयी परन्तु गीडा में एक पूर्णकालिक अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। जिसकी वहां सख्त आवश्यकता है। उस अधिकारी के न रहने से न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वान्चल का विकास प्रभावित हो रहा है। मान्यवर, मैं इस अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के प्रति अपना विरोध प्रकट करता हूँ और मैं इस पर रखे गये संशोधन के प्रस्ताव के पक्ष में और धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान करता हूँ।

श्री राम करन आर्य--

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में, जो श्री छोटे लाल यादव जी द्वारा रखा गया है, अपनी बात रख रहा हूँ।

मान्यवर, इस जनप्रिय सरकार को सत्ता में आये हुए 18 महीने का समय हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी 18 महीने से प्रदेश की सत्ता संभाले हुए हैं और उस शासन व्यवस्था को संभालते हुए उन्होंने जो कार्य किये हैं प्रदेश की जनता के लिए वह आज सर्वविदित है। वह कार्य चाहे अध्यापकों की नियुक्ति का हो, चाहे गन्ना उत्पादकों को मिलने वाले गन्ना मूल्य बढ़ाने का हो या अस्पतालों की पर्चियों के दाम घटाने का हो या वहां पर शय्याओं को बढ़ाने का हो, तमाम ऐसे सारे काम हुए हैं जिसको किसी भी जनप्रिय सरकार को उसके जनप्रिय मुख्यमंत्री को करना होता है। मान्यवर, जो प्रदेश की गद्दी पर बैठता है वह कोशिश करता है कि जितनी जनतंत्रीय व्यवस्थायें हैं उनका वह सुचारु रूप से संचालन करे। आज मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख रहे थे मैं उनकी बातों को सुन रहा था । जब माननीय नेता प्रतिपक्ष सत्ता में थे और इधर बैठा करते थे तो लॉ एण्ड आर्डर के सवाल पर मैं एक दिन नहीं कई दिन तक सदन के वेल में जाता रहा और अपनी सीट पर वापस आता रहा लेकिन माननीय नेता विरोधी दल अपनी नजर घुमा लेते थे क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री की चाबुक उन पर रहती थी। वह यहां धृतराष्ट्र की तरह बैठे रहते थे आज पता नहीं कैसे उनके सारे ज्ञान चक्षु खुल गये हैं आज वह हर चीज के मर्मज्ञ हो गये हैं। आज वह प्रदेश के भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो गये हैं। जबकि 18 महीने पहले सारी चीजों को धृतराष्ट्र की तरह देखा करते थे और अपने मन में रखकर चुप रहते थे और दुर्योधन की बातों के पक्ष में बोलते थे।

मान्यवर, माननीय मुलायम सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मान्यवर उनके शासन सत्ता संभालने के पहले यहां की जनता त्राहि-त्राहि कर रही थी लेकिन जब से भाजपा बसपा की सरकार यहां से गयी है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली है उनके जनप्रिय कार्यों से गांवों में बच्चे औरतें सभी लोग खुश हैं। जबकि माननीय नेता विरोधी दल के शासनकाल में उस मिलीजुली सरकार के शासनकाल में सैकड़ों ट्राली गन्ना जला दिया गया था आज स्थिति है कि 13 जनवरी, 2005 तक गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य के 80 प्रतिशत का भुगतान हो गया है। मान्यवर, ला एण्ड आर्डर की बराबर बात यहां की जाती है लेकिन पूरे तथ्यों को यहां पर नहीं रखा जाता है। आज माननीय मुलायम सिंह जी के मुख्यमंत्रित्वकाल में जो सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं इसका

विरोध पक्ष ने कभी स्वागत नहीं किया है। मान्यवर, मुझे याद है राजभवन के सामने हम विधायक लोग धरने पर बैठे हुए थे हम राजा के दरबार में गये थे लोकतंत्र की बहाली के लिए वहां संत जैसे विधायक मंजूर अहमद जी की सरआम हत्या कर दी गयी थी तब किसी ने नहीं कहा कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाय। मान्यवर, मैं घटनाओं का विरोधी हूँ लेकिन यह अकेले सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं है। मान्यवर, मैं माननीय नेता विरोधी दल और सभी दलों के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग जब अपराधियों को संरक्षण देंगे तो उत्तर प्रदेश निश्चित रूप से एक बुरे रास्ते पर जायगा और अपराधिक घटनाएं होंगी। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपराध रोका है, इस पर अंकुश लगाया है। जब हमारी सरकार ने अपराध रोका है तो इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ला एण्ड आर्डर और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी जितनी हमारी सरकार की है उतनी ही माननीय नेता विरोधी दल की है, उतनी ही माननीय मौर्य जी की है और उतनी ही माननीय तिवारी जी की है। केवल विरोध करने से काम नहीं चलेगा बल्कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि किस तरह से कानून व्यवस्था ठीक हो। यदि किसी प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो वह प्रदेश तरक्की नहीं कर सकेगा, न तो लोग इंडस्ट्री लगायेंगे न कल कारखाने चलायेंगे न और कोई उद्योग धन्धे लगायेंगे और जब बार-बार लॉ एण्ड आर्डर की बात कही जायेगी तो प्रदेश से उद्योगपति दूर भागेंगे।

(इस समय 3 बजकर 5 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पीठासीन हुए।)

सदन में जो दल है उन दलों की सरकारें कहीं न कहीं हैं। देश के हर प्रदेश का एक आंकड़ा आप मंगा लीजिए। श्वेत-पत्र जारी किया जाय, उसके बाद आपको यह लगेगा, यह अखबार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अन्य राज्यों से ठीक चल रही है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर केवल बकवास की जा रही है। इसलिए माननीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव है इसका समर्थन करते हुए मैं अपने साथियों से, जो विपक्ष में बैठे हुए हैं उनसे अपील है कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें ही करें साथ ही कोई प्रदेश की समस्या होती है तो उसको लेकर दलीय नेता लोग आपस में बैठकर निपटा लें। अगर चुनाव बार-बार किसी प्रदेश में होता है तो बार-बार चुनाव होने से जनता का एक न एक दिन विश्वास राजतंत्र से उठ जायेगा और जनतंत्र जब खत्म हो जायेगा तो मेरे जैसा गरीब व्यक्ति का बेटा इस सदन में नहीं आ पायेगा यदि राजतंत्र होगा तो राजा का बेटा इस कुर्सी पर बैठेगा और गरीब ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ी और अनुसूचित जाति का बेटा इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकेगा। सभी दल के नेता इस बात पर विचार करें। मैं इसी के साथ धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ और आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

डा0 विनोद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे माननीय नेता विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। मान्यवर, बहुत देर से कानून व्यवस्था के बारे में सुन रहा था। मैं कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूँ कि जो कुछ राज्यपाल के अभिभाषण में दिया गया है वह मान्यवर, एक झूठ का पुलिन्दा है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज्य कायम हो चुका है और चाहे वह किसी भी दृष्टि से देखा जाय सारा प्रदेश धू-धू करके जल रहा है मैं अपने जनपद की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि विद्यार्थी परिषद

के कार्यालय पर विगत दिनों दिनदहाड़े धावा बोला गया यही नहीं वहां के एक मात्र उपाधि महाविद्यालय पर शिक्षकों से मारपीट की गयी उनको कमरे में बन्द कर दिया गया और मान्यवर, पुलिस का यह हाल है कि आज अगर पुलिस अधीक्षक से किसी बात की शिकायत की जाती है तो पुलिस अधीक्षक अपने को असहाय महसूस करते हैं कहते हैं कि मुझे तो यह भी अधिकार नहीं है कि किसी दरोगा को एक थाने से हटाकर दूसरे थाने में कर सकें। जिस प्रदेश की यह स्थिति हो कि पुलिस अधीक्षक सीधे हाथ खड़े कर दें, वह सुनने को तैयार न हो, दरोगाओं की नियुक्ति, थानों का आवंटन आदि यहां से शासन किया जा रहा हो तो उस प्रदेश की स्थिति क्या होगी ? विगत दिनों स्वयं मेरे पेट्रोल पम्प पर लूट हुयी, 36 हजार रुपया लूटा गया, कर्मचारियों को बांधकर डाल दिया गया। मुझको यह कहते हुये अफसोस हो रहा है कि इस मामले में झूठी चार्जशीट लगा दी गयी। कौन से मुल्जिम थे, किन मुल्जिमों को भेजा गया, कोई भी चीज सामने नहीं लाई गयी। जो चीजें चोरी में गई थीं, उनकी बरामदगी भी नहीं दिखाई गयी और झूठी चार्जशीट लगा दी गयी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जनता को न्याय मिलेगा ? मान्यवर, इसके साथ में विद्युत व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं, यहां पर बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की गयीं। बताया गया कि दादरी में विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया गया है। मैं विद्युत व्यवस्था के बारे में ही कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 132 के0 वी0 ए0 का विद्युत सब-स्टेशन निर्माणाधीन था, बजट स्वीकृत हो गया था, शासन ने 12 लाख की जमीन भी इसके लिये खरीद ली थी, उसमें जो निर्माण के लिये सामान जाना चाहिये था, वह बदायूं के बबराला क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। मुख्य मंत्री जी, नेता सदन यहां बैठे हैं। जब आप मुख्य मंत्री हैं तो पूरा प्रदेश आपका है, आप केवल बबराला से मतलब रखते हैं, जबकि पूरनपुर भी आपका है। 132 के0 वी0 ए0 सब-स्टेशन के निर्माण का सामान जो बबराला भेज दिया गया इससे पूरनपुर के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। इत्तिफाक से नेता सदन बैठे हैं मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि पूरनपुर में 132 के0 वी0 ए0 हाईड्रिल सब-स्टेशन जो प्रस्तावित है, उसके निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस सरकार में समग्र विकास ग्राम का चयन होना था और 10-10 गांवों का चयन करके वहां के विधायक को देना था, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि समाजवादी पार्टी के दो विधायक पीलीभीत में हैं, उन दोनों के यहां समग्र विकास के लिये गांव चयनित हो गये हैं और उसमें विकास कार्य हुये हैं, लेकिन मेरे क्षेत्र में ऐसा विकास कार्य कुछ नहीं किया गया। इसी तरह विद्युतीकरण के लिये 5-5 गांव तय किये गये थे तो उसमें भी समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों के यहां गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है, जबकि वहां पूरनपुर से मैं हूं और बसपा से अनीस अहमद साहब हैं। मुझे यह कहते हुये अफसोस हो रहा है कि दोनों लोगों के गांवों में एक भी गांव का विद्युतीकरण नहीं हुआ है। आज तक एक भी गांव ऊर्जीकृत नहीं हुये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह भेदभाव नहीं होना चाहिये। मैं नेता सदन से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस चीज को दिखायें कि इस तरह की अव्यवस्था क्यों हो रही है। यदि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा तो इससे सरकार आपकी बिगड़ेगी, आपकी सरकार की बिगड़ेगी। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी इसके लिये दोषी हैं, उनके खिलाफ आप प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

मान्यवर, हर जनपद में राम मनोहर लोहिया के नाम पर गांव प्रस्तावित करने थे, उसके लिये जो कार्य शुरू होने थे, वह भी शुरू नहीं हुये। मैं कहना चाहता हूँ कि जो गांव अत्यधिक पिछड़े हुये हैं, उनको चयनित करके कार्य कराया जाय। एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, पी0 डब्लू0 डी0 विभाग की तरफ से प्रत्येक विधायक से 25-25 लाख के प्रस्ताव मांगे गये हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या किसी विधायक के क्षेत्र में 25 लाख रुपया अवमुक्त किया गया है ? मैं कहना चाहता हूँ कि यह पैसा अवमुक्त किया जाय ताकि हर विधान सभा क्षेत्र में विकास कार्य हो सकें।

मान्यवर, खाद्यान्न के बारे में कहना चाहता हूँ। मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं और खाद्य मंत्री जी भी यहां बैठे हैं। अभी नेता विरोधी दल ने भी कहा था और अन्य नेताओं ने भी कहा था। मैं भी निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में और कोई विकास हुआ हो या न हो लेकिन एक मामले में समाजवादी पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से विकास किया है। [x x x] लखीमपुर हो, देवरिया हो।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया) --

अध्यक्षता महोदय, पहली बात मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो खाद्यमंत्री की ओर इंगित करके कहा जा रहा है। एस0 जी0 आर0 वाई0 में कुछ अनियमितताएं पायी गयी हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश पर हमारी सरकार ने इन अनियमितताओं का पता लगाया है, आपकी सरकार में यह पता नहीं चलता था और यह आपके समय की ही देन है। चाहे लखीमपुर में हो, बाराबंकी में हो या गोण्डा में हो, यह माननीय मुख्य मंत्री के कुशल नेतृत्व के प्रयासों से पता लगाया गया है कि कहां-कहां पर अनियमितताएं हुई हैं और उन पर कार्रवाई भी हुई है, आई0 ए0 एस0 से लेकर नीचे तक के अधिकारी दण्डित हुए हैं, जेल गये हैं, उनसे रिकवरी भी की गई है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो अनियमितताएं हैं, यह एस0 जी0 आर0 वाई0 की है। काम के बदले अनाज योजना केन्द्र सरकार की है, हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने केन्द्र सरकार को लिख करके भी भेज दिया है कि हमारे पास अनाज पर्याप्त है, इसलिए इस योजना को हमारे यहां बन्द कर दिया जाए लेकिन फिर भी वहां से अनाज भेजा जा रहा है। यह घोटाला कोई घोटाला नहीं है बल्कि कुछ अनियमितताएं हैं। अखबारों में भी छापा गया, 497 करोड़ रुपए का घोटाला, वाफोर्स को पीछे छोड़ दिया, पूरा का पूरा पैसा सब लोग खा गये। यदि मान भी लिया जाय कि अनियमितता हुई है तो गत 4 (चार) वर्षों में कुल 28 करोड़ का ही खाद्यान्न गोण्डा गया है तो 400 या 500 करोड़ के घोटाले का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे प्रदेश की जांच एजेंसी काम कर रही है और यह जांच समयबद्ध तरीके से की जा रही है, परिणाम सामने आयेगा तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। माननीय मुख्य मंत्री के निर्देश पर इसका पता लगाया गया है, इसमें जो भी दोषी अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए कड़े नियम बनाये गये हैं।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा घोटाला और इतनी अनियमितताएं हर जनपद में मिलेंगी।

नोट --[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्षता--

आपका समय समाप्त हुआ।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, केन्द्र सरकार से जो खाद्य आवंटन होता है, उसकी सी0 बी0 आई0 जांच करायी जाए। अभी स्वास्थ्य विभाग में जनपद स्तर पर नियुक्तियां की गई हैं, मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक भी चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नियुक्ति उसकी योग्यता के आधार पर नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक यहां पर बैठे हुए हैं, खुले रूप में मुख्य चिकित्साधिकारियों ने डेढ़ लाख से पौने दो लाख रुपए ले करके नियुक्तियां की हैं। मान्यवर, ऐसी जगहों पर जहां पर शिकायतें हुई हैं, उनकी जांच करायी जाए और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाए। प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जिसमें केन्द्र सरकार से पूरा पैसा मिलता है, उससे जो कार्य कराया जाता है, उसे उद्घाटन में गाइडलाइन्स हैं कि उनका उद्घाटन सांसद करेंगे लेकिन मान्यवर, क्षेत्रीय विधायकों की भी उसमें भागीदारी हो। यह बात पहले भी उठी थी, सर्कुलर भी जारी हुआ था। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि सांसद लोग मनमानी कर रहे हैं। इसलिए मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि जिस क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क रोजगार योजना से मार्ग बने, उसके शिलान्यास और उद्घाटन में क्षेत्रीय विधायकों की भी भागीदारी होनी चाहिए।

श्री अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह--

आपकी सरकार में तो विधायक जेल भेज दिये गये थे।

डा0 विनोद तिवारी--

तो क्या आप भी वही सब करेंगे ? सुनिश्चित स्वरोजगार योजना, ग्यारहवां वित्त आयोग की जो योजनाएं जहां-जहां पर चल रही हैं, वहां पर सुनिश्चित रोजगार योजना के जो भी कार्य कराये जाते हैं या उसके प्रस्ताव स्वीकार किये जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ इस तरीके से व्यवस्था करें कि जहां-जहां जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्रीय विधायकों के प्रस्तावों को शामिल कराये और ऐसी योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास हो तो निश्चित रूप से माननीय विधायकों और सांसदों की भागीदारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं .....

श्री अधिष्ठाता--

तिवारी जी, अब समाप्त करिये।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को दूर किया जाए और बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित लोगों को लगाया जाये, अगर यह सम्भव नहीं है तो शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां ऐसे स्थानों पर की जाएं जिससे प्राथमिक शिक्षा इस प्रदेश की सुदृढ़ हो सके।

श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया--

मान्यवर, एस0 जे0 आर0 वाई0 की बात कही गयी, उसकी गाइड-लाइन केन्द्र सरकार तय करती है लेकिन मुझको आपत्ति इस बात की है कि आपने कहा कि भ्रष्टाचार में बिहार की लालू यादव की सरकार को, इस सरकार ने पीछे छोड़ दिया है। माननीय अधिष्ठाता जी मैं निवेदन करूंगा कि इस चीज को कार्यवाही से हटा देना चाहिए क्योंकि माननीय विधायक जी का आरोप बेबुनियाद है। हमारी सरकार के शासन काल में चाहे कोई बड़े अधिकारी हों या नेता हों अगर आरोपी है तो वह बख्शे नहीं जायेंगे।

(डा0 विनोद तिवारी के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठिये।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, इसी के साथ महामहिम श्रीराज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, कुछ स्वस्थ परिपाटियां इस बार पड़ रही है। इसमे माननीय सदस्य खुद खेद प्रकट कर दें या अपनी बात वापस ले लें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप इसको देख लें और इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, माननीय तिवारी जी ने खाद्यान्न घोटाले की बात की और सीधे-सीधे मुख्य मंत्री को आरोपित किया। वह इस बात को स्पष्ट करें वरना संज्ञान लिया जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी--

मैंने कहा कि खाद्यान्न घोटाला हुआ है, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की है, वह अच्छा काम किया है।

श्री मुलायम सिंह यादव--

हम चुपचाप सुन रहे हैं, कुछ भी कहा हो लेकिन इस बात का एतराज है कि लालू यादव जी का नाम ले करके चारा घोटाले से तुलना की। एक तरह से यह बात हुई कि यह मुख्य मंत्री का घोटाला है। चारा घोटाले की जांच हुई, लालू जी जेल भी गये। जब आपने उससे तुलना की तो वह मुझ पर आरोप है। आप आरोप बता दीजिए।

डा0 विनोद तिवारी--

मान्यवर, मैंने कहा कि नेता सदन बैठे हुये हैं और जिन अधिकारियों पर कार्यवाही की है, वह कार्य प्रशंसनीय है। इसकी रेण्डम चेकिंग करायी जाये।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, किसी माननीय सदस्य के अच्छा बोलने या वरिष्ठ होने का मतलब यह नहीं है कि तथ्यों से परे बात कही जाए या अपमानित किया जाए। आप कार्यवाही देख सकते हैं, आपने खुद ही इस बात से शुरू की थी और लालू यादव के चारा घोटाले का नाम लिया तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को उससे जोड़ा, तो आप क्या कहना चाहते हैं, आप चारा घोटाले से उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को जोड़ रहे हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

लालू जी का नाम लेने की आवश्यकता क्या थी जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं।

श्री लालजी टण्डन--

मान्यवर, आपके ऊपर किसी ने आरोप नही लगाया आपको संवेदनशील नहीं होना चाहिए। जो इधर बराबर छप रहा है वह घोटाला शब्द ही छप रहा है। अगर इसके बारे में सरकार का स्पष्टीकरण आता रहे तो ये गलत फहमियां दूर हो जायेंगी। इसलिए घोटाले शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि मुख्य मंत्री या नेता सदन के ऊपर कोई आरोप है।

(इस समय 3 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष--

मैं कार्यवाही दिखवा लूँगा और जो अप्रसंगिक शब्द होंगे उनको निकाल दिया जायेगा।

*श्री राम लाल अकेला--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय छोटे लाल जी द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, तमाम दलों के नेताओं और वरिष्ठ साथियों ने सरकार के बारे में तमाम बातें यहां पर रखने का काम किया है। हम लोगों ने 18 महीने पहले के शासन काल को भी देखा है और वर्तमान शासनकाल को भी देखा है। मैं सदन के बाहर की बात नहीं करना चाहता, मैं सदन के अंदर की बात कहना चाहता हूँ। 18 महीने के पहले सदन के अंदर जो सरकार थी उस समय और इस समय जो सरकार है उसके बारे में कहना चाहता हूँ। पहले एक समय हुआ करता था कि नेता सदन कभी सदन में दिखायी नहीं पड़ते थे और आज नेता सदन सदन में बैठे हैं लेकिन उनकी आलोचना करने वाले गायब हो गये हैं उनकी हिम्मत नहीं है कि वह माननीय नेता सदन की आलोचना कर सकें। 18 महीने के शासन के पहले सरकार में यदि कोई अपनी बात रखने की हिम्मत करता था तो विधायकों को डराने और धमकाने का काम किया जाता था तत्कालीन मुख्य मंत्री के इशारे पर लेकिन वही लोग आज कह रहे हैं कि आज लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी का लखनऊ में प्रदर्शन था। हमारा नेतृत्व यहां पर मौजूद था लेकिन उस समय की सरकार के दौरान गोलियां चलवाने का काम किया गया और समूचे नेतृत्व को खत्म करने का षड्यंत्र उस समय की सरकार ने किया था, आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। उस समय हमारे विधायक मंजूर अहमद की राजभवन के दरवाजे पर हत्या कर दी गयी लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। हमारी सांसद फूलन देवी को सरे आम गोलियों से मार दिया गया किसी ने आवाज नहीं उठायी। आज हमारी सरकार पूरे तरीके से छात्र हित, किसानों के हित, अल्पसंख्यकों के हित, गरीबों के हित और समाज के हर वर्गों के हितों के लिये काम कर रही है तो यह कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गयी है। आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम् के विधायक की हत्या हो गयी तो कहीं नहीं कहा गया कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है, बिहार के अंदर हत्या हो गयी तो कहीं नहीं कहा गया कि स्थिति खराब है लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश में देश भर से कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है तो राजनीतिक स्वार्थ को लेकर कानून व्यवस्था की बात उठायी जाती है। एक दल के नेता हैं वह इस समय कहीं चले गये हैं मेरे जनपद के हैं वह थाने की बात उठा रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि उनकी सरकार में क्या स्थिति थी।

(इस समय 3 बजकर 27 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अरविन्द गिरि पुन: पीठासीन हुए)

उस समय थानेदार, कलेक्टर, चौकीदार तक मुख्य मंत्री के जन्मदिन की पर्ची काट दिया करता था और उस समय समूचे प्रदेश की जनता से धन उगाही का काम किया जाता था। उस समय कड़कड़ाती ठंड में इनकी मुख्य मंत्री जब सोने का ताज पहन रही थीं वहीं पर अबकी जब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कड़कड़ाती ठंड पड़ी तो हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर कम्बल बांटने का काम किया है। यह फर्क है हमारी सरकार और उस समय की सरकार का उस समय की सरकार ने सड़कों को बरबाद और तबाह कर दिया था लेकिन आज सड़कों के लिये 3 हजार करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी है जिससे सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है और उनको गड्ढा मुक्त करने का काम हमारे मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह के शासन काल में किया जा रहा है। आज इस सदन को धन्यवाद देना चाहिए कि जो गरीब पिछड़ा वर्ग और किसान था उसके बच्चों को छात्रवृत्ति देने का काम किया गया है और मुलायम सिंह इतिहास पुरुष बन गए हैं। उन्होंने ऐतिहासिक फैसला लेकर अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्गों के साथ-साथ जो सामान्य वर्ग के बच्चे जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के हैं उनको छात्रवृत्ति देने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। आपकी सरकार थी उस समय गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए हम लोग चिल्लाते रहते थे लेकिन आपने इस ओर ध्यान नहीं दिया लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में गन्ने के मूल्यों में रिकार्ड वृद्धि की गई। अभी दो तीन महीने बाकी है उसके बावजूद इस सरकार में 75 प्रतिशत बकाए का भुगतान कर दिया गया है। आज किसान मुलायम सिंह जी की जय-जय कार कर रहे हैं। आज 356 लागू करने की बात की जा रही है राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जा रही है यह बातें इसलिए लोग कर रहे हैं क्योंकि आज मुलायम सिंह जी पिछड़ों के हित में काम कर रहे हैं, किसानों के हित में काम कर रहे हैं। वकीलों के हक में, छात्रों के हक में काम कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने लोक तंत्र को बहाल करने का काम किया है। छात्र संघों के चुनाव जो रुक गए थे उनको बहाल करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और नौजवानों के अन्दर नेतृत्व उभारने का शानदार अवसर उपलब्ध कराया है। सरकार लगातार लोक तंत्र की बहाली की दिशा में काम कर रही है। पूर्व की सरकार में अगर कोई आन्दोलन के लिए सड़क पर आता था तो उसको जेलों में डाल दिया जाता था लेकिन हमारी सरकार में सभी को आन्दोलन करने की आजादी दी गई है। वास्तव में अगर पिछले 18 माह में लोकतंत्र किसी ने बहाल किया है तो उसका नाम मुलायम है। धारा 356 लगाकर सरकार को बर्खास्त करने की बात करने वाले लोकतंत्र विरोधी हैं वह उत्तर प्रदेश के विरोधी है। हमारी सरकार ने पिछले 18 महीने के अन्दर जो चहुँमुखी विकास के लिए, सर्वहारा के लिए काम किया है और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर करने के काम किया है निश्चित रूप से हमारे मुखिया इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारे गांव देहात में कहावत है कि सूप बोले तो बोलें चलनी क्या बोले जिसमें 72 छेद है वही हाल हमारे सामने बैठे भाइयों का है। जिनका पूरा कुनबा भ्रष्टाचार से सराबोर है जिन्होंने लोक तंत्र का गला घोटने का काम किया है । इन शब्दों के साथ में अपने साथी छोटे लाल यादव जी ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

डा0 सुशील चौधरी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मुख्य फसल है। इस बार सरकार ने गन्ने का रेट 107 रुपए प्रति कुंतल और 112 रुपए प्रति कुंतल तय

किया है लेकिन जो सीमावर्ती राज्य उत्तरांचल और हरियाणा है वहां 140 रुपए प्रति कुंतल गन्ने का भाव है और वह उसी समय भुगतान भी दे रहे हैं। अत: हमारी सरकार को गन्ने के रेट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए और जो सहकारी चीनी मिले है जो प्राइवेट चीनी मिले हैं। प्राइवेट चीनी मिलें तो देना चाहती है लेकिन उनको 50 प्रतिशत कलेक्शन भी नही हो रहा है। मेरा कहना है कि गन्ने का रेट बढ़ाया जाना चाहिए। कानून व्यवस्था के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया लेकिन मैं अपने क्षेत्र से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ मेरे विधान सभा क्षेत्र नकुड़ में बांस देघी एक गांव है वहां पर एक किसान की 12 साल की लड़की पिछली 31.12.2004 से गायब है। सुबह वह शौच के लिये गई थी और उसके बाद से अभी तक उसका कोई पता नहीं है। गंगोह थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई लेकिन आज तक पुलिस नामजद अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। केवल दो लड़कों का चालान करके इन्होंने यह सोचा कि हमने अपना काम कर लिया। मैं आपसे इस बारे में अनुरोध करना चाहता हूँ कि आपकी इसमें कृपा हो जाय। गरीब किसान की लड़की मिल जाय। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मेरठ मंडल में जब मंडलीय बैठक थी तो वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने गंगोह में एक 132 के0 वी0 ए0 का बिजलीघर लगाने की बात कही थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि आपने वहां पर जो यह घोषणा की थी उसको पूरा करने का प्रयास करें। वहां पर इसके लिये जगह उपलब्ध है। इसी के साथ मैं अपनी पार्टी के नेता के शब्दों को समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री जगदीश नारायण राय--

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के संशोधन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा जिस तरह से अभिभाषण दिया गया वह कुछ परम्परा सी लग रही थी जो हर साल होती है और एक परम्परा की तरह उसको निभाया जाता है। मैं यह नहीं कहना चाहता कि कोई सरकार कार्य नहीं करती या सरकार की कोई उपलब्धता नहीं है या सरकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं है लेकिन मुझे अफसोस है, पिछले कई सालों से मैं इस सदन में आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि यह सभी महामहिम राज्यपाल, मुख्य मंत्री और मंत्री अपने भाषण में कहते हैं और हमारे वर्तमान मुख्य मंत्री और महामहिम राज्यपाल महोदय भी कह रहे हैं कि यह प्रदेश किसानों का प्रदेश है, यहां पर 80 प्रतिशत किसान रहते हैं और कृषि उत्पादन विकास दर को 5 प्रतिशत प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन उसका कोई एक तरीका मेरी समझ में नहीं आया कि आप किस तरह से उसको प्राप्त करेंगे। यहां पर कई वरिष्ठ माननीय सदस्य बैठे हैं, माननीय मंत्री बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वे इसको बतायें ताकि मैं भी समझूं और प्रदेश की जनता को भी पता लगे कि आप इसको किस तरह से प्राप्त कर सकेंगे। जब तक हमारे प्रदेश के किसानों का विकास नहीं होगा सड़क बनाने और स्कूल बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहां औराई चीनी मिल है आप बता दें कि वह कितने दिन चली है ? कितनी पेराई उससे हुई है ? मेरी जानकारी में है कि वह तीन दिन से ज्यादा नहीं चली है। कितने और क्षेत्र उससे सम्बद्ध हैं लेकिन पेराई नहीं हो पाई। आजमगढ़ में सठियांव चीनी मिल है, उसका भी यही हाल है। हमारी तरफ के कई विधायक बैठे हैं लेकिन वे इसको नहीं कहेंगे क्योंकि वे सत्ता

पक्ष में बैठे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की समस्या अलग है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समस्या अलग है। हो सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खुशहाली हो। सड़कों के बनाने की बात कही गई है, कोई भी सरकार आये सड़क बनवाती है, विश्व बैंक से पैसा मिलता है, तमाम योजनाओं में सड़कों के लिये पैसा मिलता है लेकिन पता नहीं वह पैसा कहां चला जाता है, कहीं पर भी कोई काम होता नजर नहीं आता है। लुम्बिनी दुद्धी मार्ग है, आज तक मुझे देखने को नहीं मिला कि उस पर कहीं कोई कार्य हो रहा है। वह बना है इलाहाबाद जौनपुर मार्ग है वहाँ चलना दुश्वार है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। देवरिया गोरखपुर की मुख्य सड़क पहले से बनी है जो अच्छी है। मंडी समितियां बनाई गई हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की मंडी समितियां फायदे में हैं या घाटे में हैं यह देखना चाहिए। इन मंडी समितियों से कोई फायदा नहीं है। इनमें किसानों के हित का कोई कार्य नहीं होता है। किसान जो भी उत्पाद खरीदता है किसानों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। कोई कितनी तारीफ कर ले सरकार की लेकिन जिम्मेदारी कहीं फिक्स की जा रही है। आजम खां जी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। आजम खां जी आजमगढ़ में गये। 4 फरवरी को प्रशासन की गड़बड़ी से असामाजिक तत्वों ने दंगा करने का प्रयास किया। लूटपाट हुई बीसों लाख का माल लूट लिया गया है। वहां दंगा हो गया कोई प्रदेश का जिम्मेदार मंत्री वहां नहीं गया। कोकब जी दौरा कर पाए करोड़ों की सम्पत्ति लूट ली गई है। जौनपुर में जमधा गांव है वहां 4 फरवरी को लूटपाट हुई दंगे का प्रयास किया गया। प्रशासन की लापरवाही है। एक कब्रिस्तान है वहां बाउन्ड्री बनवाने का मामला था वह नहीं बनी। मुकदमें चल रहे हैं। जिला प्रशासन गड़बड़ी कर रहा है। जौनपुर के इतिहास में कलंक लगाया गया है कभी ऐसा नहीं हुआ पहली बार वहां ऐसा हुआ सरकार जिला प्रशासन की जिम्मेदारी मान रही है। थानाध्यक्ष को निलम्बित किया गया सैकड़ों लोग वहां जानते हैं हिन्दू-मुस्लिम दोनों सम्प्रदाय के लोग हैं आपसी सौहार्द्र बिगड़ रहा है। इसमें कार्यवाही की जाए उच्च स्तरीय जाँच कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जबावदेही होनी चाहिए। क्यों इस तरह की घटना हुई। नक्सलवाद की बात कही गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में नक्सलवाद पनप रहा है। राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में नक्सलवाद दिया है लेकिन उसके बारे में नहीं किया। सबसे बड़ी घटना हुई चन्दौली में पी0ए0सी0 के ट्रक को नक्सलवादियों ने उड़ा दिया ; नक्सलवाद को रोकने के लिए क्या योजना है यह महामहिम राज्यपाल ने कुछ नहीं बताया। बहुत पहले एक पैकेज बनाया गया था वहां विकास करने की बात कही गई थी। बहन मायावती की उस समय सरकार थी। उनके कार्यकल में योजना तैयार की गई वर्तमान सरकार में इस बात का जिक्र भी नहीं आ रहा है मैं चाहूँगा उस व्यवस्था को ठीक करायें सर्वांगीण विकास की बात हो रही थी। कोई माननीय सदस्य कह रहे थे हमारी सरकार यह कर रही है। इस सरकार का दायित्व है पूरे प्रदेश का विकास हो। खाली इटावा, मैनपुरी का विकास होने से विकास नहीं होगा, जौनपुर विकसित होने से प्रदेश का विकास नहीं होगा मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। बोलने दें, (टोकाटाकी होने पर) 15 महीनों की बहन मायावती की सरकार रही है उस समय 10-10 गांव का विकास हुआ समग्र ग्राम लिए गए। इस समय सिर्फ इंदिरा आवास बनाये जा रहे हैं। मैं अलोचना नहीं कर रहा हूँ। इन्दिरा आवास बनाये जा रहे हैं बिजली पानी कुछ नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी की जगह प्रभारी मंत्री जी बैठे हैं जौनपुर का दौरा करा लें जितनी हमारी जिन्दगी है उसमें इतनी लूट-खसोट हमने नहीं देखी जितनी इस प्रशासन में हो रही है। कहीं न कहीं तो कमी है।

आप भी देख लीजिए, आप बलिया जाते हैं, आइए, आपका स्वागत है। वहाँ पर ऐसे-ऐसे थानेदार नियुक्त किए जाते हैं तो घूम-घूम कर वही रहते हैं। ऐसे लोगों से लॉ एण्ड आर्डर कभी भी ठीक नहीं कराया जा सकता। इन लोगों ने वहीं पर अपने मकान बनवा लिए हैं। ऐसे लोगों की जाँच की आवश्यकता है। वहाँ पर शिड्यूलकास्ट के नाम पर कोई भी थानेदार नहीं है। मैं पूरे प्रदेश के लॉ एण्ड आर्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे जनपद जौनपुर में हर दो दिन में एक अपराध हो रहा है और इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है। आपकी सरकार चलनी चाहिए, मैं चाहता हूँ कि आपकी सरकार अच्छी चले लेकिन इन सब का हिसाब जनता लेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री वंशीधर राज--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने हमें श्री छोटे लाल यादव जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, अभी मैं नेता विरोधी दल का भाषण सुन रहा था, अन्य नेताओं का भी सुना। खन्ना साहब बैठे हैं, इनका ध्यान एक नारे की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। मान्यवर, सड़कों के सम्बन्ध में इन्होंने गड्ढा-मुक्त सड़कों का सपना जनता को दिखाया था, मैं कह सकता हूँ, सड़कें गड्ढा-मुक्त तो नहीं लेकिन गड्ढा-युक्त जरूर हो गई थीं और स्थिति यह हो गई कि सड़क ही गड्ढे में चली गई। मान्यवर, आप देख सकते हैं, यदि शाहजहाँपुर से मोहम्मदी जाना चाहें तो इस मार्ग पर जाना दूभर है। लेकिन आप देखें, इस सरकार ने तमाम सड़कों के सुधारीकरण, चौड़ीकरण के काम प्रारम्भ किए हैं, इसी क्रम में मोहम्मदी-शाहजहाँपुर मार्ग, मोहम्मदी जे0बी0 गंज मार्ग, मोहम्मदी बरबर जहाजी खेड़ा मार्ग, मैगल गंज-लखीमपुर मार्ग के साथ ही प्रदेश के अन्य मार्गों का सुधारीकरण, चौड़ाईकरण प्रस्तावित है। और तमाम नए कार्य प्रस्तावित हैं और जिस तेजी से, चाहे ननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री द्वारा, चाहे मण्डी समिति के द्वारा, पंचायत विभाग के द्वारा जो सड़कों का निर्माण हो रहा है उससे गांवों का विकास हो रहा है। आज सड़कों के निर्माण से विकास की एक नई दिशा सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को मिल रही है। मान्यवर, आज बहुत तेजी से कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार, मान्यवर जिस खाद्यान्न भ्रष्टाचार की बात हो रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में आवाज किसने उठाई और जांच किसने की ? आप देखें, कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद व विधायकों ने ही इसकी आवाज उठायी और आज उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार इसकी जाँच करा रही है। मान्यवर, इस भ्रष्टाचार की शुरूआत वर्ष 96-97 से हुई थी, मैं समझता हूँ कि वर्ष 96 से इसकी जाँच होनी चाहिए, मैं इसकी माँग करता हूँ। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूल-चूल परिवर्तन की बात की है। हमारी सरकार प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। आज हमारी सरकार ने गाँव-गाँव में प्राथमिक विद्यालयों को खोले जाने और शिक्षकों को आगे बढ़ाने व सम्मान देने का काम किया है। आज जहाँ-जहाँ शिक्षक नहीं हैं वहाँ पर शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जा रही है और वह ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का काम कर रहे है जिससे शिक्षकों में सुधार हो रहा है। मान्यवर, यही नहीं आज शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप देखें तो पाएंगे कि जो छोटे-छोटे गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित थे उन्हें अब दोपहर का भोजन मिलता है। अब वह विद्यालय

जाते हैं और विद्या अध्ययन करते हैं। अगर अध्यापकों की कमी है तो रुपये मानदेय पर शिक्षकों की व्यवस्था करके पढ़ाने का काम किया जा रहा है। अभी रॉय साहब ने समग्र ग्रामीण विकास की बात की है, मैं कहना चाहता हूँ कि समग्र ग्राम विकास के अन्तर्गत जितने गांव चयनित किये गये हैं उन सारे गांवों में इन्दिरा आवास मिल रहे हैं। गांव में पंचायती राज विभाग द्वारा शौचालयों, नालियों व मार्गों का निर्माण कार्य हो रहा है। चाहे कोई भी विभाग हो, मण्डी हो, लोक निर्माण विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो सभी के द्वारा विकास हो रहा है। इसी तरह से विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में तेजी से विकास हो रहा है और ग्रामीण अंचलों में विद्युत भेजने की जो व्यवस्था की गयी है उसकी निश्चित रूप से सराहना की जानी चाहिए। अभी रिलायंस के सम्बन्ध में बात हो रही थी और अभी टाटा, बजाज के बारे में भी बात हो रही थी। अगर विद्युत का उत्पादन बढ़ना शुरू हो गया तो निश्चित रूप से प्रदेश का विकास होगा। कृषि के क्षेत्र में देखें तो आज स्थिति यह पैदा हो गयी है कि सिंचाई व्यवस्था नितांत आवश्यक होती है। वर्षों से, नहरों में जो सिल्ट जमा थी अब उसकी सफाई हो रही है। पहले नहरों में सिल्ट जमा थी जिसके कारण किसानों के खेतों को पानी नहीं मिल रहा था। आज उन्हें पानी मुहैया कराने के लिए 28 हजार किमी0 नहरों की सफाई हो चुकी है। इससे ग्रामीण अंचलों में पानी की व्यवस्था होगी और इससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा। वर्ष 1999 में नलकूपों का निर्माण कार्य रोक दिया गया था।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि हमारी सरकार व माननीय मुख्य मंत्री जी ने आदेश दिया है कि वर्ष 2004-05 में एक हजार नलकूपों की स्थापना की जाये। गन्ना किसानों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि आज गन्ना किसानों को जितना अच्छा समर्थन मूल्य माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार ने दिया है उतना किसी सरकार में नहीं मिला। इसके अलावा पिछले 3-4 सालों के बकाये का भुगतान भी केवल इसी सरकार ने किया है जिसके लिए आन्दोलन होते थे, धरना-प्रदर्शन होते थे। धान का मूल्य सही मिला है। गेहूँ का भी पूरा मूल्य मिले इसके लिए सरकार प्रयासरत है। इससे निश्चित रूप से किसानों का उत्थान होगा। मान्यवर, न्यायिक व्यवस्था के सम्बन्ध में भी बात कही गयी है। न्यायिक व्यवस्था में गरीबों को त्वरित लाभ पहुंचाने के लिए राज्य विधि आयोग अध्यादेश पारित किया गया। और मा0 उच्च न्यायालय के रिटायर मुख्य न्यायधीश की अध्यक्षता में न्यायिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने का काम किया है ताकि गरीबों को त्वरित गति से न्याय मिले। यही नहीं अधिवक्ताओं एंवं वादकारियों के न्यायालयों में बैठने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गयी है। इससे पहले किसी ने इसको सोचा भी नहीं था। मान्यवर, कृषि को बढ़ावा देने के लिए अगर आप देखेंगे तो जो ऊसर भूमि सुधार योजना लागू की गयी है इससे बाइस हजार हैक्टेयर अतिरिक्त ऊसर भूमि सुधार होगा और उत्पादन बढ़ाने के लिए मौका मिलेगा। यदि उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जनता को खुशहाली मिलेगी। इसी क्रम में जो आज की स्थितियां व्याप्त हैं उसके सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि पूर्व में जो भयमुक्त समाज की संरचना की बात की गयी थी, उसमें पहले थानों में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी, झगड़े हुआ करते थे, चोरी, डकैती, कत्ल हुआ करते थे लेकिन उसकी रिपोर्ट थानों में नहीं लिखी जाती थी। हम लोग यहाँ पर आकर चिल्लाया करते थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ करती थी, यह पहला मौका है कि अगर कोई छोटी-सी भी घटना है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज की जाती है और उस पर

कारवाई की जाती है इससे निश्चित तौर पर लॉ एण्ड आर्डर को सुदृढ़ बनाने के लिए यह अच्छी प्रक्रिया है। अगर रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो वास्तविकता से दूर रहेंगे और जनता को स्वच्छ प्रशासन नहीं दिला पायेंगे और जनता खुशहाल नहीं होगी।

मान्यवर, चारों तरफ से इसमें विकास के कार्यक्रम की व्यवस्था की गयी है जिससे जनता खुशहाल हो और जो मुख्यमंत्री का सपना है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का वह पूरी तरह से कामयाब हो रहा है। यातायात की बहुत दिनों से जो अत्यंत जर्जर व्यवस्था थी, इसमें पुरानी बसों को बदलकर नयी बसें लाये हैं। 640 बसें आ चुकी हैं और एक हजार और इस बेड़े में लाने की व्यवस्था है। इससे निश्चित रूप से लोगों को यातायात की उत्तम सुविधा मिलेगी। अनुसूचित जाति के लोगों को लाभ देने के लिए स्वत: रोजगार योजना की घोषणा की गयी थी इस हेतु उनको चार प्रतिशत के ब्याज पर ऋण भी दिया है। रिक्शा चालक जो गरीब हुआ करते थे वह रिक्शा मालिक बने इस हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति वित्त विकास निगम से सस्ते दरों पर ऋण की व्यवस्था की गयी है ताकि वह खुद रिक्शा मालिक बन सकें और अपने बच्चों का पेट भर सकें। शिक्षा के क्षेत्र में पहले अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों की फीस माफी की योजना थी, मगर मा0 मुख्य मंत्री जी ने भेद न हो इसलिए सारे गरीब बच्चों को इसमें जोड़ने का काम किया है और एक नयी दिशा देने का काम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाई छोटे लाल जी द्वारा रखे गये राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुखदेव राजभर--

मान्यवर, खाद्यान्न घोटाले के सम्बन्ध में सरकार की पारदर्शिता है। इसकी जाँच हमारे समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं तो मेरा इसमें अनुरोध है कि इसकी जाँच दूसरे दल से करायी जाय।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने भी सुना था लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोग और अधिकारी दोनों की बात कही है। मैं इसको दिखवा लूँगा।

श्री धर्मपाल सिंह--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर हमारे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो विरोध में बोला गया उसके पक्ष में तथा राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने का मुझे अवसर दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने इस सरकार का एक चित्र अपने अभिभाषण के द्वारा प्रस्तुत किया है वह वास्तव में बहुत भद्दा है, बेढंगा है, इस सरकार का पेट बहुत बड़ा है और यह सरकार खा कर डकार भी नहीं ले रही है। यह आँखों से अन्धी है, कानों से बहरी है, आवाज सुन नहीं रही है, प्रदेश में चारों तरफ हा-हा-कार मचा हुआ है।

मान्यवर, इस अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल ने किसानों, गरीबों, मजदूरों और नौजवानों के बारे में कुछ विस्तार से कहा है। माननीय अधिष्ठाता जी वास्तव में कृषि और किसान, कृषि हमारी संस्कृति है और सच कहा जाए तो कृषि हमारे प्रदेश और देश की अर्थ व्यवस्था है, जब कृषि प्रभावित होती है तो अर्थ व्यवस्था प्रभावित होती है। माननीय अधिष्ठाता जी, इसमें किसानों, गरीबों

और मजदूरों इन सबके बारे में मैं बतलाना चाहता हूँ किसानों को इस सरकार से समय पर खाद, पानी, डीजल, बिजली नहीं दिया यह प्राप्त करना, उचित रेट पर, किसानों का मौलिक अधिकार है परन्तु इस सरकार में किसानों को न तो खाद मिली, डी0ए0पी0 बाजार से गायब हो गई, बिजली की घोषणा की थी कि 18 घण्टे बिजली देंगे, बिजली प्रदेश को मिली नहीं। मान्यवर, आज किसानों की बुरी स्थिति है, दुर्दशा है उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, उनकी फसलों का कोई उचित मूल्य सरकार के द्वारा नहीं तय किया गया और यहां मजदूरों के बारे में बात आई है, माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री जी को बताना चाहूँगा, इस सरकार को अवगत कराना चाहूँगा प्रदेश में संगठित और असंगठित दो तरह के मजदूर हुआ करते हैं। इस सरकार ने वास्तव में श्रम विभाग के द्वारा किसी भी मजदूर का जो शोषण हो रहा है उसको वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, उसकी मजदूरी नहीं दी जा रही है, उसकी बात नहीं सुनी जा रही है। अभी इसमें कहा गया है कि हम रिक्शा पुलर्स को ऋण दे रहे हैं, ऋण तो हमेशा मिला ही करता है। अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं किया गया है कि रिक्शा पुलर्स को कितना ऋण दिया जा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने 29 अगस्त, 2003 को शपथ ली थी, उन्होंने घोषणा की थी जब हम सरकार में आयेंगे इस प्रदेश के नौजवानों को रोजगार देंगे, यदि रोजगार नहीं दे पाये तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसमें यह कभी नहीं कहा गया था कि जब केन्द्र सरकार इसमें मदद देगी तभी हम भत्ता देंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ आज उत्तर प्रदेश में किसी भी नौजवान को रोजगार नहीं मिला न ही किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है, न कहीं नौकरी उपलब्ध कराई जा रही है। मान्यवर, इस तरह से आज नौजवान परेशान है।

मान्यवर, जहां कानून व्यवस्था की बात आती है, कानून व्यवस्था ऐसी है प्रदेश में पहले रात के अंधेरे में अपराध हुआ करते थे आज अपराधी दिन के उजाले में अपराध करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं है। मान्यवर, मैं सुझाव भी देना चाहता हूँ, यह अपराध इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि अपराधी अपराध करके बिल्कुल अपने को सुरक्षित पाते हैं, यह सरकार भी उस अपराधी की मदद करती है और अधिकारी भी कर रहे हैं इसलिए उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक व्यापारी चन्दर और उसके पिता जी रुपये लेकर जा रहे थे, सुभाष इण्टर कालेज के पास उनके रुपये छीन लिए गए। मान्यवर, आँवला तहसील में दिन के तीन बजे डेढ़ लाख रुपये छीन लिए गए।

मान्यवर, फलथा गांव के शाकिर अली अध्यापक उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया और पुलिस ने एफ आर लगा दी। उसके माँ-बाप तड़फ रहे हैं और बच्चे का पता नहीं है। संजय सक्सेना हमारा कार्यकर्ता, उसका अपहरण किया गया और जब उसके अपराधियों को पकड़कर लाया गया तो राजनीतिक दबाव से थाना आंवला से अपराधी छोड़ दिये गये और ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है। मैं आपके माध्यम से पूँछना चाहता हूँ कि इसमें आया है एक राज्य विधि आयोग का गठन किया गया है और बड़ा उल्लेख किया गया है कि देश में पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य विधि आयोग का गठन किया। मान्यवर, जब विभागों में कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है और राज्य विधि आयोग का गठन किया जा रहा है। राज्य विधि आयोग के गठन की आवश्यकता नहीं है

क्योंकि सरकार को चलाने के लिए विधायी विभाग है, प्रमुख सचिव न्याय है और तमाम विभाग हैं, विधायी कार्य विधायी से होता है। किसी को तनख्वाह देने के लिए हम किसी को ओबलाइज करने के लिए अपने ऊपर भार डाल लें तो यह उचित नहीं लगता। इस तरह से उत्तर प्रदेश में वास्तव में विकास रुका है, विकास हो रहा है तो मात्र सैफई का हो रहा है। हमें इसमें आपत्ति नहीं है सैफई का विकास हो। हम भी चुनकर आते हैं हम भी विधायक हैं। सैफई का विकास ज्यादा हो लेकिन हमारी विधान सभा का भी कुछ विकास हो। हमने विधान सभा में बोला है अलीगंज सिरौली मार्ग जो हमारे यहाँ की सड़क है यह चलने लायक नहीं है। सड़क पर गड्ढे हैं यह सड़क बहुत खराब है इसका निर्माण होना अति आवश्यक है।

मान्यवर, प्रदेश में उत्तरांचल के अलग हो जाने से उत्तर प्रदेश में पर्यटन की सम्भावनाएं तलाशने की आवश्यकता है। यहाँ अभिभाषण में आगरा के ताजमहल का उल्लेख किया गया है, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और भी ऐसे स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारा विधान सभा आंवला पंचालि प्रदेश का राजधानी क्षेत्र रहा है, जहाँ वेद उपनिषद् की रचना हुई है, वहाँ पाण्डवों का अज्ञातवास रहा है उसको पर्यटन के मानचित्र पर लाने का इसमें उल्लेख हो जाता तो अच्छा होता। इसी के साथ माननीय टंडन जी ने अभिभाषण के विरोध में जो अपना भाषण दिया है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री वसीम अहमद--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, माननीय नेता मुलायम सिंह जी जब से शासन सत्ता में आये हैं तभी से चौमुखी विकास हुआ है चाहे किसानों का हो, चाहे मजदूरों का हो या छात्रों का हो। मान्यवर, आज तक कभी भी इतना गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ था। किसानों के भुगतान के साथ-साथ जितने गन्ने के दाम बढ़े हैं उतना आज तक किसी सरकार ने दिलाने का काम नहीं किया है। इस पर माननीय मौर्य जी ने एक बार भी चर्चा नहीं किया और वह इसलिए नहीं किया कि उनका मौन समर्थन था। उन्होंने एक बार भी उसकी मुखालफत नहीं की। जो भी अभिभाषण में प्रस्ताव आया है उसका समर्थन किया उन्होंने कहा कि शासन, प्रशासन और सत्ता में जो अपराध बढ़े हैं उसका एक दृष्टांत हमारे विधान सभा का दिया कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी के फला नेता मारे गये। मैं कहना चाहता हूँ कि वह बहुजन समाज पार्टी का नेता नहीं था वह हमारा समर्थक जरूर था लेकिन वह किसी तरह से भटक कर जो माननीय सांसद हैं, उनके साथ जुड़ गया था। तो इन्होंने दोनों तरफ हाथ रखा था और दोनों तरफ ऐसा हाथ रखा कि एक का जाना सुनिश्चित था और वही हो गया। 3-3 के पीठ पर हाथ रखा और हमारे तिवारी जी यहाँ मौजूद थे। तिवारी जी के क्षेत्र के बगल में एक बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी मारा गया और उसकी ताजपोशी करने सांसद महोदय चले जाते हैं और बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग पहुँच जाते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, अपराधी को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आप पता लगा लें, कितना बड़ा अपराधी था। 50 हजार से ऊपर का इनाम रखा गया था। उसकी जिन्दगी को स्थापित करने का काम बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया। इसका भी ज़िक्र होना चाहिए किसने ऐसा काम किया या नहीं आप पता लगा लें अगर मेरी बात झूठी हो, मान्यवर, मेरे विधान

सभा का था, मेरे ऊपर हमला कराया गया है। यह सांसद ने कहा था कि मुझे भी मार दो। गोरखपुर से मुझे पता चला था, कहा था कि विधायक को मार दोगे तो तुम भी विधायक हो जाओगे। कोई भी विधायक दो बार से ज्यादा उस विधान सभा से नहीं जीता, उसने कहा कि इनको मार दो तो तुम भी विधायक हो जाओगे। ये हैं इनके सांसद जो हत्या ही कराने का काम करते हैं और जब मंजूर साहब की राजभवन के सामने हत्या हो जाती है सारे लोग बैठे रहते हैं। इस विधान सभा के अन्दर हमें क्या आदेश था, हमारी बातों को कोई सुनने को तैयार नहीं होता था और समाजवादी पार्टी की सरकार हो तो लोग आपकी बातों को सुनने का काम करते हैं, हमारे नेता, सदन में बैठकर सुनने का काम करते हैं। लेकिन जब आपकी सरकार थी, मैंने पिछले 6-7 सालों में देखा है कि आपने हम लोगों को कभी बोलने का मौका नहीं दिया। जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में आपकी सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तब नहीं कहा गया कि हम पर जुल्म ढाया जा रहा है। आज आप हम पर झूठा आरोप लगाते हैं। इसी तरह यह कहा गया कि इस जमाने में सत्ता में रहकर कोई चुनाव निष्पक्ष नहीं हो सकते। मैं कहना चाहता हूँ कि दो-दो बार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल इटावा और अम्बेदकर नगर में लगाकर चुनाव कराने का काम किया गया और चुनाव में सारे लोग शरीक थे। बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और अमुक पार्टी, जिसका मैं (इस समय 4 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए) नाम लेना नहीं चाहता, वह भी समर्थन देने का काम कर रही थी, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का कहीं अता-पता नहीं चला। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इस सरकार के समय में अच्छा काम नहीं हुआ तो अकबरपुर में हम कभी जीत नहीं सकते थे, यह तो आपकी सीट थी। आप चर्चा करो लेकिन खुले मन से चर्चा करो। मान्यवर, चाहे नौकरियों में भर्ती की बात हो, 42 हजार टीचरों की भर्ती हुई है। आप लोगों द्वारा बड़े कीचड़ उछाले जाते हैं, उसमें कोई एक माई का लाल यह कह दे कि इस सरकार में इन भर्तियों में किसी ने एक भी पैसा लिया है, यदि कोई यह साबित कर देगा तो मैं अपना त्याग-पत्र देकर चला जाऊँगा और विधान सभा छोड़ दूँगा। मान्यवर, यह पारदर्शिता है समाजवादी पार्टी की सरकार की और माननीय मुलायम सिंह जी की। अभी तक जहाँ देखो, सारी भर्तियों पर प्रतिबंध लगा था, सारी भर्तियां बन्द कर दी गयी थीं। लेकिन माननीय मुलायम सिंह जी का पहले भी कहना था कि हम अपनी सरकार में नौकरियों को देने का काम करेंगे। जो भी खाली जगह है, उनको हम भरने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक सड़कों की बात है, पिछली सत्तासीन सरकारों में कहा जाता था कि अम्बेदकर गांव में आपसे पूछा जायेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कभी पूछा गया हमसे? मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि समग्र विकास की योजना पहली बार माननीय मुलायम सिंह जी ने चलाई। मेरे क्षेत्र में पिछली बार की सारी सड़कें बन चुकी हैं और इस बार की भी बनाने का काम होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पूर्वांचल विकास निधि की किसने शुरुआत की थी, मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत माननीय मुलायम सिंह जी ने की थी। सारी विकास निधि अम्बेडकर गांवों में लगा दी जाती थी, जिला योजना का पैसा अम्बेडकर गांवों में लगा दिया जाता था। जब से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, तब से यह सारी चीजें मिलने लगी हैं। मैं भी काफी समय से यहाँ रहा हूँ, एक भी नया पैसा नहीं मिलता था। इसलिए मैं इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य श्री जय प्रताप सिंह आप बोलें, आप बहुत कम बोलने वालों में रहे हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

[* * *]

[मान्यवर, यह तो पक्षपात है।]

श्री अध्यक्ष--

ऐसा नहीं है माननीय सदस्य बहुत कम बोलने वालों में हैं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ--

मान्यवर, मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ।

*श्री जय प्रताप सिंह--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिभाषण के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मान्यवर, आप भी सिद्धार्थ नगर जिले के ही रहने वाले हैं। हमारे जिले में सबसे ज्यादा बाढ़ की भयानक स्थिति होती है। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में बाढ़ की योजनाओं के बारे में कुछ नहीं दर्शाया गया है। अभी कुछ ही दिन पहले जो नये सिंचाई मंत्री बने हैं, उनके द्वारा जो कमेटी में प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था, वह अधिकांश भेदभाव केआधार पर किया गया था। मान्यवर, आपको भी अच्छी तरह से जानकारी है कि हमारे यहाँ बाढ़ की बहुत भयानक स्थिति है, हम और पिछड़ते जा रहे हैं। जो सड़कों की बात हो रही है, और अभिभाषण में दर्शाया गया है कि सबसे ज्यादा काम सड़कों पर हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे जनपद में कहीं भी सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष--

आपका पैसा तो पहुँच चुका है।

श्री जय प्रताप सिंह--

हमारे यहाँ पैसा नहीं आया। पता ही नहीं चलता सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। अन्त में मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपके ही विधान सभा क्षेत्र में जनवरी, 2004 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक शिलान्यास किया था, आज तक उसमें एक भी ईंट नहीं डाली गई। इस 18 महीने की सरकार में कोई भी काम नहीं किया गया है, चाहे सिंचाई हो, चाहे शिक्षा हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी कहा जा रहा है कि तमाम डिग्री कॉलेज और इण्टर कॉलेज खोले जा रहे हैं, उसमें भी कुछ नहीं हुआ है। इसी के साथ मैं इसका विरोध करता हूँ।

श्री कमाल यूसुफ मलिक--

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूँ। उधर के लोगों ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है, उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कल से बहुत चर्चा हो रही है कि जनतंत्र की हत्या कर दी गयी। पुराने वाले माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री राजभर जी हमारे मित्र हैं, यहीं बैठते थे, जहाँ आजम साहब बैठे हैं और हम लोग अपनी बात कहते थे। बहिन जी, यहाँ बैठी हुई थीं और माननीय सदस्य

नोट:--[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने सच्ची बात कही कि बहिन जी वह दिन आप भूल गयीं, जब इसी सदन में आपके साथ एक घटना घटी थी। मैं भी बहुत से चीफ मिनिस्टरों के साथ इस सदन में बैठा हूँ और करीब आधा दर्जन से ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कभी उधर बैठने का मौका मिला, तो कभी इधर बैठने का मौका मिला। लेकिन बहिन जी ने इतने गुस्से में कहा कि मैं वह लड़की नहीं हूँ, जिसकी आँखों से आँसू निकल आयें, लेकिन मैं तुम्हें रुला दूँगी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत से चीफ मिनिस्टर रहे, स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह जी, श्रीपति मिश्र, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, स्वर्गीय बनारसी दास जी यहाँ बैठते थे कितनी कटु भाषा प्रतिपक्ष की ओर से कही जाती थी लेकिन गुस्से का इजहार कभी नहीं किया। जनतंत्र की हत्या आपने अपने शासनकाल में की लेकिन आज आप इस बात को कह रहे हैं। महाराज बाँसी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके शासनकाल में एक स्कूल माँगते-माँगते थक गये, कलेक्टर की रिपोर्ट आयी, वह जायज थी लेकिन पूर्व शिक्षा मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, उन्होंने कहा कि मैं नही दे सकता, मेरी मजबूरियाँ हैं। लेकिन जब हम लोगों ने प्रस्ताव रखा और पहली फरवरी को मुख्य मंत्री जी को कहा कि आप हमें सड़क दीजिए और महाराज बाँसी को भी दीजिए, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी सरकार में जितने विकास कार्य हो रहे हैं, आप न मानिये, आपके गले के नीचे न उतरे तो दूसरी बात है वरना विकास के कार्य बहुत तेजी से हो रहे हैं। गाँव-गाँव सड़कें बन रही हैं। आप इसको स्वीकार करिये। और आप कह रहे हैं कि जंगल राज हो गया है। (श्री राम इकबाल के बैठे-बैठे यह कहने पर कि आप दिल से कह रहे हैं या पॉलीटिकल भाषा है।) मैं दिल से बोल रहा हूँ। आपकी सरकार को भी देखा है। यहाँ कहा गया कि गुण्डाराज है। हम लोग हक माँगने गये थे राजा के दरवाजे पर, दिन में 12.30 बजे हमारे एम0एल0ए0 को गोली मार दी गयी। (व0स0पा0 के सदस्यों ने बैठे हुये कहा कि उस वक्त राष्ट्रपति शासन था।) राष्ट्रपति शासन रहा लेकिन उसके बाद आपकी सरकार बनी तो आपने जरा भी इस पर दु:ख प्रकट नहीं किया और तत्कालीन माननीय नेता विरोधी दल ने सी0बी0आई0 जाँच की माँग की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपसी लड़ाई में एक हत्या हो गयी तो उसके लिए बावेला किया जा रहा है। कल आप धरना-प्रदर्शन व तोड़-फोड़ कर रहे थे। जो दो लड़के गिरफ्तार हुये हैं उन्होंने कहा है कि मेरे बाप की हत्या करवाई इसलिए मैंने उनकी हत्या की। आप चाहे जिसको मुल्जिम लिखवा दें, हमको लिखवा दें, आजम भाई को लिखवा दें, जाँच पड़ताल होगी। मुल्जिम जेल में है। दोनों लड़कों ने कान्फ्रेन्स किया है। लेकिन आप जिसको चाहें मुल्जिम बना दें। कलम आपके हाथ में है, कागज आपके हाथ में है। कोई ज्यादती नहीं की जा रही है। जो बात है जब माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे तो आपको सारी बातें बतायेंगे इस मामले में। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ।

श्री कपिल देव यादव--

मान्यवर, आपने मुझे अभिभाषण पर रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मैं, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके विरोध में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूँ। इसमें जो दर्शाया गया है वह एक तरह से कपोल कल्पित है, चाहे वह कन्या विद्याधन योजना हो, चाहे किसानों, महिलाओं, गरीबों, नौजवानों, वकीलों, रिक्शा चालकों, सामाजिक न्याय, अपराधीकरण पर अंकुश लगाने की योजना हो। इसमें सारी चीजें चाहे वह प्राथमिक विद्यालयों में भोजन व्यवस्था की बात हो या अन्य कोई योजना हो सारी चीजें कपोल

कल्पित कहानियों की तरह से इसमें रखी गयीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो कन्या विद्याधन योजना की बात नेता सदन ने कही है वह वास्तव में लागू नहीं की गयी है। मैं मऊ जनपद का रहने वाला हूँ। मेरे जनपद में दसियों बार लिस्ट बनी लेकिन आज तक किसी को पैसा नहीं दिया गया है, मैं यह सही बात रहा हूँ । माननीय नेता सदन वास्तव में गरीबों के हमदर्द और एक किसान के बेटे हैं। जब यह सरकार बनी थी तो प्रान्त के किसानों में एक लहर थी कि माननीय नेता सदन किसानों की बात सोचेंगे। इस प्रान्त में 80 प्रतिशत व्यक्ति किसान हैं। लेकिन इस सरकार के प्रति किसानों में कोई उत्सुकता नहीं है। मान्यवर, यदि हिम्मत है और वास्तव में आप किसानों की बात सोचते हैं तो किसानों को खाद, बिजली, पानी यह तीन चीजें मुफ्त में मुहय्या करायें तो इस प्रान्त का किसान खुशहाल होगा। आज इस प्रान्त का किसान सबसे ज्यादा ऋण से परेशान है। उसको सिंचाई की सुविधा नहीं मिल रही है। मेरे क्षेत्र में दोहरी घाट पम्प कैनाल है। जब मैं छोटा बच्चा था तो जब सूखा पड़ता था तब उस नहर के पानी से सिंचाई की जाती थी और हम लोग धान की फसल उगा लेते थे। इस साल दोहरी घाट पम्प कैनाल में पानी नहीं आया जिससे हमारे यहां धान की फसल सूख गयी है। वह धान जो नहर के किनारे पर था वह भी सूख गया। पानी न होने से रबी की बुवाई नहीं हुई। अभी थोड़े दिन पहले हमारे माननीय कृषि मंत्री जी बता रहे थे। यूरिया और डाई की बात माननीय मंत्री जी कर रहे थे कि कोई परेशानी नही हुई लेकिन दिल पर हाथ रख कर कह दे कि उसके यहाँ किसानों को डाई और यूरिया उपलब्ध हो सकी है। हजारों एकड़ जमीन बांझ गई है। दोहरी घाट कैनाल में गड़बड़ी सिर्फ यह है कि पहले मैकेनिकल और सिविल दोनों मऊ जनपद के अधिशासी अभियन्ता देखा करते थे पिछले दो वर्षों से मैकेनिकल का काम गोरखपुर को दे दिया गया है और सिविल काम मऊ को दे दिया गया है जब हम लोग अधिशासी अभियन्ता सिविल से कहते हैं कि पानी नहीं आ रहा है तो वह कहता है कि यह मैकेनिकल का काम है। वह जब पम्प को उठाएगा तो पानी आएगा। इसके कारण पानी टेल तक नहीं पहुँच रहा है केवल तलहटी में पानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि पूर्व की भांति मऊ जनपद के अधिशासी अभियन्ताओं को ही यह काम दिया जाय। दूसरी बात मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ शिक्षा के नाम पर जो सरकार ढिंढोरा पीट रही है बिल्कुल कपोल कल्पित बात कर रही है। माध्यमिक शिक्षा की हालत जर्जर हो गयी है। वर्ष 1986-87 की छात्र संख्या के आधार पर माध्यमिक कालेजों में जो पद सृजित हुए हैं उसी के आधार पर नियुक्तियाँ हुई हैं। जबकि उसके बाद से छात्रों की संख्या कितनी बढ़ गई है। लेकिन उसके बावजूद अध्यापकों के पद सृजित नहीं किए गए हैं। तो नियुक्तियाँ कहाँ से होंगी। मानदेय पर शिक्षकों के लिए कह रहे हैं जब पद ही नहीं हैं तो मानदेय के आधार पर भर्ती कैसे करेंगे। अध्यापक मरते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं उनकी जगह पर रोक लगी है और आप शिक्षा की बात करते हैं। आप ऐशो आराम की जिन्दगी बिताने के लिए सारी चीजों को दिखा रहे हैं। लेकिन हमारी अपनी जनता की रीढ़ की हड्डी जो बच्चे हैं जो गरीब किसानों के बच्चे हैं वह माध्यमिक स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उनको उचित शिक्षा नहीं मिलेगी तो वह कहाँ से शिक्षित हो सकते हैं। कहाँ से देश का विकास हो सकता है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं मैं आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि पद सृजन पर जो रोक लगी है उसको खोला जाय ताकि छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ न हो सके। बीस वर्षों के अन्तराल से पद सृजित नहीं हो रहे हैं जब पद सृजित नहीं

होगें तो अध्यापक कहाँ से आएंगे। आपने उच्च शिक्षा की बात कही हमारा मऊ जनपद पूर्वांचल विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आता है। जब गोरखपुर विश्वविद्यालय था तो जितने महाविद्यालयों को लेकर पूर्वांचल विश्वविद्यालय अलग हुआ था उससे चौगुने महाविद्यालय खोल दिए गये हैं। लेकिन दूसरा विश्वविद्यालय नहीं खोला गया। कुछ महाविद्यालय तो ऐसी जगह हैं जहाँ से विश्वविद्यालय तक आने जाने की सुविधा नहीं है। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी यहाँ बैठे हुए हैं मेरी मांग है कि आज स्ववित्त पोषित विद्यालय जो खुले हुए हैं उनकी छात्र संख्या को देखते हुए मऊ जनपद में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो जो कि राहुल सांकृत्यायन के नाम से हो जो कि बहुत बड़े विद्वान थे। उनके नाम पर मऊ के जो महाविद्यालय हैं उनको जोड़ा जाय। जिससे छात्रों और अभिभावकों का शोषण समाप्त हो। एक और बात आती है स्ववित्त पोषित विद्यालय जो खुले हुए हैं। लेकिन कितनी बड़ी यह विसंगति है उसका प्रिंसिपल 10 वर्ष का अनुभव वाला व्यक्ति स्ववित्त पोषित महाविद्यालय में रखा जायेगा तब ही उसको स्थाई सम्बद्धता मिलेगी। क्या यह सम्भव है कभी ? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 10 वर्ष एडेड महाविद्यालय में पढ़ाने वाला प्रिंसिपल स्ववित्त पोषित विद्यालय में आ सकेगा ? यह असम्भव चीज है। इस तरह के मानक बनाये जा रहे हैं। इनमें कुछ ढिलाई होनी चाहिए। एक तरफ आप शिक्षा के विकास की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह के विधि विधान बना रहे हैं। जाहिर है कि लोग इसमें फर्जी तरीके से नियुक्तियां करेंगे ताकि स्थाई सम्बद्धता मिल सके। इसलिये मेरा इसमें अनुरोध है कि नियम कानून में कुछ ढिलाई करने की आवश्यकता है। इस समय के जो पी0एच0डी0 है उनको प्रिंसिपल और प्रवक्ता के पद पर रखने का नियम बनाया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें, आपका समय अधिक हो गया है।

श्री कपिल देव यादव--

मान्यवर, एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि हमको 2004-2005 के हैंड पाइप किसी विधायक को नहीं मिले हैं। इसी तरह से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धान की खरीद की बात कही जा रही है। हमारा क्षेत्र धान का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है। इस साल कहीं भी धान केन्द्र पर न बोरी मिली है न पैसा मिला। किस तरह से तबाही मची हुई है। मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आता हूं, वहां तत्कालीन मुख्य मंत्री ने एक नई तहसील मधुबन का सृजन किया था लेकिन उसका तहसील भवन आज तक नहीं बन पाया है। हमारे क्षेत्र में चकवन्दी की बहुत बड़ी समस्या है। इन्दारा, सुल्तानपुर, बारागांव, दुबारी, रसूलपुर 1972 से चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत है लेकिन अभी तक चकबन्दी नहीं हुई है। हमारे यहां मर्यादपुर गाजियापुर मार्ग पर बैरीयाडीह के निकट हाहा नाले पर पुल अधूरा पड़ा है, उसको पूरा कराया जाय।

श्री अध्यक्ष--

आप यह सब नियम-301 में दे दीजियेगा तो आपको उसका उत्तर भी मिल जायेगा और उस पर कार्यवाही भी हो जायेगी।

श्री कपिल देव यादव--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री किरन पाल कश्यप--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। हमने नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलों के नेताओं के भाषण को बहुत गम्भीरतापूर्वक सुना ताकि हमको कुछ जानने का मौका मिले। आज सदन के अन्दर सबसे ज्यादा कानून व्यवस्था पर बल देकर नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, नेता कांग्रेस और सभी अन्य दलों के नेताओं ने अपनी बात कही। इस सम्बन्ध में मेरा कहना है कि मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि जिस जिले से मैं जीतकर आया हूं मुजफ्फरनगर से, जब उधर बैठे हुए लोगों की सरकार थी उस समय 150 फर्जी इनकाउन्टर उस सरकार ने किये। हम रोज सड़क पर रहते थे और कहते थे कि यह गलत मार दिया गया। आप आज के आंकड़े उठाकर देखिये 56-57 जो सही बदमाश थे उनका सफाया कर दिया गया। एक भी आदमी का गलत इनकाउन्टर नहीं किया गया। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूं लेकिन वे इस समय यहां पर मौजूद नहीं हैं। अगर एक भी फर्जी इनकाउन्टर होता तो विपक्ष चिल्लाता, हल्ला करता, इसका विरोध करता। सरकार कानून व्यवस्था के मामले में कितनी संवेदनशील है, हम यह बताना चाहते हैं और इस पर बल देकर कहता हूं कि कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश में राष्ट्रपति शासन था तो हिन्दुस्तान में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें 28 सहयोगी दल थे। पार्लियामेंट से कुछ दूरी पर, फूलन देवी इस सदन की सदस्य नहीं थी लेकिन हमारी पार्टी की सांसद थी। उनकी गोलियों से निर्मम हत्या कर दी गई । क्या किया गया। तब इन दलों के नेता क्या कर रहे थे। इतना ही नहीं तिहाड़ जेल जो मजबूत जेल कहा जाता है मुझे भी वहां रहने का अवसर मिला है। तिहाड़ जेल से हत्यारा शेर सिंह राणा फरार हो जाता है वह आज तक कहां है। हम मौजूद थे राजभवन के गेट पर, हमारा हक था उत्तर प्रदेश की जनता ने संदेश दिया था। हमारे दल के पक्ष में संदेश आया सरकार बनाने का हमारा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर आया था। हम अपना हक मांग रहे थे अपने नेता के नेतृत्व में। राजभवन के गेट पर अपने हक के लिए धरना दे रहे थे तभी राजभवन के अन्दर से गोली चलती है और हमारे विधायक मंजूर अहमद की हत्या हो जाती है तब राज्यपाल किस पार्टी के थे। यह बहाना नहीं चलेगा सरकार किसकी आई और सरकार किसकी थी। अगर सरकार राष्ट्रपति की थी तो राज्यपाल तो वही नामित करते हैं क्यों कार्यवाही नहीं हुई । कानून व्यवस्था की बात करते हैं। हमने देखा है डेढ़ साल हमें उधर बैठने का मौका मिला है मुंशी लाल जी के पीछे बैठते थे नेता विरोधी दल वहां बैठते थे तब इतनी क्रूर भाषा होती थी एक घंटे भी नेता सदन ने जो सदन का सामना किया हो। डेढ़ साल की कार्यवाही निकलवा लें आज बधाई देनी चाहिए मुलायम सिंह यादव जी को, पहले दिन से जिस दिन से शपथ ली है जितने दिन सदन चला ज्यादा से ज्यादा नेता सदन ने सदन में रहकर सब बातों को सुना और उसका निराकरण करने की कोशिश की। वह उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के पक्षधर हैं मुलायम सिंह यादव इसके लिए चिन्तित हैं इसलिए यह चिन्तित हैं नेता प्रतिपक्ष ने जल निगम की बात उठाई । नेता जी बैठें, उस समय संसदीय कार्य मंत्री जी राजभर जी थे उनका आदर करते हैं 50 नल विधायकों को मिलते थे हम सबको मिले, वह बंद कर दिए गए। फिर आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा तो 50 नल के बदले 100 नल देने का एलान मुख्य मंत्री जी ने किया। आप जानकारी करा लें। (नहीं मिला की आवाजें) दस परसेंट जमा आपने नहीं किया होगा। सड़क निर्माण का कार्य विकास का कार्य आपके नेता ने नहीं किया। डेढ़ साल में सड़कें बनी हैं। 80 फीसदी सड़कों की मरम्मत हो चुकी है जो बची है बजट आने वाला है मरम्मत हो जाएगी।

एक आवाज--

यह [x x x] है।

श्री अध्यक्ष--

[x x x]शब्द असंसदीय है इसको निकाल दिया जाएगा।

श्री किरन पाल कश्यप--

माननीय नेता जी माननीय नेता सदन ने उत्तर प्रदेश की जनता के हक में जितने फैसले किए कल्याणकारी योजनायें चलाईं चाहे सड़क की योजना हो चाहे नहर की योजना हो या गन्ना भुगतान से लेकर गन्ने के दाम बढ़ाने की हो, इन सभी क्षेत्रों में अच्छा काम हुआ है। हमारे माननीय नेता सदन की कोशिश है और जो सबसे पिछली पंक्ति में खड़ा है उसको ऊपर उठाने का काम किया है। यह उसी का नतीजा है कि हमारे जैसा आदमी आज विधान सभा में अपनी बात कह रहा है। निषाद, कश्यप, बिन्द इन सबके लिए उन्होंने काम किया है, क्योंकि यह सभी जातियां आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से सबसे पीछे हैं, उन्होंने अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए 10 फरवरी को इसी सदन से प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजा और जब पार्लियामेंट का चुनाव आया तो इसका सन्देश जनता में गया और उसका परिणाम आपके सामने है। आज उधर के लोगों को सबसे बड़ी चिन्ता इस बात की है कि यह सरकार गरीब लोगों के लिए काम कर रही है, मजदूरों के लिए काम कर रही है और व्यापारियों के लिए काम कर रही है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र मोहन्ती की एक गम्भीर समस्या है, वहां की बिजली की सप्लाई के लिए सब-स्टेशन छोटा है। दो सब-स्टेशन टोडा कोरटू और सिकन्दरपुर हैं, इसकी क्षमता दोगुनी होनी चाहिए। पूरे थाना भवन क्षेत्र के 40-50 साल से बिजली के तार जर्जर हो रहे हैं। यदि उनके तारों को बदलकर नवीनीकरण कर दिया जायेगा तो 50 साल तक किसानों को दिक्कत नहीं आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ में श्री छोटे लाल यादव द्वारा रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और विपक्ष के सदस्यों के विचारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं। मान्यवर, राज्यपाल के अभिभाषण में प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा कराए गये कार्यों के बारे में काफी जिक्र है, उल्लेख है। विकास कार्यों के बारे में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि उसमें कहीं से भी सच्चाई नजर नहीं आती है। हमें काफी दिनों से इस सदन में आने का मौका मिल रहा है, कई सरकारों को देखा है। मौजूदा समय में सड़कों की हालत निरन्तर खराब होती जा रही है और उनकी मरम्मत के कार्य नहीं हो रहे हैं। सरकार को इस बारे में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बिजली के बारे में सरकार ने दावा किया था कि 14 घण्टे बिजली आपूर्ति होगी, मान्यवर, आप भी सहमत होंगे और हमारे साथी भी सहमत होंगे कि विद्युत

नोट :-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की आपूर्ति 14 घण्टे के सापेक्ष, कहीं 10 घण्टे और कहीं 6 घण्टे, जहां जैसी स्थिति है, हो रही है। यहां पर नगर विकास मंत्री भी बैठे हैं, मान्यवर, आपने भी जब सिसवा नगर में प्रवेश किया था तो कहा था कि सड़कें बहुत खराब हैं। उसने देहात का रूप धारण कर लिया है, मान्यवर, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो उद्धार हो जाएगा।

मान्यवर, पूर्वान्चल निधि के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा।

श्री अध्यक्ष--

बड़ी ज्यादती हो गयी आपके साथ।

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू--

मान्यवर, इधर डेढ़ साल में स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। हमने अपना अनुरोध पत्र दिया है और आश्वासन दिया गया है कि दे देंगे।

श्री अध्यक्ष--

आप स्वयं आवास मंत्री रहे हैं।

श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू--

मान्यवर, इसमें जो धन था वह खर्च हो गया। पूर्वान्चल निधि के रूप में जो धन मिलना था वह नहीं मिला। द्वितीय किश्त के रूप में भी नहीं मिला। मान्यवर, हमारा क्षेत्र नेपाल से लगा हुआ है। माओवादी की समस्या के बारे में आप भी जानते हैं। उसके लिए और सुरक्षा की व्यवस्था की आवश्यकता है। अभी तो माओवादी शरण ले रहे हैं और सीमा पर एस0एस0बी0 की तैनाती केन्द्रीय बल के रूप में की गयी है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि सूचना तंत्र की कमी से माओवादियों की सूचना नहीं मिल पा रही है इससे वह हमारे यहां शरण ले रहे हैं। इससे कानून-व्यवस्था के बारे में काफी दिक्कतें आ रही है। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि मौजूदा सरकार का इन सब चीजों की ओर ध्यान जाये। आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पक्ष में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वह दिल्ली के किनारे पर है। गाजियाबाद विधान सभा क्षेत्र से मैं जीतकर आया हूं। मैं एक ही बात पर चुनाव जीतकर आया हूं कि गाजियाबाद के लोगों को विकास चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने क्षेत्र का विकास देखा कि पिछले 14 सालों के अंदर जो भी सामने बैठे लोगों की सरकारें थी तो गाजियावाद क्षेत्र का विकास न के बराबर हुआ। तो उनके अंदर जिज्ञासा जगी कि समाजवादी पार्टी की सरकार उनके क्षेत्र का विकास करेगी। इसलिए गाजियाबाद के लोगों ने समाजवादी पार्टी को जिताने का काम किया और भाजपा तथा कांग्रेस के लोगों को हराने का काम किया। पहली बार मेरे क्षेत्र से समाजवादी पार्टी जीती है। मेरा अनुरोध है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोड़ा कालोनी को नगरपालिका परिषद् पंचायत का दर्जा दिया जाये। हमारे यहां डासना टाउन एरिया कमेटी है। वर्ष 1990 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी तो मैं उस समय समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था तो डासना को 24 घण्टे बिजली जोड़ी थी। और हमारे सामने जो लोग बैठे हैं

जब उनकी सरकार बनी तो 24 घण्टे की बजाये 8 घण्टे बिजली देने का काम किया गया। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि डासना को पुन: 24 घण्टे बिजली दी जाये। इसके साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में सदरपुर गांव लगा है, उससे लगी हुई गोविन्दपुर नगर कालोनी है। वहां 24 घण्टे बिजली आती है लेकिन उससे लगे गांव सदरपुर में एक ही खम्भे का अन्तर है इसलिए मैं अपील करूंगा कि डासना टाउन तथा ग्राम सदरपुर को पुन: 24 घण्टे बिजली से जोड़ा जाये। आपने बहुत पैसा विकास के लिए दिया। विशेष पैकेज की जरूरत है। मान्यवर, मैं गाजियाबाद विधान सभा से चुनकर आया हूं। गाजियाबाद विधान सभा में यह कहकर आया था कि आप मुझे विधायक बनायेंगे तो विकास का काम करेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने विकास की तरफ ध्यान दिया और आज चहुंमुखी विकास हो रहा है। विकास में थोड़ी गति तेज कर दी जाय जिससे चहुंमुखी विकास हो। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस गाजियाबाद में स्थापित किया है। मैं आपका अभिनन्दन करता हूं। सामने के लोग अभी कह रहे थे कि जंगल राज आ गया है, जंगल राज आ गया है तो पिछले चौदह सालों का गाजियाबाद का हिसाब आप देख लें कि जंगल राज हमारे जमाने में आया है या आपके जमाने में था। 1991-93 और 96 में जब आपकी सरकार आयी थी तो उस समय लूट, हत्या, अपहरण, बलात्कार जो आपके टाइम में हुआ है इतना किसी सरकार में भी नहीं हुआ है। आज तो उसमें अंकुश लगा है। आप अपनी सरकार के आंकड़े देख लें और हमारी सरकार के आंकड़े देख लें । आपके टाइम में राम राज या अल्हा का राज नहीं था लेकिन हमारे जमाने में यह दोनों है। जब आपकी सरकार थी तो उस समय रावण राज था। यह कहा जाता है कि सरकार गिरा देंगे क्योंकि आज हमने 37 पार्लियामेंट सीटें जीत ली और 12 विधान सभा की सीटों का चुनाव हुआ। आठ सीटों पर सपा ने कब्जा कर लिया है जहां पर कभी बी0जे0पी0 का परचम फहराता था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि थोड़े और विकास की हमारे यहां जरूरत है। सात पुलों में से तीन पुलों का निर्माण शुरू हो चुका है और चार का निर्माण होने जा रहा है। लोहिया पार्क बन रहा है। हर्ष हाउस भी आप बनवा रहे हैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो गाजियाबाद महोत्सव 19, 20 फरवरी को होने जा रहा है उसके महोत्सव में वह शामिल होने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष--

बजट प्रस्तुत करने में दो मिनट का समय बाकी है। त्रिपाठी जी, शुरू कर दें आपकी चर्चा कल जारी रहेगी।

*श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, जैसा कि आपको मालूम है कि कलुआ गैंग द्वारा जो मंदिर में निर्दोष लोगों का हत्याकांड किया है उस ओर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा क्योंकि मैं घटनास्थल से होकर आ रहा हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, जो लोग मारे गये वह लोग सौभाग्यशाली थे लेकिन जो बच गये हैं, उसमें से कुछ ऐसे थे जिनकी दोनों टांगे और दोनों

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बांहे काट दी गयी थी। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप भी अपने दल के सदस्यों की टीम भेजकर दिखवा लें कि उनकी क्या सहायता हो सकती है। अपराध तो होते रहेंगे, यह बेहमई और साढ़ूपुर में भी हुए लेकिन जिस तरह से यह घटना हुई है ऐसी घटना इतिहास में कभी नहीं हुई । इसमें जो नन्हें नाम का आदमी है जब वह कुचला जा रहा था तो उसने कहा कि मुझे गोली मार दो। जिस तरह से शोले में डायलाग है कि 'अब गोली खा' तो उसने यह कहा कि इसे गोली पसन्द है इसे गोली मार दो और उसे गोली मार दी गयी। जिस पी0सी0ओ0 से थाने में सूचना दी गयी, श्री अरविन्द मिश्र का वह पी0सी0ओ0 था, तो थाने में उस पर बेलन चढ़ाकर बैठाया गया और कहा कि मत बताना कि यहां से सूचना दी गयी क्योंकि पुलिस ग्यारह घंटे के बाद पहुंची थी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी की सराहना करूंगा कि उन्होंने वहां के एस0पी0 और इंस्पेक्टर को तत्काल निलम्बित किया था लेकिन अब जो अपाहिज और विकलांग लोग वहां पर रह गए हैं उनके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

विकलांगों के लिए अगर किसी को हाथ लगवाना होगा, किसी को पैर लगवाना होगा तो उसका जो भी खर्चा होगा, वह दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष--

त्रिपाठी जी अब आप बैठ जायें, आपकी चर्चा कल भी जारी रहेगी। अब हम मद संख्या 10 लेते हैं।

वित्तीय वर्ष 2004-2005 की द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 2004-2005 के द्वितीय अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रतियां बांट दी जायें।

(प्रतियां बांटी गयी।)

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की "लोक लेखा समिति", प्राक्कलन समिति", अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम के निर्धारण की सूचना।

श्री अध्यक्ष--

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की वर्ष 2005-2006 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी

संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति" और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :--

1	नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय ..	सोमवार, 21 फरवरी, 2005 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2	नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि समय ..	मंगलवार, 22 फरवरी, 2005 को अपराह्न 3.00 बजे (प्रमुख सचिव, विधान सभा के कार्यालय-कक्ष में)
3	नामों की वापसी की तिथि तथा समय ..	गुरुवार, 24 फरवरी, 2005 को अपराह्न 4.00 बजे तक
4	निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान ..	
	(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	गुरुवार, 03 मार्च, 2005
	(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	शुक्रवार, 04 मार्च, 2005

विधान भवन, लखनऊ स्थित समिति कक्ष संख्या '44-ख' पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा।

उक्त निर्वाचनों सम्बन्धी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

आज दिनांक 16 फरवरी, 2005 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 25 सूचनाएं प्राप्त हुईं ।

पहली सूचना, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ 'मोती सिंह' की पूर्वांचल विकास निधि के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ की पट्टी तहसील के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत मार्गों तथा पुलों के अवशेष निर्माण हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में हैं, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

दूसरी सूचना, श्री सुरेश कुमार खन्ना की, जनपद शाहजहांपुर के आवासीय कालोनी में वैज्ञानिक सुरेश चन्द्र के आवास पर हुए हमले में चौकीदार शकटे व हीरालाल की हुई मौत के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

तीसरी सूचना, श्री सुखदेव राजभर की, जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज में स्वीकृत आश्रम पद्धति विद्यालय का संचालन न होने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

चौथी सूचना, श्री विश्राम सिंह यादव की, जनपद हरदोई की तहसील बिलग्राम की विद्युत सप्लाई हेतु हरपालपुर कस्बे में विद्युत उपकेन्द्र बनाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

पांचवी सूचना, श्री चन्द्रभद्र सिंह की, जनपद सुल्तानपुर के धनपतगंज में स्वीकृत पावर स्टेशन बनाये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

छठी सूचना, डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर की, इलाहाबाद महानगर की सफाई व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

सातवीं सूचना, श्री जियाउद्दीन रिजवी की, प्रदेश के 800 विकास खण्डों में आधे से अधिक विकास खण्डों में विकास अधिकारियों की नियुक्ति न होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

आठवीं सूचना, श्री आर0एस0 कुशवाहा की, जनपद खीरी स्थित तहसील निधासन में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किए जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत की जाती है।

नवीं सूचना, श्री राम इकबाल सिंह की, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के बी0एड0 के दाखिले में आरक्षित कोटे में सामान्य वर्ग के छात्रों का दाखिला किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

दसवीं सूचना, श्री नवाब सिंह नागर की, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में आगामी पंचायतों के चुनाव पूर्ववत् कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

और ग्यारहवीं सूचना, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की, जनपद मेरठ के अन्तर्गत जयभीम नगर व कासिमपुर क्षेत्र की मलिन बस्तियों में पेयजल उपलब्ध न कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की जाती है।

जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई उनके नाम निम्नवत् हैं-- डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री आर0 एस0 कुशवाहा, श्री मुंशी लाल गौतम, श्री काली चरन राजभर, श्री प्रभु दयाल बाल्मीकि, श्री राम किशुन, श्री रामहेत, श्री मदन चौहान, श्री आलम बदी, श्री अवधेश कुमार वर्मा, श्री राजेश कुमार गौतम, डा0 सुशील चौधरी तथा श्रीमती विद्या चौधरी।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर से फर्जी जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पंचायती राज मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)--

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम राजापुर से फर्जी ....।

श्री अध्यक्ष--

इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो सदन की सहमति से पढ़ा हुआ माना गया।)

[जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर निर्वाचित ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, सुल्तानपुर से कराई गई । जिलाधिकारी, सुल्तानपुर की आख्या के अनुसार दिनांक 19-3-96 को तहसीलदार सदर, जनपद सुल्तानपुर द्वारा श्री राधेश्याम सुत

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जगदम्बा, निवासी ग्राम राजापुर, परगना मीरानपुर, जिला सुल्तानपुर के नाम जारी "गिरी" पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र के आधार पर श्री राधेश्याम वर्ष 2000 के ग्राम पंचायत राजापुर के प्रधान पद का चुनाव लड़े तथा जीत भी गये। यह जाति प्रमाण-पत्र तहसीलदार सदर के जाति प्रमाण-पत्र रजिस्टर के क्रमांक 12880 से जारी किया गया अंकित है। रजिस्टर में क्रमांक 12850 के बाद 12951 अंकित है तथा आगे चलकर पुन: 11435 से प्रारम्भ किया गया है जिसके आगे 12880 पर श्री घनश्याम पुत्र लहूरी गड़रिया का नाम अंकित है। इस प्रकार जाति प्रमाण-पत्र रजिस्टर में श्री राधेश्याम सुत जगदम्बा का नाम अंकित होना नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 1-1-2002 को श्री ओम प्रकाश शर्मा, निवासी ऊंचगांव द्वारा इस आशय का प्रार्थना-पत्र दिया गया कि श्री राधेश्याम शर्मा सुत जगदम्बा प्रसाद शर्मा हिन्दू ब्राह्मण जाति के हैं किन्तु वे पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र बनवाकर चुनाव लड़े और विजयी हुए हैं। प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर उपजिलाधिकारी सदर सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 31-7-2002 को आख्या दी गयी, जिसमें यह कहा गया है कि परिवार रजिस्टर के अनुसार श्री राधेश्याम के पितामह महावीर की उप जाति "गिरी" अंकित है जो कि पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है। शिकायतकर्ता श्री ओम प्रकाश शर्मा के हस्तक्षेप पर इस प्रकरण में पुन: गोपनीय जांच परगनाधिकारी सदर द्वारा की गयी है, जिनको दिनांक 18-2-2003 को प्रस्तुत आख्या में बताया गया है कि गिरि जाति के बाहुल्य वाले ग्रामवासियों के बयान के अनुसार श्री राधेश्याम शर्मा "गिरी" जाति के नहीं हैं बल्कि वे भांट जाति के हैं जो कि सामान्य जाति है। जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध दिनांक 22-7-2003 को फर्जी जाति प्रमाण-पत्र प्राप्त करके चुनाव लड़ने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराने के लिए संबंधित अधिकारी को जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया। इस निर्देश के विरुद्ध श्री राधेश्याम शर्मा ने मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में याचिका योजित कर दिनांक 31-7-2003 को स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अत: मा0 न्यायालय के निर्देशानुसार इस प्रकरण को पुन: जांच करायी गयी। जांच में श्री राधेश्याम शर्मा को दिनांक 4-11-2003 को नोटिस भेजकर उनका जवाब मांगा गया, जिसके क्रम में उनका उत्तर दिनांक 6-1-2004 को प्राप्त हुआ। श्री शर्मा ने अपने दिये गये उत्तर में अपने को "गिरी" जाति का होने के संबंध में कोई ठोस प्रमाण-पत्र नहीं प्रस्तुत कर सके। अत: जिलाधिकारी, सुल्तानपुर के कार्यालय आदेश दिनांक 3-9-2004 द्वारा श्री राधेश्याम शर्मा को प्रधान पद से पदच्युत कर दिया गया है और मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के पालन में योजित याचिका में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के साथ श्री राधेश्याम शर्मा के विरुद्ध जालसाजी की प्रथम सूचना रिपोर्ट भी अंकित करा दी गयी है।]

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं, कल 11.00 बजे पूर्वाह्न फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 5 बजकर 05 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 16 फरवरी, 2005

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी "क"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का उत्तर पीछे पृष्ठ 45-46 पर)

प्रारूप --1

क्र0 सं0	मद का नाम	प्राप्त धनराशि	खर्च धनराशि	अवशेष धनराशि	खर्च होने वाली सम्भावित धनराशि रु0
1	प्रशिक्षण केन्द्र के भवन की मरम्मत	689271.00	633641.00	55630.00	55630.00
2	फर्नीचर उपकरण आदि	325000.00	299915.00	25085.00	25085.00
3	साज-सज्जा मशीन	73000.00	34320.00	38680.00	38680.00
4	रसोई का सामान	350000.00	112888.00	237112.00	237112.00
5	सामग्री एवं सम्पूर्ति	157320.00	156308.00	1012.00	1012.00
6	टीचिंग एड्स	65000.00	--	65000.00	65000.00
	योग ..	1659591.00	1237072.00	422519.00	

ह0 (अस्पष्ट),
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

ए0 एन0 एम0 टी0 सी0 मोठ, झाँसी,
सामग्री एवं सम्पूर्ति
प्रारूप --2

क्र0 सं0	प्राप्त धनराशि	क्रय की गई सामग्री का नाम	दर (प्रति)	मात्रा	सामग्री का कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6
1	157320.00	1--बेड दरी 46"×78"	137.00	60	8220.00
2		2--दरी फर्सी 9 फि0 × 12 फि0	533.00	3	1066.00
3		3--कम्बल 150"×225"	445.00	100	44500.00
4		4--दरी फर्सी 12 फि0 × 16 फि0	1072.00	11	11792.00
5		5--बेडशीट सुपीरियर	115.00	190.00	21850.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
6		6--पिलो कवर 66 × 42 से0मी0	99.00	60	5940.00
7		7--पिलो कवर	41.00	120.00	4920.00
8		8--टावेल अर्किस 60 × 130 से0 मी0	60.00	24	1440.00
9		9--टावेल अर्किस	90.00	12 दर्जन	12960.00
10		10--डस्टर 90 × 90 से0 मी0	30.00	24	720.00
11		11--कर्टन क्लाथ 120 × 100 से0 मी0	99.00	100	9900.00
12		12--मैट्रेस 192 × 92 × 12 से0 मी0	550.00	60	33000.00
				योग..	156308.00

ह0 (अस्पष्ट),
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

ए0 एन0 एम0 टी0 सी0 मोठ के भवन के सुदृढ़ीकरण से सम्बन्धित विवरण जनपद झाँसी,
सज्जा फर्नीचर
प्रारूप ङ2

क्र0 सं0	प्राप्त धनराशि	क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	सामग्री का कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6
	रु0				रु0
1	325000.00	1इस्टील आलमारी 1280 × 760 × 430 एम0 एम0	2001.00 प्रति	15	300015.00
		2इस्टील आलमारी 1980 × 860 × 480 एम0 एम0	3025.00 प्रति	4	12100.00
		3--आर्मलेस चेयर	270.00 प्रति	66	17820.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
					रु0
		4--आफिस टेबिल 1200 × 660 × 760 एम0 एम0	1245.00 प्रति	30	37350.00
		5--सिंगल सिटेडचेयर आर्म सहित	335.00 प्रति	5	1675.00
		6--स्टील डेक 3075 × 900 × 400 एम0 एम0	1800.00 प्रति	4	7200.00
		7--आर्मलेस स्टुडेन्ट आर्म सहित	305.00 प्रति	56	17080.00
		8--आर्मलेस चेयर डनलप	480.00 प्रति	100	48000.00
		9--तीन सटर बेंच आर्मलेस	1035.00 प्रति	25	25875.00
		10--स्टील रैक 1575 × 900 × 400 एम0 एम0	1028.00 प्रति	20	20560.00
		11--डीजर्ट कूलर 457 एम0 एम0 फैन	3621.00 प्रति	9	32589.00
		12--स्टील ट्रंक 1200 × 760 × 710 एम0 एम0	1115.84 प्रति	6	66695.04
		13--बंक सेल्फ लार्ज	4842.00 प्रति	4	19368.00
		14--बुक सेल्फ स्माल	3021.00 प्रति	4	12084.00
				योग ..	288381.00
				टैक्स ..	11534.00
				कुल योग ..	299915.00

ह0 (अस्पष्ट),
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ए0 एन0 एम0 टी0 सी0 मोठ, झाँसी

रसोई उपकरण

प्रारूप --2

क्र0 सं0	प्राप्त धनराशि	क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	सामग्री का कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6
	रु0				रु0
1	350000.00	1--प्रेशर कुकर 10 लीटर	4250.00 प्रति	2	8500.00
		2--भगौना लार्ज ढक्कन सहित	1150.00 प्रति	4	4600.00
		3--तवा 18"	650.00 प्रति	2	1350.00
		4--गिलास स्टील	22.00 प्रति	60	1320.00
		5--जग स्टील 1 ली0	78.00 प्रति	10	780.00
		6--सेल्फ कटोरी थाली	168.00 प्रति	60	10080.00
		7--टेबिल स्पून	18.00 प्रति	24	432.00
		8--टी स्पून	6.00 प्रति	60	360.00
		9--केतली एल्मोनियम	220.00 प्रति	2	440.00
		10--पानी का ड्रम	1680.00 प्रति	2	3360.00
		11--कनस्तर स्टील	520.00 प्रति	2	1040.00
		12--पानी का ड्रम प्लास्टिक मग्गा सहित	380.00 प्रति	2	760.00
		13--बाल्टी स्टील लार्ज	700.00 प्रति	2	1400.00
		14--बाल्टी प्लास्टिक मग्गा सहित	205.00 प्रति	2	410.00
		15--डोंगा स्टील	180.00 प्रति	15	2850.00
		16--सर्विस स्पून	18.00 प्रति	15	270.00
		17--चिमटा	52.00 प्रति	2	104.00
		18--कढ़ाई लार्ज	2150.00 प्रति	2	4300.00
		19--गैस चूल्हा बड़ा	1890.00 प्रति	1	1890.00
		20--सामान्य गैस चूल्हा डबल बर्नर	1750.00 प्रति	1	1750.00

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6
1		21--स्टोप किरोसिन डबल बर्नर	685.00 प्रति	1	685.00
		22--जूसर मिक्सर ग्राइण्डर	7950.00 प्रति	1	7950.00
		23--टेपेस्ट्री (पर्दा)	99.00 प्रति मी0	500 मीटर	49500.00
		24--स्टील स्टैण्ड	1850.00 प्रति	2	3700.00
		25--टी सेट	1350.00	2	2700.00
				टैक्स	2437.00
				योग ..	**112888.00**

मशीनें उपकरण

क्र0 सं0	प्राप्त धनराशि	क्रय की गई सामग्री का नाम	दर	मात्रा	सामग्री का कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6
	रु0				रु0
1	73000.00	जनरेटर 5 कि0 पा0 1 स्टार्ट सिंगल फेस एयरकोल्ड विथ कन्ट्रोल पेनल	33000.00 प्रति	1	33000.00
				टैक्स	1319.99
				योग ..	**34320.00**

टीचिंग एड्स

क्र0 सं0	प्राप्त धनराशि	सामग्री का नाम	दर	मात्रा	सामग्री का कुल मूल्य
1	2	3	4	5	6
	रु0				रु0
1	65000.00	--	--	--	65000.00 अवशेष
				योग ..	**65000.00**

ह0 (अस्पष्ट),
मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
झांसी।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

(देखिये श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव शेष सदस्यों के संशोधन पृष्ठ 64-120 पर)

2--श्री प्रमोद तिवारी, श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री संजीव दरियाबादी, श्री राम सेवक, श्रीमती अमीता सिंह, श्री विवेक बंसल, श्री प्रदीप जैन "आदित्य", श्रीमती लुईश खुर्शीद, श्री प्रदीप माथुर, श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री श्याम सूरत उपाध्याय, डा0 सुशील चौधरी, श्री रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, श्री शमीमुल हक तथा श्री अजय कपूर--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--प्रदेश में बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था बढ़ते हुए अपराध, अपहरण, हत्यायें, बैंक डकैती के कारण प्रदेश की जनता में व्याप्त भय और आतंक के सम्बन्ध में,

2--प्रदेश में बिजली की आपूर्ति ग्रामीण अंचलों में कम से कम 18 घंटे और शहरी क्षेत्र में 24 घंटे सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,

3--गन्ना किसानों के बकाये धनराशि के भुगतान के संबंध में,

4--नये-नये उद्योग धंधे लगाने, उनको चलाने तथा इससे आम आदमी को रोजगार और तरक्की देने के संबंध में,

5--हर वर्ग के लोगों की सुरक्षा की गारंटी देने के संबंध में ताकि लोगों में जो भय का वातावरण बना हुआ है, समाप्त हो सके,

6--बुनकरों के बंद करघों को तत्काल चलाये जाने के संबंध में,

7--सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिये तथा मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के संबंध में,

8--विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के स्थान भरे जाने के संबंध में,

9--सरकारी कारपोरेशनों के उनको बुनियादी मकसदों से हटाकर उन्हें बर्बादी तक पहुंचाने तथा उसके बाद उन्हें औने-पौने दामों पर बिकवाने के लिये जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में,

10--हर किसान को समय पर बीज, पानी, खाद का लाभकारी मूल्य दिलाये जाने के संबंध में,

11--हर परिवार को सरकारी नौकरी की गारण्टी देने के संबंध में,

12--कानपुर में जल निगम के रुके हुए कार्यों को पूरा करने के संबंध में,

13--कानपुर गंगा बैराज के रुके हुए कामों को तत्काल पूरा कराये जाने के संबंध में,

14--प्रदेश में पनप रहे अपहरण की रोकथाम के संबंध में,

15--उर्दू एकेडमी एवं फखरुद्दीन अली अहमद कमेटियों को पुनर्जीवित कराये जाने के संबंध में,

16--प्रदेश के अधिकतर विभागीय निगमों तथा विभागों में मृतक आश्रितों के लिये जो नौकरियां बंद कर दी गई हैं उनको चालू कराये जाने के संबंध में,

17--प्रदेश के खस्ताहाल पड़ी सड़कों के रखरखाव तथा तत्काल मरम्मत कराकर उन्हें आवागमन हेतु दुरुस्त कराये जाने के संबंध में,

18--सरकार द्वारा की गयी 100-100 हैण्डपम्प दिये जाने की घोषणा को आज तक कार्यान्वित नहीं किया गया, के संबंध में,

19--प्रदेश के अधिकांश जिलों में चलने वाले उद्योग बंद पड़े हैं उन्हें चालू कराये जाने के संबंध में,

3--डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--पश्चिमी उ0 प्र0 में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना करने तथा उसके वर्तमान कार्यक्षेत्रों का पुनर्निर्धारण करने के संबंध में,

2--सरकार की घोषणा के अनुरूप बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में,

3--प्रदेश में फैल रहे ध्वनि प्रदूषण के संबंध में,

4--प्रदेश में 24 घंटे बिजली देने के संबंध में,

5--कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के संबंध में,

6--प्रदेश में फल-फूल रहे स्थानान्तरण उद्योग को रोकने के संबंध में,

7--प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में,

8--प्रदेश के गन्ना किसानों को उचित मूल्य घोषित न करना तथा घोषित मूल्य का भुगतान न कर पाने के संबंध में,

9--किसानों को नि:शुल्क बिजली न देने के संबंध में,

10--प्रदेश के कमर तोड़ते बुनकर उद्योग को मुफ्त बिजली न दिये जाने के संबंध में,

11--प्रदेश में पशु चिकित्सा महाविद्यालय/डेरी टेक्नोलोजी महाविद्यालय को प्राइवेट सेक्टर में खोलने विषयक नीति बनाने के संबंध में,

12--प्रदेश औद्योगिक विकास/बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से पूंजी निवेश के प्रोत्साहन के संबंध में,

13--प्रदेश में भू-गर्भ जल के गिरते स्तर को रोकने के संबंध में,

14--प्रदेश में फल-फूल रहे अपहरण उद्योग को रोकने के संबंध में,

15--पूर्व में घोषित पश्चिमांचल, मध्यांचल विकास निधि को लागू करने के संबंध में,

16--जनता को सस्ता न्याय देने के लिये फास्ट ट्रैक व नये न्यायालय खोलने के संबंध में,

17--बिजली की आवश्यकता को देखते हुए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करने के संबंध में,

18--बेसिक/उच्च/माध्यमिक शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार के संबंध में,

19--तदर्थ/मानदेय शिक्षकों को विनियमित किये जाने के संबंध में,

20--प्रदेश के होमगार्डों को विनियमित किये जाने के संबंध में,

21--अमान्य वैकल्पिक विषय को आधार बनाकर वर्ष 2005 की मा0 शि0 परिषद् की परीक्षा से हजारों छात्रों को परीक्षा से वंचित किये जाने के संबंध में,

22--मेरठ महानगर की पेयजल आपूर्ति के सुनिश्चित करने हेतु भोला झाल सरफेस वाटर पेयजल परियोजना के बनाने के संबंध में,

23--प्रदेश में हुए खाद्यान्न घोटले के संबंध में,

24--मेरठ में कचरे से बिजली की योजना को स्थापित करने के संबंध में,

25--मेरठ में स्पोर्ट्स कालेज की स्थापना की विधान सभा में की गई घोषणा को लागू करने के संबंध में,

26--भोला झाल मेरठ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के संबंध में,

27--मेरठ मेडिकल कालेज की दशा के सुधार के संबंध में,

28--मेरठ में कुत्ते काटने के इंजेक्शन की अनुपलब्धता के संबंध में,

29--"टर्नओवर टैक्स" का नाम बदल कर 'विकास कर' लगाने के औचित्य के संबंध में,

30--मेरठ को ज्वैल सिटी के रूप में विकसित करने के संबंध में,

31--प्रदेश के स्थानीय निकायों में रिक्त एवं स्वीकृत सफाई कर्मचारियों की भर्ती पर रोक को हटाने के संबंध में,

32--मेरठ महानगर में रेलवे रोड को बागपत रोड से जोड़ने के प्रस्ताव को लागू करने के संबंध में,

33--मरठ विकास प्राधिकरण द्वारा किसानों को प्रतिकर भुगतान न किये जाने से परेशान/बदहाल किसानों के संबंध में,

34--मेरठ विकास प्राधिकरण की कालोनियों के निवासियों से अतिरिक्त प्रतिकर के नाम पर पुनः पैसा मांगे जाने व उत्पीड़न किये जाने के संबंध में,

35--मेरठ में नौचंदी मेले का भवन बनाने हेतु ट्रेड फेयर अथारिटी गठित करने के संबंध में,

36--प्रदेश में बढ़ते एच0 आई0 वी0/एड्स के प्रभाव को रोके जाने के संबंध में,

37--प्रदेश में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिये विशेष प्रभावी कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में,

38--प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिये प्रभावी योजना के संबंध में,

39--मेरठ में सेन्ट्रल बैंक कोआपरेटिव सोसाइटी के घपले में हजारों जमाकर्ताओं की बर्बादी को रोकने के संबंध में,

40--मेरठ जनपद कचहरी में अधिवक्ताओं हेतु कक्ष निर्माण व बार लाइब्रेरी में सुधार के संबंध में।"

4--श्री श्यामदेव राय चौधरी--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया गया है :--

1--वाराणसी जैसे अति महत्वपूर्ण नगर में कटौती मुक्त निर्बाध विद्युत आपूर्ति के संबंध में,

2--वाराणसी में विशेषकर दक्षिणी विधान सभा के पक्के मोहल्लों में सुचारु पेय जलापूर्ति करने एवं स्थान-स्थान पर दूषित जलापूर्ति को रोकने के संबंध में,

3--वाराणसी नगर के खस्ताहाल महत्वपूर्ण व्यस्त रहने वाले सड़कों की दशा सुधारने के संबंध में,

4--अनधिकृत एवं अधिकृत कालोनियों को चिन्हित करने एवं उनमें निवास करने वाले नागरिकों को सड़क, पानी एवं सफाई जैसे मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में,

5--काशी में पवित्र गंगा नदी के जल में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने एवं गंगा की कम हो रही गहराई को ड्रेजिंग द्वारा गहरा किये जाने के संबंध में,

6--वाराणसी में हत्या, लूट, डकैती तथा अपहरण जैसे आपराधिक घटनाओं में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी से आम नागरिकों में उत्पन्न दहशत को रोकने के संबंध में,

7--श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में तथा प्रवेश की गलियों में दर्शनार्थियों के गले से सिकड़ी छिनैती एवं पाकेटमारी पर अंकुश लगाने के संबंध में,

8--अति प्राचीन नगरियों में से एक वाराणसी के जर्जर हो चुके पेय जलापूर्ति पाइप लाइनों को युद्ध स्तर पर बदलने एवं दूषित जलापूर्ति को रोकने के संबंध में,

9--वाराणसी की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु जर्जर तारों को बदलने, ट्रांसफार्मरों को उच्चीकृत करने, सब-स्टेशनों की संख्या में वृद्धि करने एवं कमच्छा स्थित पावर हाऊस के विशाल भूखण्ड पर 132 के0 वी0 ए0 का एक नया सब-स्टेशन स्थापित करने के संबंध में,

10--काशी की अति प्राचीन जर्जर हो चुकी ध्वस्त सीवर लाइनों को बदलने के संबंध में।"

5--डा0 अरुण मेहरोत्रा--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--गत वर्ष भयंकर सूखा की मार झेल रहे किसानों को राहत देने तथा राजस्व वसूली निरस्त करने के संबंध में,

2--शासन-प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के संबंध में,

3- प्रदेश में व्याप्त जंगलराज, हत्या, अपहरण आदि पर प्रभावी नियंत्रण के संबंध में,

4--सवर्ण गरीबों को सरकारी नौकरी, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिये जाने के संबंध में,

5--सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्राथमिक शिक्षकों से अन्य कार्य न कराकर पूरे सत्र सिर्फ शिक्षण कार्य कराने के संबंध में,

6--प्रदेश का विकास मात्र कुछ जनपदों तक सीमित न करके सभी जनपदों का संतुलित विकास सुनिश्चित करने के संबंध में,

7--बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय से संबंध छात्रों की बढ़ी फीस का अंतर राजकीय कोष से भुगतान करने के संबंध में,

8--कालपी क्षेत्र में विगत अठारह महीनों में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से कोई भी विकास कार्य स्वीकृत न किये जाने से क्षेत्र का विकास बाधित होने के संबंध में,

9--कालपी नगर में विद्युत सुधार हेतु 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के संबंध में,

10--कालपी राठ मार्ग पर बेतवा नदी पर कहटा-चिनौर के मध्य सेतु निर्माण के संबंध में,

11--कालपी के बीहड़ क्षेत्र में मगरौल पड़री के मध्य झरनहा घाट पर नून मलंगा नाले पर रपटा निर्माण के संबंध में,

12--कालपी के कालीन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये नगर में प्रोसेसिंग इकाई स्थापित करने के संबंध में।"

6--डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--इलाहाबाद महानगर की विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ कर विद्युत कटौती से मुक्त करने के संबंध में,

2--इलाहाबाद महानगर के उन मुहल्लों में जहां विद्युत पोल एवं विद्युत तार लगे नहीं हैं, लगवाने के संबंध में,

3--इलाहाबाद शहर के गृह कर मूल्यांकन का ठीक निर्धारण करने तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 में दिये गये प्राविधानों के तहत जनता को गृह कर में छूट देने के संबंध में,

4--इलाहाबाद नगर निगम की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान करने तथा सफाई कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि तथा उनके वेतन भुगतान को सुनिश्चित किये जाने के संबंध में,

5--लखनऊ महानगर की तरह इलाहाबाद महानगर का सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में,

6--इलाहाबाद के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में,

7--इलाहाबाद शहर के बाहर से बाई पास मार्ग बनाने के संबंध में,

8--इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं उससे जुड़े सभी महाविद्यालयों को केन्द्रीय दर्जा दिलाये जाने के संबंध में,

9--डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय, फाफामऊ, इलाहाबाद को स्नातकोत्तर दर्जा प्रदान करने तथा स्नातक स्तर पर शासन द्वारा स्वीकृत विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में,

10--राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मछलीबाजार कटरा, इलाहाबाद को उच्चीकृत कर इण्टरमीडिएट स्तर तक करने के संबंध में,

11--उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद किराये के भवन के स्थान पर शीघ्र अपना भवन निर्माण, फाफामऊ में करने के संबंध में,

12--इलाहाबाद के राजकीय मेडिकल कालेज की व्यवस्था को सुधारने तथा विशेष आर्थिक पैकेज स्वीकृत करने के संबंध में,

13--लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फाफामऊ, इलाहाबाद में स्नातकोत्तर कक्षायें तत्काल प्रारंभ करने के संबंध में,

14--उत्तर प्रदेश के सभी राजकीय मेडिकल कालेजों, होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों तथा आयुर्वेदिक कालेजों में रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में,

15--प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में रिक्त शिक्षकों के पदों को बी0 एड0 एवं अन्य प्रशिक्षित शिक्षकों से भरने के संबंध में,

16--इलाहाबाद शहर की अनियमित कालोनियों एवं आवासों को व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के संबंध में,

17--इलाहाबाद शहर के जिन मुहल्लों में सीवर लाइन नहीं है वहां पर सीवर की व्यवस्था के संबंध में,

18--बाघम्बरी गद्दी (अल्लापुर) इलाहाबाद में अपूर्ण सीवर लाइन को पूर्ण करने हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धन को अविलम्ब अवमुक्त करने के संबंध में,

19--इलाहाबाद शहर की जलापूर्ति व्यवस्था को ठीक करने हेतु द्वितीय वाटर वर्क्स की स्वीकृत योजना को पूरा कराये जाने के संबंध में,

20--दारागंज से ऐलनगंज के बीच बक्सी बांध को विकसित एवं सौन्दर्यीकरण करने के संबंध में,

21--इलाहाबाद शहर में एक राजकीय इण्टर कालेज खोलने तथा अनेकों वर्षों से चल रहे किराये के भवन में राजकीय कन्या इण्टर कालेज का अपना भवन निर्माण कराये जाने के संबंध में,

22--गंगा नदी के गंदे नालों के पानी तथा प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु त्वरित कार्य योजना बनाने के संबंध में,

23--शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में,

24--प्रदेश की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत एवं रख-रखाव के संबंध में,

25--प्रदेश के कालेजों एवं महाविद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित करने के संबंध में,

26--प्रदेश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, इण्टरमीडिएट कालेजों, बेसिक विद्यालयों के रिक्त शिक्षकों के पदों को भरने के संबंध में,

27--प्रदेश एवं इलाहाबाद की बिगड़ती कानून व्यवस्था को ठीक करने के संबंध में,

28--नैनी, इलाहाबाद के उद्योगों के विकास एवं उनकी समस्याओं के समाधान के संबंध में,

29--प्रदेश के निजी क्षेत्र के इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज, मैनेजमेंट कालेजों की शैक्षणिक व्यवस्था को सुधारने के संबंध में,

30--प्राइवेट नर्सिंग होम एवं अस्पतालों में मरीजों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के संबंध में,

31--प्रदेश सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों व अन्य सभी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के 50% को केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वेतन में जोड़े जाने के संबंध में,

32--आई0 ई0 आर0 टी0 इलाहाबाद में स्थायी निदेशक की नियुक्ति के संबंध में,

33--राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद में कार्यरत कर्मचारियों के वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने तथा स्थायी निदेशक की नियुक्ति के संबंध में,

34--इलाहाबाद शहर की ट्राफिक व्यवस्था सुधारने के संबंध में,

35--इलाहाबाद शहर में स्वीकृत ऊर्जा पार्क तथा साइंस सिटी योजना के शीघ्र क्रियान्वयन के संबंध में,

36--इलाहाबाद विश्वविद्यालय करेसपान्डेन्स कोर्स में कार्यरत कर्मचारियों के समान वेतन एवं अन्य सुविधायें प्रदान करने संबंध में,

37--इलाहाबाद महानगर में स्थित पार्कों की दयनीय स्थिति को सुधारने के संबंध में,

38--इलाहाबाद में प्रतिवर्ष होने वाले माघ मेला तथा कुम्भ एवं अर्धकुम्भ मेला को दृष्टि में रखकर संगम स्थल के विकास एवं सौन्दर्यीकरण तथा गंगा नदी के स्थायी रूप से प्रदूषण मुक्त करने के संबंध में,

39--माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर करने तथा शिक्षकों के चयन में पारदर्शिता लाने के संबंध में,

40--माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की पवित्रता बनाने हेतु समुचित कदम न उठाने के संबंध में,

41--प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्यापक धांधली एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में,

42--प्रदेश में कालेजों एवं महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम खुलने से शैक्षिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, इसे मानक के अनुरूप बनाये रखने के संबंध में,

43--प्रदेश में पुलिस भर्ती में पारदर्शिता बनाये रखने के संबंध में,

44--प्रदेश के उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थानों, कालेजों आदि के प्रवेश में स्पष्ट नीति न होने के संबंध में,

45--प्रदेश में मेधा के आधार पर मेधावी छात्र-छात्राओं को अध्ययन में प्रोत्साहित करने हेतु समुचित छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में।"

7--श्री मुंशीलाल गौतम--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बिन्दुओं के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--गत वर्ष भयंकर सूखा की मार झेल रहे किसानों को राहत देने, राजस्व वसूली निरस्त करने, किसानों को बिजली में बढ़ी दर को खत्म करने तथा जनपद बुलन्दशहर की तहसील शिकारपुर को 14 घंटा बिजली देने, छात्रों की परीक्षा को ध्यान रखते हुए शाम 5 बजे से 10 बजे तथा सुबह 4 बजे से सुबह 7 बजे तक विद्युत आपूर्ति करने के संबंध में,

2--शासन, प्रशासन में हर स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त करने के संबंध में,

3--प्रदेश में व्याप्त भय, अपहरण, फिरौती, जंगलराज, हत्या, बलात्कार आदि अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण करने के संबंध में,

4--सवर्ण गरीबों को सरकारी नौकरियों, शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिये जाने के संबंध में,

5--सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य की पूर्ति प्राथमिक शिक्षकों से अन्य कार्य न कराकर पूरे सत्र छात्रों को शिक्षा ग्रहण कराने के संबंध में,

6--प्रदेश का विकास मात्र कुछ जनपदों तक सीमित न करके तथा जनपद बुलन्दशहर के निम्नलिखित मार्ग क्रमशः खुर्जा-जहांगीराबाद, शिकारपुर-अनूपशहर, बुलन्दशहर-स्याना रोड से बालिका, बुलन्दशहर-अनूपशहर मार्ग से जमुनाठेर, मेरठ-बदायूं रोड से सिवाली सलेमपुर मार्ग आदि का मरम्मत कार्य कराकर गड्ढा मुक्त करने के संबंध में,

7--चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध छात्रों की बढ़ी फीस का अन्तर राजकोष से भुगतान कराने के संबंध में,

8--जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड शिकारपुर के गांव धुंधरावली बनवारीपुर पर कावनी नदी के सेतु निर्माण के संबंध में,

9--जनपद बुलन्दशहर के राजवाहे तथा माइनरों की टेल तक सफाई मजदूरों द्वारा कराये जाने तथा मध्य गंगा नहर में पानी को हर सीजन में चलाये जाने के संबंध में,

10--अनुसूचित जाति, जनजाति को निजी क्षेत्रों तथा सरकारी सेवाओं में आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में तथा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कोटा पूरा करने के संबंध में,

11--जनपद बुलन्दशहर के सहकारी सूत मिल्स सहकारी नगर बुलन्दशहर को पुनः चलवाने के संबंध में,

12--विधवा, वृद्धा, किसान पेंशन, इन्दिरा आवासों की धनराशि बढ़ाने के संबंध में,

13--राष्ट्रीय राजधानी परिक्षेत्र के अंतर्गत जनपद बुलन्दशहर को लाभ दिलाने की सुविधा मुहैया कराये जाने के संबंध में।"

8--श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--मेरठ जनपद को विद्युत आपूर्ति 24 घंटे किये जाने के संबंध में,

2--मेरठ महानगर के नालों की सफाई के संबंध में,

3--प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के संबंध में,

4--प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित तालाबों की सफाई एवं चहार दीवारी कराये जाने के संबंध में,

5--मेरठ जनपद में मऊ चीनी मिल को तत्काल चालू कराने के संबंध में,

6--मेरठ जनपद में परतापुर एवं हस्तिनापुर कताई मिल को चालू कराने के संबंध में,

7--प्रदेश में व्यापार को बढ़ावा देने हेतु व्यापार कर की दर पड़ोसी राज्य दिल्ली के बराबर करने के संबंध में,

8--मेरठ महानगर को गंग नहर भोला सबई से सरफेस वाटर से जोड़ कर पेय जल समस्या को खत्म करने के संबंध में,

9--मेरठ महानगर में पेयजल हेतु ट्यूबवेल से अतिरिक्त सप्लाई हेतु पाइप लाइन के संबंध में,

10--व्यापारियों पर राज्य विकास कर को हटाने के संबंध में,

11--व्यापारियों का उत्पीड़न समाप्त करने के लिये विभिन्न विभागों में इन्सपेक्टरों को चालान कोटा समाप्त करने के संबंध में,

12--व्यापारियों की सुविधा हेतु समस्त विभाग एक छत के नीचे लागू करने के संबंध में,

13--प्रदेश के भारतीय सेना के शहीद जवानों की प्रतिमा लगाने व आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में,

14--प्रदेश के भारतीय सेना में बहादुरी पुरस्कार प्राप्त होने पर पुरस्कार राशि को बढ़ाये जाने के संबंध में,

15-सवर्ण जातियों की गरीब लड़कियों की शादी में आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में,

16--मेडिकल कालेज मेरठ की मशीनरी (चिकित्सा) क्रय करने के संबंध में,

17--मेरठ विकास प्राधिकरण की आर्थिक दशा सुधारने के संबंध में,

18--सरकारी सस्ते गल्ले की निलम्बित दुकानों को तत्काल चालू करने के संबंध में,

19--मेरठ के खेल सामग्री उद्योग को बढ़ावा देने हेतु योजना बनाने के संबंध में,

20--मेरठ दिल्ली रोड मेवला रेलवे फाटक पर कंकरखेड़ा रेलवे फाटक पर ओवर ब्रिज बनाने के संबंध में,

21--मेरठ कंकरखेड़ा स्थित सावेल डिस्टलरी के प्रदूषण से जनता को मुक्त कराने के संबंध में,

22--प्रदेश के प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल में खेल मैदान व खेल अध्यापक नियुक्त किये जाने के संबंध में।"

9--श्री राम इकवाल सिंह--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--इसारी सलेमपुर, जनपद बलिया में नवनिर्मित 33/11 के0 वी0 का विद्युत उपकेन्द्र के पूरा करने के संबंध में,

2--नगरा बाजार की बन रही अधूरी सड़क पूर्वांचल राज्यांश से पूरा कराने के संबंध में,

3--रसड़ा कताई मिल को चलाने के संबंध में,

4--प्रदेश में हजारों करोड़ के एस0 जी0आर0 वाई0 के गेहूं के धांधली की सी0 बी0 आई0 जांच कराने के संबंध में,

5--विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के वर्ष 2003-04 एवं 2004-05 के समग्र विकास के गांवों के सम्पर्क मार्ग से जोड़ने के संबंध में,

6--टोंस नदी के कटान से विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के कोड़रा गांव के कटान के संबंध में,

7--अंशदान जमा करने के बावजूद भी विधान सभा क्षेत्र चिलकहर, जनपद बलिया के नगरा पकड़ी एवं कुरेजी में पानी की टंकी का निर्माण कार्य पूरा करने के संबंध में,

8--संकरा, बलेकरा, नरांव, एकइल, डूमरी, पकड़ीपुर में विद्युत के जर्जर तार एवं लकड़ी के खम्भे बदलने के संबंध में,

9--प्रदेश में बेरोजगारों को भत्ता देने के संबंध में,

10--सूखा राहत प्रदेश के किसानों को उपलब्ध कराने के संबंध में,

11--गरीबी रेखा से नीचे के सामान्य वर्ग के बेरोजगारों को नौकरियों में आरक्षण के संबंध में,

12--जूनियर हाई स्कूल, इण्टर माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाने के संबंध में,

13--बलिया जनपद की खस्ता हालत सड़कों के मरम्मत के संबंध में,

14--शिक्षा मित्रों को स्थायीकरण करने के संबंध में,

15--स्ववित्तपोषित कालेज के अध्यापकों को शोषण से बचाने हेतु बैंक से पेमेंट देने के संबंध में,

16--प्राथमिक विद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक छात्रवृत्ति हेतु छात्रों के खाते में धन उपलब्ध कराने के संबंध में,

17--विगत एक वर्ष से बलिया जनपद की ध्वस्त कानून व्यवस्था के संबंध में,

18--माध्यमिक शिक्षा सेवा में केवल लिखित परीक्षा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में,

19--प्रदेश सरकार द्वारा बी0 एड0 इंजीनियरिंग मेडिकल तथा मैनेजमेन्ट कोटे में शासन द्वारा डोनेशन की धनराशि तय करने के संबंध में,

20--प्रदेश के गांवों में 24 घंटा विद्युत देने के संबंध में,

21--गांवों की शिक्षा सुधारने के संबंध में।"

10--श्रीमती प्रेमलता कटियार--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किंतु खेद है कि श्री राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--प्रदेश में बिगड़ी कानून-व्यवस्था को सुधारने के संबंध में,

2--प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के संबंध में,

3--प्रदेश में विद्यालयों को अनुदान सूची में लेने के संबंध में,

4--प्रदेश में होने वाली विभिन्न विभागों की भर्तियों में पारदर्शिता बनाए रखने के संबंध में,

5--प्रदेश में गिरते जल स्तर के प्रबंधन के संबंध में,

6--प्रदेश की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक नगरी बिठूर के विकास हेतु गंगा पर बनने वाले पुल के संबंध में,

7--प्रदेश में बी0 एड0 प्रवेश में व्यापक धांधली एवं भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में,

8--सौ वर्षों से अधिक पूर्व बने एक मात्र वाटर वर्क्स को देखते हुए एक और वाटर वर्क्स के निर्माण के संबंध में,

9--कानपुर के डी0 ए0 वी0 महाविद्यालय से जुड़े छात्रावास को प्रबंधतंत्र द्वारा छात्रों को न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न समस्या के समाधान के संबंध में,

10--कानपुर महानगर के निगम की वित्तीय हालत को देखते हुए कर्मचारियों का बकाया वेतन एवं पेंशन के भुगतान एवं उनकी संख्या में वृद्धि हेतु धन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के संबंध में,

11--बिठूर के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के संबंध में,

12--कानपुर महानगर के बाहर से बाई पास मार्ग बनाने के संबंध में,

13--कानपुर महानगर की विद्युत सप्लाई को सुदृढ़ कर विद्युत कटौती से मुक्त करने के संबंध में,

14--कानपुर महानगर के नव विकसित क्षेत्र में विद्युत पोल एवं तार लाईन खींचने के संबंध में,

15--कानपुर महानगर की अविकसित बस्तियों के आवासों से व्यवहारिक शुल्क लेकर नियमित किये जाने के संबंध में,

16--कानपुर नगर के जिन मुहल्लों में सीवर लाइन नहीं है जल निकासी हेतु सीवर लाइन डालने के संबंध में,

17--कानपुर नगर की खस्ताहाल सड़कों के रख-रखाव के संबंध में,

18--कानपुर नगर के साथ जुड़े अविकसित क्षेत्रों में जन सुविधाओं, सड़क, सीवर, मार्ग प्रकाश आदि की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में,

19--कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था हेतु आवश्यक उपरिगामी पुलों के निर्माण के संबंध में,

20--कानपुर की पेयजल व्यवस्था हेतु शीघ्र गंगा बैराज पूर्ण कराए जाने के संबंध में,

21--कानपुर महानगर में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले नागरिकों को मिलने वाली खाद्य सामग्रियों के उपलब्ध न हो पाने के संबंध में,

22--विधवा पेंशन का कोटा न बढ़ाये जाने के संबंध में,

23--विकलांगों को प्राप्त सुविधा उन्हें सुचारु रूप से मिले इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत स्तर पर व्यवहारिक बनाए जाने के संबंध में,

24--विद्या धन योजना का लाभ शीघ्र सभी बालिकाओं को उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।"

11--श्री रामपाल वर्मा--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--विधायक स्व0 श्री राजूपाल हत्याकाण्ड की सी0 बी0 आई0 जांच के संबंध में,

2--प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं हत्या, डकैती, बलात्कार, अपहरण आदि पर रोक लगाने के संबंध में,

3--प्रदेश में व्याप्त बिजली संकट को दूर करने के संबंध में,

4--जनपद हरदोई के अंतर्गत सण्डीला-बेनीगंज मार्ग पर क्षतिग्रस्त बेहटा नाला पुल के निर्माण के संबंध में,

5--हरदोई के वि0 खं0 भरावन के अंतर्गत भटपुर-नेवादा मार्ग के निर्माण के संबंध में,

6--हरदोई जनपद के अंतर्गत अतरौली जखवा पावर हाउस की दशा सुधारने के संबंध में,

7--हरदोई को नगर पंचायत बेनीगंज में विकास के संबंध में,

8--प्रदेश के निवासियों को सुरक्षा की गारंटी के संबंध में।"

12--श्री सुरेश कुमार खन्ना--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न के सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया है :--

1--प्रदेश के बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये आश्वासन के बाद भी भत्ता देने के लिए कुछ नहीं कहा गया है के संबंध में,

2--प्रदेश में तत्काल विद्युत वितरण 24 घंटे किये जाने के संबंध में,

3--प्रदेश के विभिन्न नगरों में नालों की सफाई के संबंध में,

4--प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी के लिए नाला-नाली निर्माण के संबंध में,

5--प्रदेश में जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण कम करने के संबंध में,

6--प्रदेश में अपराधों को कम करने के लिये किसी ठोस तात्कालिक योजना के संबंध में,

7--प्रदेश के गिरते हुए जल स्तरों को ऊपर उठाने के संबंध में,

8--प्रदेश की नदियों की सफाई के संबंध में,

9--प्रदेश के प्राथमिक, जूनियर स्कूलों में शिक्षा के स्तर को उठाने के संबंध में,

10--प्रदेश में नैतिक शिक्षा को विषय के रूप में पढ़ाये जाने के संबंध में,

11--शाहजहांपुर में थर्मल पावर प्लांट बनने के संबंध में,

12--शाहजहांपुर नगर में ए0 पी0 डी0 आर0 पी0 योजना के अंतर्गत भारत सरकार से स्वीकृत धन को खर्च करने के संबंध में,

13--शाहजाहंपुर जिले के कोला घाट व शमसीपुर घाट पर पुल बनने तथा भैसार बांध बनने के संबंध में,

14--शाहजहांपुर नगर की शेष सड़कों का निर्माण करने, मार्ग प्रकाश व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में,

15--शाहजहांपुर के विसरात घाट पर पैदल पुल बनने के संबंध में,

16--शाहजहांपुर नगर की सड़कों, मुख्य मार्गों की मरम्मत किये जाने के संबंध में,

17--शाहजहांपुर के राजकीय व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में सृजित पदों को उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के संबंध में,

18--शाहजहांपुर नगर के विभिन्न मोहल्लों में विद्युत के तार जो मात्र सर की ऊंचाई तक लटके हुए हैं को ठीक कराने के संबंध में,

19--शाहजहांपुर नगर में वृक्षारोपण के संबंध में,

20--शाहजहांपुर में रोडवेज की पुरानी बसों को बदलकर नई बसें चलाने तथा जिन रूटों पर यू0 पी0 एस0 आर0 टी0 सी0 की बसें नहीं हैं। उन रूटों पर नई बसें चलाने के संबंध में,

21--शाहजहांपुर में सोलर इनर्जी पार्क बनवाने के संबंध में,

22--शाहजहांपुर में मण्डी परिषद् रौजा से ददिउरा मार्ग, सरही मार्ग, उटहा मार्ग, रोसर मार्ग, उदियापुर मार्ग बनवाने के संबंध में,

23--पश्चिमी उ0 प्र0 में इलाहाबाद की खण्डपीठ स्थापित करने के संबंध में तथा इस पीठ की स्थापना होने तक पश्चिमी उ0 प्र0 तथा रुहेलखण्ड मण्डल के जिलों को न्यायिक प्रक्रिया के लिये लखनऊ खण्डपीठ से जोड़े जाने के संबंध में,

24--प्रदेश व शाहजहांपुर के बी0 एड0 बेरोजगारों को शिक्षक के रूप में बी0 टी0 सी0 के स्थानों पर नियुक्त करने के संबंध में,

25--शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के संबंध में।"

13--डा0 राम बाबू हरित--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--आगरा महानगर में जमुना नदी पर बैराज बनाने के संबंध में,

2--आगरा पश्चिम क्षेत्र की मलिन बस्तियों में सुलभ शौचालय बनाये जाने के संबंध में,

3--आगरा महानगर में विद्युत कटौती रोकने के संबंध में,

4--आगरा पश्चिम क्षेत्र में विद्युत तारों, ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल की दयनीय स्थिति को सुधारने के संबंध में,

5--आगरा पश्चिम क्षेत्र में छात्र, छात्राओं हेतु नये विद्यालय खोले जाने के संबंध में,

6--आगरा महानगर में गरीब लोगों हेतु सरकारी चिकित्सा व्यवस्था को अस्पतालों (एस0 एन0 मेडिकल कालेज, जिला अस्पताल, लेडी लायल महिला अस्पताल, मानसिक अस्पताल, ई0 एस0 आई0 डिस्पेन्सरी) में सुधार किये जाने के संबंध में,

7--संस्कृत को प्रदेश की अनिवार्य भाषा बनाने के संबंध में,

8--नकल अध्यादेश को जनहित में लागू रखने के संबंध में,

9--आगरा पश्चिम क्षेत्र में स्थायी खराब हैण्डपम्पों को युद्ध स्तर पर ठीक कराने के संबंध में,

10--आगरा के जूता व्यवसायी की स्थिति को सुधारने के संबंध में,

11--आगरा के अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों द्वारा अभिभावकों की खुली लूट रोकने के संबंध में,

12--आगरा में अंग्रेजी माध्यम से चलने वाले विद्यालयों में अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षण कोटे को पूरा करने व फीस माफ करने के नियमों को पालन कराने के संबंध में,

13--आगरा में विधवाओं और वृद्धों को अधिकाधिक संख्या में पेंशन दिलवाये जाने के संबंध में,

14--आगरा महानगर में गरीब, पिछड़े और अनुसूचित लोगों को बिना वचत-पत्र जमा कराये सुरक्षा हेतु अधिक से अधिक आर्म लाइसेंस दिलवाये जाने के संबंध में,

15--आगरा महानगर में इलेक्ट्रानिक उद्योग विकसित कराये जाने के संबंध में,

16--आगरा में राशन कार्ड कैम्प कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार रोकने के संबंध में,

17--आगरा महानगर में टी0 बी0 अस्पताल की दयनीय स्थिति सुधारने के संबंध में,

18--आगरा महानगर को ताजमहल के कारण पर्यटन स्थल बनाने के संबंध में,

19--आगरा महानगर में पुराने गंदे कुओं की सफाई करके उन्हें पानी पीने योग्य बनाये जाने के संबंध में,

20--आगरा महानगर में बंद पड़े सीवर लाइनों को खोलवा कर चालू करने के संबंध में,

21--आगरा महानगर में नयी सीवर लाइन का पानी लाइन (नल) डलवाने के संबंध में,

22--आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा शुद्ध साफ पानी पीने, पीने हेतु उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

23--आगरा जल संस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु उपायों के संबंध में,

24--आगरा में जल संस्थान के कर्मचारियों को समय से पगार (पे) दिलवाये जाने के संबंध में,

25--आगरा जल संस्थान की पुरानी जर्जर मशीनों की जगह नये प्लांट लगवाये जाने के संबंध में,

26--आगरा जल संस्थान की सीवर की सफाई हेतु दी गई जेटिंग मशीन खरीद कर उपलब्ध कराने के संबंध में,

27--आगरा महानगर में जल संस्थान द्वारा हजारों नलों में व्यर्थ पानी बहाव को रोकने हेतु टोटी लगाने की व्यवस्था के संबंध में,

28--आगरा महानगर को पानी की पर्याप्त उपलब्धता हेतु 1000 नये हैण्ड पम्प शीघ्र लगाने के संबंध में,

29--आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा बनायी गयी कालोनियों में टंकी द्वारा पानी उपलब्ध कराने के संबंध में,

30--आगरा महानगर में सफाई को सुधारने हेतु लगभग 5000 सफाई कर्मचारियों की नयी भर्ती करने के संबंध में,

31--आगरा महानगर की सफाई व्यवस्था हेतु उपयुक्त मात्रा में हथठेले, फावड़े, झाड़ू ब्लीचिंग पाउडर, चूना आदि उपलब्ध कराने के संबंध में,

32--आगरा महानगर में सफाई कर्मचारियों को बीमारियों से बचाने हेतु बचाव के साधन उपलब्ध कराने के संबंध में,

33--उ0 प्र0 में सफाई कर्मचारियों को ही, अनुभव के आधार पर सुपरवाइजर, सेनेटरी इंसपेक्टर व चीफ सेनेटरी इंसपेक्टर बनाने के संबंध में,

34--आगरा महानगर की स्ट्रीट लाइट को सुधारने हेतु स्विच वायर डालकर प्रत्येक विद्युत पोल पर सोडियम लैम्प, ट्यूब लाइट लगाने के संबंध में,

35--आगरा महानगर के सभी सिल्ट भरे नालों की तली झाड़कर सफाई कराके सिल्ट को तुरंत उठवाने की व्यवस्था कराने के संबंध में,

36--आगरा महानगर में निर्माण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यों में गुणवत्ता सुधारने हेतु ठेकेदारों को समय से भुगतान करने, खराब हुए कार्यों में दोषी ठेकेदार व अभियंताओं को कड़ी सजा देने के संबंध में,

37--आगरा महानगर में नगरपालिका द्वारा सभासद/नगर प्रमुख, विधायक, जनप्रतिनिधियों की संस्तुति के बाद ही निर्माण कार्य कराने के संबंध में,

38--आगरा नगर निगम सीमा में अश्लील पोस्टर के लगाने पर रोक लगाने, दोषी लोगों को दण्डित करने के संबंध में,

39--आगरा महानगर में रोड कटिंग को न रोक पाने वाले संबंधित अधिकारियों को दण्डित करने के संबंध में,

40--आगरा महानगर में दसियों कांवेन्ट स्कूलों का भवन निर्माण होने के बाद उनका सही हाउस टैक्स न लगाने वाले संबंधित दोषी अधिकारियों को राजस्व हानि के लिये दण्डित करने के संबंध में,

41--आगरा महानगर के महानगरपालिका में कर्मचारियों को बोनस, फंड, पगार आदि समय से उपलब्ध कराने के संबंध में,

42--आगरा महानगर में होर्डिंग्स से हो रही राजस्व की कमी के लिये संबंधित दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के संबंध में,

43--आगरा महानगर में सभी सरकारी विभागों में आरक्षण कोटा पूरा करने के संबंध में,

44--आगरा महानगर के पश्चिमी क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिये आबादी के घनत्व को देखते हुए दो-दो नये कालेज खोलने के संबंध में,

45--आगरा महानगर के सभी विद्यालयों को दो पालियों में चलाने व उपयुक्त मात्रा में अध्यापक व अध्यापिकाओं की नयी नियुक्ति करने के संबंध में,

46--आगरा महानगर में प्राइमरी, जूनियर हाई स्कूल के अध्यापक व अध्यापिकाओं को समय से वेतन देने के संबंध में,

47--आगरा महानगर में चर्मनगर स्थापित करने के संबंध में,

48--आगरा महानगर में लोहामण्डी बाजार को अन्यत्र स्थापित कराने हेतु व्यापारियों को सही दर पर आ0 वि0 प्रा0 द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के संबंध में,

49--आगरा महानगर में मलिन बस्तियों से शराब की दुकाने हटाने के संबंध में,

50--प्रदेश में आरक्षण के मसले पर अल्पसंख्यक स्कूलों को इस अध्यादेश में समाहित करने के संबंध में,

51--प्रदेश के माध्यमिक शिक्षकों को क्लास के 50 प्रतिशत परिणाम आने पर ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट आदि की सुविधा देने के संबंध में तथा राजनीति में आये शिक्षकों को एक ही स्थान पर वेतन व पेंशन प्राप्त करने के संबंध में,

52--आगरा महानगर में छात्रों को छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतों की जांच कराकर दोषी लोगों को सजा दिलाने के संबंध में,

53--प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म कराने हेतु जनप्रतिनिधियों, आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0, पी0 सी0 एस0 अधिकारियों, चिकित्सकों, अभियंताओं व अन्य कर्मचारियों की समय-समय पर इनके निवास स्थान तथा रहन-सहन के स्तर की जांच कराकर दोषी के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही करने के संबंध में,

54--आगरा महानगर में चीरघर शव विच्छेदन गृह को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने के संबंध में,

55--प्रदेश में वीरांगना झलकारी बाई, अवंती बाई के जन्मदिन पर सार्वजनिक छुट्टी व आगरा महानगर में मुख्य चौराहों पर इनकी मूर्ति की स्थापना करने के संबंध में,

56--महाशिवरात्रि, भगवान गौतमबुद्ध जयंती, भगवान महावीर जयंती व गांधी जयंती के अवसर पर हिन्दुओं, जैनियों की भावना की कद्र करते हुए मांस की दुकानें, वधशालाओं को बंद कराने के शासनादेश को सख्ती से लागू करने के संबंध में,

57--आगरा जनपद के जयपुर हाऊस, राजामंडी, बुन्दु कटरा, फ्रेन्ड्स कालोनी के उपविद्युत केन्द्रों के अंतर्गत आने वाले मोहल्लों में नीचे लगे विद्युत पोलों, जर्जर विद्युत तारों, कम क्षमता के ट्रांसफार्मरों की जगह अधिक क्षमता के ट्रांसफार्मर बदले जाने की व्यवस्था के संबंध में,

58--आगरा महानगर में गंगा नदी में पर्याप्त मात्रा में यमुना नदी में पानी लाने की व्यवस्था के संबंध में,

59--नगर निगम आगरा व कर्मचारियों में हड़ताल के बाद हुए समझौते को लागू कराने की व्यवस्था के संबंध में,

60--अम्बेडकर जयंती पर जनपद आगरा में साज-सज्जा, सौन्दर्यीकरण के साथ भीम नगरी जा रहे रामनगर, प्रकाशनगर, केदारनगर व प्रेमनगर आदि क्षेत्रों में सम्पूर्ण विकास कराने के संबंध में,

61--प्रदेश में डीजल, पेट्रोल आदि पर लगने वाले व्यापार कर को घटाकर 10% करने के संबंध में।"

14--श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--जौनपुर नगर में गोमती नदी पर एक नये पुल निर्माण के संबंध में,

2--जौनपुर में बढ़ रही हिंसा, अपराध, लूट तथा हत्या की रोकथाम के संबंध में,

3--जौनपुर में ग्राम जमदहां, थाना खेता सराय में सपा विधायक द्वारा साम्प्रदायिक दंगा कराने तथा दंगाइयों को उकसा कर हिन्दुओं के दर्जनों घरों, दुकानों को जलाने तथा एक महिला की हत्या के संबंध में,

4--जौनपुर जिले में विद्युत दुर्व्यवस्था तथा कटौती को रोकने के संबंध में,

5--जौनपुर की मड़ियाहूं तहसील में क्षेत्र के सम्मानित नागरिक एवं भाजपा के रामनगर मण्डल के अध्यक्ष श्री लालता प्रसाद गिरि की तहसीलदार व नायब तहसीलदार, अमीन तथा फर्जी चपरासी द्वारा तहसील परिसर में पीटकर की गयी अमानुषिक हत्या के संबंध में,

6--सम्पूर्ण रोजगार योजना में कराये जा रहे कार्यों में गंभीर भ्रष्टाचार के संबंध में,

7--समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित गांवों में विकास कार्यों हेतु धन उपलब्ध न कराने के संबंध में,

8--सूखाग्रस्त जौनपुर जनपद में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों पर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य किये जाने के संबंध में,

9--जौनपुर नगर में एक अतिरिक्त 300 शय्या वाले राजकीय अस्पताल खोलने के संबंध में,

10--जौनपुर नगर की जर्जर तथा जीर्ण-शीर्ण सड़कों को तत्काल विशेष मरम्मत के संबंध में,

11--जौनपुर जनपद की एक मात्र शाहगंज चीनी मिल के सुदृढ़ीकरण, विस्तारीकरण तथा नवीनीकरण के संबंध में,

12--जौनपुर जनपद में मानकों के अनुरूप शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में,

13--मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुरूप बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में।"

15--श्री जगदीश नारायण राय--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--प्रदेश में कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में,

2--ग्रामीण क्षेत्र के गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार दिलाने हेतु कोई प्रभावी योजना नहीं बनायी गयी है, इनके स्तर को सुधारने हेतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित कृषि उद्योग लगवाया जाय,

3--शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में,

4--जनपद जौनपुर के गोमती नदी पर शहर में एक प्लाटून ब्रिज बनाने के बारे में,

5--जनपद जौनपुर को पर्यटन हेतु विकसित करने के संबंध में,

6--जनपद जौनपुर में कृषि आधारित उद्योग लगाने के बारे में,

7--जनपद जौनपुर में सीवर लाइन की व्यवस्था करने के संबंध में।"

16--श्री हरिशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--प्रदेश में घोषित सूखा राहत वितरण के संबंध में,

2--प्रदेश में रबी की बोआई के समय डी0 ए0 पी0 एवं यूरिया खाद किसानों को न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में,

3--प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों एवं ध्वस्त कानून व्यवस्था को सुधारने के संबंध में,

4--प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में मिलने वाले मध्यान्ह भोजन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के संबंध में,

5--प्रदेश में नीलघोड़ों से हो रही किसानों की क्षति को रोकने के संबंध में,

6--राज्य कर्मचारियों को केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति पचास प्रतिशत महंगाई भत्ता मूल वेतन में जोड़े जाने के संबंध में,

7--प्रदेश में बिजली आपूर्ति मांग के अनुरूप सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

8--प्रदेश में तेल मिलावट से उत्पन्न बीमारी 'ड्राप्सी' की रोकथाम के संबंध में,

9--ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली आग को रोकने हेतु ब्लाक स्तर पर अग्निशमन की गाड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में,

10--सरकारी विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में,

11--अन्नपूर्णा और अंत्योदय योजना के वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के संबंध में,

12--गोरखपुर जिले में सरयू नदी के कम्हरिया घाट पर प्रस्तावित पीपे का पुल बनवाये जाने के संबंध में,

13--प्रदेश में बंगलादेशी घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाये जाने के संबंध में,

14--वाराणसी में मडुआडीह रेलवे क्रासिंग पर स्वीकृत ओवरब्रिज का शीघ्र निर्माण कार्य चालू कराये जाने के संबंध में,

15--गंगा और यमुना नदियों की सफाई के लिये मजबूत कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में,

16--प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी की रोकथाम के संबंध में,

17--प्रदेश में ओलावृष्टि से वर्तमान में हुई किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति कराये जाने के संबंध में,

18--प्रदेश भर में बुनकरों के चौपट हो रहे पावरलूम उद्योग को सुधारने, नियमित 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करने, वसूली रोके जाने, आर0 सी0 न काटे जाने तथा बुनकरों को किसानों की भांति सस्ती दर पर विद्युत उपलब्ध कराये जाने के संबंध में,

19--राजभर, निषाद, कश्यप, केवट, मलाह, बिन्द आदि जातियों को अनुसूचित जाति में सम्मिलित किये जाने के संबंध में,

20--प्रदेश में सूखा और बाढ़ से बचाव के संबंध में,

21--प्रदेश में अवरुद्ध विकास को गति देने के संबंध में,

22--वर्ष 1991-92 में कम्प्यूटराइज्ड पर्चियों के 'कलैण्डरों' द्वारा पर्चियों का वितरण सीजन के प्रारंभ में किये जाने की व्यवस्था के संबंध में,

23--स्थानान्तरण नीति निर्धारित करने के संबंध में,

24--नकलमुक्त परीक्षा प्रणाली बनाने के संबंध में।"

17--श्री कौशल किशोर--

प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :--

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का उल्लेख नहीं किया है :--

1--उत्तर प्रदेश में प्रत्येक बच्चे को पढ़ने के लिए हाई स्कूल तक एक समान, नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा को लागू करना,

2--उत्तर प्रदेश के समस्त गांव पंचायतों व उनके मजरों में विद्युतीकरण कराना,

3--सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित करना,

4--उ0 प्र0 के किसानों व श्रमिकों पर विश्व बैंक की नीतियों को लागू करने से रोकना,

5--विश्व बैंक के दबाव में उ0 प्र0 में डंकल प्रस्ताव व पेटेन्ट कानून को लागू करने से रोकना,

6--विश्व बैंक द्वारा दिये गये ऋण से प्राइमरी स्कूलों में 'मिड डे मील' योजना को लागू करने से रोक करके उक्त ऋण के धन से गांवों के प्राइमरी पाठशालाओं के बच्चों को पढ़ाने के लिये किताबें व अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना,

7--कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए थानों में रिपोर्ट लिखने का अधिकार खत्म करके सिविल कार्यालय बनाकर पीड़ित व्यक्ति की रिपोर्ट लिखाना सुनिश्चित कराना,

8--उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को कम से कम प्रत्येक वर्ष 200 दिन का रोजगार उपलब्ध कराना,

9--बेरोजगारों को कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित कराना,

10--उत्तर प्रदेश के किसानों का 25 हजार रुपये तक बकाया ऋण माफ करना,

11--उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांवों में लोक गायकों व भजन मण्डल के समस्त लोगों को सरकार द्वारा किराये में छूट देना तथा सरकारी सुविधायें उपलब्ध कराना,

12--प्रदेश के किसानों एवं बुनकारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना,

13--बेरोजगारों को व्यापार करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराना,

14--गरीबी रेखा के नीचे के लोगों के राशन कार्ड पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का अधिकार विधायकों को देना,

15--गांवों में गरीबों को इन्दिरा आवास उपलब्ध कराना,

16--प्रत्येक विधवा व विकलांग व वृद्ध को कम से कम 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन देना सुनिश्चित करना,

17--60 वर्ष से ऊपर वृद्ध लोगों को नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराना,

18--प्रदेश में बीमार व्यक्तियों को नि:शुल्क जांच व इलाज उपलब्ध कराना,

19--भूमिहीनों को भूमि का पट्टा एक साल में देना सुनिश्चित करना,

20--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों का विद्युतीकरण करना,

21--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के बेहता नाले पर गांव दौलतपुर, गौन्दा मोज्जमनगर, बिराहिमपुर, कुण्डरा कलां, भौसा के सामने कोनेश्वर मंदिर के पास व गांव बंलगढ़ा के सामने पुलों का निर्माण सुनिश्चित कराना,

22--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में अब तक चयनित समस्त अम्बेडकर गांव व समग्र गांवों को पूर्ण रूप से एक वर्ष में संतृप्त गांव बनाना,

23--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में काकोरी, मलिहाबाद बरावन कलां, गोपरामऊ, रहीमाबाद के लिये लड़कियों को पढ़ने के लिए इण्टर कालेज, मलिहाबाद में एक डिग्री कालेज, रहिमाबाद में बिजली का पावर हाऊस, मलिहाबाद में एक फल एवं सब्जी उप मण्डी, माल में तीन सौ बेड का अस्पताल बनाने जिसकी याचिकायें सन् 2002 में विधान सभा में मंजूर हो चुकी है की, कार्यवाही करके निर्माण कार्य सुनिश्चित कराना,

24--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक माल, मलिहाबाद, काकोरी में जहां बिजली का बिल शहरी दर से लिया जाता है। आम फल पट्टी होने के कारण भी 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराना,

25--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के आम फल पट्टी क्षेत्र होने के नाते विदेशों में आम निर्यात के लिए आम निर्यातक हेतु क्रय केन्द्र खोलना,

26--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में फलदार पेड़ों की नर्सरी उत्पादकों को किराये में छूट देना तथा समस्त नर्सरी के पेड़ों को सरकार द्वारा खरीदने की सुविधा उपलब्ध कराना,

27--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक गांवों में पीने के पानी हेतु एक-एक पानी की टंकी का निर्माण कराना,

28--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र आम फल पट्टी क्षेत्र होने के कारण नहरों में हमेशा पानी टेल तक उपलब्ध कराना व प्रत्येक गांवों में सिंचाई हेतु सरकारी नलकूपों का निर्माण कराना,

29--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के आम उत्पादक किसानों की फसल का बीमा सुनिश्चित कराना,

30--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के मलिहाबाद चौराहे से माल भरावन रोड व माल से गहन्दी होते हुए रहिमाबाद चौराहे तक का रोड व मलिहाबाद चौराहे से माहन रोड को चौड़ी कराना,

31--मलिहाबाद क्षेत्र के शारदा नहर पर बनी रोड का पुन: निर्माण कराना,

32--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त गरीब लड़कियों की शादी हेतु अनुदान उपलब्ध कराना,

33--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र आम फल पट्टी क्षेत्र होने के कारण समस्त विधवा, विकलांग व वृद्ध लोगों को पेंशन उपलब्ध कराना,

34--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों में पब्लिक टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध कराना,

35--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के समस्त गांवों में प्रा0 स्वास्थ्य केन्द्र बनाना,

36--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के माल, मलिहाबाद, काकोरी ब्लाकों में एक-एक मिनी स्टेडियम बनाना,

37--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक गांवों में सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाना,

38--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र में समस्त ग्रामीणों को क्रेडिट कार्ड जारी कराना,

39--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र आम फल पट्टी क्षेत्र होने के कारण समस्त कर्ज धारकों का कर्ज माफ कराना,

40--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक माल, मलिहाबाद काकोरी के प्रत्येक गांवों को सम्पर्क मार्ग से डामर की सड़क बनाकर जोड़ना,

41--लखनऊ जनपद के रायबरेली रोड पी0 जी0 आई के पास से पंचम खेड़ा तक डामर की रोड बनाना,

42--मलिहाबाद व माल व काकोरी स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्सरे व अल्ट्रासाउण्ड तथा सी0 टी0 स्कैन की जांच व इलाज करने की सुविधा उपलब्ध कराना,

43--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के हरदोई रोड से रहमान खेड़ा फार्म होते हुए कसमडी कलां गांव तक सड़क का डामरीकरण करना,

44--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के माल गहन्दी रोड से महिमाखेड़ा होते हुए भूणखेड़ा तक डामरीकरण सड़क व माल गहन्दों रोड से गांव बगवारा तक डामरीकरण सड़क का निर्माण कराना,

45--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव गौन्दा मौज्जमनगर से औलियाखेड़ा, नई बस्ती, धनाखेड़ा तक डामरीकरण सड़क का निर्माण कराना,

46--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव मवई कलां से टिकरा गांव, जनपद उन्नाव तक सड़क का निर्माण करना,

47--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के गांव मवई कलां से कैला होते हुए सरैयागांव तक डामरीकरण सड़क का निर्माण करना,

48--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के मलिहाबाद चौराहे पर भगत सिंह के नाम से एक चौराहे का निर्माण कराना,

49--मलिहाबाद विधान सभा क्षेत्र के माल चौराहे पर एक क्रांति चौराहे के नाम से चौराहे का निर्माण कराना।"

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0--18 विधान सभा-- 813--19-5-2005 (डी0टी0पी0)।